Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 01

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 04/05

03. Referee Board 06

04. Spokesperson 08

(Science / विज्ञान)

05. Ethnobotanical Survey Of Some Economic Plants Are Sold By Tribals Of Dhar District, Madhya Pradesh, India (Dr. Kamal Singh Alawa) 10

06. Biodiversity Of India - An Overview (Sharad Kumar Singhariya) 13

(Home Science / गृह विज्ञान)

07. Risk Factors Of Anaemia Among Children Under Five Years (Dr. Akanksha Choudhary) 16

08. उज्जैन जिले के 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास पर मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभाव (लतिका व्यास) 18

09. मनोचिकित्सक के रुप में भगवान गौतम बुद्ध की उपचारात्मक पद्धति (डॉ. दीपशिखा पाण्डेय) 22

10. आदिवासी बच्चों में पोषण पुनर्वास केन्द्र की भूमिका एवं गम्भीर कुपोषण स्थिति का अध्ययन (म.प्र. के आलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में) (मनीषा सक्सेना, संगीता कनेश) 25

11. कामकाजी महिलाए वर्तमान परिपेक्ष्य में (कृष्णा शर्मा) 28

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

12. A Study On Role Of Financial Literacy In Financial Inclusion And Exclusion (Dr. Vijay Grewal, Prof. Deepali Gupta) 30

13. Recent - Lic Growth & Achievement - Analytical Study (Dr. Sangeeta Kumbhare) 35

14. महानगर टेलीफोन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का विश्लेष्णात्मक अध्ययन (डॉ. पवन मिश्रा) 38

15. भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष ई-कामर्स की चुनौतियाँ (डॉ. बालमुकुन्द बघेल) 46

16. जीएसटी एवं वेट प्रणाली के प्रावधानों व प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता) 49

17. म.प्र. में बैंकों द्वारा ग्रामीण साख - तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. निलेश महाजन) 52

18. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 - एक सैद्धान्तिक विवेचन (डॉ. सुधीर महाजन) 55

19. विमुद्रीकरण का देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव (वर्ष 2016 में भारत में हुई नोटबंदी के सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ में) (शैलेन्द्र कुमार राय) 58

20. बैंकों के विलय का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (डॉ. मीना कीर) 61

21. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. मनोज महाजन) 63

22. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कृषि क्षेत्र के ग्रामीण विकास में योगदान (प्रियंका शर्मा, डॉ. प्रवीण ओझा) 65

23. भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का नियमन (सीमा कीर) 67

(Economics / अर्थशास्त्र)

24. Green Human Resource Management - A Step Towards Environment 69
(Dr. Sunita Wathrey, Astha Rajak)

25. Problems Of Women Workers In Indian Unorganized Sector 74
(Dr. Arun Prabha Choudhary, Tajindra Kaur)

26. आर्थिक स्वावलंबन - महिला सशक्तिकरण का मूलाधार (ग्वालियर के विशेष संदर्भ में) (डॉ. वसुधा अग्रवाल) 77

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

27. आरक्षण के संदर्भ में भारतीय राजनीति में सफाई कामगारों की स्थिति (मनमोहन द्विवेदी) 81

28. ई-प्रशासन प्रणाली का वर्तमान परिवेश में नये आयामों का अध्ययन (डॉ. निशा वशिष्ठ, प्रमिला कबीर कुरेठिया) 85

29. निर्वाचन विज्ञान (सेफोलॉजी) तथा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना व मिजोरम के निर्वाचन एवं 89
उनके परिणामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. लता धुपकरिया)

(History / इतिहास)

30. सत्याग्रह और संघर्ष समाधान (डॉ. देशराज वर्मा) 91

31. बीकानेर रियासत की विश्वविख्यात 'गंगा रिसाला' (ऊंट वाहिनी सेना) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी गई................. 94
योद्धिक सेवाएं (गिरधारी सिंह)

32. अमीर, उलमा और सामन्त (डॉ. सुनीता शुक्ला) 96

(Sociology / समाजशास्त्र)

33. महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन 98
(डॉ. ज्योति मेहता, राम भरोस साहू)

34. भारत में महिलाओं की स्थिति व महिला आंदोलन (डॉ. शैलजा दुबे, सुयश दुबे) 101

(Geography / भूगोल)

36. Major Crops Pattern And Trend In Haryana - A Geographical Analysis (Vinod Kumar) 103

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

37. विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामकथा (प्रफुल्ल कुमार टेम्भरेकर) 108

38. राजस्थान की गवरी लोकनाट्य में सामाजिक समरसता के आयाम का विश्लेषण (उषम वैष्णव) 110

39. नारी अस्मिता और महिला कहानीकार (डॉ. शशिकान्त चंदेला) 112

(Education / शिक्षा)

40. Problems Of Females In Attending Classes In Teachers Training Regularly 114
(Dr. Naseem Ahemad, Dr. Anuj Goyal)

41. A Study Of The Anxiety Levels Of Senior Secondary School Students Appearing For 118
Competitive Exams (Dr. Kumud Dikshit)

42. A Comparative Study Of The Role Of Teachers In Inculcation Of Values Among 121
The Government And Private Secondary School Students (Bhawna Verma)

43. उच्च स्तर पर शिक्षकों के आत्मबोध एवं दायित्व बोध में सम्बन्ध का एक अध्ययन (डॉ. अंजनी कुमार मिश्र) 123

44. प्रशिक्षण का महत्व (डॉ. महेश कुमार शर्मा) 125

(Others / अन्य)

45. ध्वनि प्रदूषण - बढ़ते खतरे एवं बचाव (राजेश भारतीय) 127

46. बघेली लोक वाद्यों की परम्परा का अध्ययन (पवन कुमार शुक्ल) 131

47. A Comparative Study of Grammatical Errors Related to Noun, Pronoun, Adjective and Verb 133
in Writing of Gujarati Language of Granted and Non- granted Students
(Dr. Dharmendra Kumar Shrotriya, Mehulkumar R. Patel)

48. Awareness of Parents towards the Learning-Disabled 137
(Sanjeev Tripathi, Dr. Apoorva Pauranik, Dr. Saroj Kothari)

49. Rural Marketing in India (Dr. Nilesh Gangwal) 141

50. Moral Values in Advertising (Dr. Sanjay Bhavsar) 145

51. Awareness of Green Marketing and its Influence on Buying Behavior of Consumers: 147
Special Reference to Madhya Pradesh, India (Dr. Shaizal Batra, Dr. Mohammad Sajid)

52. Heavy Metals and Their Toxic Effects on Health (Dr. Shobha Gupta) 151

53. वेदाङ्ग शिक्षा का कालान्तर में महत्त्व (डॉ. उषा नागर) 156

54. 19 वीं सदी में महिलाओं की स्थिति का एक अध्ययन (डॉ. फिरोज मोहम्मद शेख) 161

55. Response of Grape Dextrose Agar Media on growth and sporulation of Red globe variety 164
of Grapes (*Botrytis cinerea* Pers.Ex. Fr.) (Mahendra Dahiwale)

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

****

Referee Board

Maths - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
- (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science - (1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci. - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor,Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)

***** Management *****

Management - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)

***** Law *****

Law - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)

***** Arts *****

Economics - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi -	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
	(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
	(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English -	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit -	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History -	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography -	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
	(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology -	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing -	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance -	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
	(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
		***** Home Science *****
Diet/Nutrition Science -	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
	(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development -	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
	(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management -	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
		***** Education *****
Education -	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
	(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
	(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
	(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
	(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
		***** Architecture *****
Architecture -	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)
		***** Physical Education *****
Physical Education -	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
	(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
	(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		***** Library Science *****
Library Science -	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) July To September 2019, Vol. II

Ethnobotanical Survey Of Some Economic Plants Are Sold By Tribals Of Dhar District, Madhya Pradesh, India

Dr. Kamal Singh Alawa *

Abstract - The present paper investigation was has been carried out during 2018 to 2019. Ethno botanical information was gathered through individual interviews and observation among the study area. Some economic important plants are sold by tribals of local weekly market and source of income of district Dhar, Madhya Pradesh. More than 23 plants species are found in the study area with medicinal, industrial, ethnic, economic as well as environmental important. The rural and the tribal peoples are majority of the population of district and most of them are economically backward. Some plants are needed for the economic upliftment of these backward people which will not require major monetary input or skilled labour. The most easy and adaptable mode of employment is the gainful exploitation of plants and plant products available in the vicinity for their economic importance.
Key Words - Dhar district, Economic plants, Market, Sold, tribals, Madhya Pradesh.

Introduction - Present study observes twenty three economically important plants are sold by tribals in the local market and directly involve with the socio economic uplift man of tribals of Dhar district, Madhya Pradesh. Mentioning few of them are *Diospyros melanoxylon* Roxb., *Borassus flabellifer* L., *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Hardwickia binata* Roxb., *Aegle marmelos* (L.) Correa.,*Manilkara hexandra* (Roxb.) Dub., *Madhuca longifolia* (Koen.) Mac.,*Mangifera indica* L. etc. The tribals are collected in forest areas of fruits, flowers, seeds, gum and leaves etc. around them and exploitation of the forest products as a source of income. The plants grow around the dwellings of the tribals, who utilize many plants as food, herbal drugs, ropes, strings, oils, fats, flavors and dyes. These tribe's men have developed a good expertise to locate, harvest and process these useful materials. Among the plant products, some of them have good scope economically such as essential oil bearing plant, oil-seed plants, gums and resins, fruits and nuts, vegetables and specially the medicinal herbs as a recent spit in the manufacture of herbals drugs that has created a great demand for medicinal plants. There are some plants which can be formed into items of importance such as ropes and other cordages, baskets, mats, other, woven products, brooms, brushes, agricultural implements etc. the expert capacity of locating and collecting these useful plants and techniques for their subsequent processing and utilization is already available with the people living in these forests or villages of the dense rural areas, but the need is to convince them of the benefits which can solely be theirs. Literature survey of ethnobotanical work was done (Srivastava 1984, Jain 2004, Jadhav 2010; Maheshwari *et al*. 1986, Wagh *et al*. 2010, Alawa *et al*. Prana *et al*. 2013, 2018 & Alawa 2018). The present paper first time documented of the study area.

Materials and Method - Field surveys were conducted during the period 2018-2019. as per well planned schedule and rich pocket of tribal areas were visited for documentation of economic important plants. Information on economic plants were collected from the tribal villages of Nalcha, Mandu, Budhimandu, Undakho, Amkho, Keshvi, Bagh,Tanda, Pipalda, Bilda, Kukshi, Manawer, Umarband, Panala, Gyanpura, Sodpur,Mehandikhedi, Hedri and Kachal. Herbarium of the collected plants specimen was prepared following customary method (Jain and Rao, 1977). Data on the preparation of different species and their applications were gathered from indigenous experienced village people. Local name of the plants and their method of preparation with other raw ingredient were recorded. The plants were identified with the help of flora and available literature (Mudgal *et al* 1997 and Khanna *et al.* 2001).The collected plant species are arranged alphabetically along with their botanical name, vernacular names, family and economic important plants are sold by tribes of local weekly market selling and source of income given below photographs in (Fig. A-D).

Results and Discussion- Present study observes twenty three economically important plants which are sold by tribals in the local market of tribals of Dhar district, Madhya Pradesh. Mentioning few of them are out of 23 plant species belonging to 22 genera and 17 families were discussed above are used as economic plants species are included shrubs, succulent shrubs and trees with potential economic importance and also strong soil binding properties. Some plants of forest produce are consumed as it is collected in the study area. Most of the living in interior hill ranges such as remote areas. Some plant parts are selling and income

*(Botany) Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

in local market from 16 species are fruits, 3 species are seeds, 2 species leaves & 2 species sap and one species flower. Sources of botanical name and families, local name, ethnobotanical uses and sold in the market have been mentioned (Table:1) and given below photographs in (Fig. A-D).

Fig. (A-D) (See in the next page)
Table - 1 (See in the last page)

Acknowledgement - The authors are grateful to Dr. H.L.Fulware, principal and Dr. Subhash Soni, Head of Botany Department Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to Divisional forest Officer, Dhar for help during the tribal village's and forest areas. She is also thankful to all tribal people for their important information valuable information.

References :-

1. **Alawa, K.S. and Ray S. (2018)**. Some plants associated of tribal Clans of Dhar district, Madhya Pradesh, India and their Role in Conservation. *Bioscience Discovery*, 9(2): 260-263.
2. **Alawa, K.S. (2018).** Ethnobotany: Plants use in Fishing and Trapping by Bheel Tribes of Dhar district, Madhya Pradesh, India. *International Journal of Science and Research*, 8 (1): 733-735.
3. **Jain, S.P.(2004).** Ethno-Medico-Botanical Survey of Dhar district Madhya Pradesh. *Journal of Non-Timber Forest products*, 11 (2): 152-157.
4. **Jain, S.K. and Rao, R.R. (1977).***A handbook of field and Herbarium methods*. Today and Tomorrow Publishers, New Delhi.
5. **Jadhav, D. (2010).** Ethno medicinal plants used as antipyretic agents among the *Bhil* tribes of Ratlam District Madhya Pradesh. *Indian forester,* 136 (6): 843-846.
6. **Maheshwari, J.K., Kalakoti, B.S. and Lal, B. (1986).** Ethno medicine of *Bhil* Tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh. *Ancient Science of life,* (5): 255-261.
7. **Madgal, V., Khanna, K.K. and Hajra, P.K. (1997).** *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. II.BSI. Calcutta.
8. **Prana, I.C. and Ahirwar, R.K (2013)** Socio-economic importance of some plants species used by the Tribes of Chanda Forest district Dindori, Madhya Pradesh, India 4 (3): 1733-1735.
9. **Srivastava, R.K. (1984).**Tribals of Madhya Pradesh and Forest Bill of 1980.*Man in India,*64 (3):320-321.
10. **Verma, D.M., Balakrishan, N., and Dixit, R.D. (1993).** *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. I, BSI, Calcutta.
11. **Wagh, V.V. and Jain, A.K. (2010).** Ethnomedicinal observations among the *Bheel* and *Bhilala* tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh, India. *Ethnobotanical Leaflets,*(14):715-720.

Fig. (A-D) Ethnobotanical Survey of local weekly market selling by Tribals of Dhar district, Madhya Pradesh

Fig. (A)Selling "Temru" (*Diospyros melanoxylon*)

Fig. (B)Selling "Amaltas" (*Cassia fistula)*

Fig. (C) Selling "Sitafal" (*Annona squamosa*)

Fig. (D) Selling fruit of "Khurasani imli" (*Adansonia digitata*)

Table - 1 Ethnobotanical study of some economic plants are sold by Tribals of Dhar District (M.P.)

S.No	Botanical name	Family	Vernacular name	Part sold in the market
1	*Adansonia digitata* L.	Bombacaceae	Khurasani imli	The mature fruits are eaten and sold in the market
2	*Aegle marmelos* (L.)	Correa.	Rutaceae	Bel patra Mature fruits are eaten and and sold in the market
3	*Annona squamasa* L.	Annonaceae	Sitaphal	The mature fruits are eaten and edible.
4	*Azadirachta indica* A. Juss.	Meliaceae	Neem	Ripe fruit are also eaten and sold in the market
5	*Borassus flabellifer* L.	Arecaceae	Tad	Plant sap is collected and drunk as local wine production
6	*Butea monosperma* (Linn.)	Taub.	Fabaceae	Palash Leaves are used for making plates “Pattal” and bowls “dauna
7	*Carissa Spinarum* L.	Apocynaceae	Karonda	Ripe fruits are eaten
8	*Cassia fistula* L.	Caesalpiniaceae	Amaltas, Girmala	Fruits are put under the pillow to get rid of nightmares
9	*Cordia gharaf* (Forssk.)	Ehrenb.	Ehretiaceae	Gondhi Flower is eaten as vegetable
10	*Diospyros melanoxylon*	Buch.Ham.	Ebenaceae	Tendu Ripe fruit are also eaten and sold in the market
11	*Jatropha curcas* L.	Euphorbiaceae	Ratanjot, Agarandi	Seed oil is used for illumination and making Soap and sold in the market
12	*Hardwickia binata* Roxb.	Caesalpiniaceae	Anjan	Leaves are eaten as a vegetable and sold in the market
13	*Madhuca logifolia* Macbr. (Koen.)	Sapotaceae	Mahua	Fruits is known locally as ‘Dolly’,or ‘Tolly’ from seed oil and sold in the market
14	*Mangifera indica* L.	Anacardiaceae	Aam	Ripe fruits are eaten and sold in the market
15	*Manilkara hexandra* (Roxb.)	Dub. Sapotaceae	Khirni	Mature fruits are eaten and sold in the market
16	*Momordica dioica* Roxb.	Cucurbitaceae	Kikoda,Katle	Fruits are used as a vegetable and sold in the market
17	*Phoenix* sylvestris (L.) Roxb.	Arecaceae	Khajur, Shindi	Mature fruits are eaten and sold in the market
18	*Phyllanthus emblica L.*	Euphorbiaceae	Amla	Mature fruits are eaten and sold in the market
19	*Senna tora* (L.) Roxb.	Caesalpiniaceae	Puadia	Seeds are sold in the market
20	*Syzygium cumini* (L.)	Skeels.	Myrtaceae	Jamun The mature fruits are eaten and sold in the market
21	*Tamarindus indica* L.	Caesalpiniaceae	Imli	Mature frits are eaten and sold in the market
22	*Terminalia bellirica* (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae	Baheda	Seeds are eaten by children and sold in the market
23	*Ziziphus mauritiana* Lam.	Rhamnaceae	Bor	Mature fruits are eaten and sold in the market

****

Biodiversity Of India - An Overview

Sharad Kumar Singhariya*

Abstract - Biodiversity is a variety of all species on earth. It is the different plants, animals and micro organism, their genes and the terrestrial marine and fresh water ecosystems of which they are part. India is one of 17th mega diverse countries. Wealthy biodiversity of India suffered a rapid decline in Biodiversity. In last, few decades India is treasure chest of Biodiversity which hosts a large variety of plants and animals. The loss of Biodiversity gave very adverse impact on environment and ecosystem. So that is the necessary for us we protect and conserve the Biodiversity.
Key Words - Biodiversity, Hot spots, Biogeographic Regions, Conservation, Species Richness.

Introduction - What is Biodiversity - Biological diversity or Biodiversity manifests itself at three levels species diversity which refers to the numbers and kinds of living organisms ; genetic diversity which refers to genetic variation within species ; and ecosystem diversity which denotes the variety of habitats, Biological communities and ecological process.

Biodiversity In Indian Context - India ranks among the top ten species rich nations in the world. India has four global Biodiversity hot spots. They are Eastern Himalaya, Indo-Burma Region, the Western Ghats, and the Sundar Bans. The varied edaphic, climatic and topographic conditions and years of geographical stability have resulted in a wide range of ecosystems and habitats which include numerous forests, grass lands, wet lands, deserts and coastal and marine ecosystems. India has a geographic area of 329 mha. It is the seventh largest country in the world with this 2.4% of the world's land area, India accounts almost about 7-8% of recorded species of the world. India is one of the mega biodiversity nation in the world from about 70% of the total geographical area surveyed by the Ministry of Environmental and Forests in India. 45,500 plant species and 91,000 animal species representing about 7% of the world's flora and 6.5% of the world's fauna. The pride of Indian Biodiversity -

The pride of India lies in it's nearly 6,500 native plants which are still used in indigenous health care system. Today India has 45,000 species of plants about 59,353 insects species
2546 fishes species
240 amphibian species
460 reptile species
1232 bird species
397 mammal species of which 18.4% are endemic and 10.8% are threatened.
500 mollusks species

India also is home of at least 18664 species of vascular plants of which 26.8% are endemic with only 2.4% of the total land area of the world.

There are 15,000 flowering plants which is 6% of world's total. Roughly 1,500 plant species are endangered. It has also globally important populations of some Asia's rarest animals such as the Bengal fox, Asiatic Cheetah, Marbled Cat, Asiatic Lion, Indian Elephant, Asiatic Wild ass, Indian Rhino ceros, wild Asiatic water buffalo etc.

Thereare some other facts about the varied Biodiversity of India that make India truly distinctive from the rest of the world -

1. India is the only country in the world with native populations of both tigers and lions while India is the only country in the world to have Asiatic lions, it also has indigenous populations of the Bengal tigers.
2. India is just 2% of the world's land mass, but is home to 9% of the world's Biodiversity.
3. Among plants, 33% of the world's species are endemic to India.
4. Mangroves in India account for about 3% of the world's entire mangrove vegetation, these forests of India are unique recording the highest number of species of plant and animals.
5. India is home to 12% of the world's Bird species Birds play an important role in maintaining a healthy ecosystem.
6. In terms of endemism, India's position is 10th in birds with 69 species, 5th in reptiles, with 156 species and 7thin amphibians with 110 species.
7. India ranks 10th among the plant rich countries of the world.
8. India is home to nearly half of the world's aquatic plants.

Objects -

*Asst. Professor (Botany) Govt. M.S. College for Girls, Bikaner (Raj.) INDIA

Classification Biodiversity of India -

1. **Malayn Biodiversity** - It is along to the densely forested areas of the Eastern Himalayas and along the coastal areas.
2. **Ethiopian Biodiversity** - The arid and semi-arid regions of Rajasthan are Characterised by this kind of Biodiversity.
3. **European Biodiversity** - This kind of Biodiversity is found in the areas of upper Himalayas where the climatic characteristics are mostly temperate in nature.
4. **Indian Biodiversity** - The dense forest areas of Indian plain are characterised by this kind of Biodiversity.

Biodiversity hot spots of India - Biodiversity hot spot is a region which is a prime location for the existence of rich biodiversity but also faces the threat of destruction the idea of identifying hot spots was put forth by normal Myers in 1988 by now, a total of 35 Biodiversity hot spots have been identified out of which most of them lie in tropical forests.

1. **The Western Ghats and Srilanka -** these hills are present along the western edge of peninsular India, around 77% of the amphibians and 62% of the reptiles found here cannot be spotted elsewhere in the world, 6,000 vascular plants of which 3,000 endemic, 450 Birds species 140 mammal species, 260 reptiles and 175 amphibians.
2. **Eastern Himalayas -** This region encompassing Bhutan, North-Eastern India and Southern, Central and Eastern Nepal. This region is geographically young. Eastern Himalayas hot spot has nearly 163 globally threatened species including one horned Rhinoceros, the wild Asiatic water buffalo, in all 45 mammals , 50 birds, 17 reptiles 12, amphibians, 36 plantsspecies around 10,000 species of plants found in Himalayas of which one third are endemic.
3. **Indo - Burma -** This region encompasses several countries. Much of this region is still wilderness, almost 1,300 birdsspecies exist in this region, it is estimated that there are about 13,500 plantsspecies in this hot spot, with over half of them endemic, ginger for example is native to this region.
4. **Sundaland** - It is the region in South East Asia - India is represented by the Nicobar islands the united nations declared the islands a world biosphere reserve in 2013. The islands have a rich terrestrial and marine ecosystems that includes mangroves, coral reefs and sea grass beds.

Biogeographic Zones in India - India is a country with very typical geology, terrain conditions, topography and climatic factors based on all these factors the country divided in to ten recognizable biogeographic zones.

1. **Trans-Himalayan Region -** This region covers about 5.6% of the total geographical area include in this region is Ladakh, J&T, North Sikkim, Lahaul & Spiti of Himachal Pradesh. This zone has sparse alpine steppe vegetation that harbours several endemic species. Some rare fauna is snow, leopard and migratory black necked crane.
2. **The Himalayan Zone -** It is covers about 6.4% of the total geographical area in India. This zone makes India as one of the richest areas in terms of habitat and species.
3. **Indian Desert Zone -** In Indo pacific region Thar desert is considered the world's 7th largest desert the eco region lies to the west of Aravali range and characterised by extreme climate.
4. **Semi-arid Regional -** It's covers about 16.6% of the total geographical area. The dominant grass and palatable shrub layers in this zone supports the highest wild life biomass the lion (Leo Persica) endangered carnivore species in Gujrat.
5. **Western Ghat -** Major Biodiversity zone covers about 4.0% of the total geographical area. Major tropical evergreen forest regions of India. This zone represents one of the Biodiversity hot spots with some 15,000 species of higher plants of 4,000 are endemic to this region.
6. **The Deccan Plateau -** It covers about 42% of the total geographical areas. These includes India's finest forests, majority of the forests are deciduous in nature. It consists of deciduous forests, thorn forests and degraded scrubland, all of which support diverse wild life species.
7. **Gangetic plain -** It covers about 10.8% of the total geographical area. In India, this plain is topographically homo genous for hundreds of Km.
8. **Coastal Region -** This covers 2.5% of the total geographical area. This includes vary vast, sandy beaches, mangroves, mud flats, coral reefs and Marine angiosperm plants.
9. **North-East Region -** It covers about, 5.2% of the total geographic area. It represents the transition zone between the India, Indo-Malayn and Indo Chinese bio-geographical Regions as well as being a meeting point of the Himalayan Mountains and Peninsular India. It is the Biogeographical gateway for much of India's fauna and flora. It is the major biodiversity hot spot.
10. **The Andman and Nicobar Islands** - It is one very unique Biodiversity Zones, 0.3% of the total geographical area. The North South elongated groups of 348 Andman Islands have a close Biogeographical affinity with Myanmar.

Major reasons for loss of Biodiversity -

- Degradation, fragmentation and loss of habitat.
- Spreading of invasive species.
- Unsustainable use of natural resources.
- Change of climate
- Inappropriate fire regimes.
- Changes within aquatic environment and water flows.

Biodiversity conservation methods -

1. In situ Biodiversity conservation - In situ conservation means the conservation of species within their natural habitats, this way of conserving Biodiversity is the

most appropriate method for Biodiversity conservation, in this strategy you have to find out the area with high Biodiversity means the area in which number of plants and animals are present. After that this high Biodiversity area should be covered in the form of natural park / sanctuary / Biosphere region etc. In this way Biodiversity can be conserve in their natural habitat from human activities.

2. Ex situ conservation method - Ex situ conservation involves the conservation of biological diversity outside of their natural habitats. This method can be done as following-

- By forming gene Banks in this way store seeds, sperm and ova at extremely low temperature and humidity.
- It is very helpful to save large variety of species of plants and animals in a very small space e.g. sperm and ova banks seed banks, forming zoo and botanical gardens for research purpose and to increase public awareness collecting living organisms for aquaria zoos and Botanic gardens.
- Collections of invitro plant tissue and microbial culture.
- Captive Breeding of animals and artificial propagation of plants, with possible reintroduction in to the wild.

Important Indian Acts passed related to Environment and Biodiversity -

1. Fisheries Act - 1897.
2. Indian forests Act - 1927
3. Mining and Mineral Development Regulation Act 1957.
4. Prevention of Cruelty to animals, 1960.
5. Wildlife Protection Act 1972.
6. Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974.
7. Forest Conservation Act. 1980.
8. Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981.
9. Environment Protection Act 1986.
10. Biological diversity Act 2002.
11. Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act., 2006.

Conclusion - The phenomenon of Biodiversity is very vast, complex and independent and there is no single over arching effect of diversity on either productivity on stability. How it has become obvious that Biodiversity is indeed important for both managed and natural ecosystems. It current human growth and resource Management Patterns do not change. It is likely that we will lose many important species.

The biodiversity profile of India is very rich and wealthy so that we have no right to destroy nature and other beings that dwell on earth, that is our moral duty to protect and enhance the Biodiversity of India.

References :-

1. Agrawal K.C. 2009 Biodiversity : Concept, Conservation and Management, Concept Publishing Company Pvt. Ltd., New Delhi.
2. ENVIS, Environmental Information System, www.envis.nic.in
3. Wildlife Institute of India (WII) www.wii.gov.in
4. Wikipedia
5. Botkin D.B.Keller EA 2010 . Environmental Science.
6. Ecology and Biodiversity P.D.sharma. 2016
7. BSI, 2014, Botanical Survey of India.

****

Risk Factors Of Anaemia Among Children Under Five Years

Dr. Akanksha Choudhary*

Abstract - Anaemia is a condition that is marked by low levels of hemoglobin in the blood. Iron is a key component of hemoglobin, and iron deficiency is estimated to be responsible for half of all anaemia globally. According to one NFHS reports Overall, 58% of children had some degree of anaemia hemoglobin levels below 11.0 g/dl). 28% of children had mild anaemia 29% had moderate anaemia, and 2% had severe anaemia. Between 2005-06 and 2015-16, the prevalence of anaemia among children age 6-59 months declined from 70% to 58%, but continued to be higher among rural children.
Key Words - Anemia, Iron deficiency anemia, Hemoglobin, Microcytic hypochromic anemia, Risk factors, Iron.

Introduction - Anaemia is one of the most serious and common nutritional deficiency disorders of public health concern in developing countries. Approximately 50% of anaemia cases are due to iron deficiency, though the proportion varies among population groups and in different areas, according to the prevailing local conditions**.** The condition of having a lower-than-normal number of red blood cells or quantity of hemoglobin. Anemia diminishes the capacity of the blood to carry oxygen. Patients with anemia may feel tired, fatigue easily, appear pale, develop palpitations, and become short of breath.

Signs and Symptoms of Childhood Anaemia - Children less than three years old might end up with developmental and neurobehavioral impairments such as reduced motor function and inability to socialize well. As a parent, here are some of the most common signs and symptoms to identify if your child has Anaemia -

- They get exhausted or fatigued easily.
- They exhibit irritable and peevish behavior for no reason.
- Their skin is greyish or ash-coloured in tone.
- They have a jaundiced appearance that is yellow skin and eyes.
- They are unable to sleep through the whole night.
- They find it hard to concentrate or pay attention.

Trends in Childhood Anaemia (Percentage of children age 6-59 months) (See in the next page)

A child who has anemia does not have enough red blood cells or hemoglobin. Hemoglobin is a type of protein that allows red blood cells to carry oxygen to other cells in the body. There are many types of anemia. Your child may have 1 of these:

- **Iron deficiency anemia -** This is not enough iron in the blood. Iron is needed to form hemoglobin. This is the most common cause of anemia.
- **Megaloblastic anemia -** This is when red blood cells are too large from a lack of folic acid or vitamin B-12. One type of megaloblastic anemia is pernicious anemia. In this type, there is a problem absorbing vitamin B-12, important to making red blood cells.
- **Hemolytic anemia -** This is when red blood cells are destroyed. There are many different causes, such as serious infections or certain medicines.
- **Sickle cell anemia -** This is a type of hemoglobinopathy, an inherited type of anemia with abnormally-shaped red blood cells.
- **Cooley's anemia (Thalassemia) -** This is another inherited type of anemia with abnormal red blood cells.
- **Aplastic anemia -** This is failure of the bone marrow to make blood cells.

Prevention - Don't forget to refer to your doctor before using the following tips -

- **Iron-Fortified Meals** - Feeding your child cereals or baby food that has been fortified with iron will ensure they have enough in their diet
- **Reducing Cow's Milk** - Cow's milk is not recommended for children until they are over twelve months old. This is because your baby will end up preferring cow's milk to foods that are better sources of iron. Cow's milk might result in internal bleeding which will lead to reduced iron absorption.
- **Well-Balanced Diet** - Don't feed your child only iron-rich foods while neglecting the other important nutrients. Keep them in the best of health by feeding them nutritious foods like fruits, greens vegetables, lean meats, nuts, and whole grains.

Measurement - Anemia was defined as presence of

*Guest Faculty (Home Science) Rajmata Scindia Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) INDIA

hemoglobin level of less than 11 g/dL. It was further categorized into mild, moderate, and severe anemia. Mild anemia was for child with hemoglobin level of 10–<11 g/dL, while moderate anemia was for children with Hb level of 7–<10 g/dL and severe anemia was for hemoglobin level below 7 g/dL.

Conclusion - The prevalence of anemia among children aged 6–59 months was a moderate public health problem with 37.3% according to WHO classification. Annual income below 10,000 Ethiopian birr, age of the child between 6 and 23 months of age, and being underweight (children with WAZ less than "2 -score and MUAC of children less than 12 cm) were predictors of anemia among children aged 6–59 months.

References:-

1. World Health Organization (WHO). Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO Global database on anaemia. Geneva: WHO; 2008.
2. Konstantyner T, Taddei JA, Palma D. Fatores de risco de anemia em lactentes matriculados em creches públicas ou filantrópicas de São Paulo. Rev Nutr. 2007;20:349-59.
3. World Health Organization (WHO). Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control: a guide for programme managers. Geneva: WHO; 2001.
4. Walter T, Kovalskys J, Stekel A. Effect of mild iron deficiency on infant mental development scores. J Pediatr. 1983;102:519-22.
5. Lozoff B, Smith J, Liberzon T, Argul-Barroso R, Jiminez E. Longitudinal analysis of cognitive and motor effects of iron deficiency in infancy. Pediatr Res. 2004;55:23A.
6. https://parenting.firstcry.com/articles/anaemia-in-kids-causes-symptoms-treatment/?ref=SEM_GSN_Parenting_Dynamic, Anaemia_ Treatments
7. www.medicalnewstoday.com
8. www.mospi.gov.in
9. www.hindawi.com
10. Sahu T, Sahani NC, Patnaik L. Childhood anemia: a study in tribal area of Mohana block in Orrisa. Indian J Com Med. 2007;32(1):106-8.
11. Rosemary F. Prevalence of anemia in under five-year-old children in a children's hospital in Recife, Brazil. Rev Bras Hematol Hemoter. 2011;33(2):100-4.
12. Mehrotra SK, Mathur JS, Maheswari BB. Epidemiological aspects of nutritional anemia in children below five years. Indian J Pediatr. 1976;43:132-5.

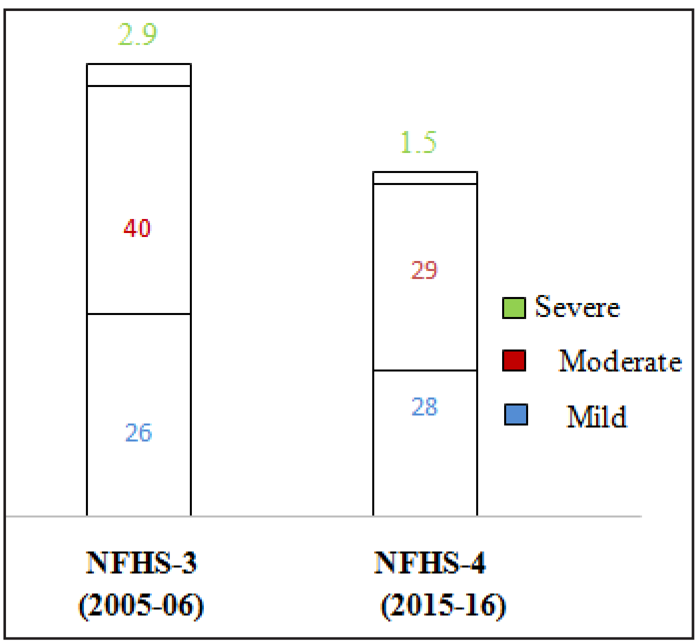

Source - NFHS-4 (2015-16)

****

उज्जैन जिले के 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास पर मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभाव

लतिका व्यास *

शोध सारांश – मध्यान्ह भोजन योजना शासन की ऐसी महती योजना है, जिसका उद्देश्य सिर्फ विद्यालयों में नामांकन वृद्धि ही नहीं है बल्कि भोजन के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति करना भी है ताकि विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर में सुधार हो, उनका संज्ञानात्मक विकास हो। 6 से 14 वर्ष की उम्र में भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा उनके संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डालती है। इस उम्र से पोषक तत्वों के अभाव के कारण बच्चों का बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। इस उद्देश्य से उज्जैन जिले के 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उज्जैन जिले के 6 विकासखण्डों के 30 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में से कुल 450 विद्यार्थियों का अध्ययन किया गया। इनमें से नियमित मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले 249 विद्यार्थी , 127 अनियमित विद्यार्थी एवं 74 लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थी है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को ज्ञात करने के लिए डॉ. प्रमिला पाठक के ड्रा-ए-मेन परीक्षण का उपयोग किया। मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की मानसिक आयु ज्ञात कर बुद्धि लब्धि (IQ) का आकलन किया। शोध प्रबंध की सांख्यिकीय गणना के लिए परीक्षण के दौरान लिए गये समंकों का विश्लेषण करने हेतु T परीक्षण का उपयोग किया। इसके द्वारा नियमित अनियमित एवं लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थियों के मध्य बुद्धि -लब्धि के अंतर को जाना।

प्राप्त T परीक्षण से परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि नियमित मध्यान्ह भोजन लेने वाले विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास, अनियमित एवं लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थियों से ज्यादा अच्छा है। अत: मध्यान्ह भोजन योजना के उद्देश्यानुसार विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में भी वृद्धि हो रही है।

शब्द कुंजी – संज्ञानात्मक विकास, मध्यान्ह भोजन योजना, सूक्ष्म पोषक तत्व ।

प्रस्तावना – 6 से 14 वर्ष की उम्र, उत्तार बाल्यावस्था एवं पूर्व किशोरावस्था की होती है। इस उम्र में बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास भी होता है। विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में संज्ञानात्मक विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य व्यक्तियों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह-तरह की समस्या का समाधान आसानी से कर सकें। प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने सिद्धान्त में संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या चार अवस्थाओं में की। इन चार अवस्थाओं के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास 2 साल से 15 साल तक पूर्ण रूप से हो जाता है। 15 साल की उम्र समाप्त होते होते वह एक वयस्क के समान किसी समस्या के समाधान में तार्किक नियमों का प्रयोग करने लगते है। अत: बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिये भी 6 से 14 वर्ष की अवस्था महत्वपूर्ण है। अत: इन अवस्था में बच्चा यदि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा।

आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ-साथ बौद्धिक व मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि विद्यार्थियों के पौषणिक स्तर एवम् उनके संज्ञानात्मक विकास में एक अटूट संबंध होता है। कई अध्ययनों के अनुसार पाया गया कि पोषक तत्वों के अभाव में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी अवरूद्ध होता है। जैसे जेनेत ब्रायन, डोमा हयुजेस, ईवा कालवारेसी (2004) में अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास में पोषण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

गोटाबर्ग स्वीडन की हिना हद्दीम (2003) के अध्ययन में यह बात सामने आई कि लौह तत्व (आयरन) की कमी बच्चों के संज्ञानात्मक व्यवहार पर असर डालती है। आयरन की कमी से बच्चों की एकाग्रता व सीखने की क्षमता कम होती है। खलिफा (2009) द्वारा अध्ययन से प्राप्त जानकारी में गंभीर कुपोषित बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा।

देवी श्रीधर (2008) ने अपने अध्ययन में स्वस्थ्य व अस्वस्थ बच्चों में संज्ञानात्मक कार्यों का मूल्यांकन कर पाया कि स्वस्थ्य बच्चों की तुलना में अस्वस्थ्य बच्चों को कम अंक प्राप्त हुए। नीलम सूद (2010) के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, आयोडीन व जिंक की कमी होने में ध्यान एकाग्रता से कमी, कमजोर याददाश्त, मानसिक मंदता पाई गई। अत: उपरोक्तानुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को उनकी उम्र के अनुरूप विभिन्न पोषक तत्वों की जैसे विटामिन, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन इत्यादि की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों के अभाव के कारण बच्चों का बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। जिससे उन्हें शैक्षणिक कार्यों में रुचि नहीं रहती, उनकी मानसिक एकाग्रता पर बुरा असर पड़ता है और इस कारण उनकी सीखने की क्षमता व याद रखने की क्षमता में भी कमी होती है।

* (गृह विज्ञान) आई. 2 हरिविहार कालोनी, सुभाष नगर, उज्जैन (म.प्र.) भारत

इस उम्र में आयरन, आयोडीन, जिंक की कमी व लम्बे समय तक प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण एक ओर शारीरिक विकास में बाधा डालते है वही दुसरी ओर बच्चे के मानसिक व विशेषकर संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण सामान्यत: विद्यार्थी शाला मे खाली पेट आते हैं, जिसके कारण कक्षा में एकाग्रचित नहीं हो पाते, शिक्षा का समुचित लाभ नहीं ले पाते। साथ ही साथ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण सीखने की क्षमता में भी कमी आ जाती है।

मध्यान्ह भोजन योजना शिक्षा के लोक व्यापीकरण में सहायक होने के साथ 6 से 14 वर्ष के बच्चों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप संतुलित व पौष्टिक भोजन प्रदाय कर उनका पोषणिक स्तर बढ़ाने में भी सहायक है। मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत दिए जाने वाले भोजन के साप्ताहिक मेनु में पाँचों भोज्य समूह में से उम्र के अनुरूप भोज्य पदार्थ शामिल कर उसे संतुलित बनाया गया है। साथ ही अनुपूरक के रूप में विटामिन- A, Deworming व फॉलिक एसिड की गोलियाँ देकर इस उम्र में होने वाली बीमारियों से बचाव कर उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने की कोशिश की है कि मध्यान्ह भोजन योजना द्वारा 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर में सुधार करने से उनके संज्ञानात्मक विकास में किस तरह सुधार हो रहा है।

उद्देश्य – मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन।

परिकल्पना – उज्जैन जिले के 6 से 14 वर्ष के मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ ले रहे नियमित बच्चों के एवं लम्बे समय से अनियमित बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

विधि एवं उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को ज्ञात करने के लिए दैव निर्दशन विधि के माध्यम से उज्जैन जिले के 6 विकासखण्डों के 30 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में से 6 से 14 वर्ष तक के कुल 450 विद्यार्थियों का चयन किया इनमें से नियमित मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले 249 विद्यार्थी, 127 अनियमित विद्यार्थी एवं 74 लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थी है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को ज्ञात करने के लिए डॉ. प्रमिला पाठक के ड्रा-ए-मेन परीक्षण का उपयोग किया। इस परीक्षण में मानव की आकृति बनवाकर विद्यार्थियों की बुद्धि -लब्धि का आकलन किया। ड्रा-ए-मेन परीक्षण संज्ञानात्मक विकास देखने की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें मानव का चित्र (Draw-A-Man) बनाने में कलात्मक कौशल (Artistic skill) को महत्व नहीं दिया जाता है परन्तु बच्चों के संप्रत्यात्मक चिन्तन (Conceptual Thinking) तथा प्रेक्षण (Observation) की क्षमता पर निश्चित रूप से बल दिया जाता है। इसके अलावा चित्र में शरीर के अंगों का चित्रण, उनका अनुपात वस्त्र आदि गुणों के आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की मानसिक आयु ज्ञात कर बुद्धि लब्धि (IQ) का आकलन किया। बुद्धि लब्धि (IQ) ज्ञात करने का गणितीय सूत्र इस प्रकार है-

$$\text{बुद्धि लब्धि (IQ)} = \frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{वास्तविक आयु}} \times 100$$

जहाँ वास्तविक आयु (Chronological Age) से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय से होता है। वहीं मानसिक आयु (Mental Age) बौद्धिक परीक्षण के मूल्यांकन के आधार पर ज्ञात आयु है।

सांख्यिकीय गणना – प्रस्तुत शोध प्रबंध की सांख्यिकीय गणना के लिए परीक्षण के दौरान लिए गये समंकों का विश्लेषण करने हेतु काई-स्क्वेयर परीक्षण तथा टी -परीक्षण का उपयोग किया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में जहाँ चयनित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास का परीक्षण मानक मान के आधार पर किया है। वही नियमित तथा अनियमित एवं नियमित तथा लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थियों के मध्य बुद्धि लब्धि के अंतर का तुलनात्मक अध्ययन कर शोध परिकल्पना की जांच की।

तुलनात्मक अध्ययन के परिणाम – 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास को ज्ञात करने के लिए Draw-A-Man Test के द्वारा बुधि-लब्धि ज्ञात की। ज्ञात बुधि-लब्धि को Congnitive Assessment System 1997 के द्वारा मानक Scares द्वारा तुलना कर विद्यार्थियों को श्रेणी में विभाजित किया। 69 से कम को औसत से बहुत कम (G श्रेणी) 70-79 को निम्न औसत (F श्रेणी) 80-89 कम औसत (Low Average) (E श्रेणी), 90-109 औसत (Average) (D श्रेणी), 110-119 को औसत से उच्च (High Average) (C श्रेणी) 120-129 उच्च (High) (B श्रेणी) तथा 130 से ऊपर के मानक अंक की अति उच्च (A श्रेणी) में रखा जाता है।

तालिका क्रमांक - 4 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

मध्यान्ह भोजन लेने वाले नियमित विद्यार्थियों में औसत श्रेणी से उच्च 22.02% विद्यार्थी एवं निम्न श्रेणी के 40.16% विद्यार्थी एवं 35.75% विद्यार्थी औसत श्रेणी के पाए गए। वहीं अनियमित मध्यान्ह भोजन लेने वाले विद्यार्थियों में औसत श्रेणी में 6.20% औसत से उच्च 4.65% व औसत से निम्न 89.14% विद्यार्थी पाये गये। लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थियों में औसत 2.77% विद्यार्थी औसत से उच्च व औसत से निम्न 97.22% विद्यार्थी पाए गए।

बुद्धि-लब्धी के आधार पर नियमित मध्यान्ह भोजन लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत औसत (सामान्य) श्रेणी में ज्यादा है। औसत से उपर की श्रेणी, उच्च औसत, उच्च एवं अति उच्च श्रेणी तीनों में भी नियमित मध्यान्ह भोजन लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्यादा है। जबकि औसत से निम्न श्रेणी कम औसत, निम्न औसत में अनियमित विद्यार्थियों का प्रतिशत एवं औसत से बहुत कम वाली श्रेणी में लम्बे समय से अनियमित/शाला त्यागी विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्यादा है। उच्च तीनों श्रेणीयों में लम्बे समय से अनियमित/शाला त्यागी विद्यार्थियों का प्रतिशत 0% है व अनियमित विद्यार्थी केवल ही है।

निष्कर्ष – उपरोक्त आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नियमित मध्यान्ह भोजन लेने से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर सकारात्मक असर पड़ता है।

टी -परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर नियमित मध्यान्ह भोजन लेने वाले विद्यार्थियों व अनियमित विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण अन्तर है वहीं नियमित विद्यार्थियों व लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थियों/शाला त्यागी विद्यार्थियों के मध्य भी महत्वपूर्ण अन्तर है।

Congnitive Assessment System 1997 के मानक अंक की तुलना विद्यार्थियों के ड्रॉ-ए-मेन टेस्ट द्वारा प्राप्त बुद्धि-लब्धि से कर प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि नियमित मध्यान्ह भोजन लेने वाले विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास अनियमित एवं लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थियों से ज्यादा अच्छा है।

अत: मध्यान्ह भोजन योजना के उद्देश्यानुसार विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। नियमित, अनियमित व लम्बे समय से

अनियमित विद्यार्थियों के मध्य तुलना करके प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नियमित मध्यान्ह भोजन लेने वाले विद्यार्थियों का औसत व औसत से उच्च श्रेणी में प्रतिशत ज्यादा है, जबकि अनियमित व लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थियों का औसत श्रेणी से निम्न श्रेणी में प्रतिशत ज्यादा है।

इस आधार पर हम कह सकते है कि मध्यान्ह भोजन योजना द्वारा प्राप्त भोजन में विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है जो उनके पोषणिक स्तर के साथ-साथ संज्ञानात्मक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रहे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम मार्गदर्शिका 2007 जिला पंचायत उज्जैन (म.प्र.)
2. प्रो. गौरी शंकर, डॉ. रवि प्रकाश पाण्डेय, सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, शेखर प्रकाशन इलाहाबाद।
3. सिंह अरूण कुमार- संज्ञानात्मक मनोविज्ञान प्रकाशक, मोतीलाल बनारसीदास द्वितीय संस्करण 2006,
4. बी. हरलॉक एलिजाबेथ (1967) - 'विकास मनोविज्ञान' प्रथम संस्करण हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली।
5. बख्शी, भूपिन्दर कोर (1997) - 'मातृकला एवं बाल विकास' छठा संस्करण, प्रकाशन आपका बाजार हॉस्पिटल रोड़, आगरा।
6. भाई योगेन्द्र जीत (1967) - 'विकासात्मक मनोविज्ञान', विनोद पुस्तक मन्दिर रांगेय राघव मार्ग, आगरा।
7. डॉ. प्रमिला पाठक, ड्रा-ए-मेन टेस्ट (For Indian Children) P. Phatak, 1966
8. शालेय स्वास्थ्य- पोषण स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल, राजीव गाँधी सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. (UNICEF)
9. मुकर्जी डॉ. रवीन्द्र नाथ (2005) - नवीनतम् संस्करण 'सामाजिक शोध व सांख्यिकी विवके प्रकाशन पृ.क्र. 81.96
10. Educations for all 2000-2015 - India is first in teh race to reduce out of school children, EFA Global Monitoring Report.
11. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम मेनुअल- मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
12. संज्ञानात्मक विश्लेषण प्रणाली (1997) - (Cognitive Assessment System 1997).
13. जैन डॉ. शशिप्रभा बाल्यावस्था, प्रकाशन शिवा प्रकाशन तृतीय संशोधित संस्करण, 2004
14. Hena Hulthen (2003) - Iro deficiency and congnitive Scarsdenavian Journal of Nutrition ISSN - 1102-6480.
15. Nutrients for cognitive development is school-aged children Bryan J1, Osendarp S, Hughes D, Calvaresi E, Baghurst K, van Klinken JW Hutr Rev. 2004 Agu; 62 (8) - 295-306.

तालिका क्रमांक - 4

बुद्धि-लब्धि के अनुसार विद्यार्थियों का वर्गीकरण

संज्ञानात्मक विश्लेषण प्रणाली 1997 (Congnitive Assessment System 1997)			ज्ञात मूल्यांकन					
मानक अंक	वर्गीकरण	श्रेणी	नियमिते विद्यार्थिया की संख्या	प्रतिशत	अनियमित विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिशत	लम्बे समय से अनियमित विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिशत
130 से उच्च	अतिउच्च	A	27	10.84	2	1.57	0	0.0
120-129	उच्च	B	11	4.42	2	1.57	0	0.0
110-119	औसत से उच्च	C	17	6.83	0	0	0	0.0
90-109	औसत	D	94	37.75	8	6.30	2	2.70
80-89	कम औसत	E	53	21.28	28	22.05	7	9.46
70-79	निम्न औसत	F	24	9.64	36	28.35	8	10.84
69 से निम्न	औसत से बहुत कम	G	23	9.24	51	4.16	57	77.02

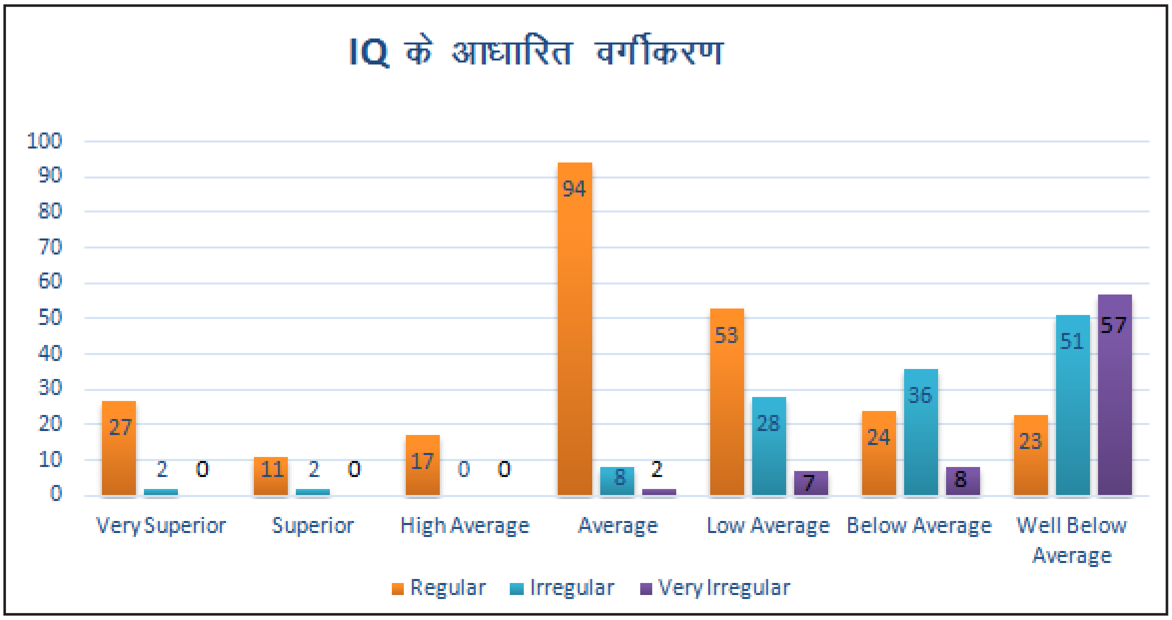
IQ के आधारित वर्गीकरण
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
27
2
0
11
2
0
17
0
0
94
8
2
53
28
7
24
36
8
23
51
57
Very Superior
Superior
High Average
Average
Low Average
Below Average
Well Below Average
Regular
Irregular
Very Irregular

****

मनोचिकित्सक के रुप में भगवान गौतम बुद्ध की उपचारात्मक पद्धति

डॉ. दीपशिखा पाण्डेय *

प्रस्तावना – भारत जो आज तमाम बुलन्दियों पर पहुँच रहा है, जहाँ व्यस्ततम और अनियमित दिनचर्या के कारण अधिकांश जनसंख्या आज मनोरोगों से पीड़ित होती जा रही है। इस संदर्भ में यदि देखे तो इसका एक प्रमुख कारण और भी है कि आज भारतीयों में प्रज्ञा, शील, मैत्री एवं करुणा जैसे मूल्यों का अभाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आज भी लोग जातिवाद, भेदभाव छुआछूत, ऊँच नीच, अमीरी–गरीबी जैसी मानवीय भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। प्रारम्भ में मनोरोगियों पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव मानकर उन्हें तरह–तरह की यातना दी जाती थी। क्योंकि प्रत्येक धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता था। महाबुद्ध अजर, अमर और शास्वत आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे अपितु आत्मा के स्थान पर क्षण–क्षण में परिवर्तित एवं प्रतीय समुत्पन्न मन की सत्ता पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जब मन पर अज्ञान एवं अविद्या के लेप चढ़ जाते हैं, तब मनुष्य सत्य ज्ञान की प्राप्ति में असमर्थ हो जाता है और इसके फलस्वरुप वह मनोरोगों की तरफ बढ़ता चला जाता है। पाप के बढ़ते प्रकोप का भी कारण बुद्ध मन पर लोभ, ईर्ष्या, मोह और द्वेष जैसे विक्षेपों को ही मानते हैं और इन्हीं विक्षेपों से प्रभावित होकर मनोरोगी दुष्कर्मो को करने पर विवश हो जाते हैं।

मनोरोगियों के इतिहास पर यदि नजर डाला जाए तो भगवान बुद्ध की उपचारात्मक पद्धति पूर्णत: वैज्ञानिक एवं मानवीय थी। जहाँ पाखंड़ों का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था। भगवान बुद्ध द्वारा मनोरोगियों के उपचार हेतु विपश्यना जिसका अर्थ है, विशेष प्रकार से देखना पर बल दिया जाता था। विपश्यना के चार रुप दिए गए। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चिन्तानुपश्यान एवं धम्मानुपश्यना।

कायानुपश्यना – इसके अन्तर्गत रोगी अपने सम्पूर्ण शरीर को निष्पक्ष होकर देखता है, जिसमें उसे अपने शरीर के विषय में कोई भ्रम न रहते हुए नश्वर होने का ज्ञान प्राप्त होता है।

वेदनानुपश्यान – सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हेतु रोगी प्रकृति से प्राप्त संवेदनाओं की अनुभूति करता है।

चिन्तानुपश्यना – इस संदर्भ में मनुष्य यथार्थ को जानकर आत्मा के मोह से मुक्त हो जाता है तथा अपनी भावनाओं पर पूर्णत: नियंत्रण कर लेता है।

धम्मानुपश्यना – यह अंतिम अवस्था है जिसमें मनुष्य मानव कल्याण को सर्वोपरी मानता है और जीवन का सर्वोच्च निर्वाण प्राप्त करता है।

बुद्ध जी ने कहा था कि जो मानव इन चारों विपश्यना का जीवन में अनुकरण करता है, वह विभिन्न मनोरोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है।

परन्तु आज भारत की जनसंख्या पर एक दृष्टि डाले तो भारत में मनोरोगियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। मशीनों की भाँति कार्य करता मनुष्य धन प्राप्ति की लालसा रखते हुए अपने स्वास्थ्य, उत्तम विचार एवं नैतिक कर्मो को दूर छोड़ते जा रहा है। आज विज्ञान ने प्रगति कर ली है और विभिन्न मनोरोगियों के लिए उपचार की नई पद्धति, दवाईयॉ भी निर्मित कर ली है, परन्तु जब मनुष्य अपने चित (मन) को प्रज्ञा, मैत्री और करुणा जैसे विचारों से बलवान नहीं बनाएगा तब तक यह मनोरोग जड़ से समाप्त नहीं होगा। इस संदर्भ में मेरा स्वयं का अनुभव रहा है कि मैं बड़ी बहन की मृत्यु एवं पारिवारिक कलह के कारण दो वर्ष अवसाद में रही। दवाईयों केवल मेरे दिमाग को शांत रख मुझे निद्रा में रखती थी कि मैं पुराने विचारों को मस्तिष्क में न लाऊँ।

तब मैंने धर्मकीर्ति जी की पुस्तक जिसमें भगवान बुद्ध के ज्ञान द्वारा मनोरोगियों का इलाज कैसे किया जाए पढ़ी और बुद्ध जी की मन पर विजय और सकारात्मक सोंच, ध्यान, प्रज्ञा, शील, मैत्री एवं करुणा जैसे मूल्यों की साधना की और चमत्कार के रुप में मैंने अपने रोग पर विजय प्राप्त कर लिया। क्योंकि मनोचिकित्सक के रुप में भगवान बुद्ध यह मानते थे कि जब तक आप मन (चित) से स्वंय को सुदृढ़ एवं सबल नहीं बनाएगे आपका अपना विल पावर मजबूत नहीं होगा मनुष्य बार–बार इन मनोरोगों के चपेट में आता जाएगा और मनुष्य का अंत दुखद होगा।

भगवान बुद्ध सम्पूर्ण विश्व के ऐसे मनोचिकित्सक थे जिन्होंने अपने युग में हजारों मनोरोगियों का उपचार किया और समाज को ऐसी पद्धतियाँ दे गए जिससे हजारों मनोरोगियों का आज उपचार किया जा रहा है।

बुद्ध के काल में व्याप्त विभिन्न मनोरोग एवं उनके कारण – बुद्ध काल का यदि अवलोकन किया जाए तो आज विकराल रुप लेता यह मनोरोग उस काल में भी विभिन्न वर्गो में दिखाई देता था। यदि आर्यो की बात करें तो वैदिक युग वैज्ञानिक युग एवं दृष्टिकोण से कोसों दूर था। वैदिक युग वर्गो में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरी एवं शुद्र सबसे नीच जाति में देखा जाता था, जिससे ब्राह्मण में सर्वोपरी होने की कुण्ठा और शुद्रों में नीच होने की कुण्ठा विकसित थी। उन्हें घर के कार्यो में लगाना, मारना, पीटना, बाजार में बेचना और हर स्तर पर नीचा दिखाना मनोरोग को दर्शाता था और यह निम्न वर्ग उदासीनता, दुश्चिन्ता, दुर्भीति, अवसाद एवं मानसिक तनाव का रोगी हो जाता था। यज्ञ में निर्दोष जानवरों को बलि देने की प्रथा थी। जिससे उनके परमात्मा प्रसन्न होते थे। कौन से परमात्मा अपने बनाए हुए जीवों की बलि लेना चाहेगा। परन्तु ऐसा कर आर्य प्रसन्नता का अनुभव करते थे। आर्यो के युग में शराबों का आविष्कार हुआ। भगवान बुद्ध आर्यो के इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करते थे। अत: उनकी मनोरोगी दशा सुधारने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम पंचशील का उपदेश देते हुए कहा कि समस्त जीव जन्तु ईश्वर की बनायी कृति हैं। अत: प्राणी की हत्या करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। आर्यो में समीप के रिश्तों में पवित्रता को दूर रख काम

* सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) गौतम बुद्ध महिला कालेज, मगध विश्वविद्यालय ,बोधगया (बिहार) भारत

की भावना अत्यन्त तीव्र थी। इस मनोरोग को दूर करने के लिए बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। झूठ, ठगी जैसे मनोरोग पर अंकुश लगाने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि मनुष्य को झूठ से विरत रहना चाहिए। शराब से दूर रहने के लिए बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सुरा, भंग आदि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। बुद्ध के इन उपदेशों के प्रभाव से वैदिक काल के कई ऐसे व्यक्ति थे जो इन मनोरोगो से पीडित थे ऐसे कार्यो से स्वंय को निर्लिप्त कर निर्मल जीवन व्यतीत करते थे और उन्हें इन मनोरोगों से मुक्ति मिल गयी। इस प्रकार बुद्ध के काल में कई मनोरोगी हुए जैसे डाकू अंगुलीमाल, गौतम बुद्ध की बुआ अमिता का पुत्र देवदत्त जिसके हदय में करुणा का अभाव रहा।

मगधराज बिम्बराज का पुत्र आजातशत्रु जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी परन्तु बाद में मानसिक तनाव के कारण वह मनोरोगी हो गया। बाद में वह भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर इतना प्रभावी हो गया कि वह जीवन पर्यन्त बुद्ध का उपासक होगया। इसी प्रकार नन्द जो काम वासना में लिप्त रहकर भिक्षुक बनने के पश्चात भी अपनी होने वाली पत्नी का निरन्तर ध्यान करता परन्तु बुद्ध नें सम्मोहन पद्यति का प्रयोग कर उसे शील विवेक की बुद्धि देते हुए सन्मार्ग पर ला दिया।

किसा गौतमी जिसका इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वह मृत पुत्र के शव को लेकर विक्षिप्त सी इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुँच कर उसे जीवित करने के लिए कहा। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर राई लेकर आओ

जहॉ किसी की मृत्यु न हुई हो। परन्तु गौतमी को ऐसा कोई घर नहीं मिला। गौतमी को जीवन-मृत्यु के चक्र का ज्ञान हो गया था। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गौतमी को एक विक्षिप्त माँ से सामान्य कर दिया।

डाकू अंगुलीमाल का स्मरण सभी को होगा जिसने अपने गुरु द्धारा मांगी गयी गुरुदक्षिणा में 1000 आदमी की हत्या कर उनकी ऊॅगलियों की माला बनाने का कार्य करते-करते मनोरोगी हो गया और राहगीरों की हत्या करने लगा। गौतम बुद्ध ने अंगुलीलाल के अविद्यापूर्ण आदेश को पूर्ण करने में मनोरोगी एवं ज्ञान, सही गलत की पहचान न होने का कारण जान कर उसे ठीक करने का संकल्प लिया। महाज्ञानी बुद्ध के उपदेशों के उपरांत अंगुलीमाल हिंसा का पथ छोड़कर भिक्षुक बन गया। इस प्रकार बुद्ध ने एक मनोचिकित्सक के रुप में विक्षिप्त, मनोरोगी अंगुलीलाल का हदय परिवर्तित कर उसे सामान्य बना दिया।

जम्बुक आजीवक जो अपनी मानसिक मनोरोगी दशा के कारण मनुष्यों द्धारा उत्सर्जित मल को खाता था गौतम बुद्ध के दिव्य ज्ञान एवं उपदेशों के कारण उसका मनोरोग ठीक हुआ और यह सद्गति को प्राप्त हुआ।

महारानी खेमा (बिम्बिसार की पटरानी) जो इस मनोरोग से पीड़ित थी कि यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री है, परन्तु भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान से सौन्दर्य के अस्थाईत्व का बोध कराकर खेमा के मनोरोग को ठीक कर दिया।

यश जो वाराणसी में रहता था और ऐशोआराम का जीवन यापन करता था। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर वन चला गया और अर्धविक्षिप्त मनोरोगी होगया और प्रत्येक क्षण बडबडाता रहता कि कौन हूँ, कहाँ हूँ कहाँ का रास्ता है, जीवन क्या है इत्यादि। गौतम बुद्ध विचरण करते हुए यश के पास पहुँचे और उसके मनोरोग को जानकर अपने उपदेशों के माध्यम से उसे सामान्य प्राणी बना दिया।

यह तो कुछ उदाहरण रहे जो यह दर्शाता है कि गौतम बुद्ध अपने काल अनुभव करते थे। इसी प्रकार सुन्दरिक भारद्धाज, भाणव, सांपाक, काली दक्षिणी, छल स्थविर, भंगी सुणीत, जुआरी ब्राह्मण, बलि कर्मी सौ चोर, सम्पदासक भिक्खु, बहु भाण्डिक स्थविर, खेम, भिक्षु, गणिका के लिए मनोरोगी इसके अतिरिक्त ऐसे असंख्य उदाहरण है, जो किसी न किसी मनोरोग में सामिल थे और तथागत गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से उन्हें सामान्य कर दिया।

मनोरोगियों के उपचार हेतु गौतम बुद्ध द्धारा अपनाई गयी उपचारात्मक **पद्धति** – यदि मनोरोगियों के उपचारात्मक पद्यति की बात की जाय तो असामान्य मनोविज्ञान नें आज बहुत तरक्की कर ली है और वैज्ञानिकों ने औषधीय उपचार को भी खोज निकाला है। इस क्षेत्र में बहुत से मनोवैज्ञानिक जैसे फ्रायड, युंग, रोजर्स, इरिक्सन का अमूल्य योगदान रहा है। परन्तु इतिहास पर गौर करे तो 2500 वर्ष पूर्व एक महान मनोचिकित्सक के रुप में गौतम बुद्ध ने जो उपलब्धी प्राप्त की वहॉ तक कोई भी मनोचिकित्सक नहीं पहॅुच पाया हैं। डॉ0 धर्मकीर्ति जी ने अपनी पुस्तक महान मनोवैज्ञानिक भगवान बुद्ध में बुद्ध जी की उपचारात्मक पद्धतियों का उल्लेख करते हुए बताया है कि भगवान बुद्ध द्धारा प्रमुख रुप से-

निरीक्षण, मैत्री भावना, उपदेशात्मक विचार, कार्य पद्यति उपचार, विपश्यना, चार आर्य सत्य एवं सम्मोहन विधिका प्रयोग किया जाता था। क्योंकि भगवान बुद्ध का मानना था कि शारीरिक निरोग्यता के साथ-साथ मनुष्य को अपने चित्त से भी स्वस्थ्य रहना आवश्यक है। नीचे महात्मा बुद्ध के उपचारात्मक पद्यति का विस्तृत वर्णन किया गया है-

निरीक्षण विधि

मनोचिकित्सा के रुप में निरीक्षण जो अवलोकन विधि पर आधारित होता है अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान इसी अवलोकन अथवा निरीक्षण विधि द्धारा अपने समक्ष बैठ समस्त रोगियों के रोग पर विचार कर लेते थे। भगवान बुद्ध एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उनका समस्त सृष्टी एवं प्राणियों के प्रति दृष्टिकोण भिन्न था। उनके पास दिव्य दृष्टि थी जिसका प्रयोग वह मनोरोगियों के रोग को पहचानने के लिए करते थे। बुद्ध के भीतर अपने दिव्य ज्ञान की शक्ति थी जिसके द्धारा वह मनोरोगियों के व्यवहार का निरीक्षण करके उसके उपाय खोजने का प्रयास भी करते थे।

मैत्री भावना – जब कोई भी रोगी चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक के मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण अपनी समस्या के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपी कारणों का वर्णन स्पष्ट रुप से करता है। भगवान बुद्ध इस नीति से परिचित थे। उन्होंने डाकू अंगुलीमाल, धनुधारी हत्यारे, नालागीरि हाथी के मनोरोग को भी अपने मैत्री पूर्ण व्यवहार के द्धारा ही ठीक किया। जिसका परिणाम यह रहा कि समस्त रोगी अपने रोगों से मुक्त होकर परमात्मा बुद्ध के शरण में आ गए। भगवान बुद्ध जानते थे कि मनोरोगियों के चित एवं अन्तर्मन तक यदि पहॅुचना है तो रोगी के साथ सहज भाव रखते हुए मैत्री पूर्ण व्यवहार अपनाना होगा। भगवान के मुख मण्डल पर इतना तेज था कि जब वह अपने दायें हाथ को आर्शीवाद देने के लिए उठाते थे उनके हथेली से मंगल मैत्री की दिव्य ऊर्जा निकलती थी, जिसके प्रभाव से प्रत्येक मनोरोगी सामान्य हो जाता था।

मंगल मैत्री की दिव्य ऊर्जा के साथ सब भगवान बुद्ध द्धारा ज्ञान पूर्ण उपदेश का समागम होता था तो प्रत्येक मनोरोगी की दशा एवं दिशा में सुधार का कार्य करता था।

अकुशल धर्म निवारण – कलायुग का मानव लाभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्धेष एवं अकुशल भावनाओं की परिधि से घिरा था और यह ऐसी नकारात्मक

शक्तियॉ थी, जो मनुष्य को मनोरोगी बना कर छोड़ती थी। परमात्मा बुद्ध ने बुद्धों की शिक्षा को मनोरोगियों की औषधी के रुप में प्रयोग करते हुए कहा कि, पापों को न कर के, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त का परिशुद्धिकरण करना ही बुद्धों की मूलभूत शिक्षा है। क्योंकि मानव जाति दस कलेश, पॉच नीवरण, सात अनुशय, दस संयोजन चार ओध, चार आसव, चार योग, चार उपादान, चार ग्रंथियों से पीड़ित है। अत: बुद्ध ने अष्टांगिक एवं पंचशील मार्ग अपनाते हुए अनेक कुशल कर्मो को करने का उपदेश देकर मनोरोगों को ठीक करने का प्रयास किया।

उपदेश का प्रयोग उपचार के रुप में

भगवान बुद्ध ने उपदेश जिसे आज की वर्तमान भाषा में निर्देशन एवं परामर्श के नाम से जाना जाता है उसे अपने चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण उपकरण बनाया। उनके कई प्रकार के उपदेश रहे जैसे सुत्तनिपात के पराभाव सुत्त, मेत्त सुत, महामंगल सुत, धम्मिक सुत्त आदि ये ऐसे मूल मंत्र थे, जिसके द्वारा भगवान बुद्ध मनोरोगी की मानसिक क्षमता एवं प्रज्ञा के सतर को जानकर उपदेश देने का कार्य करते थे। जिससे मनोरोगी के प्रज्ञा स्तर को जानकर उनका यथासम्भव उपचार कर देते थे। डॉ. धर्मकीर्ति जी कहते हैं कि भगवान जब उपदेश देते थे तो उनके मुख मण्डल की आभा इतनी तीव्र थी कि मनोरोगी स्वयं उनके उपदेशों को मानने पर विवश हो जाता था। इतना ही नहीं उनके उपदेशों का प्रभाव इतना गहन था कि कोई व्यक्ति दुबारा मनोरोग में वापस नहीं जा पाता था।

कार्य पद्धति उपचार–परमात्मा बुद्ध का यह विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति के आस अनुशासनपूर्ण दैनिक दिन चर्या हो और उसका मस्तिष्क प्रत्येक समय कुछ सकारात्मक कार्य में लीन रहे तो वह कभी भी नकारात्मक विचार एवं खुराफात का अनुसरण नहीं करता है। बुद्ध के आश्रम की दिनचर्या इतनी कठोर थी कि किसी भी भिक्षुक के पास खाली समय नहीं था। आज वर्तमान में भी चिकित्सक भगवान महाबुद्ध के कार्य पद्यति का अनुकरण करते है। क्योंकि बुद्ध यह सोच रखते थे कि मानव तो ईश्वर की अनमोल कृति हैं जिसके पास पर्याप्त ज्ञान, विचार और क्षमता है, जिसे वह सकारात्मक क्षेत्र में प्रयोग करें और यही कार्य पद्यति मनोरोगियों के रोग के उपचार कार्य का प्रमुख स्वरुप होगा।

विपश्यना – विपश्यना का अर्थ है सॉस का सहारा लेकर मन को नियंत्रित करना। मन पर यदि पूर्णत: नियंत्रण कर लिया जाए तो आज के युग में कोई भी पीढ़ी इस रोग से पीड़ित नहीं होगी। बुद्ध मानते थे कि विपश्यना का अभ्यास मन को कभी भी विकृत नहीं होने देता है। बुद्ध मानते थे कि केवल सास को लेते हुए किसी भी वाहय रुप से न उलझते हुए संवेदनाओं के द्वारा यदि मन पर नियंत्रण कर लिया जाय तो व्यक्ति मनोरोगी नही हो पायेगा। भगवान बुद्ध अपने आश्रम में दस शिलों का पालन प्रत्येक भिक्षुओं के लिए अनिवार्य मानते थे। जैसे आराम का परहेज, नृत्य संगीत, तेल माला सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग वर्जित पूरे दिन में एक बार ही भोजन का सेवन नशे का सेवन वर्जित चोरी से दूर रहना हत्या न करना झूठ से परहेज एवं व्यभिचारिता से दूर रहना। इसका पालन न करने पर दण्ड का भी प्रावधान था। बुद्ध अपने उपदेशों के माध्यम से विपश्यना के प्रति व्यक्ति को प्रेरित करते थे जिससे कोई भी मनोरोगी उसका नियम पूर्वक पालन करके अपने मनोरोगो को ठीक कर सकता था।

चार आर्य सत्य– बुद्ध को जब संगीत स्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसी का उपदेश सारनाथ में अपने भिक्षुओं को देते हुए कहा कि यदि मनुष्य अति न करे एवं सिथिल और लचर न होते हुए मध्यम मार्ग को अपनाए जो अष्टांगिक मार्ग थे जैसे ठीक दृष्टि अच्छा संकल्प अच्छे वचन अच्छे कर्म अच्छी जीविका अच्छा प्रयत्न अच्छी स्मृति एवं ठीक समाधि। यदि व्यक्ति इन मध्यम मार्ग को अपनाकर चलता है। वह कभी भी मनोरोग की दशा में नहीं पहुँच सकता है। इसी संदर्भ में बुद्ध ने चार सत्य पर विचार रखते हुए कहा कि मनुष्य जब तक चार सत्य दुख की उत्पति दुख के कारण दुख का विनाश एवं दुख निरोध का मार्ग नही जान जाता है, तब तक वह मनोरोग पे पीड़ित रहेगा।

सम्मोहन विधि – सम्मोहन विधि का तात्पर्य है कि मनोचिकित्सक व्यक्ति के अचेतन मन में दबे दमित इच्छाओं के बारे में जान कर उनका इलाज करता है। कई बार मनोरोगी अपने मन की व्यथा को चिकित्सक तक नहीं पहुँचा पाते है, तो मनोचिकित्सक इस विधि द्वारा इलाज की प्रक्रिया को अपनाते है। परन्तु यदि बुद्ध के समय को यदि देखें तो बुद्ध अपनें ज्ञान के प्रभाव से ऐसी शक्तियों से परिपूर्ण हो गए थे, जिसके द्वारा वह रोगियों के अर्न्तमन में झाक कर पूरे मन का अवलोकन कर लेते थे तथा उनकी समस्याओं से संबधित उपदेश देकर उनके मनोरोग को ठीक कर देते थे। उनके पास कोई भी मनोरोगी अपनी समस्या लेकर आता था। उनके चेहरे को एवं अन्तर्मन में झाक कर एवं उनके विचारों को सुनकर उनके अचेतन मन का अवलोकन कर लेते थे।

निष्कर्ष – इस प्रकार हम कह सकते है कि जहाँ आज वर्तमान चिकित्सक मनोरोगियों के ईलाज में विभिन्न विधियों का प्रयोग कर रहें है वह कहीं न कहीं गौतम बुद्ध के उपचारात्मक पद्धति का ही एक रुप है। बुद्ध का यही एक लक्ष्य था कि समाज में कोई बुराई व्याप्त न हो और लोग मध्यम मार्ग को अपनाए। यदि व्यक्ति किसी मनोरोग से पीड़ित है, तो धरती पर आने का एक लक्ष्य है व्यक्ति को मनोरोगों से दूर कर एक मानव में परिवर्तित कर दिया जाए। बुद्ध ने अपनी चिकित्सा की विधि की आधारशिला विशुद्ध मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर ही स्थापित की। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध अपने युग के एक महान मनोवैज्ञानिक रहे जो मन पर नियंत्रण, मध्यम मार्ग एवं अष्टांगिक मार्ग को सुखी एवं निरोगित मन का आधार मानते थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. धर्मकिर्ति, डॉ., (2010) महान चिकित्सक भगवान बुद्ध, द्वितीय संस्करण, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–47–88

****

आदिवासी बच्चों में पोषण पुनर्वास केन्द्र की भूमिका एवं गम्भीर कुपोषण स्थिति का अध्ययन (म.प्र. के आलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

मनीषा सक्सेना * संगीता कनेश **

प्रस्तावना – भारत में आदिवासी कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारी सभ्यता की संस्कृति के साथ एकीकृत है। भारत में 5 साल से कम उम्र के 20 फीसदी से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार है, भारत की बढ़ती जनसंख्या में काफी बच्चे कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है, यहॉ कुपोषण एक तरह जीवन का हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के तहत 'पोषण पुनर्वास केन्द्र' की स्थापना सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के लिए की गई है, ताकि गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रस्त और चिकित्सीय जटिलताओं वाले बच्चों के इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। बच्चों को वहॉ चिकित्सा और पोषण चिकित्सकीय देखभाल की सुविधा दी जाती है। भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 में देश में कुल 93.4 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार है, देश भर के 25 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 966 'पोषण पुनर्वास केन्द्र' को संचालित किए गए है। 'पोषण पुनर्वास केन्द्र पर 2015-16 में लगभग 1,72,902 बच्चों को भर्ती कराया गया था, उनमें से 92,760 सफलता पूर्ण बचाया गया था। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 2016-17 में 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र को संचालित किया गया है। म.प्र. में पोषण पुनर्वास केन्द्र में वर्ष 2016-17 में 79,458 गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया।विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार सुपोषित बच्चों की तुलना में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की मृत्यु की संभावना 5 से 20 गुना अधिक होती है। वैश्विक बहु आयामी गरीबी सूचकांक 2018 की रिपोर्ट के अनुसार म.प्र. के आदिवासी बच्चों में गंभीर कुपोषित की स्थिति देखी गई है, आदिवासी बच्चों की बात करे तो, 5 साल से कम उम्र के 43.8 प्रतिशत बच्चों की लम्बाई उम्र के हिसाब कम है, 27.4 प्रतिशत बच्चे लम्बाई के हिसाब से दुबलापन है और 45.3 प्रतिशत बच्चों को वजन उम्र के हिसाब से कम है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के ऑकड़ो पर इण्डिया स्पेंड द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार 6 से 23 महीने की आयु के 10 भारतीय शिशुओं में से केवल एक को पर्याप्त आहार मिलता है नतीजा यह है। कि पॉच साल से कम उम्र के 35.7 फीसदी बच्चों का वजन सामान्य से कम है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले के कुपोषण की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक पाई गई है, जिनमें राज्य के झाबुआ, आलीराजपुर, मडंला, सीधी, धार और अनुपपुर जिले में अति कुपोषित, बच्चों की संख्या 7 से 15 प्रतिशत रही है। 2016-17 में सतना, खण्डवा, शिवपुरी, श्योपुर और होशंगाबाद के अलावा प्रदेश के भील बाहुल्य झाबुआ में 0 से 5 वर्ष तक 21 फिसदी बच्चे कम वजन के है, एकीकृत बाल विकास सेवा के ऑकडे अनुसार कुल एक लाख 85 हजार बच्चों में से लगभग 36 हजार बच्चे कम वजन वाले है, इनमें से ढाई हजार से भी ज्यादा बच्चे अति कुपोषित है। मध्यप्रदेश में बच्चों की स्थिति में सुधार हो रहा है। एन एफ एच एस 2005-06 में कम वजन के बच्चे 60 प्रतिशत थे। गंभीर कुपोषित बच्चे 12.6 प्रतिशत, ठिगने बच्चे 50 प्रतिशत, बच्चों में खून की कमी 74 प्रतिशत, महिलाओं में खून की कमी 56 प्रतिशत थी। वही एन एफ एच एस 2015-16 में बच्चों की स्थिति में सुधार हो रहा है, कम वजन के बच्चे 42.8 प्रतिशत है वही गंभीर कुपोषित बच्चे 9.2 प्रतिशत है, ठिगने बच्चे 42 प्रतिशत, बच्चों में खून की कमी 68.9 प्रतिशत तथा महिलाओं में 52.5 प्रतिशत है।

उद्देश्य –

- आदिवासी बच्चों में पोषण स्थिति का अध्ययन करना।
- आदिवासी क्षेत्रों में पोषण पुनर्वास केन्द्र की भूमिका।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक अनुसंधान विधि अपनाई गई है। देव निर्देशन पद्धति के माध्यम से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले का चयन किया गया, जिले से प्राप्त ऑकड़ो के आधार पर कुपोषण की स्थिति देखते हुवे जिले की सोण्डवा ब्लॉक के पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं ऑगनवाडी केन्द्र से उद्देश्य पूर्ण विधि द्वारा कुल 100 कुपोषित बच्चों का चयन अध्ययन बाध्य किया गया है। शोध अध्ययन कि जानकारी हेतु साक्षात्कार अनुसूचि, अवलोकन, साक्षात्कार इत्यादि के माध्यम से प्राथमिक ऑकड़ो के माध्यम से द्वितियक ऑकड़ो को तैयार किया गया। प्राप्त ऑकड़ो को तैयार किया सारणी बाध्य करने पश्चात परिणामों की चर्चा कि गई।

परिणाम एवं परिचर्चा –

1. आदिवासी बच्चों की पोषण स्थिति – मध्यप्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु अनेकों सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। जिसमें प्रमुख रूप से रोजगार के अवसर, खेतों में कृषि सम्बन्धित सुविधाएँ मुख्य रूप से है, किन्तु भौगोलिक स्थिति तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत के चलते यह सामाजिक तौर पर अत्यन्त निजी जीवन यापन कर रहे है। यह मुख्य रूप से मुर्गी तथा बकरी पालन आदि करते है। कच्चा मकान होता है। जो 10-10 का होता है। रसोई का चूल्हा जो मिट्टी का बना होता है। ऑगनवाड़ी की दूरी गॉव से अधिक दुर होने से महिलाएँ नहीं जाती है, अपनी व्यस्थता की वजह से एवं माँ उच्च पोषण युक्त भोजन नहीं लेती है, उस कारण बच्चे का जन्म कम वजन का होता है और कई बीमारियां से घिरा होता है। आदिवासी का खान-पान मक्का की रोटी, लाल मिर्च, ज्वार, लहसुन की चटनी, पत्तियों की सब्जियॉ आदि भोजन के रूप में गृहण किया जाता है। महिलाएँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है। दिनभर अपने कार्यो में लगी होने के कारण समय

*एसोसिएट प्रोफेसर-डॉ.बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ अम्बेडकर नगर (महू) इन्दौर (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी (गृह विज्ञान) डॉ.बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ अम्बेडकर नगर (महू) इन्दौर (म.प्र.) भारत

पर भोजन नहीं करती है। गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली माताएँ अपने पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान नही देती है।

तालिका क्र. 1

गंभीर कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति

क्र.	पोषण स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	कम वजन	48	48%
2.	उम्र के अनुसार कम लम्बाई	34	34%
3.	लम्बाई के अनुसार कम वजन	18	18%
	कुल योग	100	100%

स्त्रोत – प्रथामिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

तालिका क्र.1 से स्पष्ट हाता है कि परिवारों में से कुल 100 बच्चों पर अध्ययन में पाया गया ICMR के अनुसार उम्र तथा लिंग को पोषण से वैज्ञानिक तथ्यों की प्रमाणिकता के आधार पर बतलाया है अत: अदिवासी बच्चों में ऑकडे दशति है कि 48 प्रतिशत बच्चों का वजन कम पाया गया एवं 34 प्रतिशत उम्र के अनुसार कम लम्बाई पाई गई तथा 18 प्रतिशत लम्बाई के अनुसार कम वजन पाया गया है। ICMR के अनुसार अदिवासी बच्चों की लम्बाई कम पाई गई है।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे –4 के अनुसार आदिवासी में बहुत अधिक कुपोषण व्याप्त है। अगर सभी वर्गो के कुपोषण स्तर को जोड़ दिया जाए तब भी यह सबसे ज्यादा है रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 44 प्रतिशत आदिवासी बच्चों में उम्र के हिसाब से ऊचॉई कम है। 45 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कम वजन के और 27 प्रतिशत बच्चे कमजोर है तथा ऊचॉई के हिसाब से उनका वजन कम है

2. आदिवासी बच्चों में कुपोषण स्तर – आदिवासी परिवारों में बच्चों को विशेष ध्यान की आवश्यकता होती 0–5 वर्ष के बच्चों में स्तनपान, पौष्टिक, भोजन आदि की जानकारी माता को होना चाहिए, 0–5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण अधिक देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण पौष्टिक भोजन का अभाव तथा स्तनपान की सही जानकारी नहीं होने के कारण आदिवासी परिवारों के बच्चों में कुपोषण की स्थिति विकराल रूप धारण किए हुवे है। मध्यप्रदेश में गम्भीर कुपोषण की स्थिति में सुधारने के लिए अनेको प्रयास कर रही है। कुपोषण अत्यधिक 0–5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखा जा रहा है इसका मुख्य कारण सन्तुलित भोजन का अभाव, बढ़ती जनसंख्या के कारण बच्चों को सही पोषण मिल पाना कठिन है। पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों की गम्भीर कुपोषण की स्थिति का पता लगाने के लिए एम.यू.ए.सी. टेप (MUAC) के बायी भुजा के ऊपरी मध्य भाग की गोलाई का नाप लिया जाता है 6–60 माह के बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान करने का सबसे सरल व प्रमाणित तरीका है। इसका उपयोग बच्चे की वृद्धि निगरानी के लिए नही किया जाता है बल्कि गंभीर कुपोषण की पहचान करने के लिए किया जाता है।

तालिका क्र. 2 – बच्चों की कुपोषण स्थिति की पहचान

क्र.	ऊपरी बांह के मध्य की गोलाई (MUAC)	संख्या	प्रतिशत
1.	11.5 से.मी. से कम (गंभीर कुपोषण)	55	55%
2.	11.5 से.मी. से 12.5 से.मी. के मध्य (मध्यम कुपोषण)	40	40%
3.	12.5 से.मी. से अधिक (सामान्य)	5	5%
	कुल योग	100	100%

स्त्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक

तालिका क्र. 3 से स्पष्ट होता है कि 100 परिवारों के बच्चों पर अध्ययन में पाया गया कि पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों का कुपोषण स्तर ज्ञात करने के लिए एम.यू.ए.सी. टेप का उपयोग कर स्तर ज्ञात किया गया जिसमें 11.5 से.मी. से कम 55 प्रतिशत बच्चे गम्भीर कुपोषित पाए गए तथा 11.5 से.मी. से 12.5 से.मी. तक 40 प्रतिशत मध्य कुपोषित पाए गए तथा 12.5 से.मी से अधिक के 5 प्रतिशत बच्चे पाये गये।

डब्ल्यू.एच.ओ. (2005) के अनुसार उम्र के अनुरूप एम.यू.ए.सी यह दर्शाता है कि जिन बच्चों में ऊपरी भुजा के मध्य भाग की गोलाई का माप 11.5 से.मी. से कम होता है, तो उनमें मृत्यु की सम्भावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तथा 11.5 से.मी. से 12.5 से.मी. के मध्य कुपोषित माना जाता है।

निष्कर्ष – मध्यप्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में कुपोषण का स्तर अधिक पाया गया है आदिवासी परिवारों में कुपोषण अधिक पाया गया, आर्थिक, अशिक्षा तथा बेरोजगारी, सामाजिक वातावरण के चलते बच्चों के पौष्टिक भोजन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑगनवाड़ी के द्वारा पौष्टिक आहार का उपयोग नहीं किया जा रहा तथा बच्चों में गंभीर कुपोषण भी देखा जा रहा है पोषण पुनर्वास केन्द्र में गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएँ केन्द्र में नहीं जाना चाहती, अपनी व्यस्तता के कारण बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अज्ञानता और निरन्तर प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में कुपोषण आधिक देखा गया है। तथा अन्धविश्वास और पुरानी प्रथाओं के कारण पौष्टिक भोजन नहीं ले पा रहे। आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ज्यादातर लोग पलायन कर रहे है। राज्य सरकार ने ऑगनवाड़ी केन्द्र में पोषाहार दिये जा रहे है, बच्चों एवं महिलाओं के लिए लेकिन पलायन करने वाले परिवारों एवं जरूरतमंद बच्चों को पौष्टिक आहार नही मिल पा रहा है, जिससे बच्चा कुपोषण का शिकार होता जा रहा है। बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध न हो या फिर भोजन में शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिकता की कमी होती है जिस वजह से बच्चे का वजन कम होता जा रहा है। आदिवासियों की आहार आदतों का ध्यान नही रखा गया है, इससे ये और अधिक असफल होते जा रहे है।

सुझाव –

- आदिवासी में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी के कारण पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती के लिए परिवार के सदस्य की उचित काउसलिंग की जानी चाहिए।
- भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व के प्रति जागरूकता लानी चाहिए।
- आदिवासी में अंतरवर्तीय खेती अपनाकर फलों के साथ मौसमी सब्जियों की खेती करे तो स्वयं कुपोषण की जगं से लड़ सकते है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ कि प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी जनजाति स्वास्थ्य के विकास का आहार भूर्ण पक्ष है।
- गंभीर कुपोषित बच्चे के परिवारों पर ऑगनवाडी कार्यकर्ता को सर्वे के लिए भेजा जाना चाहिए जो पोषण पुनर्वास केन्द्र से ठिक हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुरूक्षेत्र दिसम्बर–2017
2. एन.एफ.एच.एस.–4 की रिपोर्ट
3. स्वास्थ्य पत्रिका लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. 2013
4. युनिसेफ (2002) सुरक्षित मातृत्व की और बढ़ते कदम संचालनालय

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.

5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (1999) 'संयुक्त राष्ट्र बाल कोष' इण्डियन जर्नल ऑफ मेर्टनल एण्ड चाईल्ड हेल्थ
6. ग्लोबल हंगी रिपोर्ट
7. आदिवासी स्वास्थ्य पत्रिका 2008
8. wwwomohfw.nicin/NRHM/RCH/JS/.
9. http://india.gov.in/citizen/heath/php.

****

कामकाजी महिलाए वर्तमान परिपेक्ष्य में

कृष्णा शर्मा *

प्रस्तावना – आज सभी छोटे-बड़े शहरों और महानगरों में रहने वाली महिलाओं का 50 से 60 प्रतिशत भाग किसी न किसी नौकरी से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कामकाजी नौकरी पेशा महिला अपने समय का बड़ा भाग दफ्तर या कारखाने में तमाम पुरूष सहकर्मियों के बीच में व्यतीत कर रही है। कामकाजी महिलाएँ जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में घर व दफ्तर दोनों को संभाल रही है। जिससे कामकाजी महिलाओं में मानसिक तनाव की तीव्रता अधिक होती जा रही है। कारण साफ है दोहरी जिम्मेदारियों का वहन करना। वे अपने मन पर हमेशा एक न एक बोझ ढोती रहती है। यदि कार्यालय या स्कूल जाना है, तो सुबह घर से बाहर पैर निकालने से पूर्व उन्हें पति,बच्चों व अन्य सदस्यों की भी जिम्मेदारी पूरा करना पड़ता है। समय से काम पर पहुँचना,घर गृहस्थी में भी कहीं दरार न आने देना,कुशल गृहणी का कर्तव्य पालन करते हुए अतिरिक्त धन राशि घर में लाना,कार्यालय में भी अपने कार्य को पुरूषों के समान ही सक्षमता से कर पाने के बाद भी कामकाजी महिलाओं को देर से पहुँचने पर कई प्रश्नों का सामना करना पडता है।

भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के चलते महिलाओं में तनाव की समस्या एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया है। पारंपरिक रूप से भारतीय महिलाएँ पारिवारिक व्यवस्था के अंदर रहकर ही कार्य करती थी। आजकल वे पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर संगठनों में कार्यरत है।

आर्थिक अनिवार्यताओं के चलते हमारे समाज में कई महिलाएँ नौकरी करती है, जो महिलाएँ अपनी रूचि का कार्य करती है, उन्हें अपनी उपलब्धि की कीमत मिलती है, अपना कैरियर बनाने के साथ-साथ गृहस्थी पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। हमेशा महिलाओं को अपनी पांरपरिक भूमिका में अलग से कोई सहायता नहीं मिलती यद्यपि महिलाओं के दायित्व बढ़ गए है क्योंकि सब के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वे जितना समय नौकरी में देती है, उतना उन्हें घरेलू कार्यो जैसे झाडना,बुहारना,भोजन पकाना,कपडों को प्रेस करना, बच्चों की शिक्षा आदि के लिए नहीं दे पाती जिसकी वजह से कई बार यह परिस्थितियाँ महिलाओं के लिये घर में कलह उत्पन्न करती है। इन परिस्थितियों से सामंजस्य न कर पाने के कारण कामकाजी महिलाओं के सामने कई कठिनाईयां उत्पन्न होती है।

महिलाएँ प्राकृतिक रूप से अधिक कोमल, भावना प्रधान तथा संवेदनशील होती है। यही कारण है कि वे छोटी-छोटी घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती जिसकी वजह से उनके जीवन में कई समस्याएं आती है।

कामकाजी महिलाओं में मानसिक तनाव की तीव्रता अधिक होती है। स्वतंत्र भारत के गत सत्तर वर्षों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है, उन सब का प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन पर पडा है। यह सत्य है कि देश के पिछले सत्तर वर्षों में शिक्षा ,चिकित्सा, यातायात, कृषि,औद्योगिक विकास,दूर संचार,कला,तकनीकी क्षेत्रों में जो प्रगति की है, उसे देख कर लगता है कि भारत विश्व की एक शक्ति बन गया है।

जहां तक सामाजिक जीवन में परिवर्तन का संबंध है,उसमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है। लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है और मानसिक सोच में बड़ा भारी अंतर आया है। खान-पान ,पहनावा और जीवन-शैली बदली है।

आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है उनकी विकास योजनाओं द्वारा देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को भी प्रगति की हवा लगने लगी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि देश में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। नई-नई औद्योगिक बस्तियां बनी। भिलाई,दुर्गापुर,राउरकेला,कानपुर,राजपुरा,नौएडा,लुधियाना आदि नए औद्योगिक केंद्र बने।परिणामस्वरूप देश में मुद्रास्फीति बढी। रूपए की क्रय शक्ति कम हुई। देश में परिवर्तन के फलरूवरूप

1. रहन-सहन का स्तर बढ़ गया। अपने इस स्तर को बनाए रखने और उन्नति की नई उंचाइयों को छूने की चाह प्रत्येक व्यक्ति में बढी। महिलाएं भी इससे अछूती न रहीं।
2. आरामदायक और विलासिता पूर्ण आवश्यकताएं बढ़ी। रेडियो, फ्रिज, टी.वी,स्कूटर,एस.सी. जैसी वस्तुएं प्रतिष्ठा बन गईं।
3. अच्छे अग्रेंजी स्कूलों के प्रति लोगों का उत्साह बढा और शिक्षा पर लोग अधिक पैसा खर्च करने लगे। इस प्रतियोगिता में हर व्यक्ति शामिल होने लगा।
4. स्त्री शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा। स्त्रियां भी पढ़- लिखकर नौकरियां करने लगी। कामकाजी महिलाओं का एक नया वर्ग बन गया। महानगरों में इनकी संख्या बढ़ने के साथ-साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी अनकी संख्या बढ़ने लगी। जिस समाज में स्त्री की कमाई को अनुचित समझा जाता था,उस समाज में स्त्री का कमाई से घर चलने लगे,और दोनों कमाते है। यह बहुत गर्व की बात समझी जाने लगी।
5. पश्चिम का भारतीय जन जीवन पर बहुत प्रभाव पडा। पश्चिम में स्त्रियां पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। शिक्षा और वैज्ञानिक प्रगति के इतिहास में वहां स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं की प्रेरणा भारतीय स्त्रियों को मिली और वे बड़े आत्मविश्वास के साथ इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सोचने लगी। उनकी इस सोच और इच्छा को इन देशों से आए प्रतिनिधिमंडलों,शिष्टमंडलों ने बड़ा प्रभवित किया और स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति इस प्रकार की जागरूकता को राजनैतिक स्तर पर भी प्रोत्साहित किया गया। इंदिरा गांधी,तारकेश्वरी सिन्हा,अम्बिका सोनी,अरूणा असाफ अली सुषमा स्वराज ,बचेन्द्री पाल,किरण बेदी,अरूणिमा सिन्हा,पी.वी.सिन्धु

*सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शास. श्या. सुं. ना. मु. महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

आदि ने महिलाओं में एक नई सोच पैदा की।

6. शिक्षा,चिकित्सा,समाज सेवा फैशन,सामुदायिक विकास ,पुलिस,सेना आदि में स्त्रियों की मांग बढ़ी और वे दफ्तरों, होटलों,समाचार पत्रों, न्याय, पुलिस, सेना अन्य संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं में काम करने लगी।

वास्तव में उनकी मौलिक प्रतिभा ने उन्हें इन क्षेत्रों में और भी अधिक सफलता दिलाई और कुछ ही वर्षो में स्त्रियों की संख्या लाखों में हो गई। टाइपिंग पर तो जैसे स्त्रियों का एकाधिकार ही हो गया। वर्तमान में कम्प्यूटर पर भी स्त्रियों का अधिकार जम गया।

इन सब का परिणाम यह हुआ है कि देश में आज कामकाजी महिलाओं की संख्या लगभग एक करोड़ हो गई है। कृषि और निमार्ण कार्यो में तो पहले से ही महिलाएं सक्रिय हुआ करती थी,लेकिन अब उनका कार्य क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां महिलाएं कुशलता से अपने दायित्वों को न निभा पा रही हो। यहां तक कि सुरक्षा जैसे क्षेत्र में भी महिलाएं अपने दायित्वों को कुशलता से निभा रही है।

शिक्षित स्त्रियों के लिए विवाह और नौकरी – भारत में ,विशेषकर आज के शहरी समाज में, शिक्षित स्त्रियों के लिए शादी और नौकरी का सवाल समाजशास्त्रियों के लिए एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय बन गया है। स्त्रियों का घरों से बाहर निकलकर काम करने की घटना कोई नई बात नही है,क्योंकि गांवों में स्त्रियां हमेशा से ही जीविका के लिए अपने पुरूष वर्ग के साथ खेतों में काम करती आ रही है। शहरों में भी लम्बे अर्से से स्त्रियां फैक्टियों और गृहनिमार्ण कार्यो में मजदूरी करती आ रही है। परंतु मध्य और उच्च वर्ग की शिक्षित स्त्रियों को घरों से बाहर उपयोगी नौकरियों की तलाश में निकालना अपेक्षाकृत नई बात थी सामाजिक,राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे है,यह उसी का परिणाम है और उसी वजह से ये और इसी वजह से इसमें तेजी आई है।

पहले परम्परागत भारतीय समाज में मध्य और उच्च वर्ग भी स्त्रियों का विशेषकर विवाहित स्त्रियों का घरों से बाहर नौकरी करना सम्मानजनक नहीं समझा जाता था। आर्थिक आवश्यकता तथा कठिनाइयों में ही इन वर्गो की स्त्रियों ने घरों के बाहर निकलकर नौकरियां करनी शुरू कीं। आज की बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक तथा राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में तथाकथित सम्मान का विचार अर्थहीन हो गया है। आज विवाहित स्त्रियों द्वारा नौकरी करने को प्राय: अपमानजनक नहीं माना जाता है। आजकल पत्नियों द्वारा नौकरी करने को समाज आपत्तिजनक नही मानता है। यहां तक कि बड़े–बूढ़े भी यह चाहने लगे है कि उनकी बहुएं परिवार की आमदानी में योगदान करें। आज तक बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु माता–पिता हर संभव प्रयास कर रहें है।

आज केवल आर्थिक लाभ की वजह से स्त्रियां नौकरी नहीं करती है, बल्कि उसके पीछे अन्य दूसरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी है जैसे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना अपने लिए उच्च दर्जा प्राप्त करना,आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होना,दूसरे लोगों से मिलने जुलने की स्वतंत्रता प्राप्त करना,घर को चारदीवारी के ऊबाने वाले वातावरण से राहत पाना,समाज के लाभार्थ काम करना,अपने विशेष व्यवसाय के प्रति मोह,अपना मनचाहा पेशा अख्तियार करने की भावना की पूर्ति आदि।

शिक्षित विवाहित स्त्री द्वारा नौकरी करने की लहर आई है उसका उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर तथा उसके दाम्पत्य जीवन तथा पारिवारिक संबंधों पर असर पडना लाजमी है। अब उसे एक ओर गृहणी व दूसरी ओर जीविकोपार्जन, दोनों की भूमिका निभानी पडती है।

इस प्रकार की भूमिका को निभाने में उसकी शक्ति और समय खर्च होता है और प्राय: इस दोहरी भूमिका की परस्पर विरोधी आवश्यकताओं के बीच जूझना पडता है। और यही एक कामकाजी महिला की पहचान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अब तक तेरे यही कहानी सोमाद्री शर्मा
2. नेशनल कमीशन फार वूमन
3. मिनिस्ट्रि आर्फ वूमन एंड चाईल्ड डेवलपमेंट

****

A Study On Role Of Financial Literacy In Financial Inclusion And Exclusion

Dr. Vijay Grewal* Prof. Deepali Gupta**

Abstract - India is a country of great diversity in terms of geography, history, culture, values and population demography. This diversity of India is making it really difficult to suitably classify the country on economic, political, religious or demographical basis. Post-independence growth has directed to complete development of the country as a whole but it has also parted it into two different segments therefore providing an appropriate base of classification in the form of Rural India and Urban India. Around 29-30% of population of the country resides in the urban area while the remaining is still living in the intrinsically characteristic Rural India. The rural segment is distinct in respect of various characteristics such as purchasing power, educational status, income level, development, social system etc. These differences narrate directly to the kind of diverse demand patterns that the rural sector requires various product segments particularly when it comes to financial services. This sector presents a genuine challenge due to technological backwardness and mass illiteracy as people are still caught in ancient financial systems that were both unfair and useless. Present study tried to understand the financial inclusion status of country and the awareness level of citizens.
Key Words - Financial Inclusion, Financial Exclusion, Awareness, Financial Literacy, Financial Products.

Introduction - Country India is a land of villages. Almost 68-70% population of India resides in villages. But a large portion of this population is deprived of the financial services due to financial literacy. This population is not much aware about the basic terms and procedure of availing financial services. They can be termed as financially excluded population. The present government has made efforts and came up with the PMJDY (PradhanMantri Jan Dhan Yojna) scheme to make available opening of saving accounts to villagers with minimum amount and no balance amount. This government tried to enhance accessibility of basic financial services to villagers.

The population which used to be financially excluded, constantly, depends on money lenders even for their daily needs. Borrowings at excessive rates make them debtor and finally get them caught in a debt trap. Additionally, people in far away villages are entirely unaware of financial products such as insurance, mutual funds, etc. which could guard them in unfavorable situations. Consequently, financial inclusion is an immense necessity for our country as a large amount of the world's poor population is part of India. Access to finance by the poor population and vulnerable groups of a country is a prerequisite for poverty reduction and social cohesion.

Therefore by keeping the interests of the poor people in view, the Government of India (GoI) has taken a number of actions so that the underprivileged and deprived sections of the society can harvest the benefits of the financial services.

Statement of the Problem - Today, financial inclusion (FI) has become biggest problem before the financial system in rural India and restricted access to infrastructural support is deteriorating it by each passing day. Therefore the researcher aims to conduct a study of the extent to which the person having diverse demographic profile residing in a rural area are acquainted with banking habits and the study is titled as "**A Study on Role of Financial Literacy in Financial Inclusion and Exclusion**".

Objectives of the Present Study - The main objective of the present study is to determine the intensity of financial inclusion and financial awareness among the people. Keeping it in view, the following specific objectives have been framed for the study:

- To study the banking habits of people.
- To inspect the awareness level of people about financial products and services.
- To recognize the major sources of information about financial products and services.
- To make out the reason for choosing Public sector or Private sector banking.
- To know the opinion about financial products with reference to several aspects.

Hypotheses - The following hypotheses were framed to arrive at conclusion to various propositions.

- Type of bank accounts and level of income of the respondents are independent
- Type of bank accounts and occupational status of the respondents are Independent
- Type of bank accounts and level of education of the

***Asst. Professor, Shri Vaishnav College of Commerce, Indore (MP) INDIA**
****Asst. Professor, Softvision College, Indore (MP) INDIA**

respondents are independent

- Respondents are well aware of the financial products and services provided by banking institutions
- Respondents do not weigh any particular factor in selecting a particular bank for their dealings.

Chi-square test of independence was applied to test Hypotheses 1 to 3 and for the 4th hypothesis Likert scaling technique was used. Finally, weighted ranking method was used to test the fifth hypothesis.

Research Methodology - Both primary and secondary sources of data collection were used to get required data for achieving the objectives of the study. Secondary data was collected from published books, periodicals, journals, internet, etc. Structured questionnaire were used to collect the primary data.

Sample Area and size - Primary data were collected from a sample of 100 respondents belonging to different occupational groups residing in **Indore Panchayat** by administering a structured questionnaire.

Financial inclusion progress report (See in the last page)

Table shows that gradually financially excluded population is becoming the part of financial economic system of India. Due to the continuous efforts of Government of India and Reserve Bank of India now financial products and services are being extended to the rural population. Relaxation in KYC (Know Your Customer) brining more customers to bank for availing the products offered. There is increase in availing of GCC and KCC cards as well by rural population.

Data Analysis -

Table 1- Respondents having Bank account

Bank Account	No. of Respondents	Percentage
Respondents having Bank A/c	**98**	**98**
Respondents not having Bank A/c		**22**
Total	**100**	**100**
Source - Primary data		

The table shows that out of 100 respondents, 98 respondents are having bank account and only 2 respondents do not have bank account.

Table 2 - Reason for investing in banks (Based on Multiple Choice Questions)

Reasons	**No. of Respondents**	**Percentage**
Location	28	13.3%
Credit facility	27	13%
ATM facility	43	20.5%
Products/Services	23	11%
Prompt service	17	8%
Interest Rate	25	12%
Security	32	15.2%
Image of the Bank	15	7%
Total	**210**	**100**

Source - Primary data.

Table shows most of the respondents are of the opinion that Bank ATM facility (43 respondents) and security (32 respondents) are the main reasons for investing in the Banks. 13.3% respondents and 13% respondents prefer Location and credit facility respectively are the reasons for them to deposit in Banks. Interest rates and Product and services offered by Banks are also attracted features for 12% and 11% respondents respectively. Image of the Bank is the least preferred characteristics or reason for respondents to invest through banks.

Table 3 - Types of Bank Accounts Preferred by the Respondents (Based on Multiple Choice Questions)

Bank Account	**No. of Respondents**	**Percentage**
Savings Bank account	**59**	**42.7%**
Time Deposit	**33**	**24%**
Recurring Deposit	**46**	**33.3%**
Other	**0**	**0%**
Total	**138**	**100**

Source - Primary data

It is clear from the above table that majority of the respondents (42.7%) favor Savings Bank Account due to convenience factor. 33% of the respondents choose Recurring Deposits. 24% of the respondents like to invest their money in Time deposit and none of the respondents prefer other kinds of deposit schemes of bank.

Table 4 - Avenues of savings other than Banks of the Respondents (Based on Multiple Choice Questions)

Avenues	**No. of Respondents**	**Percentage**
Chit Funds	**50**	**23.3%**
Life Insurance	**108**	**50.2%**
Post office savings	**43**	**20%**
Mutual Funds	**14**	**6.5%**
Total	**215**	**100**

Source: Primary data

Above table indicates that more than 50% respondents prefer Life insurance as an important avenue of savings other than banks. 23.3% respondents prefer chit funds as another investment avenue. 20% respondents believe to invest in Post office saving other than banks. And only 6.5% of the respondents prefer to invest in Mutual funds as other avenues of savings.

Table 5 - Financial Products and Services Awareness among Respondents

Avenues	**No. of Respondents**	**Percentage**
Very High	**6**	**6%**
High	**8**	**8%**
Average	**81**	**76%**
Low	**5**	**10%**
Very Low	**0**	**0%**
Total	**100**	**100**

Source: Primary data

It is clear from the above tabulated data that majority

of the respondents are aware of the financial products and services offered by the banking system. Only 5 percent of the respondents have below average level of awareness about products and services offered by banks.

Table 6 - Sources of Information about Financial Products and Services

Sources	No. of Respondents	Percentage
News Paper	**31**	**31%**
Journals	**13**	**13%**
Television	**20**	**20%**
Radio	**1**	**1%**
Friends & Relatives	**35**	**35%**
Total	**100**	**100**

Source - Primary data

The table explains that news paper and friends & relatives are the major sources of information about financial products and services offered by banks to respondents. Television and journals also provide information about financial products and services to a certain extent to respondents. Only 1% respondents considered radio as a source of information about financial products and services offered by banks.

Testing of hypotheses -

Hypothesis 1 - Based on Type of Bank Account and Level of Income

Ho: Type of Bank Account and Level of Income are independent

Table 7 - (See in the last page)

Chi –Square test

Level of significance = 5%
Degree of freedom = 8
Calculated Value of Chi-Square = 13.26
Table value at 5% significance level = 13.36
Since the calculated value of Chi-Square is less than table value, the Ho is accepted.

Hypothesis 2 - Based on Type of Bank Account and Level of education

Ho: Type of Bank Account and Level of Education are independent.

Table 8 - (See in the last page)

Chi –Square test

Level of significance = 5%
Degree of freedom = 8
Calculated Value of Chi-Square = 29.67
Table value at 5% significance level = 13.36
Since the calculated value of Chi-Square is more than table value, the Ho is rejected.

Hypothesis 3 - Based on Type of Bank Account and Occupational Status

Ho: Type of Bank Account and Occupational Status are independent.

Table 9 - (See in the last page)

Chi –Square test

Level of significance = 5%
Degree of freedom = 8
Calculated Value of Chi-Square = 30.6
Table value at 5% significance level = 13.36
Since the calculated value of Chi-Square is more than table value, the Ho is rejected.

Hypothesis 4 - Awareness Level of Respondents

Ho: Respondents are well aware of the financial products and services offered by Banks.

For analyzing above stated hypothesis Likert rating scale was chosen. Respondents were requested to rate their awareness level on 5 point Likert scale ranging from very high level of awareness to very low level of awareness. Weights are assigned in the order of 5,4,3,2 and 1 to different responses ranging from very high to very low. Afterwards, frequencies were multiplied with the respective weights to get the weighted average score. Then the summated weighted average score was divided by the total frequency to get the mean score. Finally the mean score was compared with the expected mean value to arrive at a conclusion regarding the degree of the awareness level of respondents.

Table 10 - Financial Products and Services Awareness among Respondents

Scale	Weights	Frequencies	Weight Score
Very High	**5**	**6**	**30**
High	**4**	**8**	**32**
Average	**3**	**81**	**243**
Low	**2**	**5**	**10**
Very Low	**1**	**0**	**0**
Total	**100**	**100**	**315**

Source: Primary data

Weighted Mean Score = 3.15, Expected Mean Value = 3.0

Since the calculated mean score (3.15) is more than the expected mean score (3.00), thus null hypothesis is accepted. Therefore it can be concluded that the respondents have awareness level above average value about the financial products and services offered through the banks.

Conclusion - An immense change has occurred in the last decade to overcome financial exclusion problem in India. The structure of guidelines and policies has emerged from a wide-ranging process of discussion and debate. Initiatives and tentative services have been launched to put the policies into action and effect. Not only people should have access to basic financial services offered by banks but they should also actively use them.

But there is still a lot more to do in terms of stimulating use of financial services as well as their access; ensuring long-term sustainability of present initiatives and embarking upon new forms of exclusion and marginalization as they arise in the economy. Result shows most of the respondents are aware about the financial products and services offered by bank. Financial exclusion can be overcome by making aware the population and promoting financial literacy. The government of India should also put more efforts in the direction of financial inclusion.

References :-

1. Raja Babu (2015), "Financial inclusion and its determinants: Evidence from District level empirical analysis in Andhra Pradesh", IJABER, Vol. 13, No. 5: 3423-3432
2. Mohammad Shafi and Ali Hawi Medabesh (2012), "Financial Inclusion in Developing Countries: Evidences from an Indian State", International Business Research; Vol. 5, No. 8; pp. 1-7.
3. Savita Shankar (2013), "Financial Inclusion in India: Do Microfinance Institutions Address Access Barriers?", ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, Vol. 2, Issue 1, p. 60-74, Feb. 2013, ISSN 2224-9729
4. Hema Gwalani and Shilpa Parkhi (2014), "Financial inclusion - Building a success model in the Indian context", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 133, 372 – 378.
5. Ms. Jisha Joseph and Dr. Titto Varghese (2014), "Role of Financial Inclusion in the Development of Indian Economy", Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.11, 2014.
6. Alexandra Zins and Laurent Weill (2016), "The determinants of financial inclusion in Africa", Review of Development Finance, 6, 46-57.
7. Badar Alam Iqbala and Shaista Samia (2017), "Role of banks in financial inclusion in India", Contaduria y administration, 62, 644 – 656.
8. http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1.

Financial inclusion progress report

Particulars	**Year Ended March 2010**	**Year Ended March 2016**	**Year ended March 2017**
Banking Outlets in Rural locations – Branches	33,378	51,830	50,860
Banking Outlets in Villages>2000-BCs	8,390	98,958	105,402
Banking Outlets in Villages<2000- BCs	25,784	432,271	438,070
Total Banking Outlets in Villages – BCs	34,174	531,229	543,472
Banking Outlets in Villages- Other Modes	142	3,248	3,761
Banking Outlets in Villages –Total	**67,694**	**586,307**	**598,093**
Urban Locations covered through BCs	447	102,552	102,865
BSBDA-Through branches (No. in millions)	60	238	254
BSBDA-Through branches(Amt. in billions)	44	474	691
BSBDA-Through BCs (No. in millions)	13	231	280
BSBDA-Through BCs (Amt. in billions)	11	164	285
BSBDA-Total (No. in millions)	73	469	533
BSBDA Total (Amt. in billions)	55	638	977
OD facility availed in BSBDAs (No. in millions)	0.2	9	9
OD facility availed in BSBDAs (Amt. in billions)	0.1	29	17
KCCs -Total (No. in millions)	24	47	46
KCCs -Total (Amt. in billion)	1,240	5,131	5,805
GCC-Total (No. in millions)	1	11	13
GCC-Total (Amt. in billions)	35	1,493	2,117
ICT A/Cs-BC-Total Transactions (No. in millions)	27	827	1,159
ICT A/Cs-BC-Total Transactions (Amt. in billions)	7	1,687	2,652

Source - RBI Report on Financial inclusion 2017.

Table 7 - Type of Bank Account and Level of Income of Respondents (Based on Multiple Choice Questions)

Type of Bank Account	**Level of Income**					
	Below 10,000	**10,000-15,000**	**15,000-20,000**	**20,000-25,000**	**Above 25,000**	**Total**
Savings Bank account	**26**	**12**	**10**	**6**	**5**	**59**
Time Deposit	**7**	**6**	**9**	**5**	**6**	**33**
Recurring Deposit	**15**	**16**	**7**	**5**	**3**	**46**
Total	**48**	**34**	**26**	**16**	**14**	**138**

Source: Primary data

Table 8 - Type of Bank Account and Level of Education of Respondents

Type of Bank Account	Level of Education					
	10th	12th	Graduation	PG	Others	Total
Savings Bank account	23	32	2	2	0	59
Time Deposit	9	7	8	4	5	33
Recurring Deposit	12	16	7	2	9	46
Total	44	55	17	8	14	138

Source: Primary data

Table 9 - Type of Bank Account and Occupational Status of Respondents

Type of Bank Account	Occupation Status					
	Private	Government	Agriculture	Pensioners	Others	Total
Savings Bank account	24	20	8	5	2	59
Time Deposit	7	8	8	6	4	33
Recurring Deposit	10	18	12	2	4	46
Total	41	26	28	13	10	138

Source: Primary data

****

Recent - Lic Growth & Achievement - Analytical Study

Dr. Sangeeta Kumbhare *

Introduction - The Life Insurance Corporation of India came into existence on 1st September, 1956, with the objective of spreading life insurance mort widely and in particular to the rural areas with a view to reach all insurable persons in the country, providing them adequate financial cover at a reasonable cost.

From then to now, LIC has crossed many milestones and has set unprecedented performance records in various aspects of life insurance business LIC continues to be the dominant life insured even in the liberalized scenario of Indian insurance and is moving fast on a new growth trajectory surpassing its own past records. In its 62 years of existence, LIC has grown from strength to strength be its customer base, agency network, branch office network, new business premium and has a significant role in spreading life insurance widely across the country.

Our Organizational Structure And Human Resouces As On 31.03.2019

Classification of Offices	No.of Offices
Central Office	1
Zonal Offices	8
Divisional Offices	113
P&GS Unit	77
SSSUnit	4
Branch Offices	2048
Satellite Offices	1481
Mini Offices	1200
Emplyees	1,11,979
Agents	11,79,229

New Business During The Year 2018-19 -

	Policies (In lacs)	First Year Premium Income (Rs In crore)
Composite	214.33*	142191.69*
Market Share(%)	74.71	66.24

***Excluding Business procured under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana**

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

Policies	1,94,418
FPI(In crore Rs)	12,997.43

Pension And Group Business & Social Security Schemes -

Achievement from 01.04.2018 to 31.03.2019

	P&GS COnventional	Social Security Schemes
No.of Lives(in lakh)	383.39	179.61
NB Premium Income (in cr.)	90848.86	330.25
Total Premium Income (in cr.)	96988.75	1210.15

Business in force as on 31.03.2019

	(In Crore)	Sum Assured/ NCO(Rs.in Crore)
Individual Policies	29.09	46,24,916
Group Policies(lives)	11.61	2014670.17

Claim Settlement Performance 2018-19

Total Number of Claims settled	259.54 Lakh
Total amount of Claims paid	1,63,104.50 Crore
Percentage of Maturity Claims Paid	92.95
Percentage of Death Claims Paid	98.27

OTHER PERFORMANCE PARAMETERS(Rs.In Crs)

	F.Y.2018-19
Total Income	5,60,784.39
Total Premium Income	3,37,185.40
Payment of Policyholders	2,50,936.23
Total Life Fund	28,28,320.12
Total Assets	31,11,847.28

Product Development - At the end of the financial year 2018-19. We have 32 plans for sale under Individual Business. The products satisfy the different needs of various segments of the society. The various caterories being Endowment. Term Assurance, Children, Pension, Micro Insurance, Health Insurance, Unit linked type plans etc.

Individual Plans (As On 31.03.2019)

(See in the next page)

For details of plans, kindly visit our website www.licindia.in or intranet site of Marketing Department Central office.

Direct Marketing Channel - Direct Marketing Channel was established in August 2009 with 6 Units. The purpose of the Channel is to bring a culturally different approach to the Marketing of Life Insurance products. The Channel over the years has created new systems for business generation, sales process monitoring and business processes with a view to reach out to untapped markets and provide improved

***Asst. Professor (Commece) Pandit Deendayal Arts & Commerce, Sagar (M.P.) INDIA**

buying experience to customers.

The Channel is driven by the values of passion, professionalism and performance, providing excellent buying experience to Customers with enhanced support of IT, especially to today's young, etc. savvy executives and High Net worth Individuals.

The customer can buy online policies from LIC site www.licindia.in by clicking on "buy policies online"

Achievement from 01.042018 to 31.03.2019 (See in the next page)

Mkt. – Bancassurance & Alternate Channels Achievement from 01.042018 to 31.03.2019

	Volume	Percentage share to Total New Business
Policies	2,30,287	1.08
First Premium	1328.34	3.23

Income (Rs.in crore)

We have tie-ups with 12 PSU Banks, 6 Private Banks, 18 Regional Rural Banks, 41 Co-operative Banks and 1 Foreign Bank under Corporate Agency agreement. These Banks procure New Business for LIC through their Branch Outlets. At present, we have about 48.147 Outlets under these Banks and our endeavour is to enhance the productivity of each outlet and revenue earning of Banks thereby.

During the financial year. 66 Brokers were active. Apart from the banks, we have tie up with 64 other Corporate Agents & 83 Insurance Marketing Firms, as our Channel partners. In 6this year. 7 Banks, 12 Other Corporate Agents & 20 Insurance Marketing Firms (1MFs) were newly appointed.

Amongst our Bank Partners, Axis Bank occupied No. 1 position in TOTAL First Premium Rs. 222.62Crore, followed by Central Bank of India with Rs.175.40Crore and United Bank with Rs. 150.05Crore of Total FPI. On Number of Policies. Axis Bank occupied No. 1 position with 31.986 policies followed by Allahabad Bank with 21,818 policies and IDBI Bank is ranked 3rd with 20,973 policies, 107 Bank Branches garnered a Total First Premium of more than Rs. 1Crore each.

References:-

1. "Yogakshema" Monthly magazine.
2. Web. www. licindia.in.

Sr.No.	Plan Number	Plan Name
1	904	LIC's Jeevan Arogya
2	814	LIC's New Endowment Plan
3	817	LIC's Single Premium Endowment Plan
4	820	LIC's New Money Back-20 year
5	821	LIC's New Money Back-25 year
6	816	LIC's New Bima Bachat
7	815	LIC's New Jeevan Anand
8	818	LIC's New Jeevan Nidhi
9	822	LIC's Anmol Jeevan-II
10	823	LIC's Amulya Jeevan-II
11	825	LIC's e-Term
12	827	LIC's Jeevan Rakshak
13	830	LIC's Limited Premium Endowment Plan
14	832	LIC's New Children's Money Back Plan
15	833	LIC's Jeevan Lakshya
16	834	LIC's Jeevan Tarun
17	835	LIC's New Endowment Plus
18	836	LIC's Jeevan Labh Plan
19	838	LIC's Jeevan Pragati Plan
20	839	LIC's Bhagya Lakshmi Plan
21	840	LIC's New Jeevan Mangal Plan
22	842	Pradhan Matri Vaya Vandana Yojana
23	843	LIC's Aadhar Stambh
24	844	LIC's Aadhar Shila
25	845	LIC's Jeevan Umang
26	847	LIC's Jeevan Shriomani
27	848	LIC'sBima Shree
28	905	LIC's Cancer Cover
29	189	LIC's Jeevan Akshay VI
30	850	LIC's Jeevan Shanti
31	851	LIC's Micro Bachat
32	853	LIC's Navjeevan

Achievement from 01.042018 to 31.03.2019

VETRICAL	ABSOLUTE VOLUME(NOP)	FIRST PREMIUM INCOME(IN CR)
DSE/DSA/ChiefOrganiser	49540	493.09
Distance Marketing Centre	19303	274.89
Total	68843	767.98
% Share to Total Business	0.32	1.87

****

NSS Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) July To September 2019, Vol. II

महानगर टेलीफोन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. पवन मिश्रा *

शोध सारांश – वित्तीय विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णयों मैं बहुत अधिक महत्व है, यह वित्तीय तथा नियंत्रण दोनों ही कार्यों मैं सहायक होती है, वित्तीय विश्लेषण मुख्यत: प्रबंधकों को उसके नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही कार्यों में सहायता प्रदान करती है। आर्थिक नियोजन से पूर्व भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सार्वजानिक क्षेत्र का स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं था, जितना की अब है। आद्यौगिक नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया है जबकि महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण एंव विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप दिया गया है। इस शोध का विषय वित्तीय विवरणों का विश्लेष्णात्मक अध्ययन है। वित्तीय विवरण कम्पनी अथवा निगम का महत्वपूर्ण प्रपत्र है। जिसके अंतर्गत लाभ-हानि तथा चिट्ठा की स्थिती दर्शायी जाती है। अनुसंधान ने अनेक पूर्वाग्रहों के निदान तथा निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शोध विभिन्न विज्ञानों की शक्तिशाली कुंजी है तथा इससे मानव व्यक्तित्व का अपार बौद्धिक विकास हुआ है। किसी भी निगम अथवा कंपनी की वित्तीय स्थिति का अध्ययन वित्तीय विवरणों के माध्यम से किया जाता है। निगम की आर्थिक दृढ़ता तथा उसकी शोधन क्षमता आदि का अध्ययन इस विवरण के माध्यम से किया जाता हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस विषय का चयन किया गया है, जिससे कि एक सार्वजनिक उपक्रम अपनी आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति का आसानी से अध्ययन कर सके।

प्रस्तावना – वित्तीय योजना किसी भी व्यवसाय का प्राण स्त्रोत है। कोई भी उद्योग चाहे छोटा हो या बड़ा बिना उचित वित्तीय योजना के सफल नहीं हो सकता । किसी भी व्यवस्था की स्थापना के विचार के जन्म से लेकर स्थितियों में समय अनुकूल एवं आवश्यकता अनुसार वित्त प्रबंध का होना अति आवश्यक है। वित्तीय योजना किसी भी व्यवसाय का प्राण स्त्रोत है। कोई भी ऊद्योग चाहे छोटा हो या बड़ा बिना उचित वित्तीय योजना के सफल नहीं हो सकता । किसी भी व्यवसाय की स्थापना के विचार के जन्म से लेकर स्थितियों में समय अनुकूल एवं आवश्यकता अनुसार वित्त प्रबंध का होना अति आवश्यक है।

वित्तीय योजना का प्राथमिक उद्धेश्य पर्याप्त पूंजी की इस प्रकार व्यवस्था करना है ताकि व्यवसाय के संचालक के आवश्यक साधन इस प्रकार उपलब्ध हो की उससे प्राप्त आय में से समस्त व्यय घटाने के बाद शुद्ध लाभ की प्राप्ति हो ।

वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को प्रबंध के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन्हें जल्दी निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सके।

वित्तीय विवरणों के एक व्यावसयिक उपक्रम के लेखों का संक्षेप के प्रस्तुत करते है आर्थिक चिट्ठा एक निर्दिष्ट तिथि पर सम्पतियों दायित्वों व पूंजी को दर्शाता है एवं आय विवरण एक निश्चित अवधि में परिचालन के परिणाम को दर्शाता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण विवरणों के किसी एक सेट द्वारा प्रदर्शित एक व्यवसाय के विभिन्न वित्तीय घटकों के मध्य सम्बन्ध के व्यापक अध्ययन है और साथ ही विवरणों की एक श्रंखला में प्रदर्शित इन घटकों की प्रवत्ति का अध्ययन है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की अंश-पूंजी तक पूर्णत- केंद्रिय सरकार द्वारा अथवा अंशत: केंद्रिय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अभिवादन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इन उपक्रमों की अंश-पूंजी पर निर्भरता उपक्रमों को वित्तीय लीवरेज से प्राप्त होने वाली अनुकूलता से वंचित कर देता है।

भारतीय महानगर टेलीफोन लिमिटेड कम्पनी भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपकरण है, इसका गठन कम्पनी अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किया गया। यह दिल्ली तथा मुंबई क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाए देती है। यह मुंबई, दलिली, ठाणे तथा नवी मुंबई क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं देती है। 2000 तक इसका एकाधिकार था। इसके बाद दूरसंचार क्षेत्र को निजी ऑपरेटर कंम्पनियों के लिए भी खोल दिया गया।

यह भारत सरकार के स्वमित्व वाली एक दूरसंचार वाली कम्पनी है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्य दूरसंचार सेवाओं की (एमटीएनएल) गुणवत्ता में सुधार लाना, इसके नेटवर्क को प्रसारित करना, दूरसंचार के क्षेत्र में नई सेवाएं शुरू करना एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु आय के स्त्रोतों का निर्धारण करना है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य –

- वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों की अवधारणा का अध्ययन करना।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कम्पनी की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय विवरण का अध्ययन करना ।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कम्पनी की वित्तीय सुदृढ़ता कार्यक्षमता एवं निष्पातियों का विश्लेषण करना।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कम्पनी की आर्थिक स्थिति का आंकलन कर भावी अनुमान लगाना।
- महानगर कम्पनी की प्रगति एवं विस्तार संभावनाओं का अध्ययन करना।

वित्तीय विवरणों का विश्लेषण – अनुपातों की सहायता से व्यावसायिक गतिविधियों का व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करना संभव होता है। **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

* प्राध्यापक (वाणिज्य) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

Interpretation (निर्वचन) – चालू अनुपात संस्था की चालू तरलता के बारे में बताता है। चालू अनुपात की गणना चालू सम्पत्तियों का चालू दायित्वों से तुलना करके की जाती है। **MTNL** कम्पनी की पांचों सालों के चालू अनुपातों की गणना से यह परिणाम निकाला है कि यह अनुपात सन् 2013 में 0.58, सन् 2014 में 1.88, सन् 2015 में 1.97, सन् 2016 में 1.78, सन् 2017 में 1.4 हुआ है।

औद्योगिक फर्मो में 2.1 का अनुपात आदर्श अनुपात होता है अत: इज्छर् कम्पनी के चालू अनुपातों में 2015 में वृद्धि हुई। तथा 2013,2014,2016,2017 में लगभग अनुपातों में 2015 के अपेक्षाकृत कमी हुई है। परंतु चार वर्षो के चालू अनुपात आसंतोषप्रद है।

Consolidated Balance Sheet MTNL Ltd. From 2013 to 2017 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

Consolidated Profit & Loss MTNL Ltd. From 2013 to 2017 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

Rs. (in crore) (Liquidity Ratio) तरलता अनुपात

तरलता अनुपात के लिये निम्नलिखित अनुपात मुख्य है –

- **Current Ratio** (चालू अनुपात)
- **Quick Ratio** (तरलता अनुपात)
- **Cash Ratio** (रोकड़ अनुपात)

1. Current Ratio (चालू अनुपात)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current liabilities}}$$

Current Assets = (inventories + trade receivable + cash & bank equivalent + short term loan & advance + other current assets) Current liabilities = (payable + other current liabilities + short term provision)

Table 4 .1

Current Ratio (in crores)

Year	Current Assets	Current liabilities	Ratio
2013	7299.14	17596.25	0.4148
2014	7355.65	8275.14	0.8888
2015	7923.68	8178.02	0.9688
2016	7187.70	9096.52	0.8789
2017	2490.00	6108.11	0.4076

Graph 1 and 2 (see in last page)

Interpretation (निर्वचन)–चालू अनुपात संस्था की चालू तरलता के बारे में बताता है। चालू अनुपात की गणना चालू सम्पत्तियों का चालू दायित्वों से तुलना करके की जाती है। कम्पनी की पांचों सालों के चालू अनुपातों की गणना से यह परिणाम निकाला है कि यह अनुपात सन् 2013 में 0.58, सन् 2014 में 1.88, सन् 2015 में 1.97, सन् 2016 में 1.78, सन् 2017 में 1.4 हुआ है।

औद्योगिक फर्मो में 2.1 का अनुपात आदर्श अनुपात होता है अत: कम्पनी के चालू अनुपातों में 2015 में वृद्धि हुई तथा 2013, 2014, 2016, 2017 में लगभग अनुपातों में 2015 के अपेक्षाकृत कमी हुई है। परंतु चार वर्षो के चालू अनुपात असंतोषप्रद है।

2. Quick Ratio (तरल अनुपात)

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Quick assets}}{\text{Current liabilities}}$$

Quick Assets = Current Assets - inventories

Table - 4.2

Quick Ratio (in crores)

Year	Quick Assets	Current Liabilities	Ratio
2013	10215.15	7596.25	0.58
2014	15560.10	8275.14	1.88
2015	16005.57	8178.02	1.95
2016	16216.63	9096.52	1.78
2017	8583.04	6108.11	1.40

Graph 3 and 4 (see in last page)

Interpretation (निर्वचन)– तरल अनुपात की गणना इस आधार पर की गई है कि संस्था अपने चालू दायित्वों को तुरंत कुछ समय बाद भुगतान कर पाई है या नहीं।

तरल अनुपात में निगम की वित्तीय स्थिति स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में 0.58 वर्ष 2014 में 1.88 वर्ष 2015 में 1.97 वर्ष 2016 में 1.78 वर्ष 2017 में 1.40 ज्ञात हुआ। अत: वर्ष 2013 में अनुपात बहुत ही अच्छा रहा है। यह अनुपात जितना अधिक होता है, संस्था की तरल स्थिति उतनी ही अधिक अच्छी होती है। अत: हम यह कह सकते है कि संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता संतोषप्रद है और भविष्य में यदि कोई बाधा करता है तो उद्योग के पास तरल सम्पत्तियॉ उपलब्ध है, जिनके आधार पर वह ऐसी स्थिति का सामना करके वित्तीय संकट से बच सकती है।

3. Cash Ratio(नगद अनुपात) – यह अनुपात व्यवसाय की अल्पकालीन ऋण क्षमता तथा वित्तीय प्रबंधन क्षमता को ज्ञान करने के लिए निकाला जाता है। यह चालू संपत्तियों तथा रोकड़ राशि के अनुपात को बताता है। यह अनुपात वित्तीय क्षमता के लिए कितना हो यह निर्धारित करना कठिन है किन्तु महज कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए ताकि दैनिक व्यवहार के भुगतान में काई कठिनाई उत्पन्न न हो साथ भी इतना अधिक न हो की रोकड़ राशि तिजोरी में या बैंक में बेकार पड़ी रहे। पिछले वर्षो के अनुपात पर इसकी पर्याप्त का अध्ययन करना अधिक लाभदायक हो सकता है।

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Cash at Hand And Bank}}$$

Current assets = (inventories + trade receivable + cash and cash equivalent +short term loans & advance + other current assets)

Cash at hand & bank = cash and bank balance

Table 4.3

Cash Ratio (In Crores)

Year	Current Assets	Cash At Hand And Bank	Ratio
2013	10297.10	109.89	93.70
2014	15630.79	246.31	63.45
2015	16101.70	70.64	227.94
2016	16284.22	62.38	100.28
2017	8598.11	87.60	98.15

Graph 5 and 6 (see in last page)

Interpretation (निर्वचन) – वर्ष 2013 में 109.89 करोड़ जिसका अनुपात 93.70 तथा: 2014 में अनुपात 63.45 है, जो कि कम हो गया है। इस प्रकार नगद को कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार कम ज्यादा करते रहना चाहिए। वर्ष 2016 व 2017 में नगद व बैंक राशि 162.38 करोड़ व 87.60 करोड़ तथा अनुपात 100.28 व 98.15 हो गया जो यह

स्थिति अनुपात कंपनी की नगद व बैंक कि राशि का सही व ठीक ढंग से उपयोग को दर्शाता है।

लाभदायकता अनुपात (Profitablity Ratio) – लाभदायकता अनुपातों को दो भागों में बाँट सकते है।

1. विक्र से सम्बंधित लाभदायकता
2. विनोयोग से संबंधित लाभदायकता

- Net Profit
- Return on Equity
- Earning Per Share

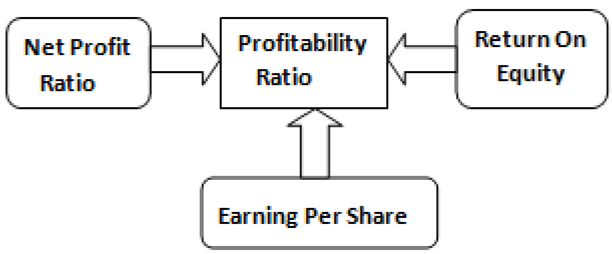

Net Profit Ratio(शुद्ध लाभ अनुपात) – यह अनुपात शुद्ध लाभ (कर के पूर्व या बाद में) एवं विक्रय के बीच निकाला जाता है एवं सामान्य प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह अनुपात से व्यवसाय की क्रिया करण क्षमता तथा लागत नियंत्रण से सम्बंधित अनेक सूचनाए प्राप्त की जाती है। सकल लाभ अनुपात में केवल बेंचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित होती है। जबकि शुद्ध लाभ अनुपात प्रत्यक्ष लागत के साथ–साथ अन्य समस्त व्ययों को घटाने के बाद निकाला जाता है।

इस अनुपात की गणना इस प्रकार से होती है –

$$\text{Net Profit Ratio} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Net Sales}} \times 100$$

Table - 4.4

Net Profit Ratio (In Crores)

Year	Net Profit After Tax	Net Sales	Ratio
2013	5321.12	3428.66	155.19
2014	7825.13	3391.74	230.71
2015	2893.39	3400.08	85.09
2016	2005.74	3196.62	62.74
2017	2941.08	2869.68	102.48

Graph 7 and 8 (see in last page)

Interpretation(निर्वचन) – यह अनुपात विक्रय की तुलना में हमे अंश धारकों का कितना लाभ प्राप्त होगा यह बतलाता है। यह अनुपात उत्पादन की लागत को नियनात्रित करने एवं विक्रय को बढ़ाने में मदद करता है। इसका अनुदान ज्याढा होता है और अच्छी लाभदायकता एवं अंश धारकों को अधिक लाभ प्राप्ति की और इंगित करता है। यह अनुपात 5: से 10: होने पर सामान्य स्थिति को दर्शाता है।

इस प्रकार गत पांच वर्षो के अनुपात के अनुसार जो कि 2013 में 155.19, 2014 में230.71, 2015 में 85.09, 2016 में 62.74, तथा 2017 में 102.48 है। वर्ष 2014 में लाभ का अनुपात अधिक होने यह निष्कर्ष निकतला है कि कम्पनी की इस वर्ष की लाभदायकता बहुत अधिक अच्छी है, तथा अन्य तीनों वर्ष की लाभदायकता सामान्य है तथा वर्ष 2016 की लाभदायकता है, जो कि कम है।

5. Return of Equity (स्वामित्व अंशो पर लाभ) – इस अनुपात में आय को **Net Worth** से भाग देते यही से भाग देते है एवं प्रतिशत निकालते है ताकि यह मालुम कर सके की प्रति रू. कितनी आय हुई है।

इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत संख्यास की लाभार्जन क्षमता का परिचय तो देती ही है साथ–साथ यह दो संख्याओं की अर्जन क्षमता के बीच तुलना करने में विशेष रूप से सहायक होता है। जिस संस्था में यह प्रतिशत ऊँचा होता है उस संस्था में विनोयोग करना अधिक अच्छा व लाभप्रद होता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से करते है :–

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Profit After Tax}}{\text{Net Worth}} \times 100$$

Table - 4.5

Return On Equity (In Crores)

Year	Profit After Tax	Net Worth	Ratio
2013	5321.12	3428.66	155.19
2014	7825.13	3391.74	230.71
2015	2893.39	3400.08	85.09
2016	2005.74	3196.62	62.74
2017	2941.08	2869.68	102.48

Graph 9 and 10 (see in last page)

Interpretation (निर्वचन) – स्वामित्व अंशों में लाभ में कमी संबंधकीय अक्षमता को बतलाता है इस अनुपात में वृद्धि प्रबंधकीय कुशलता एवं सफलता को बतलाती है। इस अनुपात में वृद्धि अंशधारकों को सरलता से प्राप्त होने वाले लाभ को बतलाती है एवं कम्पनी कि स्थिति संतोषजनक बतलाती है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कम्पनी के पांच वर्षो का अनुपात जिसमें वर्ष 2013 में 155.19, 2014 में 230.71, 2015 में 85.09, 2016 में 62.74, तथा 2017 में 102.48 है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2014 में अंशधारियों को उनका लाभ समय–समय पर मिला है और बाकी वर्षो में उनका लाभ सामान्यत: औसत रूप से मिलता है।

निष्कर्ष – एमटीएनएल कम्पनी का वित्तीय विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस कम्पनी का प्रबंध प्रभावशाली है। तथा इस कम्पनी की लाभार्जन क्षमता बढ़ती गई है। इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति सामान्य रही है। इसका विश्लेषण करने पर निम्न निष्कर्ष निकले है

- इस कम्पनी में चालू अनुपात का आदर्श अनुपात 2:1 रहता है। पर इस कम्पनी की चालू स्थिति असंतोषप्रद है, अत: इस स्थिति को कम करने का प्रयास किया गया है
- कम्पनी की नगद व बैंक राशि का सही व ठीक ढंग से उपयोग किया गया है।
- कुल बाह्य दायित्व कुल सम्पतियों की तुलना में कम है। जिससे शोधन क्षमता अनुपात बहुत नीचा है व कम हो गया है। जिससे लेनदारियों को जोखिम लेना पड़ता है।
- कम्पनी की बिक्री वर्ष 2013 से 2017 तक वृद्धि होती रही है। वर्ष 2013 में बिक्री हुई और यह 2014 में बिक्री हुइ। और यह 2017 में बढ़कर करोड़ हो गई।
- एमटीएनएल लिमिटेड का कार्यशील अनुपात भी निरंतर बढता जा रहा है, जो यह बतलाता है, कि चालू सम्पत्तियों कि प्रयोगशीलता एवं लाभदायकता पर कम्पनी ने विशेष ध्यान दिया है। यह अनुपात वर्ष 2013 में से बढकर वर्ष2017 में हो गया।
- कम्पनी का शुद्ध लाभ शुद्ध विक्रय की तुलना में काफी कम है।
- स्वामित्व अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है, जो कि जोखिम को निरंतर

कम होना दर्शाता है तथा स्वामित्व के लाभ में वृद्धि होना प्रतीत होता है।

- स्थायी संपत्ति अनुपात में निरंतर कमी आ रही है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि कम्पनी स्थायी संपत्तियों का उचित प्रकार से उपयोग नहीं कर पर रही है।

सुझाव – कम्पनी का वित्तीय विश्लेषण करने पर कुछ सुझाव जो कम्पनी को सफलता प्रदान करने में अग्रसर होते है, तथा कम्पनी को जिनसे लाभ हो सकता है।

कम्पनी को अपने अंशधारक फंड बढ़ाना चाहिए जिससे कम्पनी कि कुल सम्पत्तियाँ जितनी अधिक होगी व्यवसाय उतना ही कुशल होगा।

- कम्पनी को अपने शोधन क्षमता पर नियंत्रण रखना चाहिए।
- कम्पनी को चाहिए कि वह अपने प्रशासकीय तथा बिक्री व्यय को कम करे तथा लाभ में वृद्धि करें।
- कम्पनी की चालू सम्पति अधिक होनी चाहिए जिससे कम्पनी अपने चालू दायित्वों का भुगतान सरलता से कर सकें।
- कम्पनी को अपने शुद्ध लाभ में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कम्पनी की रोकड़ स्थिति सुद्रंड रहे।
- कम्पनी जिस भी परियोजना पर काम करती है उसे चाहिए कि वह समय से पहले अपने परियोजना कार्य को पूरा कर ले।
- कम्पनी को अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखते हुए एवं उन्हें अभिप्रेरित करते हुए कार्य को पूरा करवाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

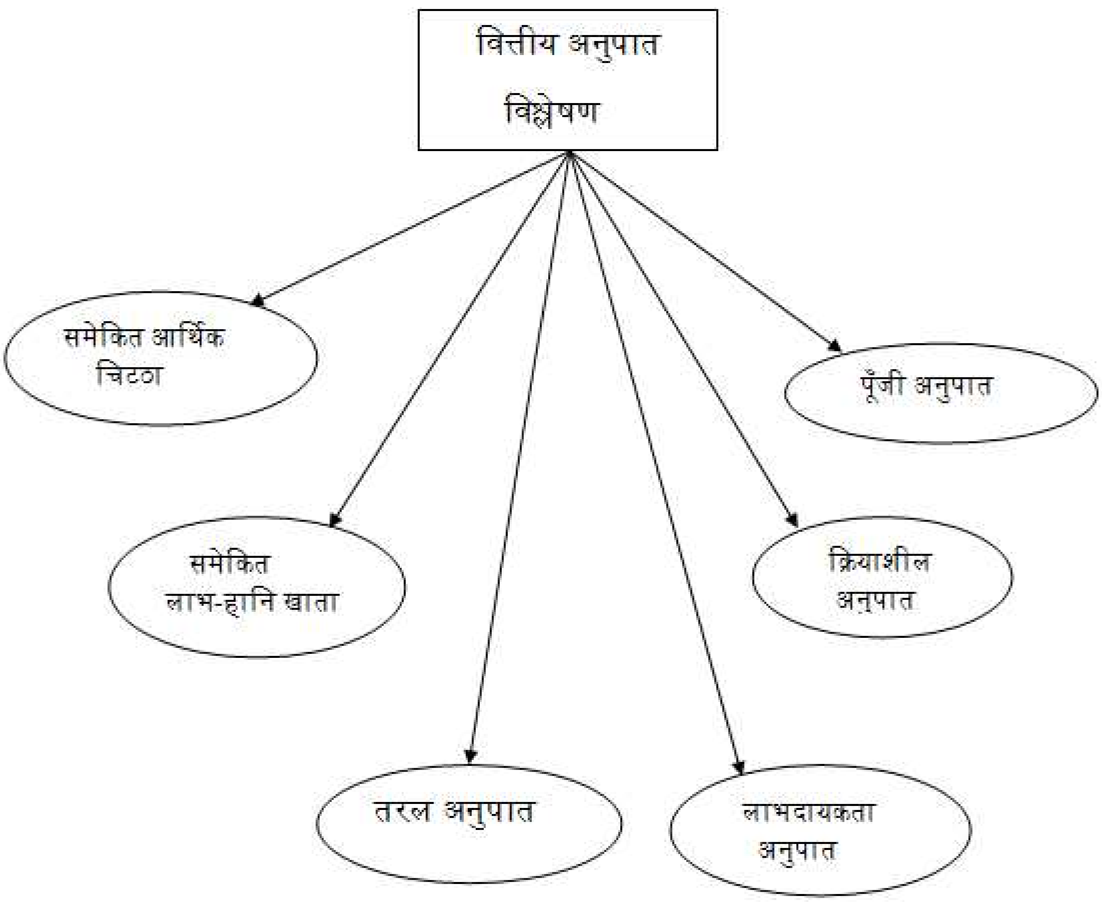

Consolidated Balance Sheet MTNL Ltd. From 2013 to 2017
Rs.(in crore)

PARTICULAR	2013 Rs.	2014 Rs.	2015 Rs.	2016 Rs.	2017 Rs.
Equity & Liabilities					
(A) Share capita	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
(B) Reserves & surplus	- 3414.43	4410.71	1437.42	-617.40	-3996.70
Net worth	**- 2784.43**	**5040.71**	**2067.42**	**12.60**	**-3366.70**
Secured loan	5932.35	4365.00	2495.00	1545.00	3992.98
Unsecured loan	5606.34	9755.44	14109.40	15437.71	10928.57
TOTAL LIABILITIES	**8754.26**	**19161.15**	**18671.82**	**16995.31**	**11554.85**
Assets					
Gross block	27700.62	24808.97	24932.62	24685.31	24452.50
(-) Acc. Depreciation	12801.43	13588.02	14500.30	15122.02	15867.49
Net Block	**14899.18**	**11220.95**	**10432.32**	**9563.61**	**8585.01**
Capital work in progress	932.24	382.57	133.84	.00	46.52
Investment	221.98	201.98	181.98	141.98	141.98
Inventories	81.95	69.89	96.13	67.59	15.07
Sundry Debtors	381.00	291.80	294.52	337.29	491.58
Cash at Bank	109.89	246.31	70.64	162.38	87.60
Loan and Advance	9724.26	15022.78	15640.41	15716.96	8003.86
Total current Assets	**10297.10**	**15630.79**	**16101.70**	**16284.22**	**8598.11**
Current Liabilities	**6236.31**	**6281.74**	**6244.47**	**7160.93**	**4650.63**
Provisions	11359.94	1993.39	1933.55	1935.59	1457.48
Total current Liabilities	**17596.25**	**8275.14**	**8178.02**	**9096.52**	**6108.11**
NET CURRENT ASSETS	**- 7299.14**	**7355.65**	**7923.68**	**7187.70**	**2490.00**
Misc. Expenses.	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL ASSETS (A+B+C+D+E)	**8754.26**	**19161.15**	**18671.82**	**16893.29**	**11263.51**

Consolidated Profit & Loss MTNL Ltd. To 2013 to 2017

RARTICULAR	2013 Rs.	2014 Rs.	2015 Rs.	2016 Rs.	2017 Rs.
Sales Turnover	3428.66	3391.74	3400.08	3196.62	2869.68
Excise Duty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net sales	**3428.66**	**3391.74**	**3400.08**	**3196.62**	**2869.68**
Other income	285.42	12016.74	420.98	632.27	682.78
Stock Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total income	**3714.08**	**15408.31**	**3821.06**	**3828.69**	**3352.46**
Raw materials	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Power and Fuel cost	244.71	262.74	280.94	283.59	258.83
Employee cost	4901.37	2615.40	2653.19	2637.03	2647.81
Other manufacturing exp.	691.97	624.20	591.56	430.94	497.86
Selling & Admin.exp.	0.00	0.00	0.00	1.76	2.35
Miscellaneous exp.	520.57	812.17	599.56	580.15	554.97
Total expenses	6358.62	4314.51	4125.25	3933.47	3961.82
Operating profit	-2929.96	-922.77	-725.17	-736.85	-1092.14
PBDIT	-2644.54	11093.80	-304.19	-104.78	-409.36
Interest	1180.26	1390.15	1439.62	1296.71	1448.47
PBDT	-3824.80	9703.65	-1743.81	-1401.49	-1857.83
Depreciation	1476.94	1165.74	1158.59	1121.01	1087.63
Profit before tax	-5301.74	8537.91	-2902.40	-2522.50	-2945.46
8extra-ordinary items	-19.38	-215.58	9.01	24.50	0.00
PBT	-5321.12	8322.33	-2893.39	-2498.00	-2945.46
Tax	0.00	497.18	0.00	-492.26	-4.38
Reported net profit	5321.12	7825.13	2893.39	-2005.74	-2941.08
Total value Addition	6358.62	4314.52	4125.25	3933.47	3961.82
Preference Dividend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Equity Dividend	0.00	00	0.00	0.00	0.00
Shares in issue(lakhs)	6300.00	6300.00	6300.00	6300.00	6300.00
Earning per shares (Rs.)	-84.46	124.21	-45.93	-31.84	-46.68
Equity Dividend(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Book value (Rs.)	-44.20	80.01	32.82	0.20	-53.44

Graph 1 and 2

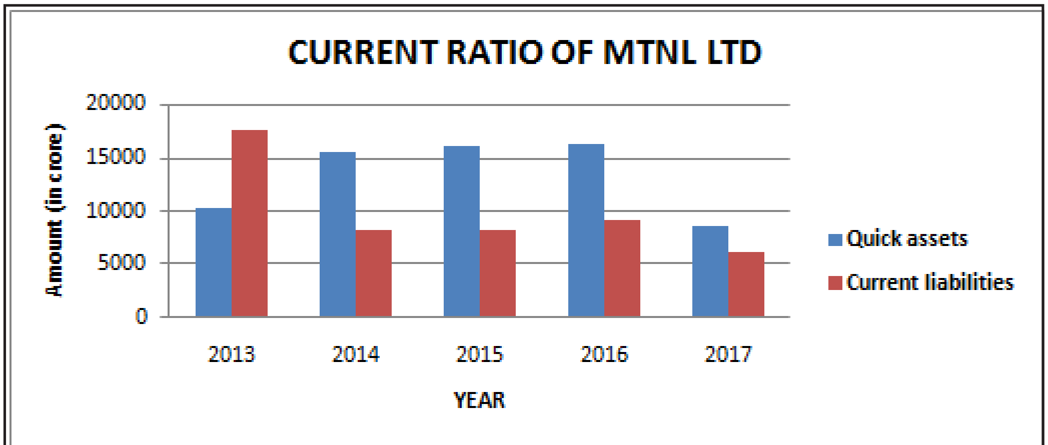

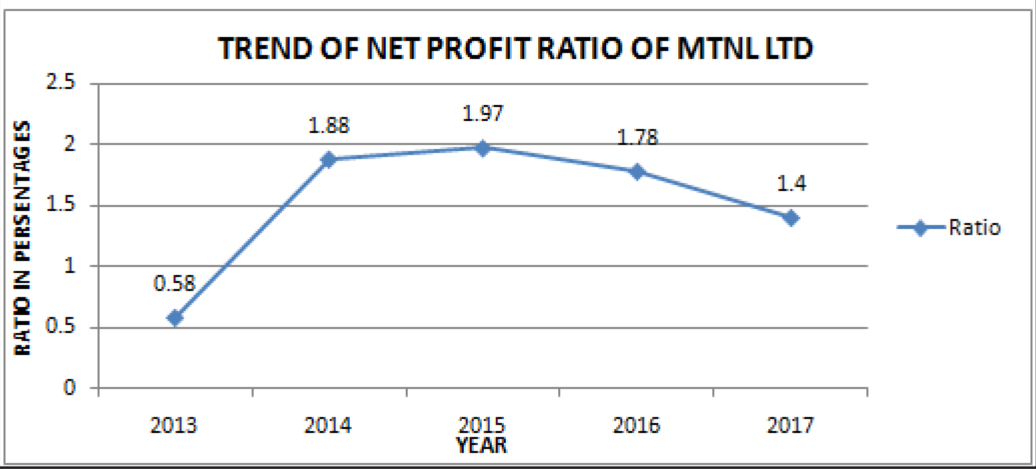

Graph 3 and 4

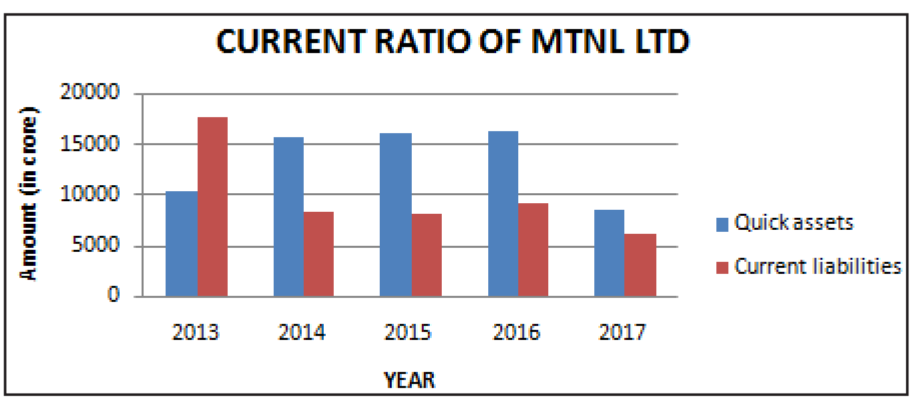

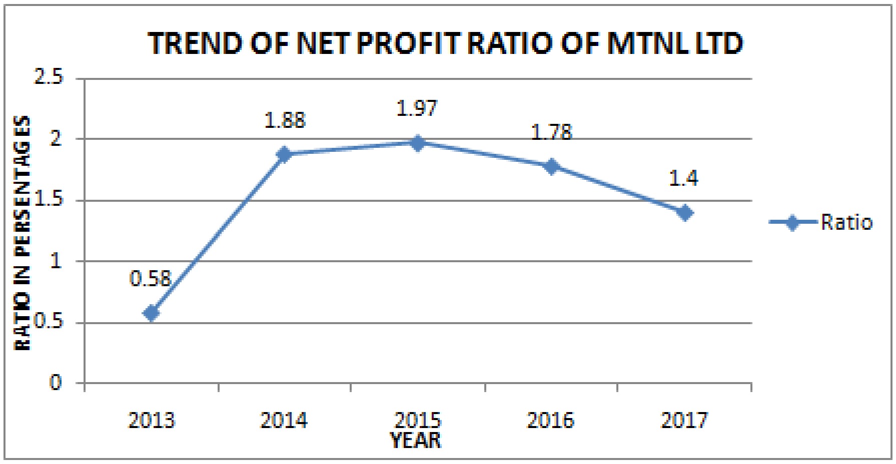
TREND OF NET PROFIT RATIO OF MTNL LTD
RATIO IN PERSENTAGES
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.58
1.88
1.97
1.78
1.4
Ratio
2013
2014
2015
2016
2017
YEAR

Graph 5 and 6

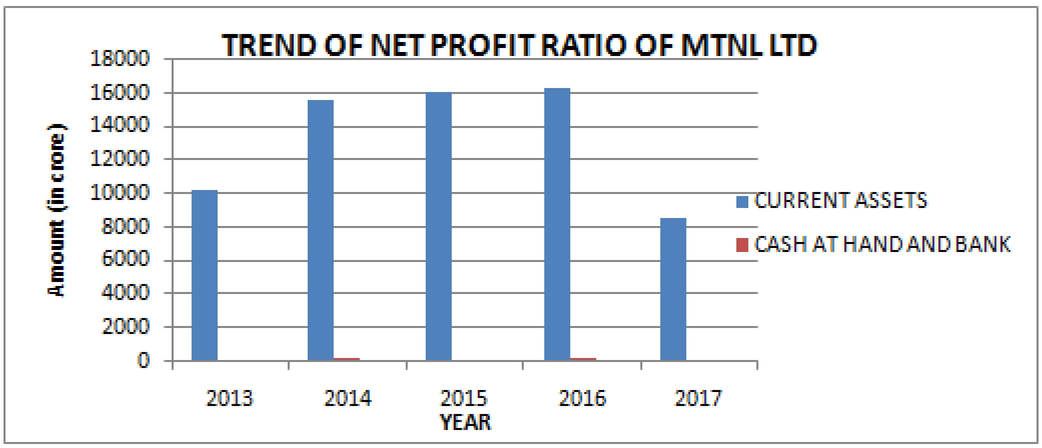
TREND OF NET PROFIT RATIO OF MTNL LTD
Amount (in crore)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
CURRENT ASSETS
CASH AT HAND AND BANK
2013
2014
2015
2016
2017
YEAR

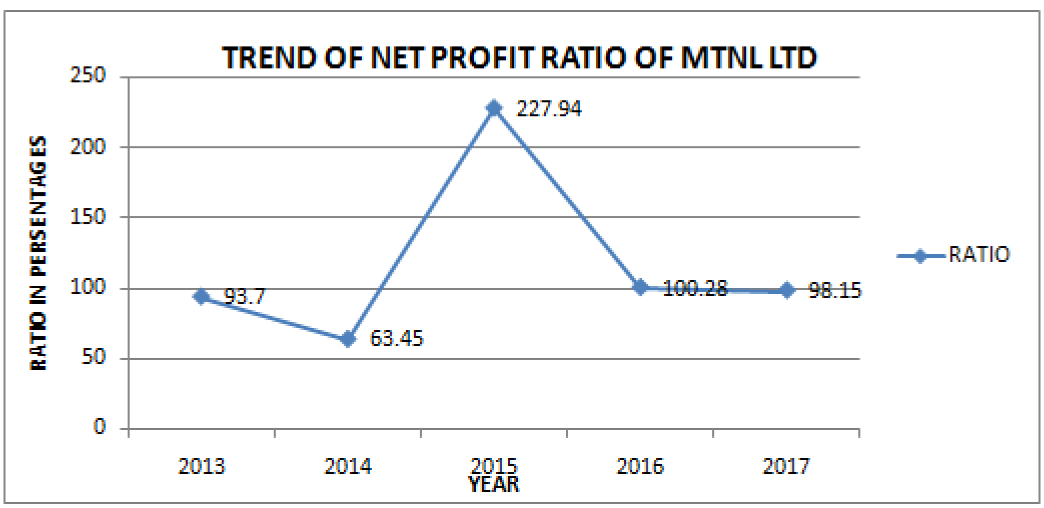
TREND OF NET PROFIT RATIO OF MTNL LTD
RATIO IN PERSENTAGES
250
200
150
100
50
0
93.7
63.45
227.94
100.28
98.15
RATIO
2013
2014
2015
2016
2017
YEAR

Graph 7 and 8

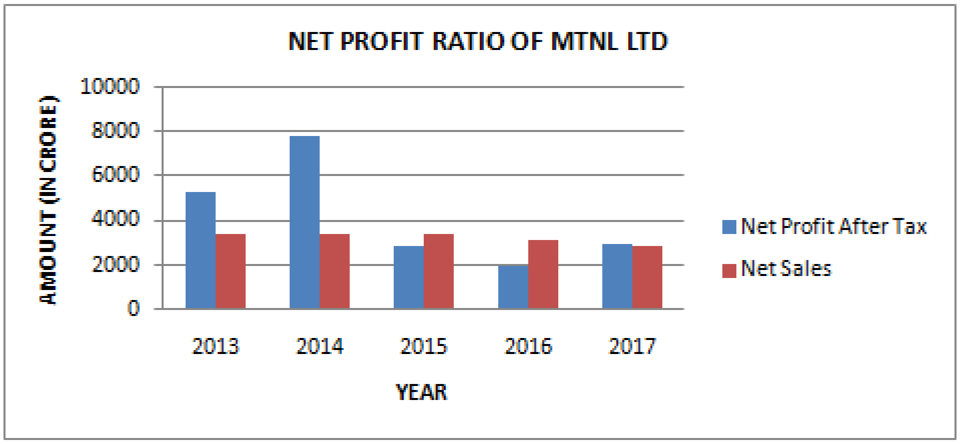

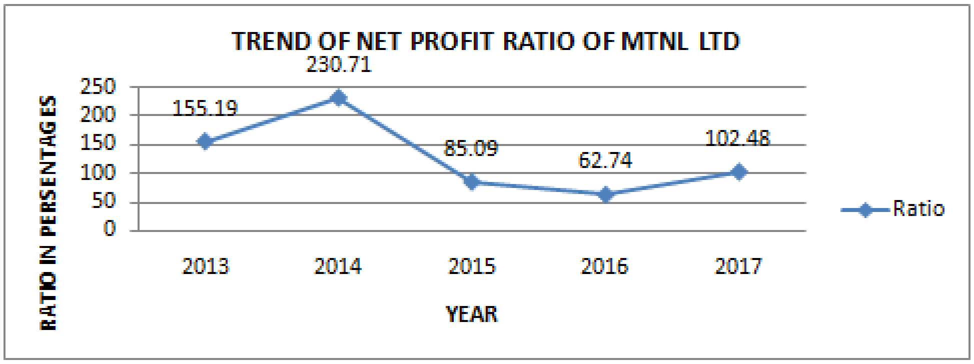

Graph 9 and 10

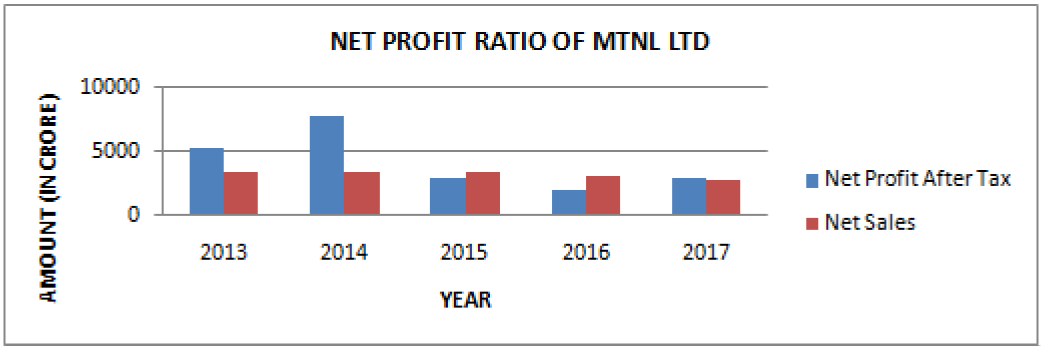

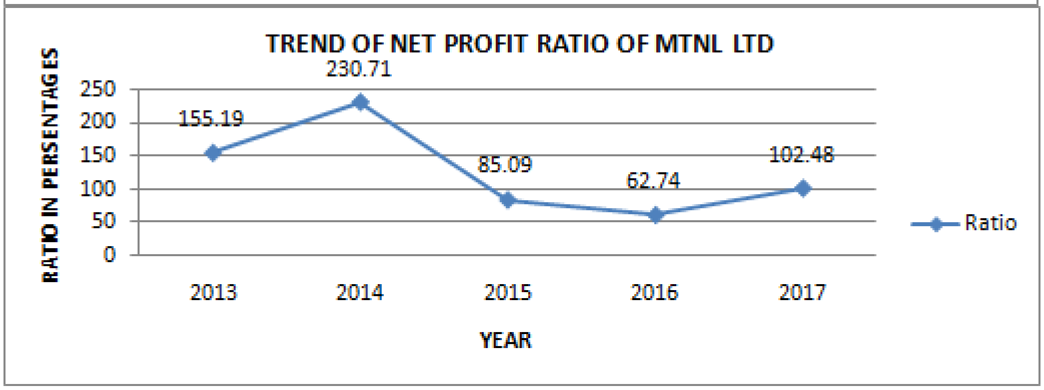

****

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष ई-कामर्स की चुनौतियाँ

डॉ. बालमुकुन्द बघेल *

शोध सारांश - ई-कामर्स या ई-व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है, न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाऐं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। ई-कामर्स से, केवल व्यापारिक कंपनियों को की फायदा नहीं है बल्कि इसका ज्यादा फायदा उपभोक्ता को भी है। क्योंकि उपभोक्ता को मनचाही वस्तु कम दाम में समय-सीमा में घर बैठे मात्र इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल करने से मिल रही है। भारत सरकार के डिजिटल इंण्डियॉ अभियान से भी इस क्षेत्र को बहुत बडी मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि जैसे-जैसे लोग डिजिटल लेनदेन से परिचित होते जावेंगे उनका देर सबेर ई-कामर्स से जुडना तय है। अर्थात आगे चलकर ई-व्यवसाय का भविष्य और उज्जवल होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ई-कामर्स का भविष्य उज्जवल है इसे लेकर कोई शंका नही है किंतु हमारे देश की संरचना इस प्रकार की है, जिसमें खुदरा व्यवसाय आम नागरिकों के रोजी रोटी और परिवार चलाने का माध्यम है, जिसमें करोडों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उनके समक्ष ई-कामर्स कंपनियों के व्यापार मॉडल की वजह से रोजगार के अवसरों में कमी नही आना चाहिए।
शब्द कुंजी - उपभोक्ता , ई-कामर्स , वेबसाईट , इंटरनेट , व्यापार, डिलीवरी , क्रय-विक्रय ऑनलाईन ।

प्रस्तावना - वर्ष 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की नई तस्वीर उभरकर सामने आई है। भारत ने उदारीकरण विश्वव्यापीकरण, निजीकरण के मार्ग को चुना है तथा भारत विश्व व्यापार संगठन (WHO) का भी सक्रिय सदस्य है। उदारीकरण के मार्ग अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था में पूर्व जो अवरोध थे वे पूरी तरह से खुल गए है और इस तरह से बाजार के मामले में विश्व अर्थव्यवस्था एक गॉव (GLOBAL VILLAGE) का रूप धारण कर चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ते हुए कुछ व्यापारिक क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश Foreign direct ivestment (FDI) लागू किया गया है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट/एफडीआई) कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, जिसमें उसका पैसा लगता है। कुछ वर्षो से भारत सहित पूरे विश्व में व्यापार का नवीन स्वरूप निकलकर सामने आया है, जिसे ई-कामर्स कहा जाता है। ई-कॉमर्स या ई-व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाऐं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। ई-कामर्स से, केवल व्यापारिक कंपनियों को की फायदा नहीं है बल्कि इसका ज्यादा फायदा उपभोक्ता को भी है। क्योंकि उपभोक्ता को मनचाही वस्तु कम दाम में समय-सीमा में घर बैठे मात्र इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल करने से मिल रही है। भारत सरकार के डिजिटल इंण्डियॉ अभियान से भी इस क्षेत्र को बहुत बडी मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि जैसे-जैसे लोग डिजिटल लेनदेन से परिचित होते जावेंगे उनका देर सबेर ई-कामर्स से जुडना तय है। अर्थात आगे चलकर ई-व्यवसाय का भविष्य और उज्जवल होने वाला है।

ई कामर्स के प्रकार (Type of E-Commerce) -

1. व्यापार से व्यवसाय (Business to Business) (B2B)
2. व्यापार से उपभोक्ता (Business to Consumer) (B2C)
3. उपभोक्ता से उपभोक्ता (Consumer to Consumer) (B2B)
4. उपभोक्ता से उपभोक्ता (Consumer to Business) (C2B)
5. व्यापार सरकार से (Business to Government) (B2G)
6. सरकार से व्यापार (Government ot Business) (G2G)

ई-कामर्स की तकनीकी (Technologies of E-commerce) - आज के युग में ई-कामर्स को सफल बनाने के लिए बाजार में उपलब्ध सभी नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रमुख रूप से उपयोग में आने वाली तकनीक का विवरण निम्नानुसार है।

- इलेक्ट्रानिक डाटा
- बार कोड
- इलेक्ट्रानिक मेल
- इंटरनेट
- वर्ल्ड वाइड वेब
- उत्पाद डेटा विनिमय
- इलेक्ट्रानिक रूप

ई-कामर्स के लाभ (Merits of E-Commerce)

1. ई-कामर्स के द्धारा व्यापार के विकास एवॅ विस्तार आसानी से किया जा सकता है। इसके कोई क्षेत्रीय बंधन लागू नहीं होता व्यवसायी चाहे तो अपने व्यापार को पूरी दुनिया में फैलाकर इसे वैश्विक बना सकता है।
2. ग्राहक के लिए उत्पाद खरीदने के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह घर बैठे ऑनलाईन आर्डर देकर अपनी रूचि,फैशन की वस्तु खरीद सकता है।

* वरिष्ठ व्याख्याता (मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

3. क्रय आदेश देने से पहले वेबसाइट के बारे में इंटरनेट से उसकी हिस्ट्री, प्रोफाईल की जानकारी लेकर क्रय किए जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता एवें मूल्य का तुलनात्मक अध्ययनन करके संतुष्ट होने के बाद वस्तु खरीद सकता है।
4. ई-कामर्स में ज्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन ही संपन्न होती है।
5. इसमें ग्राहक और संगठन दोनों को फायदा होता है क्योंकि लेनदेन के बीच में दलाल या कमीशन एजेंट नही होते इससे कमीशन के रूप में जाने वाली लागत घट जाती है और ग्राहक को कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो जाती है।
6. प्रोडक्ट के बारे में वेबसाईट में हम रिव्यू कमेंटस में अपनी राय दे सकते है, जिससे दूसरे लोगो को चीजे खरीदने से पहले उसकी अच्छाई एवं कमजोरी की जानकारी मिल जाती है।
7. इलेक्ट्रानिक वाणिज्य पारंपरिक वाणिज्य से अलग है तथा इसमें विकल्पों की एक व्यापक रेंज होती है, जिससे ग्राहक को मनपसंद की वस्तु के चुनाव करने में सुविधा होती है।
8. यदि व्यक्ति को इंटरनेट की अधारभूत जानकारी मात्र है तो वह इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से जुड़कर इसके फायदे प्राप्त कर सकता है।
9. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान धोखाधडी और चोरी के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने, लेखा परीक्षा और चैक द्वारा किए गए भुगतान से नजर रखने के लिए आसान हो सकता है।
10. इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य भी उत्पादों और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध करने में सक्षम बन सकता है।

एक कहावत है कि 'एक सिक्के के दो पहलू होते है' अर्थात हर चीज के कुछ लाभ होते है तो कुछ नुकसान भी उठाने पडते है हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि ई-कामर्स में कौन कौन नुकसान उठाना पड सकता है।

ई-कामर्स के नुकसान (Demerits of e-commerce) - व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे सुरक्षा इशु का सामना करना पड़ता है ई-कामर्स अभी केवल नगरीय क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बना पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुँच न के बराबर है। ई-कामर्स के क्षेत्र में आये दिन धोखा-धडी होने की भी सूचना समाचार पत्रों में छपती रहती है। अत: किसी भी वेबसाईट पर भरोसा करना कठिन होता है। ई-कामर्स में क्रय आदेश के लिए सामान्यत: ऑनलाईन पेमेंट्स के विकल्प को चुनना होता है, जिसमें की गयी गफलत या असावधानी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकती है।

ई-कामर्स के लिए बाधाऐं (Barriers of e-commerce) - ई-कामर्स को लेकर भारत में अभी भी कोई वृहद नीति उपलब्ध नहीं है बल्कि सरकार द्वारा इस दिशा में पारदर्शिता लाने मे प्रयास किए जा रहे है तथा इस क्षेत्र के लिए नीतिगत अस्पष्टता को हटाने की कोशिश कर रही है। ई-कामर्स कंपनियों के निश्चित ग्राहक नहीं होते जैसे कि स्थानीय फुटकर विक्रेताओं के होते है क्योंकि क्रय-विक्रय की संपूर्ण प्रक्रिया इंटरनेट पर आधारित होती है। ज्यादा छूट वाली रणनीति से भरोसेमंद ग्राहकों का आधार तैयार नहीं होता है वे किसी अवसर में छूट के चलते ई कामर्स कम्पनी को चुन सकते है किंतु छूट समाप्त होते ही कंपनी से दूरी बना लेते है। ऑनलाईन मार्केटिंग में भुगतान संग्रह करना एक बड़ी समस्या है क्योंकि क्रेता जब ऑनलाईन सिस्टम का सहारा लेता है तो उसको अनेक जानकारियाँ भरनी होती है और फिर इंटरनेट की स्पीड भी मायने रखती है। कई बार तो मेगा सेल के समय वेबसाईट हेंग हो जाती है या काम ही नहीं करती और लेनदेन फेल हो जाते है। कम लागत मूल्य कि वस्तु भी शिंपिग चार्ज जुडने के बाद महंगी हो जाती है। चुंगी,प्रवेश कर, जीएसटी और राज्य के विशिष्ट फार्म्स को भरना तथा उनके साथ जुडी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। एक अनुमान के अनुसार 75% लोग कैशऑन डिलीवरी विकल्प का चुनाव करते है। कई कौरियर कंपनी ऐसी है, जो कैश ऑन डिलीवरी का कार्य करती है तथा 1-2 माह के अंतराल में कंपनियों में पैसा जमा करती है। कैश ऑन डिलिवरी तब और महंगी साबित होती है जब क्रेता वस्तु को देखने के बाद उसे लेने से इंकार कर देता है। ऐसे में कंपनी का शिपिंग चार्ज तो लग चुका होता है क्योंकि विक्रेता को कोरियर कंपनी को चार्ज भुगतान करना ही पडता है। इस प्रकार ई-कामर्स के क्षेत्र में कैश ऑन डिलिवरी एक व्यापक बाधा है। हैकिंग और साईबर अपराध से जुडी बातें भी चिंता में डालती है। ई-कामर्स सेवा प्रदाता कंपनियों को लेकर भी ग्राहक के मन में यह डर बना रहता है कि उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जावेगा या उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो जावेगी। डिजिटल साक्षरता भारत में एक बडी समस्या है।

ई-कामर्स की बाधाओं का चित्रमय प्रदर्शन

The barriers to e-Commerce graphical display

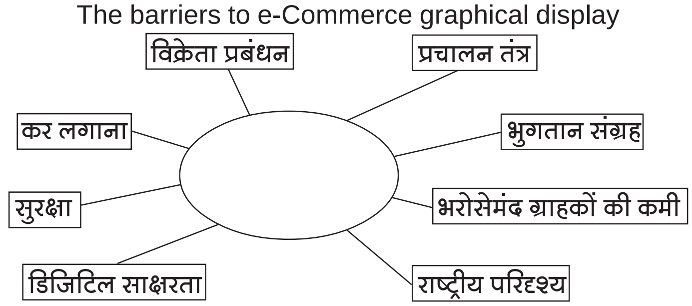

इंटरनेट और मोबाईल एसोसिएशन ऑफ इण्डियॉ द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार ई-कार्मस सेक्टर दिसंबर 2016 तक 211,005 करोड तक पहुंचने का अनुमान है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि ई-कॉमर्स बाजार का 61% ऑनलाईन ट्रेवल खाता से आयेगा। 2020 तक, भारत से 100 अरब डॉलर का ऑनलाईन खुदरा राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसमें से 35 अरब डॉलर फैशन ई-कॉमर्स के जरिए होंगे। ऑनलाईन परिधान बिक्री आने वाले वाले वर्षो में चार गुना बढ़ने की संभावना है। भारत का खुदरा बाजार में 2016 तक 675 अरब डॉलर और 2020 तक 850 अरब डॉलर होने की संभावना है - अनुमानित सीएजीआर 10% है। फोरेस्टर के मुताबिक, भारत में ई-कॉमर्स बाजार 2012-16के दौरान 57%से अधिक सीएजीआर में एशिया-प्रशॉत क्षेत्र के भीतर सबसे तेजी से बढ़ रहा है।

आज इस बाजार में ऑनलाईन यात्रा का एक बड़ा हिस्सा (87%) है। भारत में ऑनलाईन ट्रेवल मार्केट में अगले 4 वर्षो में 22 द की वृद्धि दर और 2015 तक 54,800 करोड रूपये (12.2 बिलियन डॉलर) तक पहुँच गई। भारतीय ई-टेलिंग उद्योग का अनुमान है 2011 में 3600 करोड रूपये (यूएस + 800 मिलियन) और 2015 में 53,000 करोड रूपये (11.8 अरब डॉलर) तक पहुँचने का अनुमान है। कुल ई-कॉमर्स बाजार वर्ष 2015 तक 1,07,800 करोड रूपये (यूएस + 24 बिलियन) तक पहुँच गया, साथ ही ऑनलाईन यात्रा और ई-टेलिंग दोनों में समान रूप से योगदान किया गया था। ई-कामर्स का एक और बड़ा हिस्सा मोबाईल/डीटीएच रिचार्ज लगभग 1 मिलियन लेनदेन ऑपरेटर वेबसाईटो द्वारा दैनिक है। ई कॉमर्स

में एक नया क्षेत्र ऑनलाईन चिकित्सा है, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा या नुस्खा ऑनलाईन दवा बेच रही है भारत में कोई समर्पित ऑनलाईन फार्मेसी कानून नहीं है और वैध दवा के साथ ऑनलाईन दवा ऑनलाईन बेचने की अनुमति है। लक्जरी उत्पादों की ऑनलाईन बिक्री जैसे आभूषणों ने भी वर्षो में वृद्धि की। ज्यादातर खुदरा ब्रॉडो ने भी बाजार में प्रवेश करना शुरू कर दिया है और अगले 2-3 वर्षो में ऑनलाईन माध्यम से कम से कम 20% बिक्री की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष ई-कॉमर्स की चुनौतिया - वैसे तो पूरे विश्व में ई-कामर्स कंपनियॉ अमेजान,अलीबाबा, फ्लिपकार्ट आदि तेजी से अपने व्यापार को बढ़ावा देने में लगी है और जमकर लाभ कमा रही है किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक तरफ यह बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है क्योंकि इनके लोक-लुभावने वादों से लोग इनसे ज्यादा से ज्यादा खरीददारी करने के लिए आकर्षित हो रहे परंतु इसका खामियाजा छोटे दुकानदार और खुदरा व्यापारियों को देर-सबेर उठाना ही पड़ेगा। एक खबर के अनुसार ऑनलाईन बिक्री बढने के कारण बीते एक साल में हैंडसेट इंडस्ट्री में रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मेन्यूफैक्चरिंग सेंगमेट से जुडे 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पडा है। इसके अलावा चीनी कंपनियों का दबदबा बढ़ने से भी देशी निर्माताओं पर असर पड़ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाईन बिक्री का सबसे ज्यादा असर रिटेल सेगमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों पर पडा है। खरीदारी कम होने के कारण छोटे रिटेल स्टोर लगातर बंद हो रहे है। इस कारण इनमें काम करने वाले लोगों को अपनी नौकरी गॅवानी पड रही है। इसके अलावा चाईनीज कंपनियों का दबदबा बढने के कारण माइक्रोमेक्स और इंटेक्स जैसी कंपनियों को निर्माण कार्य से जुडे लोगों को छटनी करने के लिए मजबूर होना पड रहा है। एक अनुमान के अनुसार विगत दो साल में 2.5 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पडी है। इसमें रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मेन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। आज के समय में ग्राहक स्थानीय स्तर पर खुदरा व्यापारियों के यहाॅ जाकर खरीदे जाने वाले सामान की पूरी जानकारी ले लेता है और फिर उन दुकानों से वस्तु न खरीदकर ऑनलाईन आर्डर कर देता है। इसे देखते हुए खुदरा व्यापारियों जानकारी देने वाले कर्मचारियों की सॅख्या धीरे धीरे कम कर दी है। ई-कॉमर्स का इतना व्यापक क्षेत्र होने के बाद भी भारत सरकार द्धारा इस दिशा में कोई स्पष्ट शासकीय नियम नीति लागू न करना भी चिंता का विषय है। यह बात अवश्य है सरकार इस मामले को लेकर विचार कर रही है और शीध्र ही नई पॉलिसी बनाएगी। यह एक अच्छी पहल है।

निष्कर्ष - भारतीय अर्थव्यवस्था में ई-कामर्स का भविष्य उज्जवल है इसे लेकर कोई शंका नही है किंतु हमारे देश की संरचना इस प्रकार की है जिसमें खुदरा व्यवसाय आम नागरिकों के रोजी रोटी और परिवार चलाने का माध्यम है, जिसमें करोडों लोगो को रोजगार मिला हुआ है। उनके समक्ष ई-कामर्स कंपनियों के व्यापार मॉडल की वजह से रोजगार के अवसरों में कमी नही आना चाहिए। सरकार को पूर्ण विचार उपरॉत ऐसी नीति तैयार करना चाहिए जिससे ई-कॉमर्स कंपनियॉ अपना कार्य करें और देश को कर के रूप में राजस्व की प्राप्ति भी हो तथा खुदरा व्यवसाय में इसका असर न पडे। निष्कर्ष की बात यह है कि ई-कामर्स भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. http://en/wikipedia.org/wiki/E-Commerce_in_india.
2. http://money.bhaskar.com/news/MON-INDU-ITtE-more-tan-25-million-people- unemployed-in-a-year-from-mobile-handset-industry-1564470903.html

****

जीएसटी एवं वेट प्रणाली के प्रावधानों व प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता *

शोध सारांश – नवीन कर व्यवस्था जीएसटी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नजर आने लगे है। जहां एक और पंजीयत करदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि बढ़ते कर आधार को दर्शाती हैं, वही कर की दरों में कमी के बावजूद राजस्व में वृद्धि शुभ संकेतक हैं। जीएसटी ने एक देश एक विधान के ध्येय वाक्य के साथ 17 प्रकार के करों एवं दोहरें करारोपण से मुक्ति दिलाकर कर ढांचे को सरल बनाया हैं।

शब्द कुंजी – जीएसटी, वेट, कम्पोजीशन, ई–वे बिल ।

प्रस्तावना – विश्व के अधिकांश आधुनिक राष्ट्र कर व्यवस्था के सरलीकरण एवं युक्तिकरण में लगे हैं, भारत भी इससे अछूता नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कर सुधार को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए है। अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के रुप में वेट प्रणाली को समाप्त कर एक राष्ट्र, एक बाजार एवं एक कर, की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को अपनाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी को सर्वप्रथम सन् 1954 में फ्रांस ने अपनाया था। पारदर्षी एवं निष्पक्ष तरीके से सर्वाधिक राजस्व जुटाने की क्षमता के कारण दुनियां के 164 देशों ने जीएसटी को अपनाया हैं। भारत में यह 1 जुलाई 2017 से अपनाया हैं। दुनिया के अधिकांश देशों ने एकीकृत जीएसटी को अपनाया हैं यानी पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू हैं। ब्राजील एवं कनाडा जैसे देशों में दोहरी जीएसटी प्रणाली प्रचलित हैं, जिसमें राष्ट्रीय सरकार एवं राज्यों की सरकार दोनों द्वारा जीएसटी लगाया जाता हैं। भारत ने अपने अद्वितीय संघीय स्वभाव के कारण दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया हैं। इस मॉडल में माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर केन्द्र के साथ–साथ राज्यों द्वारा भी कर लगाया जाता हैं। केन्द्र द्वारा लगाए जा रहे कर को सीजीएसटी तथा राज्यों द्वारा लगाए जा रहे कर को एसजीएसटी कहा जाता हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों में इसे यूटीजीएसटी कहा जाता हैं।

माल के क्रय–विक्रय से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित कर प्रणाली जटिल थी, जो बाजार की शक्तियों के स्वतन्त्र प्रवाह एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अवरोध उत्पन्न कर आर्थिक विकास में व्यवधान तथा अनुपालन एवं प्रशासकीय व्यय में अनावश्यक वृद्धि करती थी। सुधारात्मक रुप में भारत सरकार द्वारा विभिन्न कर प्रणालियों को समेकित कर पूरें देश में समान कर हेतु जीएसटी प्रणाली लागू की गई। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत पर लगाया जाने वाला गंतव्य आधारित मूल्यवर्धित कर हैं। यह अवरोधमुक्त व्यापार एवं न्यूनतम व्यक्तिगत सम्पर्क की अवधारणा पर आधारित है। जीएसटी ने केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित 17 अप्रत्यक्ष करों उत्पादशुल्क, सेवाकर, वेट, प्रवेशकर, मनोरंजनकर, केन्द्रीय विक्रयकर, विलासिताकर, विज्ञापनकर, क्रयकर, आदि को समाप्त कर एकल कर में बदल दिया हैं।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य वेट एवं जीएसटी के प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर नवीन कर प्रणाली के प्रभावों को जानना रहा हैं।

परिकल्पनाएँ –

1. वेट की तुलना में जीएसटी के प्रावधान कर प्रणाली को ज्यादा सरल एवं पारदर्शी बनाते हैं।
2. जीएसटी लागू होने से कर आधार का विस्तार एवं शासन के राजस्व में वृद्धि हुई हैं।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित हैं, जो विभिन्न शासकीय प्रकाशनों, पत्र पत्रिकाओं, शोधपत्रों तथा शासकीय वेबसाइट्स, से लिए गए हैं। वर्णनात्मक प्रकार के इस शोध हेतु कुछ समंक वाणिज्यिक कर विभाग म.प्र. से भी प्राप्त किए गए हैं।

वेट एवं जीएसटी के प्रावधानों की तुलना

भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी को वेट प्रणाली पर बड़ा सुधार माना जा रहा है। जिन प्रावधानों के आधार पर इसे गेमचेंजर कहा जा रहा हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन अग्रानुसार हैं–

पंजीयन – वेट प्रणाली में दस लाख रुपये से अधिक टर्नओवर होने पर पंजीयन लेना अनिवार्य था। जीएसटी में माल के सप्लायर के लिए यह सीमा चालीस लाख तथा सेवा प्रदाताओं तथा विशेष राज्यों के व्यवसायियों के लिए यह सीमा बीस लाख रुपये हैं।

रिटर्न – वेट प्रणाली में सामान्य व्यवसायी को त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने होते थे, जीएसटी में मासिक आधार पर जीएसटीआर–1, जीएसटीआर–3बी तथा वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर–9 फाइल करना होता हैं। कम्पोजीशन की सुविधा लेने वाले करदाताओ कों त्रैमासिक विवरण फाइल करना होता हैं।

कर आरोपण एवं भुगतान – वेट वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लगाया जाता था जिसका आनलाईन भुगतान अनिवार्य नहीं था, जबकि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत पर लगाया जाता है। दस हजार रुपये से अधिक कर का ऑनलाईन भुगतान अनिवार्य हैं।

कर की दरें – वेट प्रणाली में राज्यों में प्रचलित कर दरों में अन्तर था। म.प्र. में 1 प्रतिशत से लेकर 46 प्रतिशत तक की कर दरें प्रचलित थी और 1, 2

*अतिथि विद्वान (पूर्व) एवं नवचयनित सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) (म.प्र.) भारत

एवं 3 प्रतिशत से प्रवेशकर भी वसूला जाता था। जीएसटी में समान कर नीति होने से पूरे भारत में माल एवं सेवाओं पर कर की दर समान हो गई हैं। जीएसटी में कर की दरे 0,5,12,18 एवं 28 प्रतिशत रखी गयी हैं।

जीएसटी प्रणाली में विभिन्न कर दरों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की संख्या

कर की दर	वस्तुओं की संख्या	सेवाओं की संख्या
0	183	87
5	308	12
12	178	7
18	517	9
28	28	4

(Reference : www.qstcouncil.gov.in)

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट हैं कि 28 प्रतिशत की दर से करारोपित वस्तुओं की संख्या 228 से घटकर 28 रह गई है, 491 वस्तुओं पर कर दर 5 प्रतिशत या उससे कम हैं। जीएसटी में 87 सेवाओं पर कर की दर 0 प्रतिशत रखी गयी हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर पूर्ववर्ती कर प्रणालियों से कम हैं जो दर्षाती हैं कि जीएसटी से उपभोक्ताओं के कर भार में कमी आई हैं।

कम्पोजीशन सुविधा – वेट के अन्तर्गत कम्पोजीशन सुविधा 40 लाख रुपयें से कम टर्नओवर वाले व्यवसायियों को प्राप्त होती थी। जीएसटी में यह सीमा 1.5 करोड़ रुपए तथा विशेष राज्यों के लिए 75 लाख रुपये हैं। राज्य के बाहर माल की आपूर्ति करने वाले व्यवसायियों को कम्पोजीशन की पात्रता नहीं है। देश के कुल 1755846 करदाताओं तथा मध्यप्रदेश के कुल 63249 करदाताओं द्वारा कम्पोजीषन की सुविधा ली गई है। इन्हें त्रैमासिक विवरण फाइल करना होता हैं। देश में कम्पोजीशन की पात्रता रखने वाले 54.3 प्रतिशत करदाताओं ने नियमित व्यवस्था को चुना हैं।

एचएसएन कोड – जीएसटी में वस्तुओं को एचएसएन कोड के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को हर्मोनाईज्ड सिस्टम ऑफ नोमनक्लेचर (एचएसएन) कोड का उल्लेख बीजक बनाते समय करना आवश्यक हैं। वेट प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

घोषणाएं – सी फार्म, एफ फार्म, एच फार्म, आई फार्म संबंधी वैधानिक घोषणाओं के कारण वेट प्रणाली जटिल थी। जीएसटी ने इन समस्त घोषणाओं की ओपचारिकता समाप्त कर दी हैं।

चेक पोस्ट – पूर्व प्रचलित कर प्रणाली में राज्य की सीमाओं पर स्थित 1150 चेक पोस्ट माल परिवहन के समय एवं लागत को बढ़ाते थे ये भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली के केन्द्र थे, जीएसटी में चेकपोस्ट व्यवस्था समाप्त होने से परिवहन समय, लागत एवं भ्रष्टाचार मे कमी आई हैं।

ई–वे बिल – वेट प्रणाली में अन्तर्राज्यीय क्रय–विक्रय पर फार्म–49 की व्यवस्था लागू थी। जीएसटी में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को रिकार्ड में लाने हेतु ई–वे बिल व्यवस्था लागू की गई। प्रारम्भ में अन्तर्राज्यीय माल परिवहन पर लागू यह व्यवस्था वर्तमान में राज्य के अन्दर भी लागू कर दी गयी हैं।

जीएसटी के प्रभाव – प्रत्येक परिवर्तन अपने साथ कुछ सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव लाता हैं। जीएसटी लागू होने के दो वर्षो में अप्रत्यक्ष कराधान की इस नयी व्यवस्था का आम उपभोक्ताओं एवं शासन के राजस्व पर असर साफ नजर आने लगा है। देश में जुलाई 2017 तक पंजीयत करदाता 38,51,211 थे, जो जून 2019 में बढ़कर 1,22,58,569 हो गए हैं। इसी अवधि में म.प्र. में यह संख्या 3,03,479 से बढ़कर 4,20,391 हो गई हैं। पंजीयत करदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि बढ़ते कर आधार को दर्शाती हैं।

जीएसटी ने सी, एफ, एच तथा आई फार्म जैसी जटिल घोषणाओं तथा चेकपोस्ट की बाधा से मुक्ति दिलाई हैं। इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग द्वारा मानवीय हस्तक्षेप रहित पंजीयन, करनिर्धारण, रिफंड और कर भुगतान आदि से भ्रष्टाचार में कमी आई हैं। विभिन्न कर प्रणालियों के पालन तथा दोहरें करारोपण से मुक्ति दिलाकर कर ढांचे का सरलीकरण किया हैं। जीएसटी ने एक देश एक विधान के ध्येय वाक्य के साथ 17 प्रकार के करों को समाप्त कर उत्पादकों, व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं को एकल कर की व्यवस्था दी है। कर की दरों मे कटौती से माल एवं सेवाओं की कीमतें घटी हैं। उपरोक्त परिवर्तनों के बावजूद राजस्व में सकारात्मक परिवर्तन नजर आता हैं, जो अग्रानुसार हैं– **(तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद केन्द्र सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। दोनों वर्षो की समान तिमाहियों में प्राप्त राजस्व की तुलना करने पर ज्ञात होता हैं कि वर्ष 2017–18 की द्वितीय तिमाही की तुलना में वर्ष 2018–19 की द्वितीय तिमाही में 34.85 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में 12 प्रतिशत तथा चतुर्थ तिमाही में 14.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

म.प्र. शासन के राजस्व पर प्रभाव – जीएसटी लागू होने से पूर्व मध्यप्रदेश शासन को वेट, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेशकर, विलासिता कर, आदि से कर राजस्व प्राप्त होता था। उक्त सभी करों के स्थान पर वर्तमान में सरकार को एसजीएसटी एवं आईजीएसटी से राजस्व तथा सेटलमेंट ऑफ लॉस कम्पनसेशन प्राप्त होता है। वेट एवं जीएसटी से प्राप्त राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन अग्रानुसार हैं–

वर्ष	प्राप्त राजस्व	राजस्व में वृद्धि/कमी	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2016–17	27024.78	–	–
2017–18	29085.98	2061.2	7.63
2018–19	33159.01	4073.03	14

(Reference : commercial tax department mp indore)

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट हैं कि वर्ष 2016–17 में म.प्र.शासन को वेट प्रणाली से 27024.78 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2017–18 में 7.63 प्रतिशत तथा वर्ष 2018–19 में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। व्यवस्था परिवर्तन के प्रारम्भिक वर्षो में पर्याप्त शिथिलता बरतने, कर की दरों में कमी करने एवं एक भी छापे की कार्यवाही नहीं करने के बावजूद राजस्व में वृद्धि शुभ संकेतक हैं। हालांकि यह भी सत्य हैं कि अधिक कर दरों तथा लॉ कमेटी द्वारा जारी 100 सर्कुलर्स एवं 140 नोटिफिकेशन्स ने इस प्रणाली को जटिल बनाया हैं, बीमा, ई–कामर्स आदि सेवाएं मंहगी हुई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उसका कर प्रशासन कुशल व कर नीतियां पारदर्शी हों, जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय कर प्रणाली इन उद्देश्यों के करीब पहुचने में सफल होती दिख रही हैं। जीएसटी ने मजबूत आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर मुद्रास्फीति में स्थिरता दी हैं। उपभोक्ताओं के कर बोझ को कम कर उनके जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला हैं। जीएसटी से कर प्रणाली का सरलीकरण हुआ हैं एवं पारदर्शिता बड़ी हैं जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि हुई हैं यह अध्ययन

के उद्देश्यों को पूर्ण तथा परिकल्पनाओं को सत्य सिद्ध करता हैं। विभिन्न एवं ऊंची कर दरें, तकनीकी सुविधाओं की कमी, एवं व्यवस्थित कर प्रबंधन संबंधी चुनौतियां जीएसटी के सामने है। जिनसे पार पाना आवश्यक हैं। जीएसटी के सफल कार्यान्वयन हेतु कर दरों में और कटोती, वृत्तिकर की समाप्ति, पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी के दायरे में लाया जाना आदि सुधार अपेक्षित हैं। जिस प्रकार जीएसटी ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एकल कर व्यवस्था दी हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में भी एकल कर लागू कर करप्रणाली का सरलीकरण किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Nath, Banamali. "Goods and services tax: A milestone in Indian economy", International Journal of Applied Research, 2017
2. Ghosh, Sreetama "GST - A Game Changer for the Indian Economy: An Overview". Journal of Institute of Public Enterprise 2017, .
3. Nayyar, A. and Singh, I. A Comprehensive Analysis of Goods and Services Tax (GST) in India. Indian a. Journal of Finance, 2018
4. Economic Survey of India, 2017-18, Government of India
5. www.gstcouncil.gov.in
6. www.gst.gov.in
7. www.finmin.nic.in
8. www.mptax.mp.gov.in

केन्द्र सरकार को जीएसटी से प्राप्त राजस्व (रुपये करोड़ में)

कर का प्रकार	द्वितीय तिमाही		तृतीय तिमाही		चतुर्थ तिमाही	
	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19
सीजीएसटी	30393	46498	42580	49718	45903	55741
एसजीएसटी	45246	64508	62339	68355	64218	76538
आईजीएसटी	119856	149896	133454	151081	134046	148596
सेस	15773	23983	23057	23919	23786	25452
कुल	211268	284885	261430	293073	267953	306327
राजस्व में वृद्धि/कमी		73617		31643		38374
वृद्धि/कमी प्रतिशत में		34.85		12.10		14.32

(Reference : www.qstcouncil.gov.in)

****

म.प्र. में बैंकों द्वारा ग्रामीण साख - तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. निलेश महाजन *

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य के रूप में 308245 वर्ग किलोमीटर के साथ देश के 9.38 प्रतिशत भाग पर बिल्कुल मध्य में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या 7.27 करोड़ है, और इसका 72.37 प्रतिशत भाग अर्थात् 5.25 करोड़ गाँवो में निवास करता है। भारत के मध्य में स्थित होने से यहाँ कृषि और उद्योग धंधो के विकास की असीम संभावनाएं है। खनिज, ईधन, जैविक संपदा की यहाँ कोई कमी नहीं है। खेती के लिए उपजाऊ काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी ग्रामीण म.प्र. की एक खास विशेषता है। यहाँ की मिट्टी और खनिज सोना उगल सकते है, किंतु विडंबना यह है कि विविध जटिलताओं एवं इन संसाधनों के अपर्याप्त विदोहन के कारण यहाँ के ग्रामीण, विकास की मुख्य धारा से कटे हुए है। इन सबका कारण यहाँ के ग्रामीणों की निम्न आर्थिक दषा है। म.प्र. में ग्रामीण साक्षरता दर मात्र औसतन 63.94 प्रतिशत है। जबकि नगरो में 82.85 प्रतिशत है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता भी यहाँ की एक प्रमुख समस्या रही है। वर्तमान ऋणों के साथ-साथ पैतृक ऋणों के बोझ तले यहाँ के ग्रामीण दबे जा रहे है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अनुत्पादक ऋण, कृषि में बढ़ती लागतें इस दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है। अत: गत कुछ वर्षों में यहाँ कृषि के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगो में भी रोजगार एवं जीविकोपार्जन की संभावनाएं तलाशी गयी है। यही कारण है कि गत वर्षो में विभिन्न बैंकें न केवल कृषि, बल्कि छोटे उद्योगो के लिए भी साख वितरित कर रही है। प्रस्तुत शोध-पत्र यहाँ विभिन्न वर्षो में बैंकों द्वारा दी गयी ग्रामीण साख पर प्रकाश डालेगा। यही इस शोध का प्रमुख उद्देश्य है।

परिकल्पना - इस शोध में दो परिकल्पनाएं रखी गयी है -

1. म.प्र. में ग्रामीण साख के लिए पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं नहीं है।
2. म.प्र. में बैंकें लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण साख-व्यवस्था नहीं कर पायी है।

शोध प्रविधि एवं समंक संकलन - प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु केवल द्वितीयक समंकों का संग्रहण किया गया है। विभिन्न अधिकृत वेबसाइट्स, पुस्तक, वार्षिक साख योजना, आदि में प्रकाशित जानकारियों को यथा आवश्यकता शोध में उपयोग किया गया है और शोध के अंत में उन सभी का संदर्भ के रूप में उल्लेख भी किया गया है। समंकों के विश्लेषण हेतु सामान्य औसत, प्रतिशत कमी/वृद्धि आदि का उपयोग कर निष्कर्ष प्रतिपादित किए गए है। प्रस्तुत शोध-पत्र विश्लेषणात्मक प्रणाली का उपयोग कर तैयार किया गया है।

म.प्र. में विभिन्न बैंक शाखाएं - म.प्र. में भी ग्रामीण साख का ढांचा भारतवर्ष अनुसार ही है। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा देशभर में ग्रामीण साख की व्यवस्था के लिए अधिकृत 'नाबार्ड' के दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य में ग्रामीण साख की व्यवस्था हेतु बैंकिंग शाखाओं का जाल इस प्रकार है -

म.प्र. में साख व्यवस्था हेतु बैंकिंग शाखाओं का विवरण (31 मार्च 2019 की स्थिति में)**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

इस प्रकार म.प्र. में विभिन्न बैंकों की कुल 7684 शाखाएं है, जिसका 36 प्रतिशत अर्थात 2755 शाखाएं ग्रामीण अंचलो में है। लघु वित्त बैंकों की सबसे कम शाखाएं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक शाखाएं ग्रामीण अंचलों में हैं।

म.प्र. में विभिन्न बैंकों का ऋण-जमा अनुपात - बैंकिंग क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात,, बैंकों की तरलता एवं स्वास्थ्य का परिचायक होता है। यह अनुपात दर्शाता है कि बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत भाग ऋण के रूप में वितरित कर रही है। नीचा अनुपात बैंक द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के अपर्याप्त विदोहन को तो ऊँचा अनुपात बैंक के संसाधनो पर अधिक भार को इंगित करता है। म.प्र. के विभिन्न बैंकों में उधार-जमा अनुपात की स्थिति को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है :

म.प्र. के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात (31 मार्च 2019 की स्थिति में) **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका म.प्र. में ग्रामीण एवं गैर-ग्रामीण बैंक शाखाओं में उधार-जमा अनुपात को स्पष्ट करती है। तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण ऋण-जमा अनुपात 94.49 ऊँचा है जो ग्रामीण शाखाओं पर अधिक दबाव को दर्शाता है, अर्थात् उपलब्ध संसाधनों की तुलना में ऋण अधिक वितरित किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 71.06, इस दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति में है। गैर-ग्रामीण बैंकिंग शाखाओं में यह अनुपात 75.53 है जो कि संतोषप्रद माना जा सकता है।

बैंकों के लिए ग्रामीण साख के लक्ष्य एवं उपलब्धि - साख का सृजन और साख का वितरण बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार सभी बैंकों को अपने ऋणो का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रो को देना है। यदि इसमें कोई कमी रहती है तो वह कमी, बैंकों को नाबार्ड के RIDF में कम ब्याज दर पर जमा करनी होती है। नाबार्ड उस राशि को ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को उधार देती है। प्राथमिक क्षेत्रो में कृषि, शिक्षा, छोटे उद्योग आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। PSL (Priority Sector Lending) समावेशी विकास, क्षमता विकास, आय की असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण है। शासन की विभिन्न वित्त योजनाएं बैंक शाखाओं के माध्यम से ही ग्रामीण जन-जन तक पहुँचती है। ग्रामीण ऋण के संबंध में वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों व उपलब्धियों को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

* अतिथि विद्वान(पूर्व) एवं नवचयनित सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) (म.प्र.) भारत

म.प्र. में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 में कृषि एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्रों को साख सुविधा के संबंध में लगभग 80 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है जब कि अगले वर्ष अर्थात् 2017-18 में सफलता का प्रतिशत 71 रहा है। 2017-18 में कृषि ऋणों के संबंध में उपलब्धि का प्रतिशत मात्र 63.9 रहा है जोकि संतोषप्रद नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्यों व उपलब्धियों को देखना महत्वपूर्ण होगा। अत: इस सम्बंध में निम्न तालिका प्रस्तुत है -

म.प्र. में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष दर वर्ष प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्यों में वृद्धि हुई है। वहीं उपलब्धि का प्रतिशत कुछ कम हुआ है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्षेत्र के लिए ऋण-लक्ष्य प्रतिवर्ष बढ़ाए गए है। जो इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व की ओर इंगित करते है। वर्ष 2018-19 के लक्ष्यों की उपलब्धि प्रथम तिमाही में लगभग 20 प्रतिशत रही है। प्राथमिक क्षेत्र का लगभग 76 प्रतिशत ऋण कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यो के लिए निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी राज्य में विभिन्न बैंकों के लिए कृषि के संबंध में ऋण-लक्ष्य निर्धारित किए गए है :

म.प्र. में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत क्षेत्रवार-बैंकवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका म.प्र. में प्राथमिक क्षेत्रो के लिए बैंकवार निर्धारित लक्ष्यों व वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में उन लक्ष्यों की प्रतिशत प्राप्ति को दर्शा रही है। इसके अनुसार प्रथम तिमाही में कृषि साख लक्ष्यों का 19 प्रतिशत साख वितरण किया गया है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के लिए उपलब्धि का प्रतिशत 36 है जो कि इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व एवं इस पर दिये जा रहे अधिक जोर को दर्शाता है। कृषि साख के संबंध में उपलब्धि संतोषजनक नहीं (19 प्रतिशत) है।

निष्कर्ष एवं सुझाव - प्रस्तुत शोध-पत्र मे म.प्र. के ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण साख के लिए उपलब्ध बैंकों व साख योजना के लक्ष्यों व उपलब्धियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में निम्न बिंदू परिलक्षित होते है -

1. जिले में विभिन्न बैंक शाखाओं का मात्र 36 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में है। जबकि जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 72 प्रतिशत भाग ग्रामीण है। इस दृष्टि से ये शाखाएं अपर्याप्त है।
2. म.प्र. में ग्रामीण ऋण-जमा अनुपात 94.49 (बहुत अधिक) है। जो ग्रामीण बैंकिंग शाखाओं पर अत्याधिक ऋण-भार को इंगित करता है। गैर ग्रामीण बैंकों के संबंध में यह अनुपात 75.53 (संतोषप्रद) है।
3. वर्ष 2016 से 2019 की वार्षिक साख योजना में प्राथमिक क्षेत्र में साख लक्ष्य, वर्ष दर वर्ष बढ़े है जबकि उपलब्धि वर्ष दर वर्ष घटी है।
4. वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में प्राथमिक क्षेत्र में साख के संबंध में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धियाँ औसतन 20 प्रतिशत रही है जो कि संतोषजनक नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर म.प्र. में बैंकिंग साख सुविधाएं पर्याप्त प्रतीत नहीं हो रही है साथ ही उनके प्रदर्शन अर्थात् उपलब्धि प्रतिशत में भी निरंतर गिरावट प्रदर्शित हो रही है। अत: इस आधार पर परिकल्पनाएं सही सिद्ध हो रही है किंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि स्थिति बहुत विकट है। वास्तव में आज म.प्र. में परिदृश्य बदल रहा है। खेतिहर ग्रामीण, कृषि के अतिरिक्त छोटे उद्योगों में भी स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर तलाश रहा है। षासन भी इस दिशा में पर्याप्त ध्यान दे रहा है और नित-नवीन स्वरोजगार योजनाएं ग्रामीण एवं निम्न वर्गो को ध्यान रखकर संचालित की जा रही है। कुछ सुझावो पर ध्यान दिए जाने की और आवश्यकता है। जैसे -

1. योजनाएं बनाने के पश्चात् उनका समुचित विश्लेषण, मॉनिटरिंग, संशोधन और प्रभावो का अध्ययन अनिवार्यत: किया जाना चाहिए।
2. शासकीय तंत्र में व्याप्त ब्यूरोकेसी, लालफीताशाही , भ्रष्टाचार जैसे दोषों पर पूर्ण अंकुश अनिवार्य है।
3. म.प्र. में वर्ष 2017 के पश्चात् बहुत ही कम बैंक शाखाएं (ग्रामीण) खोली गयी है जबकि ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक बैंक शाखाएं खोली जाने की आवश्यकता है।
4. उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण अंचलो में आयोजित किए जा कर व्यवहारिक व तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

यदि इन सुझावो को व्यवहारिक रूप से अमल में लाया जाए तो निष्चित रूप से संस्थागत साख व्यवस्था ग्राम-प्रधान म.प्र. राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत में आर्थिक विकास और आयोजन : श्री एस.के.मिश्र
2. Annual Credit Plan 2018-19
3. www.dif.mp.gov.in
4. www.sibcmadhyapradesh.in

म.प्र. में साख व्यवस्था हेतु बैंकिंग शाखाओं का विवरण (31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्रं	बैंक का प्रकार	ग्रामीण शाखाएं	अर्द्धनगरीय व नगरीय शाखाएं	कुल शाखाएं
01	व्यावसायिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र)	1344	2866	4210
02	व्यावसायिक बैंक (निजी क्षेत्र)	207	879	1086
03	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	854	466	1320
04	सहकारी बैंक	297	580	877
05	लघु वित्त बैंक	53	138	191
	कुल योग	2755	4929	7684

(Reference : www.dif.mp.gov.in)

म.प्र. के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात (31 मार्च 2019 की स्थिति में)

(राशि लाख रु. में)

		ग्रामीण			अर्द्धनगरीय एवं नगरीय		
क्र.	बैंक का प्रकार	जमा राशि	ऋण राशि	अनुपात	जमा राशि	ऋण राशि	अनुपात
01	व्यावसायिक बैंक (सार्व. क्षेत्र)	3545615	2945371	83.07	26472049	16209690	61.23
02	व्यावसायिक बैंक (निजी क्षेत्र)	69736	184202	264.14	4440699	6066777	136.62
03	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	940695	668433	71.06	1212647	517932	42.71
04	सहकारी बैंक	919219	1367741	148.79	1529693	2269681	148.37
05	लघु वित्त बैंक	2174	9979	459.02	185135	495572	267.68
	कुल योग	5477439	5175726	94.49	33840223	25559652	75.53

(Reference : www.dif.mp.gov.in)

म.प्र. में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
(वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए)

(राशि करोड रु. में)

क्र.	ऋण का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए			वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
01	कृषि ऋण फसल ऋण एवं अन्य	75927	60077	79.12	88374	56469	63.90
02	कृषि अधोसंरचना ऋण	3184	888	27.89	3905	614	15.72
03	कृषि की अन्य सहायक गतिविधियाँ	1877	3197	170.32	2589	3799	146.74
04	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र ;डैडम्द्ध	16123	16516	102.44	18443	22512	122.06
05	अन्य प्राथमिक क्षेत्र हेतु ऋण	11993	7000	58.37	13570	6783	49.99
	योग कुल प्राथमिक क्षेत्र हेतु ऋण	109104	87678	80.36	126881	90177	71.07

(Reference : Annual Credit Plan 2018-19)

म.प्र. में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
(वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए)

(राशि करोड़ रु. में)

क्रं	ऋण का प्रकार	लक्ष्य	प्रथम तिमाही मेंउपलब्धि	प्रतिशत
01	कृषि ऋण फसल ऋण एवं अन्य	102578	19433	18.94
02	कृषि अधोसंरचना ऋण	3733	196	5.25
03	कृषि की अन्य सहायक गतिविधियाँ	2953	1015	34.37
04	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र ;डैडम्द्ध	20945	7462	35.63
05	अन्य प्राथमिक क्षेत्र हेतु ऋण	13226	1307	9.88
	योगकुल प्राथमिक क्षेत्र हेतु ऋण	143435	29413	20.51

(Reference : Annual Credit Plan 2018-19)

म.प्र. में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत क्षेत्रवार-बैंकवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए (उपलब्धि, प्रथम तिमाही)

(राशि करोड़ों में)

बैंक का प्रकार	कृषि			सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग			अन्य प्राथमिक क्षेत्र		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
वाणिज्यिक बैंक	69568	12008	17.26	19253	7035	36.54	11885	1269	10.68
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	13284	2177	16.39	1011	181	17.90	916	34	3.71
सहकारी बैंक	26401	6333	23.99	668	06	.90	410	01	.24
सूक्ष्म लघु वित्त बैंक	11	126	1145.45	13	240	1846.15	15	03	20.00
कुल योग	109264	20644	18.89	20945	7462	35.63	13226	1307	9.88

(Reference : www.slbcmadhyapradesh.in)

****

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 – एक सैद्धान्तिक विवेचन

डॉ. सुधीर महाजन *

प्रस्तावना – इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान बाजार उपभोक्ता प्रधान बाजार है किन्तु इसके बावजूद भी निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा किसी न किसी स्तर पर ग्राहकों का शोषण होता रहा है। शोषण के इन तरीकों में अपेक्षित मात्रा न होना, वस्तु की घटिया किस्म, नकली उत्पाद, अधिक कीमत, मिलावटी माल, उचित समय पर वस्तु/सेवा का उपलब्ध न होना आदि शामिल है। इन्हीं प्रकार के शोषण से उपभोक्ताओं को निजात दिलाने एवं उनके अधिकार दिलाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण कानून एक बेहतर उपकरण है।

भारत में सर्वप्रथम उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था जो 24 दिसम्बर 1986 को भारतीय संसद में पारित होकर 15 अप्रैल 1987 से सम्पूर्ण भारत वर्ष (जम्मु कश्मीर का छोड़कर) में लागू हुआ था। समयानुसार इस अधिनियम में थोड़े बहुत संशोधन होते रहे हैं किन्तु वर्तमान बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियों के दृष्टिगत् पूववर्ती अधिनियम के प्रतिस्थापन की आवश्यकता प्रबल होती गई फलत: उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा 30 जुलाई 2019 को एवं राज्यसभा द्वारा 06 अगस्त 2019 को पास किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 09 अगस्त 2019 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर यह अधिनियम लागू किया गया है।

शोध का उद्देश्य एवं प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का सैद्धान्तिक विवेचन करना है तथा जिसके आधार पर इसकी क्रियान्वयन सम्बंधी प्रक्रिया एवं उपयोगिता का निर्वचन किया जा सके। इस हेतु द्वितीयक स्त्रोंतों से जानकारियॉ एवं तथ्य जुटाए गए हैं।

उपभोक्ता एवं उनके अधिकार – वस्तु या सेवा का उपयोग/उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं है, जो दोबारा विक्रय के लिए अथवा व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वस्तु या सेवा को प्राप्त करते हैं। इसके अन्तर्गत् सीधी खरीद चाहे वे ऑफलाईन हो या ऑनलाईन अर्थात् ई-कामर्स के तहत् किए गए लेन-देन भी इस परिधि में आते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तरह ही इस अधिनियम में भी उपभोक्ताओं के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है जो इस प्रकार है –

- वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता और मानक मूल्य की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- इस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो जीवन और सम्पत्ति के लिए नुकसानदायक है।
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर वस्तु और सेवा उपलब्ध होने का आश्वासन प्राप्त करने का अधिकार।
- अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति स्पष्ट होने पर सम्बंधित पक्षकारों से मुआवजे की मांग करने का अधिकार।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान/तथ्यगत् विशेषताएं-

1. नए अधिनियम में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। इसका गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकेगा जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। यह प्राधिकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से सम्बंधित मामलों का नियमन करेगा।
2. इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत/विवाद के निवारण हेतु उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन दूसरे शब्दों में उपभोक्ता कोर्ट तीन स्तरों पर कार्य करेगी जो अर्द्धन्यायिक निकाय के रुप में होगी।

- **जिला स्तरीय कमीशन –** उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामले सुनेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।
- **राज्य स्तरीय कमीशन –** उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामले सुनेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक हो किन्तु 10 करोड़ से अधिक न हो।
- **राष्ट्र स्तरीय कमीशन –** उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामले सुनेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 10 करोड़ रुपये या 10 करोड़ से अधिक होगी।

3. यदि जिला स्तर और राज्य स्तर पर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला हो गया हो तो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पक्षकार को उसके खिलाफ जाने का अधिकार नहीं होगा।
4. इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि उपभोक्ता उस स्थान के अतिरिक्त जहॉ से वस्तु/सेवाएं ली गई है, अन्य किसी भी स्थान से प्रत्यक्ष रुप से अथवा मोबाईल या ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत नजदीकी उपभोक्ता कमीशन में दर्ज करा सकता है।
5. उपभोक्ता अपनी शिकायतों के लिये कमीशन में स्वंय ही अपना केस देख सकता है अर्थात् ऐसे मामलों में किसी वकील को रखना आवश्यक नहीं होगा।
6. उपभोक्ता शिकायतों के सम्बंध में एकल तौर पर कार्यवाही के स्थान पर अब क्लास एक्शन लिए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

* सह प्राध्यापक (वाणिज्य) अ.श.रा.म. शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ,जिला-देवास (म.प्र.) भारत

उदाहरण के तौर पर किसी खरीदे गए रेफ्रीजिरेटर के कम्प्रेशर में तकनीकी खराबी है तो यह माना जावेगा कि सिर्फ खरीदे गए रेफ्रीजिरेटर के कम्प्रेशर में ही तकनीकी खराबी नहीं है वरन् उस कम्प्रेशर के साथ जितने भी कम्प्रेशर बने हैं, उनमें भी वही तकनीकी खराबी हो सकती है। इसके तहत् सभी प्रभावित उपभोक्ता लाभार्थी होंगे।

7. भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्माता और उसे प्रचारित करने वाले पर 10 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दो साल की सजा का प्रावधान किया गया है। गंभीर लापरवाही के मामलों में उत्पादक को छ: माह का कारावास और 01 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी पर पहली बार गलती करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और एक साल तक प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी बार गलती करने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपये तक हो सकती है और प्रचार प्रसार पर तीन साल का प्रतिबंध लग सकता है।
8. इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के मामलों के त्वरित निराकरण पर बल दिया गया है। अब उपभोक्ताओं की शिकायतें लंबति नहीं रहेंगी। यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत दाखिल करने के 21 दिनों के बाद शिकायत स्वत: दर्ज मानी जावेगी।
9. किसी भी कम्पनी या विक्रेता को 30 दिन में पीड़ित उपभोक्ताओं से उत्पाद वापस लेकर पैसा लौटाना अनिवार्य होगा।
10. अधिनियम में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कमीशन से सम्बद्ध तीनों ही स्तर पर मध्यस्थता इकाईयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगर सभी पक्ष सहमत हो तो कमीशन मध्यस्थता की पेशकश कर सकेंगे।
11. प्रोडक्ट लायबिलिटी अर्थात् उत्पाद दायित्व को भी इस अधिनियम में निर्धारित किया गया है यानि् किसी खराब वस्तु या उसके किसी घटक से अथवा दूषित सेवाओं के कारण ग्राहक को कोई नुकसान होता है या वह घायल हो जाता है, तो उत्पादक, विक्रेता या सेवाप्रदाता को जिम्मेदार माना जावेगा व उपभोक्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
12. ई कॉमर्स कम्पनियॉ यदि उपभोक्ताओं का डाटा संग्रहित करती है, तो ग्राहक की सहमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उसे यह भी जानकारी देना होगी कि उसके डाटा का उपयोग कहॉ और किस प्रकार से होगा।
13. ऑनलाईन शॉपिंग कराने वाली ई कॉमर्स कम्पनियों को अपने व्यापार का ब्यौरा और सेलर एग्रीमेन्ट का खुलासा करना अनिवार्य होगा।
14. अधिनियम में कंपोजिट सप्लाई या बंडल सर्विसेज से सम्बंधित प्रावधान भी किए गए है अर्थात् कोई कम्पनी ऑनलाईन यात्रा टिकट के साथ होटल में ठहरने और स्थानीय यात्रा की सुविधा भी प्रदान कर रही है तो उसे सभी सेवाओं के लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वह दूसरे पर दोष डालकर स्वंय नहीं बच सकती है।
15. उत्पाद तथा सेवा सम्बंधी झुठी शिकायतें न हो सके इसके लिए अधिनियम में 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।
16. अगर कोई पक्षकार किसी भी स्तर के कमीशन के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे तीन वर्ष का कारावास या 25 हजार से 01 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकता है।
17. अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित या परिवर्तित करने से सम्बंधित कॉन्ट्रेक्ट अनुचित माने गए हैं तथा अनुचित और प्रतिबंधित तरीके के व्यापार के नियमन व रोक के व्यापक अधिकार कमीशन को दिए गए हैं।
18. अधिनियम में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के सम्बंध में परामर्श देने हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।
19. उपभोक्ता शिकायत के मामले में अगर वस्तु के परीक्षण की आवश्यकता होगी तो शिकायत का निपटारा पॉच माह की अवधि के भीतर किये जाने का प्रावधान है अन्यथा शिकायत निपटान की अवधि तीन माह होगी।

आलोच्य तथ्य –

1. अधिनियम में केन्द्र सरकार को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति, हटाने और उनकी सेवा शर्तो को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है इससे इन निकायों की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है।
2. असामान्य प्रकरणों में शिकायतकर्ता अपने मामलों में स्वयं पेरवी करने में असमर्थ रहेंगे अतएव उन्हें अपने प्रकरण के लिए वकील को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी और यदि ऐसा होता है, तो मामलों के निपटारे में विलम्ब की स्थिति निर्मित होगी।
3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता कमीशन उन सेवाओं से सम्बंधित शिकायतों को मंजूर नहीं करेगें जिन पर विशेष कानून लागू होते हैं, फलत: शिकायतों के निपटारे में विलम्ब की स्थिति बन सकती है।
4. मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले मामलों के समाधान पारदर्शी तथा बिना दबाव व प्रभाव के होने चाहिए क्योंकि इस प्रकार के समाधानों में अपील की काई सुविधा विधेयक के प्रावधानों में नहीं है।
5. अधिनियम में हेल्थ सेक्टर को शामिल नहीं किया गया है जबकि सबसे ज्यादा उपभोक्ता इसी क्षेत्र से प्रभावित होते हैं।
6. उपभोक्ता कमीशन के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों सम्बंधी मामलों का त्वरित निपटारा तभी संभव हो सकेगा जबकि सारे पद भरे हों। एक आकलन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर करीब 20,304 मुकदमें लंबित है जबकि राज्य स्तर पर 1,18,319 मामले और जिला स्तर पर 23000 से अधिक मामले लंबित है। इन मामलों के निपटान की चुनौती भी इस अधिनियम द्वारा बनाए जा रहे कानून के समक्ष होगी।
7. उपभोक्ता के लिये स्वस्थ वातावरण के अधिकार को न तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में शामिल किया गया और न ही इस अधिनियम में। इस अधिकार के अन्तर्गत् उपभोक्ता व्यवसायियों/ निर्माताओं से यह अपेक्षा रख सकेगा कि वे ऐसी निर्माण प्रक्रिया या तकनीक, ऐसी सामग्री और साधनों का प्रयोग करेंगे जिससे देश के भौतिक एवं प्राकृतिक वातावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं हो।
8. अधिनियम के प्रावधान अनुसार उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के सम्बंध में परामर्श देने हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की जाना है किन्तु ये परिषदें किसे और किस प्रकार परामर्श देगी स्पष्ट नहीं है।

उपसंहार – उक्त आलोच्य तथ्यों को अगर उपेक्षित भी कर दिया जाये तो भी नये अधिनियम के प्रावधानों से पूववर्ती अधिनियम की तुलना में उपभोक्ताओं की शिकायतों का क्षेत्र तो बढ़ा ही है,वहीं उपभोक्ताओं को त्वरित

न्याय भी मिल सकेगा। उपभोक्ता शिकायत संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरल किया गया है जैसे– निवास स्थान से ही फाईलिंग की सुविधा, ई फाइलिंग, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा, मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना आदि ये महत्वपूर्ण कदम उपभोक्ताओं के लिए हितकर होंगे। वर्तमान बाजार के परिदृश्य को देखते हुए ई कॉमर्स कम्पनियों को इस अधिनियम के दायरे में लाकर उनकी जिम्मेवारी तय करना एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्षान्त तक यह अधिनियम अपने नियमों एवं उपनियमों के क्रियान्वयन स्तर पर साथ भारत के उपभोक्ताओं के समक्ष होगा। उम्मीद की जाए कि वास्तविक धरातल पर इसके प्रावधान व्यापक रुप से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारत का राजपत्र – अगस्त 09, 2019 नई दिल्ली
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
3. दैनिक समाचार पत्र – पत्रिका दिनांक 14 अगस्त 2019
4. The consumer Protection Bill 2018
5. NCDRC Reports March 2018
6. Report of the law commission of India
7. Wikipedia.org
8. consumeraffairs.nic.in

****

विमुद्रीकरण का देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव (वर्ष 2016 में भारत में हुई नोटबंदी के सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ में)

शैलेन्द्र कुमार राय *

विमुद्रीकरण का अर्थ – जब किसी राष्ट्र की सरकार उस देश में प्रचलित पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है या इलीगल टेंडर ILLEGAL TENDER घोषित कर उसके बदले में नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो उसे विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं। इसके लागू होने के बाद पुरानी मुद्रा अथवा पुराने नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती है। हालांकि सरकार द्वारा पुराने अमान्य घोषित हो चुके नोटों को एक तय समय–सीमा अवधि में बदलकर उसके एवज में उतने ही मूल्य के बराबर नये चलन में आए नोटों अथवा अन्य प्रचलित मुद्रा या नोटों के माध्यम से बदलने Exchange की सुविधा जनता को दी जाती हैं।

विमुद्रीकरण की परिभाषा – विमुद्रीकरण एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार पुरानी चलित मुद्रा को समाप्त या रोक लगाकर नयी मुद्रा को चलन में ले आती हैं। जब किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कालाधन Black Money या जाली नोट Fake Currency चलन में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ–साथ ही उस राष्ट्र की सुरक्षा पर भी खतरा बन जाते है। तब इस आर्थिक गतिविधि नोटबंदी अथवा विमुद्रीकरण के माध्यम से ही गहराते आर्थिक संकट पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता हैं।

विमुद्रीकरण का वैश्विक इतिहास – विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है, जिसे भारत के अलावा विश्व के दूसरे कई देशों ने अपनाया और अमल में लाया हैं। क्योंकि यदि सही उद्देश्य से किसी राष्ट्र की सरकार अपने यहां विमुद्रीकरण करती है, तो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकाल तक इसके सकारात्मक प्रभाव व लाभ की स्थिति परिलक्षित होती हैं। कुछ अन्य देश जैसे–घाना में वर्ष 1982 ई. में हुआ विमुद्रीकरण तो वहीं नाइजीरिया मे वर्ष 1984 ई. में हुई नोटबंदी। इसके अलावा म्यामार, जिम्बाव्वे और सोवियत संघ जैसे राष्ट्रों ने भी अपने राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए विमुद्रीकरण को अपनाकर आर्थिक गतिविधि के लिए आवश्यक इस उपकरण Tools का अपने राष्ट्रहित में इस्तेमाल किया हैं।

विमुद्रीकरण का भारतीय इतिहास – भारत में अभी तक तीन बार पूर्णरूप से विमुद्रीकरण हुआ है :

1. **वर्ष 1946 ई. का विमुद्रीकरण –** यह भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे प्रथम विमुद्रीकरण था, जिसका निर्णय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने लेते हुए 500, 1000 तथा 10000 रूपये मूल्य के नोटों को बंद कर दिया था परंतु वर्ष 1947 ई. में आजादी के बाद भारत की सरकार द्वारा 1000 और 10000 मूल्य के नोटों को पुन: वर्ष 1954 ई. में चलन में मान्य कर दिया गया।
2. **वर्ष 1978 ई. का विमुद्रीकरण –** यह विमुद्रीकरण भारतीय इतिहास में दूसरी बार किया गया था, जिसे वर्ष 1977 ई. में लगे आपातकाल के पश्चात नई गठित 'मोरारजी भाई देसाई' की जनता सरकार द्वारा लागू करते हुए 1000, 5000 और 10000 रूपये मूल्य के नोट बंद कर दिए गए थे।
3. **वर्ष 2016 ई. का विमुद्रीकरण –** वर्ष 1978 ई. के लंबे अर्से बाद भारत की एन.डी.ए. समर्थित मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात्रि 12 बजे इस तीसरे विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी जिसके अनुसार सरकार ने 500 और 1000 मूल्य के नोटो का विमुद्रीकरण करते हुए इसके ऐवज मे 500 और 2000 रूपये मूल्य के नये नोट जारी कर दिए। हालाँकि पुराने 500 एवं 1000 के नोटों को एक तय अवधि तक बदल लेने का विकल्प भारत सरकार ने उन धारकों के लिए रखा जिनके पास नगदी के रूप में वे नोट मौजूद थे। भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे घोषित करते हुए उस समय यह नारा भी दिया था 'विमुद्रीकरण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा'।

विमुद्रीकरण किए जाने के सामान्य कारण – किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले विमुद्रीकरण की सामान्यत: निम्नलिखित कारण होते है :

अ. कालेधन पर प्रतिबंध–बहुत से लोगों के पास जमा कालाधन जो भ्रष्टाचार के तरीके से अर्जित किए जाने के कारण अघोषित रह जाता है। उससे सरकार को मिलने वाले कर की चोरी के साथ–साथ भ्रष्टाचार से संबंधी आर्थिक अपराधों में वृद्धि भी होती हैं, जिसे रोकने के लिए कई बार सरकार विमुद्रीकरण की नीति अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को कुप्रभावित होने से बचाने का कार्य करती है।

ब. मुद्रास्फीति अथवा अवमूल्यन को नियंत्रित करना जब देश में ऐसी आर्थिक परिस्थितियाँ निर्मित होने लगती है कि मंहगाई बढ़ते हुए बेलगाम होने लगे। अर्थात मुद्रा का अवमूल्यन Devaluation होने लगता है, तब सरकार विमुद्रीकरण लाकर देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करती है।

स. नकली नोटों को बाहर करना–राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जब नकली नोटो की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करती जाती है, जिसे चलन से बाहर करने का एक ही रास्ता बचता है कि विमुद्रीकरण कर नये तथा

* शोधार्थी (वाणिज्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

और सावधानीयुक्त नोटों को जारी कर दिया जाए जिससे पुराने व नकली नोट स्वमेव चलन से बाहर हो जाते हैं।

द. आतंकवाद को रोकना–किसी देश में घट रही आतंकवादी गतिविधियाँ उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं विकास पर करारा चोट पहुँचाती है। चूँकि आतंकी गतिविधियों के संचालन हेतु बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जो प्राय: नगदी लेन–देन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अत: विमुद्रीकरण के माध्यम से आतंकी गतिविधियो के नगद प्रवाह को ही खत्म कर दिया जाता है क्योंकि तब विमुद्रीकरण से पूर्व की गई जमा नगद राशि उनके लिए व्यर्थ साबित होती है।

इ. अवैध गतिविधियों को रोकना–किसी भी देश मे होने वाली अवैध गतिविधियों में बहुत मात्रा में नगदी का लेन–देन होता है जैसे स्मगलिंग का कारोबार एवं रिश्वतखोरी जैसी अनैतिक आर्थिक क्रियाओं के बहुत हद तक नियंत्रण व रोकथाम के लिए भी विमुद्रीकरण किए जाने को आवश्यक बल मिलता है।

विमुद्रीकरण के तत्कालीन भारतीय कारण – यहां पर हम भारत के संदर्भ में उन तत्कालीन कारणों को जानने का प्रयास करेगें जिनके निवारण हेतु भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर सन् 2016 ई. की आधी रात 12 बजे से 500 रू. और 1000 रू. मूल्य की भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया गया जो अग्रलिखित अनुसार है।

अ. नकली नोट–भारत में लंबे समय से मुद्रा के चलन में नकली नोटों की भरमार हो जाने से दिनों–दिन भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुँच रही चोट से निपटने के लिए एक अर्से से इन बड़े मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाना आवश्यक हो गया था।

ब. काला धन–भारत में कालेधन व बढ़ते भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए गए, विमुद्रीकरण के निर्णय का उद्देश्य काफी व्यापक रहा हैं। क्योंकि कालाधन ज्यादातर नकदी के रूप में लोगों के पास जमा बिना उत्पादन कार्य में होने के साथ–साथ अर्थ–जगत में उसके प्रवाहित न होने से भारत के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पहुँचाने वाली साबित होती रही हैं। अघोषित आय के रूप में संचित कालाधन बड़ी मात्रा में देश को कर प्राप्ति से वंचित कर सरकारी राजस्व को भी हानि पहुँचाता है, जिसे नियंत्रित करने की दिशा में भारत सरकार के एक सकारात्मक प्रयास विमुद्रीकरण के रूप में सामने आता रहा हैं।

स. आतंकवाद को नियंत्रित करना–भारत में आतंकवाद की समस्या लंबे अर्से से व्याप्त रही हैं। सीमापार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियाँ हो अथवा देश के अंदर की नक्सली गतिविधियाँ दोनों ही मामलों में काफी मात्रा में नगदी का इस्तेमाल होता रहा है। पहचान छिपाने और पकड़े जाने के भय से आतंकवादी अपने तंत्र के संचालन हेतु नगद राशि के लेन–देन को ही माध्यम बनाते है और इस प्रकार से भारी मात्रा में नगदी का संग्रह उनके पास होता हैं, जिसे विमुद्रीकरण की घोषणा से व्यर्थ बनाया जा सकता हैं।

द. नगदी रहित Cash Less लेन–देन को प्रोत्साहन–आज जहां विश्व के ज्यादातर देश विकास की इस दौर में अपने यहां लेन–देन के आधुनिकतम माध्यमों का उपयोग कर समय और श्रम दोनों की बचत कर रहे है, वहीं भारत में आज भी लेन–देन के वही पुराने तरीको पर लोगों का विश्वास कायम हैं। इसके लिए भारतीय लोगों को प्रोत्साहित कर उनमे लेन–देन के आधुनिक और सुरक्षित तरीको जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, नेट बैकिंग, ई–वालेट, भीम एप तथा जियो मनी जैसे अनेकों माध्यमों से स्मार्ट फोन अथवा कियोस्क की सेवाए लेकर लेन–देन को आसान बनाया जा सकता है। नोटबंदी के समय मची अफरा–तफरी के माहौल में न केवल लेनदेन की इन आधुनिक सुविधाओं के उपयोग में वृद्धि हुई बल्कि नगद मुद्रा की कमी के कारण व्यवसाय में पड़ने वाले तत्कालीन प्रतिकूल प्रभाव को भी बहुत हद तक नियंत्रण मे लाया जा सका।

विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव – विमुद्रीकरण या नोटबंदी किसी भी राष्ट्र द्वारा उसके अर्थव्यवस्था के विकास को बाधा पहुँचा रही परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने हेतु उठाया जाने वाला एक राष्ट्र हित का मुद्दा होने और इसी उद्देश्य से किया जाने वाला प्रयास होता है जिसके अधोलिखित सकारात्मक परिणाम भी समय के साथ–साथ आगे चलकर परिलक्षित होने लगते है। इसके अनुसार :–

1. विमुद्रीकरण से अघोषित और कालेधन पर बड़ी करारी चोट पहुँचती है और वह निष्क्रिय या व्यर्थ होकर बहुत हद तक अर्थव्यवस्था से स्वमेव ही बाहर हो जाता है। इस तरह से लंबे समय से अर्थव्यवस्था को पहुँच रहे नुकसान से वह राष्ट्र अपने का बचा लेता हैं।
2. आतंकी और नक्सली समस्याओं पर भी बहुत हद तक लगाम लगाने में विमुद्रीकरण एक अच्छा हथियार साबित होता हैं। ऐसे अनैतिक कार्यो के उपयोग में भारी मात्रा में चलन में पुरानी मुद्रा का रातो–रात भाव शून्य हो जाने से आतंकियों–नक्सलियों की आर्थिक रूप से कमर मानो टूट ही जाती हैं।
3. लोगों के पास जमा अघोषित धन का बहुत बड़ा भाग सामने आ जाने से न केवल उनका कालाधन कर अदायगी के बाद सफेद (वैध) घोषित हो जाता है बल्कि इसके एवज में सरकार को भारी मात्रा में टैक्स के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती हैं।
4. सरकार के आग्रह व प्रोत्साहन के चलते लोग अपने पास जमा अघोषित धन राशि को सामने लाकर सरकार को टैक्स अदा कर देश की आर्थिक गतिविधियों में विनियोजित करने हेतु सक्षम हो जाते है। इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती हैं और राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत बनता है।
5. नगद लेन–देन के स्थान पर नगदी रहित लेनदेन के अन्य वैकल्पिक माध्यमो जैसे–डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम और मोबाइल बैकिंग जैसी आसान व त्वरित सुविधाओं के उपयोग हेतु लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। लोगों को परंपरागत रूप से बड़ी मात्रा में नगदी की समस्या और उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती।

विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभाव – हर सिक्के के दो पहलू की तरह विमुद्रीकरण के भी सकारात्मक पक्ष के साथ–साथ उसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, जो निम्नानुसार है :–

1. पर्यटन उद्योगो पर प्रतिकूल प्रभाव – विमुद्रीकरण से विदेशी पर्यटकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं क्योंकि उन्हें पराये देश में पुरानी मुद्रा को बदलने में काफी असुविधा होती है, यह स्थिति संभलने और सामान्य होने में जितना समय लगता हैं, तब तक पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो चुका होता हैं। भारत में भी वर्ष 2016 ई.के विमुद्रीकरण के कारण पर्यटन उद्योग पर काफी बुरा प्रभाव देखने को मिला हैं।

2. अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव – विमुद्रीकरण के कारण आने वाले कुछ समय तक और कभी–कभी तो लंबे समय तक के लिए देश की अर्थव्यवस्था की गति सुस्त पड़ने के कारण उस राष्ट्र की जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में विमुद्रीकरण के बाद

भारी मात्रा में बंद हुए छोटे और मध्यम कल-कारखानो के बाद शुरू हुआ मंदी का दौर इस कदर छाया हुआ हैं, कि आज जबकि 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है, तब भी देश कि वर्तमान जी.डी.पी. की दर पूर्व के वर्षो की अपेक्षा वर्ष दर वर्ष निम्न होते हुए आज 5 प्रतिशत पर आ गई है, जो राष्ट्र के सामने एक बड़ी चुनौती हैं।

3. भारी असुविधाजनक – विमुद्रीकरण के बाद मची अफरा-तफरी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण देश की जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोगों को शादी-विवाह या अन्य किसी उत्सवो में अचानक इस बदली हुई परिस्थितियों में नगदीकरण की समस्या से जूझना पड़ता है। इस आपा-धापी में कुछ समय के लिए लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता हैं।

4. असहज और कष्टदायक परिस्थिति – विमुद्रीकरण के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और देश में पुरानी मुद्रा को जमा कराने अथवा बदलने के लिए उमड़ी अनियंत्रित और अनुशासनहीन भीड़ के साथ-साथ प्रतिकूल मौसम की मार जैसी परिस्थितियाँ मिलकर उस राष्ट्र के उम्रदराज वृद्धो, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तिओं और बीमार लोगों के लिए सचमुच ही नोटबंदी एक बड़ी मुसीबत का पैगाम और किसी अपराध की सजा भुगतने जैसा अनुभव वाली होती हैं। भारत में तो लगभग एक दर्जन लोगों की मौतों की खबर वर्ष 2016 ई. के विमुद्रीकरण के इतिहास में दर्ज हो गई हैं।

निष्कर्ष – वैसे तो विमुद्रीकरण अथवा नोटबंदी किसी राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों और उसके सुधार का एक भाग हैं। यदि राष्ट्र अपनी आर्थिक सुदृढ़ता, सुरक्षा एवं विकास के राष्ट्रव्यापी व कल्याणकारी उद्देश्य के लक्ष्य को सामने रखकर पूरी तैयारी और व्यवस्था के बाद विमुद्रीकरण को प्रभावशील करता है तो निश्चय ही उसकी सफलता सिद्ध होगी। जहां तक भारत में हुए वर्ष 2016 ई. के विमुद्रीकरण का प्रश्न है, तो यह केवल और केवल राजनैतिक उद्देश्य से बिना तैयारी और आम-जनता के हितों का ख्याल किए बगैर लिया गया एक अदूरदर्शी निर्णय था जिसमें अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को आर्थिक शिकस्त देते हुए अपनो को पहले से ही सतर्क कर उन्हें उनका सारा कालाधन सफेद करने का अवसर दिया गया। दूसरी ओर कालेधन को टैक्स जमा कर वैध घोषित करा लेने के सरकारी प्रोत्साहन से भारी मात्रा में कालाधन सफेद होकर पुन: चलन में आ गया जिससे कालाधन रोकने की सरकारी नीति झूठी साबित हुई। बैंक के बाहर लंबी-लंबी कतारो में लगकर अपनी जमापूँजी को आम मध्यम वर्ग बदलवाने और जमा कराने के लिए धूप में कई-कई दिनों तक खड़े रहकर सरकार व उनके दल के सामने अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देते-देते कई लोग तो शहीद (मृत) भी हो गए। वहीं दूसरी ओर बिना लाईन में लगे देश के सभी बड़े पूँजीपतियों का सारा कालाधन कब सफेद हो गया देश देख नहीं पाया परंतु यह जरूर समझ गया कि जिस कालेधन, नकली नोट और आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात नोटबंदी के माध्यम से की जा रही थी वह कालाधन लगभग 96 प्रतिशत पुन: चलन में सफेद होकर अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। नकली नोट असली नोटों में बदल लिए गए और आतंकवादी गतिविधियाँ पहले की तरह आज भी सक्रिय हैं। इससे यह समझ में आता है कि तत्कालीन सरकार अपने निजी स्वार्थपूर्ति के लिए जनभावनाओं से खेलते हुए, भावनात्मक मुद्दो को सामने कर न केवल उनके हितो को नजरअंदाज करते हुए यह अदूरदर्शी नोटबंदी का निर्णय लिया जिसकी आड़ में सत्ता के नजदीकी लोगों को अपनी काली अवैध कमाई को रातो-रात सफेद करने मे सफलता मिली। न कालाधन कम हुआ, न भ्रष्टाचार में कमी आई, बल्कि 1000 रूपये के स्थान पर 2000 रू. मूल्य के नोट से भ्रष्टाचार को और प्रबल बनाने की संभावना को बल मिल गया। इस प्रकार हम कह सकते है कि भारत में वर्ष 2016 ई. की नोटबंदी या विमुद्रीकरण पूरी तरह से असफल रहा, जिसको देश और देशवासी वर्तमान छाई आर्थिक मंदी के सालो-साल तक मौजूद रहने के कारण के साथ-साथ निर्दोषलोगों की मौत के दु:खद मंजर के रूप में लंबे समय तक याद रखेगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक – 2016
2. दैनिक भास्कर समाचार पत्र।
3. इंटरनेट की अध्ययन सामग्री एवं
4. स्वयं का अध्ययन व दृष्टिकोण।

****

बैंकों के विलय का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ. मीना कीर *

शोध सारांश – भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों को नई जनरेशन के अनुरूप बनाया जाये। इसके लिये सरकार समय-समय पर नवाचार करती रही है। इन नवाचारों में बैंकों के महाविलय की घोषणा आर्थिक सुधार हेतु एक ठोस कदम माना जा सकता है। प्रस्तुत शोधपत्र बैंकों के महाविलय का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और चुनौतियों का विश्लेषण करता है।

शब्द कुंजी – बैंकों का विलय, प्रभाव, सकारात्मक पक्ष, आर्थिक विकास, चुनौतियां।

प्रस्तावना – वर्तमान में देश में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री की 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा के पश्चात् देश में केवल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रह जाएंगे, जिसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सरकार का मानना है कि आगामी 5 वर्षों में देश को 5 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन बैंकों का होना अति आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विलय योजना –

क्रं	जिस बैंक का विलय होगा	जिस बैंक में विलय होगा
1	ओरियण्टल बैंक आफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक
2	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	पंजाब नेशनल बैंक
3	सिंडिकेट बैंक	केनरा बैंक
4	आंध्रा बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
5	कॉरपोरेशन बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
6	इलाहाबाद बैंक	इंडियन बैंक

स्त्रोत – प्रतिवेदन/वित्त मंत्रालय/भारत सरकार

बैंकों के विलय का ग्राहकों पर प्रभाव – बैंकों के महाविलय का उन ग्राहकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, जिनका विलय होने वाले बैंकों में खाता है। यह प्रभाव निम्न प्रकार का हो सकता है –

1. खाता क्रमांक में परिवर्तन।
2. कस्टमर आई डी में परिवर्तन।
3. चेक बुक में परिवर्तन।
4. तृतीय पक्षकार (आयकर विभाग, बीमा कम्पनियां, म्यूच्यल फण्ड, नेशनल पेंशन सिस्टम आदि) के साथ बैंक विवरण अपडेट करने की आवश्यकता।
5. नये ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज) निर्देशों की प्राप्ति, जिसके आधार पर पोस्ट डेटेड चैक को क्लीयर करना होगा।
6. नये एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) निर्देशों की प्राप्ति, जिसके आधार पर ऑटो डेबिट या इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए नया एसआईपी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त हो सकता है।
7. बैंक के विलय होने पर आईएफएससी कोड एवं एमआईसीआर कोड में परिवर्तन, जिसकी फण्ड ट्रांसफर और वित्तीय व्यवहारों के लिए आवश्यकता होती है।
8. पुरानी एफडी पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
9. बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
10. होम लोन पर ब्याज दरों में तब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि मुख्य बैंक ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं करती।

बैंकों पर प्रभाव – सरकार का मानना है कि बैंकों के महाविलय से सरकार को वर्ष 2024 तक भारत को 5 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। बैंकों के महाविलय से बैंकों के खाते मजबूत होंगे अर्थात् उनके पास ऋण देने के लिए अधिक राशि होगी। सरकार का तर्क है कि ओरियण्टल बैंक आफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिलाने से पंजाब नेशनल बैंक का कारोबार लगभग 17.95 लाख करोड़ रूपये का हो जाएगा और वह भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसी प्रकार सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मिलाने से केनरा बैंक का कारोबार 15.20 लाख करोड़ रूपये का हो जाएगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में मिलाने से यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का कारोबार 9.03 लाख करोड़ रूपये का हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाने से इंडियन बैंक का कारोबार लगभग 8.08 लाख करोड़ रूपये का हो जायेगा। बैंकों के विलय से एंकर बैंकों का पूंजी समता अनुपात बढ़ जाएगा, जिससे बैंकों में सुदृढ़ता की स्थिति दृष्टिगोचर होगी।

महाविलय की घोषणा के साथ ही सरकार ने इन बैंकों में 52,250 करोड़ रूपये की अतिरिक्त पूंजी डालने का निर्णय भी लिया है, जिससे देश में साख का प्रवाह बढ़ेगा। विलय के पश्चात् बैंकों के पास अत्यधिक संसाधन होंगे, अत: उनकी ऋण देने की लागत में भी कमी आएगी।

बैंकों के विलय से बैंकों का आर्थिक आकार भी बढ़ेगा, जिससे वे किसी भी आकस्मिक आर्थिक संकट का सामना करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त बढ़ते हुए साइबर अपराध और ऑन लाइन फ्राड से अपनी प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए वे नई तकनीकों पर अधिक निवेश कर सकेंगे।

चुनौतियां – बैंकों के विलय की घोषणा के पश्चात् सरकार के समक्ष

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

निम्नलिखित कुछ चुनौतियां उत्पन्न होंगी, जिनका समाधान किए बिना यह महाविलय प्रभावी परिवर्तन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा -

1. विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक बैंक के वित्तीय उत्पाद अलग-अलग हैं, अत: उनके एकीकरण के लिये उन्हें कोर टेक्नोलॉजी, बैंक-एण्ड टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन में सामंजस्य बैठाने और अनुकूलन की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 से 3 वर्ष लगने की संभावना है।
2. बैंकों के विलय से बैंकों का आर्थिक आकार बढ़ेगा, जिससे उनकी बड़े कर्ज देने की क्षमता भी बढ़ेगी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार बैंकों को बड़े कर्ज देने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इसमें जोखिम के बढ़ने की संभावना भी रहती है।
3. बैंकों की किन शाखाओं को बंद करना है और किन शाखाओं को चालू रखना है, यह भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई स्थानों पर बैंक की शाखाएं आसपास ही हैं।
4. प्रत्येक बैंक की कार्य करने की संस्कृति अलग-अलग है, अत: विलय के पश्चात् बैंकों की कार्य संस्कृति के एकीकरण और कर्मचारियों को एक सूत्र में पिरोना भी एक बड़ी चुनौती है।

विभिन्न चुनौतियों की संभावनाओं के बीच सरकारी बैंकों का विलय देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को एक सम्मानित स्थान प्रदान करेगा। बैंकों के विलय से जहाँ बैंकों का आर्थिक तंत्र मजबूती प्राप्त करेगा, वहीं बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी, देश में साख प्रवाह में वृद्धि होगी, जिससे बाजार सुदृढ़ीकरण होगा तथा देश की अर्थव्यवस्था तीव्रगति से विकास करेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली।
2. हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।

****

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. मनोज महाजन *

प्रस्तावना – वर्तमान बाजार क्रेता प्रधान बाजार है किन्तु इसके बावजूद भी अक्सर उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के सम्बंध में स्वंय को शोषित एवं ठगा हुआ महसूस करता है। विभिन्न प्रकार के शोषण से उपभोक्ताओं को राहत दिलाने एवं उनके अधिकार दिलाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। किन्तु वर्तमान बाजार के दृष्टिगत् इस अधिनियम के प्रावधान कहीं न कहीं अपर्याप्त सिद्ध हो रहे थे तथा पिछले कई वर्षो से इनमें परिवर्तन की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आखिरकार 33 साल बाद 09 अगस्त 2019 को राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक राहत के रुप में सामने आया है। यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रतिस्थापन है।

उद्देश्य एवं शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का तुलनात्मक अध्ययन करना है, जिसके आधार पर मुख्य परिवर्तनों एवं अधिनियम की व्यापकता को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से परखा जा सके। इस हेतु द्वितीयक स्त्रोत अर्थात् प्रकाशित सामग्री एवं तथ्यों का उपयोग किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की तुलना – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों एवं नवीन अधिनियम 2019 में किए गए नवीन तथा परिवर्तित प्रावधानों की तुलना कुछ प्रमुख बिन्दुओं यथा – संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक तथा न्यायिक प्रावधानों के आधार पर की गई है –

1. **नियामक संस्था –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में केन्द्रीय नियामक संस्था अस्तित्व में नहीं थी जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी (CCPA) का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह अथॉरिटी उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से सम्बंधित मामलों का नियमन करेगी। मामलों की पड़ताल हेतु सीसीपीए की एक अन्वेषण शाखा भी होगी। इस अथॉरिटी के उक्त कार्यो के अतिरिक्त जोखिम परक वस्तुओं को रीकॉल करना, दोषपूर्ण सेवाओं को विदड्रॉ करने के आदेश जारी करना, चुकाई गई कीमत की भरपाई करवाना, जुर्माना लगाना तथा खतरनाक एवं असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस जारी करने जैसे कार्य भी शामिल होंगे।

2. **उपभोक्ता परिवेदना एवं शिकायत निवारण –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत् उपभोक्ताओं की शिकायत/विवाद के निवारण हेतु जिला उपभोक्ता फोरम (जिला उपभोक्ता मंच), राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग गठित थे। नवीन अधिनियम में भी तीनों ही स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन (CDRC) दूसरे शब्दों में उपभोक्ता कोर्ट जो अर्द्धन्यायिक निकाय के रुप में होगी, के गठन का प्रावधान है।

3. **आयोग के सदस्यों की नियुक्ति –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार तीनों ही स्तर पर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु सिलेक्शन कमेटी का प्रावधान था। राष्ट्रीय आयोग हेतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और केन्द्र सरकार के दो अधिकारी इस स्तर के आयोग के सदस्यों का चयन करती थी वहीं आयोग के प्रमुख की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती थी।

राज्य आयोग हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य सरकार के दो अधिकारी इस स्तर के आयोग के सदस्यों का चयन करती थे वहीं आयोग के प्रमुख की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती थी।

जिला आयोग हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य सरकार के दो अधिकारी इस स्तर के आयोग के सदस्यों का चयन करती थी। अब नवीन अधिनियम में इस प्रकार की सिलेक्शन कमेटी का प्रावधान नहीं है। केन्द्र सरकार अधिसूचना के जरिये तीनो ही स्तर पर नियुक्तियॉ करेंगी।

4. **उपभोक्ता संरक्षण परिषद (CPC) –** पूर्ववर्ती अधिनियम की तरह ही नवीन अधिनियम के प्रावधान अनुसार उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के सम्बंध में परामर्श देने हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की जाना है।

5. **कानून का क्षेत्र –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में नवीन अधिनियम का क्षेत्र व्यापक है। सभी वस्तुओं और सेवाओं (मुख्य एवं व्यक्तिगत् सेवाओं को छोड़कर) को पूर्ववर्ती अधिनियम अनुसार तो शामिल किया ही गया है साथ ही टेलीकॉम, आवास निर्माण तथा टेलीशॉपिंग, मल्टी मार्केटिंग व ऑनलाईन अर्थात् ई कॉमर्स से जुड़े मामलों को भी स्पष्ट व्याख्या के साथ शामिल किया गया है।

6. **आयोगों में सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार –** मौजुदा अधिनियम में आर्थिक आधार पर मामलों की सुनवाई इस प्रकार होती रही है –

- **जिला उपभोक्ता फोरम –** उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामले सुनता है, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 20 लाख रुपये तक हो।
- **राज्य आयोग –** उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामले सुनता है, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 20 लाख रुपये से अधिक हो किन्तु 01 करोड़ से अधिक न हो।
- **राष्ट्रीय आयोग –** उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामले सुनता

* सह प्राध्यापक (वाणिज्य) अ.श.रा.म. शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला–देवास (म.प्र.) भारत

है जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 01 करोड़ रुपये से अधिक होगी ।

जबकि अब नवीन अधिनियम, 2019 में आर्थिक क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है जो इस प्रकार है –

- **जिला स्तरीय कमीशन –** यह कमीशन उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जहाॅ वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये तक हो।
- **राज्य स्तरीय कमीशन –** यह कमीशन उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जहाॅ वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक तथा 10 करोड़ रुपये तक हो।
- **राष्ट्र स्तरीय कमीशन –** यह कमीशन उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जहाॅ वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ से अधिक हो।

7. मध्यस्थता इकाई की स्थापना – पूर्व के अधिनियम में शिकायतों एवं परिवेदनाओं के निराकरण हेतु किसी भी प्रकार की मध्यस्थता एजेन्सी नहीं थी जबकि नवीन अधिनियम में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कमीशन से जुड़ी मध्यस्थता इकाईयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगर सभी पक्ष सहमत हो तो कमीशन मध्यस्थता की पेशकश कर सकेंगे।

8. उत्पाद दायित्व सम्बधी प्रावधान – 1986 के अधिनियम में उत्पाद दायित्व स्पष्ट रुप से परिभाषित नहीं थे, जबकि नवीन अधिनियम में उत्पाद दायित्व को भी निर्धारित किया गया है अर्थात् किसी खराब उत्पाद या दोषपूर्ण सेवाओं के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक या शारीरिक नुकसान होता है तो उत्पादक, विक्रेता या सेवाप्रदाता के खिलाफ उत्पाद दायित्व का दावा किया जा सकेगा। इसमें मानसिक कष्ट या भावनाओं की क्षति भी शामिल है। इन्सीडेन्टल लॉसेस को भी नए अधिनियम में स्पष्ट किया गया है।

9. अनुचित कॉन्ट्रेक्ट सम्बधी प्रावधान – 1986 के अधिनियम में अनुचित कॉन्ट्रेक्ट सम्बंधी प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या नहीं थी जबकि नवीन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कॉन्ट्रेक्ट अनुचित माने जाएंगे जिससे कि उपभोक्ता के अधिकार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इसमें निम्नांकित स्थितियों में कोई कॉन्ट्रेक्ट अनुचित माना जावेगा –

- बहुत अधिक सिक्यूरिटी डिपाजिट की मांग करना।
- कॉन्ट्रेक्ट तोड़ने पर ऐसा दण्ड देना जो कॉन्ट्रेक्ट तोड़ने से होने वाले नुकसान के अनुपात में न हो।
- अगर कोई उपभोक्ता उसके द्धारा लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान समय पूर्व करना चाहे तो उसे लेने से इंकार करना।
- बिना किसी उचित कारण के कॉन्ट्रेक्ट को समाप्त करना।
- बिना उपभोक्ता की सहमति के कॉन्ट्रेक्ट को तृतीय पक्षकार को हस्तांतरित करना जिससे कि उपभोक्ता को नुकसान हो।
- ऐसा अनुचित शुल्क या बाध्यता लगाना जिसमें उपभोक्ता का हित प्रभावित होता हो।

10. व्यापार के अनुचित तौर तरीकों की व्याख्या – पूर्व के अधिनियम में भी व्यापार के अनुचित तौर तरीकों को रेखांकित किया गया था। अब नवीन अधिनियम में मुख्य रुप से इस प्रकार के तीन तरीके और शामिल किए गए हैं – (1) बिल या रसीद प्रदान नहीं करना (2) 30 दिनों के भीतर वस्तु वापस लेने से इंकार करना तथा (3) विश्वास में दी गई जानकारी का खुलासा करना अगर वह कानून या सार्वजनिक हित के लिए अपेक्षित नहीं है।

11. अर्थदण्ड एवं सजा सम्बंधी प्रावधान – पूर्ववर्ती अधिनियम में आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने पर 01 महीने से 03 वर्ष तक के कारावास या 2000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता था। नवीन अधिनियम में आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने पर 03 वर्ष तक के कारावास या न्यूनतम 25000 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। इसी प्रकार सीसीपीए द्धारा जारी आदेशों का पालन नहीं करने पर 06 माह का कारावास या 20 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

पूर्व अधिनियम में उत्पाद के प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी पर किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी तय नहीं थी जबकि नवीन अधिनियम में अगर कोई सेलिब्रिटी किसी उत्पाद का प्रचार करता है और वास्तविक उत्पाद उस प्रचार प्रसार से अलग है तो सेलिब्रिटी पर जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार गलती करने पर सेलिब्रिटी पर दस लाख रुपये का जुर्माना और एक साल तक प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। दूसरी बार गलती करने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपये तक हो सकेगी और तीन साल का प्रतिबंध लग सकेगा।

उपसंहार – उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि नि:सन्देह नये अधिनियम में वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए व्यापक एवं नवीन प्रावधान किए गए हैं जो कि उपभोक्ता हितों में है। इन प्रावधानों से उत्पादको/विक्रेताओं की जिम्मेदारी का दायरा बढ़ाया गया है वहीं उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिल सके इस बाबद् प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया गया है। ऑफलाईन के साथ साथ ऑन लाईन सौदो के सम्बंध में किये गये प्रावधान उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में प्रबल साबित होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारत का राजपत्र अगस्त 09, 2019 नई दिल्ली
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
3. Consumeraffairs.nic.in
4. Draft of Consumer Protection Bill 2018
5. Wikipedia.org Here : CCPA : Central Consumer Protectin Authoriry CDRC : Consumer Diputes Redressal Commission CPC : Consumer Protection Council

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) July To September 2019, Vol. II

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कृषि क्षेत्र के ग्रामीण विकास में योगदान

प्रियंका शर्मा * डॉ. प्रवीण ओझा**

प्रस्तावना – कृषि क्षेत्रों में विकास को बढ़ाने के लिए 29 मई 2007 को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय परिषद (एनडीसी) ने यह पाया कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्य को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) योजना की शुरूआत की जानी चाहिए।

उपर्युक्त प्रेक्षण के अनुसरण में और योजना आयोग के साथ परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार में वर्ष 2007-08 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत की थी जो तब से प्रचालन में है।

11वीं योजना के दौरान राज्यों को 22408.76 करोड़ रूपये निर्मुक्त किये गये थे। जिसमें से कुछ वृहद श्रेणियों नामत: फसल विकास, बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विपणन एवं फसलोंपरांत प्रबंधन, पशु पालन, डेयरी विकास, मत्स्यिकी, विस्तार आदि में 5768 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 21586.6 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया था।

इस बढ़े हुए निवेश के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्रों में 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 2.46 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर की तुलना में 11वीं योजना के दौरान 3.64 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जा सकती है।

राज्यों से प्राप्त फीडबैक, 11वीं योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों और पणधारियों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारियों के आधार पर आरकेव्हीवाई के प्रचलन में दिशा निर्देशों को न केवल कार्यक्रम की दक्षता एवं क्षमता के लिए बल्कि 12वीं योजना अवधि के दौरान इसकी समग्रता के लिए भी संशोधित किया गया।

आरकेबीवाई के उद्देश्य – आरकेव्हीवाई का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए 12वीं योजना अवधि के दौरान वांछित वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना और उसको बनाए रखना राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके।

राज्यों को कृषि एवं संबंद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायतता प्रदान करना।

कृषि जलवायुवीय स्थितियों, प्रौद्योगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिला एवं राज्यों हेतु कृषि योजनाएं बनाए जाएं, यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताएं/फसलों/प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए।

केन्द्रीय कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।

कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र प्रकार से समाधान करके उत्पादन एवं उत्पादकता में परिवर्तन लाना।

पात्रता मापदंड एवं निधियों का अंतर्राज्य आवंटन – आर.के.वी.वाई राज्य योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित करने हेतु जारी रहेगी। योजना आयोग द्वारा बताई गयी संबंधित क्षेत्रों की सूची क्षेत्रीय व्यय अर्थात सस्यपालन (बागवानी सहित), पशुपालन और मात्स्यिकी, डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, वानिकी एवं वन्य जीव, रोपण एवं कृषि विपणन, खाद्य भण्डार एवं भंडागार, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थान, अन्य कृषि कार्यक्रम और सहकारिता के निर्धारण के लिए आधार होगा। इसके अलावा ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास से संबंधित हैं अर्थात पिछले ट्यूबवेल, गहरे ट्यूबवेल, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंगकलग इरिगेशन, डगवेल अथवा इसी प्रकार के अन्य सिचांई कार्यकलाप जो राज्य के कृषि विभागों के तहत बजटित हैं। कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलापों पर पंचायती राज्य संस्थानों (पीआरआई)/प्रशासनिक इकाईयों द्वारा व्यय के प्रमाणित आंकड़ों पर भी बेस लाईन व्यय की गणना के लिए विचार किया जाना चाहिए है।

पात्रता मापदंड को ही राज्य आरकेवीवाई आवंटन प्राप्त करने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब कुल राज्य योजना (आरकेवीवाई निधियों को छोड़कर) व्यय में राज्य का कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों का बेस लाईन अंश कायम रखा गया हो और जिला कृषि योजनाओं (डीएपी) एवं राज्य कृषि योजनाओं (एएसपी) का गठन किया गया हो।

व्यय का बेस लाईन स्तर पिछले वर्ष के तीन पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान कृषि एवं अन्य अभिज्ञात संबंद्ध क्षेत्रों पर वहन किए गए व्यय का न्यूनतम प्रतिशत होगा राज्य को पात्र होने के लिए पिछले तीन वर्षो के दौरान कृषि एवं अन्य अभिज्ञात संबंद्ध क्षेत्रों में व्यय का औसत प्रतिशत अंश को कम से कम बेस लाईन स्तर (परिशिष्ट-का पर दिया गया है) के बराबर होना चाहिए।

आरकेवीवाई निधियों राज्यों को 50 प्रतिशत की दो किश्तों में उपलब्ध करवाई जाएगी। पात्रता एवं अंतर्राज्य मापदंडों को आरकेवीवाई विशेष योजनाओं के तहत निधियां प्रदान करने के लिए लागू नहीं किया जाएगा। निधियों की निर्मुक्ति केवल राज्य सरकार को की जाएगी और राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से आरकेवीवाई परियोजनाओं को पूरित कर सकते हैं।

* शोधार्थी, स्कूल ऑफ कॉमर्स एण्ड बिजनेस स्टेडिज, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) बी.एल.पी. शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, महू, इंदौर (म.प्र.) भारत

जिला व राज्य कृषि योजनाएं – जिला व राज्य कृषि योजनाएं इस स्कीम के नियोजन व कार्यान्वयन की आधारशिला बनी रहेंगी।

जिला कृषि योजनाएं (डीएपी) जिला विकास योजना के लिए अनिवार्य है। 12वीं योजना के दौरान अन्य जारी राज्य स्कीमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) व पिछड़ा जिला अनुदान कोष (बीआरजीएफ), समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), भारत निर्माण आदि (राज्य और केन्द्रीय दोनों) से उपलब्ध संसाधनों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक जिले में डीएपी होगी। डीएपी वर्तमान स्कीम का सामान्य समुच्चयन नहीं होगा बल्कि इसका लक्ष्य जिले के कृषि व संबंद्ध क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता का प्रक्षेपण होगा। ये योजनाएं जिले के समग्र विकास परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों के लिए संदृश्य प्रस्तुत करेगी। डीएपी व्यापक तरीके से कृषि विकास योजनाओं के स्त्रोतों के अलावा अपनी वित्तीय जरूरतें भी प्रस्तुत करेगी। चूंकि आरकेवीवाई उद्देश्यों की उपलब्ध समुचित जिला योजनओं का परिणाम है। इन आवश्कताओं को जहां तक संभव हो सके राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए। राज्यों को जिला योजना के लिए उनके द्वारा विकसित संस्थागत तंत्रों एसएलएससी यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को आरकेवीवाई परियोजनाओं में वाछित सहायता दी जावेगी।

आरकेवीवाई का आयोजन एवं कार्यान्वयन – स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य कृषि विभाग नोडल विभाग रहेगा। प्रशासनिक सुविधा तथा कार्यान्वयन को आसान करने के लिए राज्य सरकारें फास्ट ट्रेक संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु एक विशेष एजेंसी स्कीम की पहचान और गठन कर सकती है। जहां इस प्रकार की एजेंसी गठित/अभिनामित की जाती है, वहां आरकेवीवाई के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का संपूर्ण दायित्व राज्य कृषि विभाग का होता है।

ऐसी स्थिति में जहां राज्य एक नोडल एजेंसी को अभिज्ञात करते हैं, एजेंसी को चलाने की लागत, आरकेवीवाई आवंटन के विशेष स्कीमों को छोड़कर एक प्रतिशत सीमा तक पूरा किया जायेगा।

राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से एक प्रतिशत की सीमा से अधिक कोई भी प्रशासनिक व्यय को पूरा कर सकते हैं।

कृषि विभाग/नोडल एजेंसी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे– राज्य कृषि योजना (एसएपी) एवं राज्य कृषि अधोसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम (एसएआईडीपी) तैयार करना तथा जिला कृषि योजनाओं (डीएपी) की तैयारी को सुनिश्चित करना। परियोजनाओं की तैयारी, कार्यान्वयन निगरानी तथा विभिन्न विभागों तथा कार्यान्वयक एजेंसियों के साथ मूल्यांकन को प्रभावी रूप से समन्वित करना।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्राप्त निधियों का प्रबंधन तथा कार्यान्वयक एजेंसियों के लिए निधियों का वितरण।

कृषि एवं सहकारिता विभाग की उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा तिमाई वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशात्मक प्रोफार्मा परिशिष्ट पर है।

आरकेवीवाई प्रबंधन सूचना के आधार पर आईटी बेव समर्थित प्रणाली (आरकेवीवाई–एमआईएस) की प्रभावी उपयोगिता तथा नियमित रूप से अद्यतन करना।

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, कृषि एवं सहकारिता विभाग से परियोजना विवरण तथा पर्याप्त संख्या (20 से कम नहीं) में एजेण्डा की प्रतियों के साथ एस.एल.एस.सी. की बैठक के नोटिस को अग्रेसित करेगा जिससे यह भारत के प्रतिनिधियों को तैयार होने तथा एसएलएससी बैठक में उद्देश्य पर सहभागिता के लिए समर्थ करने हेतु एसएलएससी की बैठक में 15 दिन से पहले पहुंचे।

एक बार जब एस.एस.एल.एस.सी. परियोजनाओं को स्वीकृत करता है तो कृषि एवं सहकारिता विभाग केवल राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त करता है।

राष्ट्रीय किसान नीति (2007) की परिकल्पना के अनुसार, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को, आरकेवीवाई के कार्यान्वयन में विशेष रूप से लाभार्थियों के चयन, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

सुझाव – भारतीय कृषि का भविष्य राज्य सरकारों की भूमिका पर बहुत कुछ निर्भर है। उन्हें चाहिए है कि वे सिंचाई, बिजली और अन्य कृषि निवेशों पर दी जा रही सब्सिडी का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ वेज्ञानिकों को ऐसी खेती पद्धतियों का विकास करना चाहिए जिससे भारत के किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने के अलावा भी अन्य अवसर मिले जिससे किसान समृद्ध हो।

इससे समुचित कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। जिससे बागवानी, फसल उत्पादन, रेशम उत्पादन, पशु पालन तथा कृषि वानिकी शामिल है। एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से तथा कृषि विकास योजना को समस्त किसानों तक पहुंचाकर किसानों का विकास संभव है तथा शोधार्थी के द्वारा यह भी सुझाव दिया जाता है कि इस तरह की अन्य योजनाएं भी क्रियान्वित की जानी चाहिए ताकि किसान समृद्ध हो सके।

निष्कर्ष – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) 11वीं पंचवर्षीय योजना से जारी है। इस योजना में राज्यों को कृषि क्षेत्र में व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए योजना निर्माण व कार्यान्वयन में पर्याप्त लोच और स्वायत्ता दी गयी है।

राज्य विकेन्द्रित योजना निर्माण के तहत कृषि जलवायु की दशाओं, प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देते हुए जिला कृषि योजना (डीएपी) बनाते हैं जो स्थानीय आवश्कताओं, फसल पैटर्न और प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करती हैं।

आर्थिक विकास संस्थान द्वारा की गयी आरकेवीवाई मूल्यांकन की अंतरिम रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कषि राज्य घरेलू उत्पाद (एजीएसडीपी) के रूप में आंकलित कृषि से प्राप्त आय, आरकेवीवाई से पहले की अवधि की तुलना में आरकेवीवाई के बाद की अवधि की अवधि में अधिक रही है। इसके अलावा, लगभग सभी राज्यों ने आरकेवीवाई के बाद की अवधि में कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियों से उच्च मूल्या प्राप्त किया है।

इस योजना की मदद से किसानों के प्रयास को मजबूत बनाया गया व जोखिम के निवारण के माध्यम से कृषि के काम को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।

सदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. www.mp.krishi.org
2. www.krishi.gov.in
3. www.worldeconomic.in
4. www.drishtiias.com
5. www.afeias.com/knowledge-center/current-content
6. http://gshindi.com/pib/rastriya-krishi-vikash-yojna
7. www.agriculturedepartment.in

भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का नियमन

सीमा कीर *

शोध सारांश – भारत के आर्थिक विकास में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कई ऐसे वित्तीय संस्थान हैं, जो बैंक न होते हुए भी बैंक की तरह कार्य करते हैं। इनके कार्यो में जमा राशियां प्राप्त करना एवं उधार देना भी शामिल है। निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रकार के गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का नियमन आवश्यक है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य इस प्रकार की गैर-बैंकिंग कम्पनियों के नियमन का विश्लेषण करना है।

शब्द कुंजी – गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां, कार्य, कोष एवं नियमन।

प्रस्तावना – गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी उस संस्था को कहा जाता है जो कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा नये कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य कार्य उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के अंशों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार एवं चिटफण्ड से सम्बंधित कार्यों में निवेष करना है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के अंतर्गत केवल वित्तीय कम्पनियां ही नहीं आती बल्कि बीमा, चिटफण्ड, निधि, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग और विनियोग का व्यापार करने वाली कम्पनियों को भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में शामिल किया जाता है। कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियां करने वाली कम्पनियां, वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने वाली कम्पनियां तथा अचल सम्पत्तियों का निर्माण करने वाली कम्पनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के क्षेत्र में नहीं आती।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का इतिहास – भारत में वर्ष 1963 के पूर्व तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के नियंत्रण हेतु कोई एकीकृत नियमन नहीं था, अत: सभी कम्पनियां अपना नियमन स्वयं निर्धारित करती थीं जिसके कारण कई लोगों की जमा राशियां डूब चुकी थी। निवेशकों को हो रहे आर्थिक नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की मंशा के अनुरूप इस प्रकार की सभी कम्पनियों एवं निगमों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये एक शीर्ष संस्था को आधिकारिक रूप से अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के परिपालन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु वर्ष 1963 में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के नियंत्रण हेतु नियम बनाना प्रारंभ किया। वर्तमान में जो कम्पनियां बैंक जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं, उनका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके अतिरिक्त बीमा क्षेत्र में कार्य करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का नियमन आइआरडीए करता है। जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जोखिम पूंजी कोष (वेंचर केपीटल फण्ड), मर्चेंट बैंकिंग कम्पनी, स्टॉक ब्रोकिंग कम्पनी या म्यूच्युअल फण्ड के रूप में कार्य करती हैं, उनका नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। निधि कम्पनियां, कम्पनी मामलों के मंत्रालय के अधीन आती हैं जबकि चिटफण्ड कम्पनियां राज्य सरकारों के अधीन आती हैं। हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियों का नियमन नेशनल हाउसिंग बैंक करता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का कोष एवं नियमन – बैंक की तरह कार्य करने वाली इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को विश्व भर में 'शैडो बैंकिंग सिस्टम' कहा जाता है। ये कम्पनियां वास्तव में बैंकों की तरह कार्य करती हैं लेकिन इन्हें अन्य बैंकों की तरह सस्ती दर पर ऋण प्राप्त नहीं हो पाता, अत: यह कम्पनियां बैंकों से उधार लेकर अथवा अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों का निर्गमन करके अथवा वाणिज्यिक पत्र जारी करके अपना कोष एकत्रित करती हैं।

जिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की परिसम्पत्ति का आकार गत वर्ष की लेखा परीक्षा के आधार पर 100 करोड़ रूपये या उससे अधिक हो, उन्हें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी माना जाता है। ये कम्पनियां अपना कोष एकत्रित करने के लिए मुख्य रूप से अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों का निर्गमन करती हैं। अपरिवर्तनीय ऋणपत्र एक प्रकार का बॉण्ड होता है जिसे कम्पनी उधार लेने के लिए जारी करती है। इस ऋणपत्र की अवधि एक वर्ष की होती है। अवधि पूर्ण होने पर कम्पनी द्वारा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। अपरिवर्तनीय ऋणपत्र को अंश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कम्पनी द्वारा उधार लेने के लिए वाणिज्यिक पत्र एक प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को अपना कार्य आरंभ करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उसे अपनी गतिविधियों के आधार पर रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से शुद्ध स्वामित्व कोष (एनओएफ) के रूप में न्यूनतम दो करोड़ रूपये की पूंजी भी रखनी होती है। व्यवसाय प्रारंभ होने के पश्चात् उन्हें प्रति वर्ष लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत संचय कोष बनाना अनिवार्य होता है।

भारत सरकार की मुद्रा योजना (डन्क्त-माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एण्ड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के नियमन के माध्यम से ही संचालित हो रही है। मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर-निगमीय उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्य – गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन

* व्याख्याता (माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट) शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

कम्पनियों द्धारा मुख्य रूप से वित्तीय मध्यस्थता का कार्य किया जाता है। इन कार्यो में प्रमुख रूप से निम्न कार्य शामिल हैं -

1. जमा स्वीकार करना।
2. ऋण और अग्रिम प्रदान करना।
3. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निधियां एकत्रित करना।
4. लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण प्रदान करना।
5. अंतिम व्ययकर्ता को उधार प्रदान करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और बैंक में अंतर - गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां बैंक की तरह कार्य करती हैं किन्तु वे बैंक नहीं होती। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में निम्नलिखित अंतर है - **(देखे)**

भारत की दस सर्वश्रेष्ठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां -

1. पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (स्थापना -1986)
2. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (स्थापना -1979)
3. बजाज फाइनेंस लिमिटेड (स्थापना -2007)
4. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (स्थापना - 1991)
5. मुथूट फाइनेंस लिमिटेड (स्थापना -1888)
6. एचडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज (स्थापना -2007)
7. चेलामण्डलम इंवेस्ट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (स्थापना - 1878)
8. टाटा केपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (स्थापना -2007)
9. एल एण्ड टी फाइनेंस लिमिटेड (स्थापना -1994)
10. आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड (स्थापना -1991)

वर्तमान में भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां ऋण और उधार सुविधाओं, निजी शिक्षा कोष, सेवानिवृत्ति योजना, मुद्रा बाजार में व्यापार, अभिगोपन स्टॉक (अंडरराइटिंग स्टॉक) और अंश, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट तथा अन्य प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करने में संलग्न हैं। विगत वर्षों में भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि कई उद्यमी पूंजी कम्पनियां और औद्योगिक कम्पनियां उधार प्रदान करने वाले व्यवसाय में प्रवेश कर चुकी हैं। भारत के आर्थिक विकास में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की महत्वपूर्ण भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए तथा निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के नियमन हेतु नवीन दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एस.के. एवं पुरी वी.के. हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 2018
2. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार

क्र.	अंतर का आधार	गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां	बैंक
1.	मांग जमा	ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकतीं।	ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं।
2.	चैक जारी करना	ये चैक जारी नहीं कर सकते।	ये स्वतंत्र रूप से चैक जारी कर सकते हैं।
3.	बीमा की सुविधा	यहाँ ग्राहकों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है।	यहां साख एवं प्रतिभूति निगम जमा राशि का बीमा करता है।
4.	नियमन अधिनियम	ये भारतीय कम्पनी अधिनियम द्धारा निगमित होती हैं।	ये बैंकिंग नियमन अधिनियम द्धारा निगमित होते हैं।
5.	रिजर्व अनुपात	इनके लिये आवश्यक नहीं है।	इनके लिए आवश्यक है।

****

Green Human Resource Management - A Step Towards Environment

Dr. Sunita Wathrey* Astha Rajak**

Abstract - The twenty-first century has been showing increased interest in environmental concerns all around the globe irrespective of their fields whether it is politics, social, public, or business. In continuation of this, now organizations started emphasizing to go green in their businesses and adopting various environmental management techniques. Implying Green HRM is one of the aspects of it. Green HRM as a term is used to all possible HR policies that could contribute to an organization's environmental plan. Today, Green Human Resource Management (GHRM) is becoming a key business plan for significant organizations where Human Resource Departments play a vital role in going green at the office. This paper highlights the growing use of the Green Business practices along with its impact on the business by adding towards the environment.
Key Words - Green HRM, Businesses, Environment, Organization.

Introduction - The term Green HRM has become the buzzword within the business field at present and its significance is increasing manifold with the passage of time. Today, Green HRM not only includes awareness toward environmental affairs but also stands for the social as well as the economic well-being of both the organization and the employees within a wider prospect.

In literary terms, Green HRM is the use of HRM policies to promote the sustainable use of resources within organizations and, more generally promotes the causes of environmental sustainability". Growing global environmental concerns and the development of international environmental standards are creating the need for businesses to adopt formal environmental strategies and programs (Daily and Huang, 2001).

GHRM is directly responsible for creating the green workforce that understands, appreciates, and practices green initiative and maintains its green objectives all throughout the HRM process of advancing the firm's human capital. It refers to the policies, practices, and methods that make employees of the organization green for the benefit of the individual, society, natural environment, and the business. It includes dispersing the awareness within the workforce about the behavior that will be considered as Green Behavior. This involves the use of polices and practices by everyone within a business which will be beneficial for the environment and in-turns drags the business profits.

Traditionally, a majority of companies around the world have used the compliance approach in their environmental or green management initiatives driven by laws and regulations. However, in the past few years, environmental forces such as customer boycotts, dynamic preferences, and new customer requirements have affected basic business strategies – from pollution control to pollution prevention (Brockhoff et al., 1999).

Literature Review - Employees have to possess a sufficient amount of knowledge and skills in respect of greening and without these competencies it is not possible for the employee to become a green employee (Callenbach et al., 1993; Gupta & Sharma, 1996; Madsen &Ulhoi, 1996; Daily & Huang, 2001; Ramus, 2002; Rothenberg, 2003; Bhattacharya &Sen, 2004; Busck, 2005; Collier & Esteban, 2007; Garavan et al., 2010; Sudin, 2011).

A proactive role of human resource management pushing in developing cleaner technologies. Based on the environmental strategies of an organization, HRM has to provide the required competencies for the continuous improvement of its organizational environmental performance (Jabbour& Santos, 2008).

Indeed there is a lack of awareness with regard to specific green competencies to be possessed by the employee proper research studies to be carried out in this regard. Also the employee needs to have a proper outlook towards greening. Proper outlook means appropriate beliefs (cognitive), feelings (affective) and intention to behave (behavioral) with regard to greening. No matter what's the job or the field of specialization of the employee is, What matters is that he or she should have a right attitude (favorable) about greening(Stern & Dietz, 1994; Barrett & Murphy, 1996; Cordano& Frieze, 2000; Dunlap et al., 2000; Bamberg, 2003; Naffziger&Montagno, 2003; Peterson, 2004; Schultz et al., 2004; Perron et al., 2006; Tallon, 2008; Bamberg & Moser, 2007; Park, 2009; Garavan et al., 2010;

*HOD & Professor, Pt. Shambunath College, Shahdol (M.P.) INDIA
**HR Officer, Bureau Veritas Group, (UAE)

Milfont&Duckitt, 2010).

Environmental sustainability requires behavior change by every individual within the organization (Harries & Helen, 2012) at all levels are required to exhibit a positive and progressive behavioral change. A critical green human resource requirement is green behavior (Daily et al., 2009; Jackson et al., 2011; Bissing-Olson et al., 2013) one dimension of which is green organizational citizenship behavior that is defined as the extent to which the employee engages in positive actions aimed at helping the organization as a whole to achieve greening.

Concept of Green HRM - The concept of Green HRM has arisen with the progression of the Green Movement. The green movement is a diverse scientific, social, conservation, and political movement that broadly addresses the concerns of environmentalism. It comprises an array of organizations, political parties, and individual advocates operating on international, national, and local levels. It advocates four important elements Environmentalism, Sustainability, Non-violence, and Social justice. With the increasing awareness levels of the Green Movement across the globe, it's also drawing the individual's attention towards it by creating a Greener Environment. Many corporates are also seeing it as their Corporate Social Responsibility and using the concept for creating a better and economic environment to work. In fact, the development and execution of an organizational eco-friendly initiative involve all the departments of the organization to work toward this common objective.

These Green HRM practices don't cost much money to implement but can vary with the significant change in the conduct of business. They primarily represent voluntary green actions. Here are few steps companies can take to start Go Green practice -

1. Power Saving by early morning office startup or Use natural light when working (this will reduce electricity).
2. Shut down the computer when not working instead of hibernating it (this will reduce electricity and air pollution).
3. Switch off the air-conditioners before the ending time of daily work (30 minutes in advance).
4. Work with a minimum number of bulbs which are on.
5. Conduct an internal environment & energy audit in the organization.
6. Conduct eco-friendly or Go Green Surveys.
7. Go paperless by using apps, software & e-HR or use both sides of the paper when writing or printing or photo-copying (this will reduce electricity and save trees).
8. Reduces or recycle Industrial waste and wastage of resource by re-using them for the next product.
9. Reduce business travel - Teleconference instead of traveling.
10. Come to work by walking or bus/train. Whenever possible use Car lift or Shared Vehicle for Official purpose (this will reduce fuel consumption and air pollution).
11. Save water - Monitor sinks and toilets for leaks that wastewater.
12. Explore opportunities for implementing alternative energy sources.
13. Use natural water rather than refrigerated water for drinking (this will reduce electricity consumption).
14. Put plants in the working cubicles to absorb pollution.
15. Bring his or her own mugs and dishes.
16. Buy organic food for parties.
17. Re-use many items at the office such as jugs, cans, bottles, bags, etc rather than throwing them away.
18. Report to a relevant officer regarding damages, possible harms etc to the environment whenever noticed.

Green Human Resources Management Practices - The objectives of GHRM implementations are to make human resources conscious about the environment, to motivate employees to improve their environmental performance, to reduce the carbon footprint of companies. An absence in implementations of these objectives caused problems in some companies. In such businesses, it is difficult to create an environmentally conscious culture and an understanding mindful of the environment. With GHRM practices, a business aims to improve productivity, minimize the risks, and protect the interests of stakehlders.

(See in the last page)

HR intervention Towards Green Business Practices:

Recruitment and Orientation - Jobe can be posted online (website, job portal) and candidates can be envourged to fill the online application and send resume via emsail instead of providing it at the office desk. Induction for new recruits has to be designed in a way to ensure that they understand the concept of Green business practices and corporate environmental culture sincerely. Therefore sustainability development issues must be blended with the recruitment process. This involves controlling the long-term competency requirements for the business, providing new employees with information about sustainable development policies and commitments, using recruitment procedures which support the equitable representation of applicants and recruits in terms of gender, age, racial and ethnic groups, sexual orientation, disabled people and other relevant groups.

Training and Development - Employee training and development programs must include social and environmental concerns at all levels, from technical health and safety considerations on the shop floor to strategic sustainability issues at executive management and board level. They should cover the full range of social, environmental and economic risks and opportunities involved with the business and the means to identify them. The focus should be on developing competencies for different business functions and different levels of seniority.Green orientation programs for the newly hired employees should be an integral part of the training and development process. They should inform the employees

about the green procedures and policies including the vision/ mission statement of the company, the sustainability oriented benefits, company-wide initiatives like reducing greenhouse gases, creating green products etc.

Performance Management System (PMS) - Implementing performance management (PM) in environmental management (EM) highlights the challenges of measuring environmental performance standards across varied units of the firm, and gaining required data on the environmental performance of managers and staff. Firms like Tata Group of Companies have installed corporate-wide environmental performance standards (which cover on-site use, waste management, environmental audits, and the reduction of waste) to measure environmental performance standards, and developing green information systems and audits (to gain useful data on managerial environmental performance). One way in which PM systems can be successfully initiated in an organization is by tying the performance evaluations to the job descriptions mentioning the specific green goals and tasks. KPI should be set for individuals which measures their contribution in maintain the Green business practices and rating should be done accordingly. For eg., Performance Appraisal (PA) can cover such topics as environmental incidents, usage of environmental responsibilities, reducing carbon emissions and the communication of environmental concerns and policy.

Compensation and Benefits - Attainment of specific sustainable initiatives should be combined with the compensation system by offering employees a benefits package that rewards employees for their eco-behaviors. A separate variable pay element can be added to the compensation system by linking the pay to eco-performance. Work organizations can benefit from rewarding waste reduction practices that units develop. For example, when implementing a green suggestion a portion of the savings that accrued from its results can be returned to the team or the employee who suggested the idea. DuPont has an Environmental Respect Awards program that recognizes employee environmental achievements, and both Nordstrom and 3M offer rewards for suggestions that individual staff make to help the environment and increase firm profitability.

Reward packages are related to procuring designated skills and competencies (and not just for performance), as they are seen to be important factors in performance over the long-term, an example being that knowledge of environmental codes may prevent serious accidents or illegal emissions occurring. In general, such organizations are required to develop reward systems to produce desired behaviors in business practices, and doing so requires effective employment of both incentives and disincentives. Disincentives include negative reinforcements like suspensions, criticisms, and warnings and may be needed to get employees to make environmental improvements, e.g. if employees engage in lapses in the handling of hazardous waste.

Green HSE - Traditionally Employee Safety in the workplace, is an HR area of responsibility (or at least something to be taken care of – even if ‘outsourced’ internally). Health and Safety Professionals have all now become Health, Safety and Environmental Professionals! So, aspects of the environmental management agenda (including environmental protection) of an organisation have been incorporate into these roles.

Recognition and Awards - Recognition-based rewards can be effectively used for encourning the eco behabiours. As in some of the firms in U.S. and U.K. include senior managers at presenting awards in public meetings, and via news articles. in EM recognition-based rewards can be offered at different levels within companies. at Xerox it is presented by CEO’s annually for individual, team, and divisional contributions to waste reduction, company-wide team excellence awards, and in non-traditional forms like paying their employees for performing community service, and giving them opportunities to attend green events and rallies. Indeed, some U.S. companies like Federal Express are offering employees sabbaticals which enable them to take up to 3 months paid leave every five years to work on jointly-agreed projects with the firm. Other innovative non-monetary rewards that are being used by U.S. firms include paid vacations, time off, favoured parking, and gift certificates – with them all seen toencourage employees on environmental performance.

Contemporary Green HR Practices in Some Multinationals - Several companies have started the process of combining environmental concerns with their business strategy while giving HR a center position.

Google is leading the process not just in its environmental practices but also in advertising their environmental record and strategy. Like many emerging green companies, Google has hired a director who coordinates corporate environmental efforts in an attempt to match their corporate business strategy with their environmental efforts. It also uses the green recruiting technique- believes that most talented people get attracted because of it.

Companies like **Honda, S.C. Johnson, Goldman Sachs, Starbucks, Patagonia, Timberland, and GE** have successfully used their environmental-friendly policies to sell their commodities and gain media exposure. In India, the green movement and Green HR are still in a nascent stage with a few companies following a green agenda. Green Toyota has made a public commitment that it would do business only with those firms that are certified “Green”.

Green initiatives in IBM - Now in more than170 countries and with 62 percent of our business service-based, IBM sees the need to capitalize on talent worldwide. To do that, HR has shifted to a globally based, process-driven model. IBM’s five building blocks provide the tools for operational savings and business growth. They have realized that by going green the pocketbook and the planet get impacted.

Double your IT capacity In the same energy footprint Reduce operational costs 40-50% energy savings $1.3M / year savings Positive environmental impact1,300 fewer cars or 3.5M fewer pounds of coal Diagnose Get the facts to understand your energy use and opportunities for improvement Build Plan, build, and upgrade to energy-efficient datacentres Cool Virtualize Implement virtualization and other innovative technologies Manage& Measure Seize control with energy management software. IBM Project Big Green Use has initiated innovative cooling solutions and has a holistic Green IT approach.

General Electric's - Uses six sigma techniques for optimizing their operations to improve environmental and social outcomes in a manner that increase overall performance

Infosys - Started with e-recruiting staffing solution.

Hewlett Packard - Product take-back programs, green packing and integrating design.

Sustainable Initiatives at ITC Green Products - Premium Business Paper: For the first time in India ITC has launched an environment friendly multipurpose paper "Paperkraft Premium Business Paper", for office and home use using a new technology 'Ozone Treated Elemental Chlorine Free Technology' replacing Elemental Chlorine which was conventionally used in the bleaching process during paper manufacture. This process produces large amounts of toxic chemical compounds called dioxins and furans which adversely impact the environment. The Bhadrachalam unit for the first time in India pioneered the Elemental Chlorine Free technology (ECF) in 2002 substituting elemental chlorine with chlorine dioxide. This technology considerably reduced the AOX, COD and BOD in the effluent which is in fact good for aquatic life. In 2008, ITC PSPD once again for the first time in India introduced the superior Ozone bleaching technology upgrading the ECF bleaching to Ozone bleaching process. Adoption of this new technology has made the pulping process much more environmental friendly with the AOX in effluent being reduced to 0.0064 kg/t. (Gill Mandip).

Conclusion - Green ideas and concepts are beginning to gain momentum within the human resources space, often complementing existing initiatives based on sustainability. Moreover, they are delivering tangible benefits to the business, rather than simply adding a shine to the brand and reputation. These new processes, policies, products and tools help ensure compliance and improve productivity as well.

Green human resource management has a large share in organizational aooroaches to accomplish organizational green goals The paper highlighted the Green HRM aspects and some measures to implement them. Researchers have proven in findings that HR department plays very important role for implementing go-green concept in organizations. Implementation of green initiatives is only possible through employee engagement and participation and that is only possible if HR is ready to enforce such measures & behavior within its workforce. Green initiatives create a sense of loyalty among the employees towards the organization, boost up employee morale and also improve their sense of acheivemernt within their work and outer environment. To gain the advantages of the concept Go-green organizations should start focusing on increasing green competency, reducing and eliminating environmental desecrate, and restoring HR products, consequential in greater efficiency and lesser costs. Most popular outcome of green HR practices included: electronic filing, teleconferencing and virtual interviews, ride sharing, job sharing, recycling, telecommuting, online training, and developing more energy efficient office spaces. With society becoming more environmentally conscious, businesses are starting to include green proposals into their everyday work environment. . This study also highlights the aspects to identify the areas like training and development, performance appraisal system and some regular activities where implementation of this concept of Green HRM can takes place.

References:-

1. https://hrmi.org/green-hrm/ make a table and then write key highlights
2. https://www.intechopen.com/books/corporate-governance-and-strategic-decision-making/gaining-a-competitive-advantage-through-green-human-resource-management (follow this research paper format and headings).
3. http://www.academia.edu/17635616/Green_ HRM_ Practices_and_Strategic_Implementation_in_the_ Organizations
4. https://www.researchgate.net/publication/230537826_ Green_Human_Resource_ Management_A_Review_ and_Research_Agenda
5. https://www.researchgate.net/publication/28189942 8_A_Study_of_Green_HR_Practices_and_Its_Impact _on_Environmental_Performance_A_Review
6. https://www.researchgate.net/publication/322635703 _Green_HRM_Practices_-A_Case_Study_ of_a_ Few_Selected_Indian_Companies _presented_ at_ National_ Conference _on_Organizational _Re-engine ering_ New_ Age_ Tool_for_ Competitive_Advantage
7. http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol17-issue12/Version-1/G0171214553.pdf
8. https://www.academia.edu/33257558/Implement ation_of_green_human_resource_manage ment_in_ Malaysia
9. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download ?doi=10.1.1.720.8478&rep=rep1&type=pdf
10. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/ 43829709/38.ISCA-ISC-2011-18CLM-Com03.pdf?res ponsecontentdisposition=inline%3B% 20filename% 3DGreen_HRM_People _Management_Commitment _t.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzCredential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A %2F20190901%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_

request&X-Amz-Date= 20190901T082853Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders =host&X-Amz-Signature=13279a1dc09c944f6de02ae830a fa22de601f204f376 b492a0e013b78a034e18

11. Brockett, J.,17 Prepare now for big rise in „green jobs,People Management, 17th May (2007).
12. https://rspublication.com/ijst/2018/apr18/1.pdf

	HRM	GHRM
Beliefs and assumptions	Central vision and shared ValuesStrong culture	Centrally shared environmentalVision Environmental culture
Strategic driven	PeopleStrategic drivenThe pursuit of excellence andcompetitive advantage	PeopleCross-functionally has drivenpursuit of environmental excellenceand sustainable practices
Management direction	Systems structureSupervisory and change leadershipTwo-way relationship andpersonal control	Systems structure and institutionalizePolicy champion and change leadershiptwo-way relationship and open dialogue
Management direction	Commitment and teamworkRecruitment and selectionAppraisal and rewardTraining, development, andlearning.	Environmental commitment and teamworkEnvironmental recruitment and selectionEnvironmental appraisal and rewardEnvironmental training, Development, and learning.

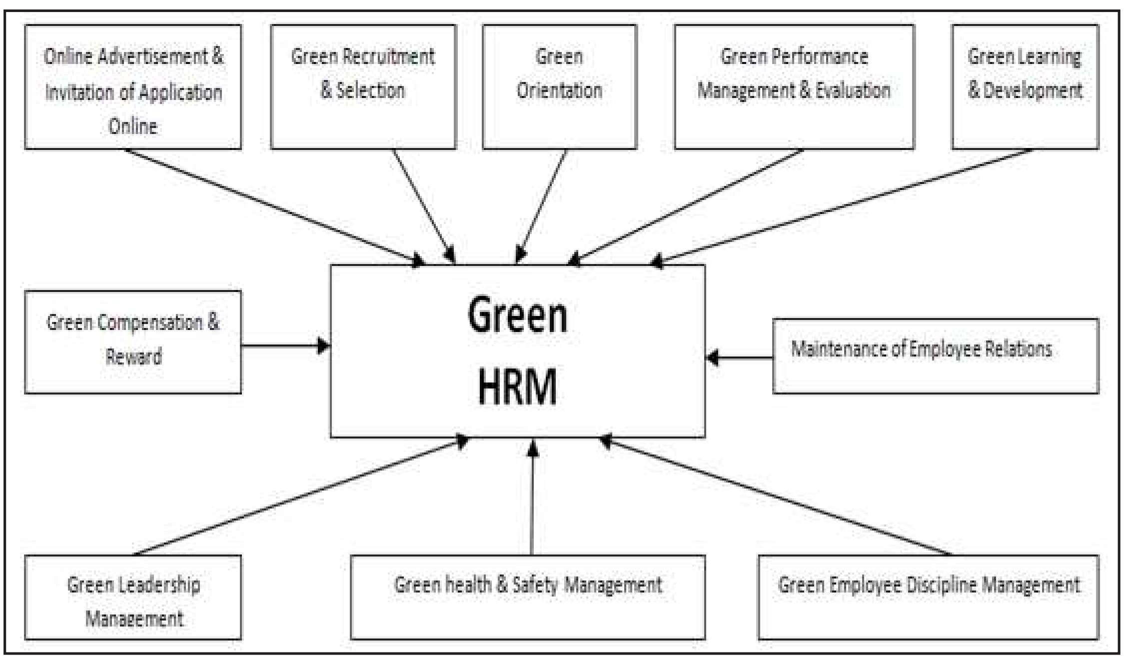

****

Problems Of Women Workers In Indian Unorganized Sector

Dr. Arun Prabha Choudhary* Tajindra Kaur**

Abstract - Unorganized sector is a key part of Indian economy. The Indian Economy characterized by the existence of a vast majority of unorganized sector employment. The female employment rate is high in unorganized sector of India. Most of the women workers work in the worst conditions of unorganized sector and they do not have any type of social security coverage. Present paper try to explore the conditions of women workers in unorganized sector and attempts to find out the problems faced by the women in unorganized sector of India.

Key Words - Unorganized Sector, Women Workers.

Introduction - Unorganized sector constitute a vital part of the Indian economy. The unorganized sector covers most of rural labour and a substantial part of the urban labour. Unorganized sector refers to all economic activities by workers and economic units that are in law or practice and not covered or insufficiently covered by formal arrangements. Income insecurity and vulnerability of the workers characterize the unorganized sector. The unorganized sector is more visible sector which provides employment to the large share of total workforce of India. In India, the organized sector which receives significantly large resources has failed to provide remarkable employment to the growing labour force. According to the report of the committee on unorganized sector statistics more than 90 percent of workforce and about 50 per cent of the national product are accounted for by the informal economy or unorganized sector. The unorganized sector has develop great significance over the years as a source of employment and livelihoods for an increasing number of workforce in both rural and urban areas of India and especially for women workers.

Female employment is an important part of economic development of India or any other country. In India most of the women workers are engaged in unorganized sector and do not have any type of social security coverage. In unorganized sector women work in horrific conditions which affect not only their socio-economic status but also hamper their health, Income and other aspects. A large number of woman workers work in unorganized sector for low wages due to low level of skills, illiteracy ignorance and surplus labour and face high level of exploitation.

Review of Literature - S. Rasheedha Banu conducted a study on working condition and issues of women workers in an unorganized sector special reference to construction sector of thuraiyur Taluk Tiruchirappalli. A sample of 63 women construction workers was selected for the study and analyzed the working conditions, wage discrimination, exploitation, harassment and problems of women workers in construction industry in study area. The study concluded that the problems of women construction workers in work place are major issues in contemporary social problems.

Dr. Diptirekha Mohapatra conducted a study on female workers in the unorganized sector in India and explained that globalization has drawn millions of women into paid employment across the developing world but they are systematically begin denied their fair share of the benefits brought by globalization. The study used exploratory approach and tries to reveal the condition of female workers in India. The study says that most of the employment of the women is high in unorganized sector such as a part time helper in household, construction sector, match and beedi industries etc. The conclusion of the study is that as far as the impact of technology is concerned there is a shift from subsistence to a market economy which has a dramatic negative impact on women.

Mr. Rakesh Ranjan conducted a study on women employment in the informal sector and revealed that a large proportion of the workers engaged in the urban unorganized sector is migrant from rural area with poor educational, training and skill background and are employed in low paying, semi-skilled or unskilled jobs. Woman workers in the informal sector work as piece rate workers, self-employed workers, paid workers in informal enterprises, unpaid workers in family business, casual workers without fixed employers, sub contract workers limited to formal enterprise. The study identified the categories of women workers in the informal sector.

Dr. Vandana Dave conducted a study on women in unorganized sector and made an attempt to understand the socio-economic condition of women laborers, nature

*Associate Professor (Retd.) (Economics) M.L.S.U. Udaipur (Raj.) INDIA
**Research Scholar (Economics) M.L.S.U. Udaipur (Raj.) INDIA

of their work, their working conditions, wage pattern wage discrimination and other difficulties faced by women workers at their work place. A sample of 350 women labourers from urban and rural areas of 3 districts of Hariyana was selected for the study. The study revealed that the majority of the migrant women were engaged in the construction industry and were only employed in unskilled and low paying jobs as coolies, labourers and helpers. The conclusion of the study was that Besides lack of organization in terms of forming trade unions among female workers adverse impact of technological growth in women labour, absence of purposeful human resource development policy on improving women's employability through training, inadequate legislation and ineffective enforcement of safe guards do protect women workers, particularly in terms of their working conditions are few of major causes leading to pitiable conditions of women workers.

Objectives of Study -

1. To analyze the conditions of women workers in unorganized sector.
2. To explain the problems faced by the women workers in unorganized sectors.

Research Design - In this paper exploratory approach has been adopted and data are collected from secondary sources such as; published research article books, reports and data literature available on websites.

Conditions of the Women workers - The unorganized sector is a large source of employment for women than men. Existing data suggest that majority of economically active women in India are engaged in the unorganized sector. The condition of women workers in unorganized sector is objectively and starkly worse and unprotected.

The International Labour Organization says that women represent:-

- 50% of total population.
- 30% of total workforce.
- Perform 60% of all working hours
- Receive 10% of the world's income.
- Own 1% of the world's property.

Within the unorganized sector women are concentrated in work associated with unstable earnings and with high risk of poverty. In unorganized sector women are overworked and their work is invisible, unorganized and unremunerated. Women are displaced by men due to the impact of technology.

Problems faced by Women Workers - Women work mainly for economic independence and for economic necessity. A large number of women from rural area, migrant to cities or towns in all over India. Most of these women workers are illiterate and unskilled. The women workers of unorganized sector are facing so many problems :-

Wage Discrimination - The female workers are paid lower and marginal wages than the male workers. They do not get similar payment to the male for same work. Even if the minimum wages Act prescribes a minimum wage for women workers in unorganized sector but still women workers are exploited and underpaid.

Lack of Education - Illiteracy is the very important problem of unorganized women workers because they have to start working in earlier childhood which does not allow them to go school.

Sexual Harassment - Women workers face a lot of sexual harassment in the course of employment. There are growing numbers of complaints for women working in unorganized sector that they have to suffer affronts to their dignity ranging from verbal passes to physical assaults.

Lack of social security - Women working persistently day in and day out, have no legislative protection, not even the guarantee of a minimum wages. The elements of job security, good working conditions and remuneration proportionate with the work, loyalty to worker's rights, social protection are missing for women working in the unorganized sector.

High work pressure - Women are overworked; women work twice as many hours as worked by their men counterparts. In agricultural sectors the condition is the worst. When measured in terms of number of tasks performed by women and the total time spent, it is greater than men.

Seasonal Employment - Many of the unorganized sector industries are seasonal. These industries includes fruits processing, pickle making, agriculture sector, construction sector etc. Women workers have to fetch another employment when there is no work during off season.

Insufficient skill and knowledge - Majority of women workers do not have proper training and skills associated to their task. This result is extreme stress and inadequate working.

Lack of family support - Absence of proper family support is a very important issue that female workers suffer from insufficient family support hampers the performance of the women workers and this affects their promotion.

Irregular wage payment - There is lack of controlled process in unorganized sector which results into improper payment of wages to the all unorganized workers and when it comes to payment to women worker, it is even worst.

Physical Problems - The working conditions of women workers are not healthy. Women workers are mostly on such tasks where they need to remain in one position and this results to savior problems.

The insensitive attitude of employer - The transitory nature of employment in unorganized sector does not allow the bond between the employer and employee to establish and become stronger.

Conclusion - Women play a main role in shaping the socio-economic conditions of a country. Women labour force constitutes an integral part of labour market in global economy. The problems of unorganized women workers at work place are on-of the major issues in the contemporary social problems. The conditions of women workers in unorganized sector are unpredictable. They face serious problems constraints related to work such as lack of

continuity, wage discrimination insecurity and absence of social security etc. In unorganized sector women workers are considered in the subordinate status thereby they get less remunerations or wages in comparison to men.

References :-

1. D. Angel "A analytical study of the status of women workers in unorganized sector in India", Business Science and International Research Journal Issn 2321-3191, Vol 5, Issue 1 (2017) pp – 14-16.
2. Manju "Women in unorganized sector – problems and issues in India", International Journal of applied Research, 2017: pp- 3(4) 829 – 832.
3. Kumari Sumita and Arun K. Singh "Working women in Informal sector: Geographical perspective". Journal of Anthropological Survey of India, 65 (2), 2016, pp: 185-199.
4. Monisha S. and Pl. Rani "Women working in unorganized sector: A conceptual study", Indian Journal of Applied Research ISSN-2249 – 555x, Vol.-6: issue 4, April (2016); pp. 97-99.
5. Masood Hajra and Mrs. Qaiser Jahan "Women workers in unorganized sector in India: Problems and Prospects Abstract", South-Asian Journal of Multi-studies ISSN – 2349 – 7858 Vol. 2, issue 4.
6. Ahad Nadia and Pratibha J. Mishra "Plight of Women workers in unorganized sector of Bastar District of Chhattisgarh", Journal of social work education and practice, ISSN 2456 – 2068, vol. 02, issue 01 (2017). Pp. 07 – 16.
7. Mohapatra Dr. Diptirekha "Female workers in the unorganized sector in India", International conference on studies in Humanities and social science, July 29-30, 2015. Pp – 99-102.
8. Samuel Prof. Reebu "Vulnerability of women in unorganized sector with special reference to women beedi workers in Udupi district of Karnataka.
9. Kumar Anil "A study of participation of women workers in the unorganized sector" Journal of advances and scholarly research in allied education, Vol. 13, issue No. 1, April, 2017 pp. 441 – 447.
10. Kumawat Dr. Meenakshi "Female workers and their socio-Economic profile: A study of unorganized sector in India" International journal of humanities and social science research, Vol. 1; issue 2; December 2015, pp. 135 – 137.
11. www.socialresearchjounrals.com
12. www.ilo.org.
13. www.labour.nic.in

****

आर्थिक स्वावलंबन - महिला सशक्तिकरण का मूलाधार (ग्वालियर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. वसुधा अग्रवाल *

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की यह बड़ी विडम्बना है कि महिलाएं विद्यादायिनी सरस्वती, शक्तिदायिनी भगवती एवं धन समृद्धिदायिनी लक्ष्मी के रूप में पूजी तो जाती हैं किंतु यह ज्ञान शक्ति और संपत्ति रूपी नारी आज भी आर्थिक सामाजिक दास्ताँ से पूरी तरह उभर नहीं पाई है। भारतीय नारी आज भी पुरूषों पर पूर्णत: निर्भर है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय नारी बचपन में पिता पर, युवावस्था में पति पर और वृद्धावस्था में पुत्रों पर निर्भर रहती हैं। पूरी मानवता का आधा हिस्सा होने के बावजूद क्षमताएं अनुभव एवं ज्ञान की उपयोगिता अनेक कारणों से, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विकास हेतु निश्चित नहीं हो पाई है। आर्थिक विकास के प्रति बढ़ती जागरुकता, बदलता सामाजिक परिवेश, बदलती संस्कृति और आधुनिक सभ्यता ने विश्व के विभिन्न समाजों को प्रभावित किया है। महिलाओं ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों की चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। महिलाओं ने आर्थिक व सामाजिक कार्य क्षेत्रों में सफलता हासिल कर यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं परंपराओं से हटकर नवीन संस्कृति की रचना कर सकती है।

'वित्त' मानव जीवन के सभी पक्षों; आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर के बहुआयामी विकास के लिए आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण गरीब परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं के माध्यम से की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सूक्ष्मवित्त एक प्रकार का सूक्ष्म ऋण है, इसमें छोटी – छोटी राशि ऋण के रूप में गरीबों और ऋण तक पहुँच न रखने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती है। सूक्ष्मवित्त में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जिनके पास बैंकों में ऋण के बदले जमानत में कुछ नहीं होता है। गरीब वर्ग सूक्ष्मवित्त से कुटीर एवं छोटे – छोटे घरेलू व्यवसाय शुरू कर जीवनयापन का आधार तलाश लेते हैं।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण से आशय आर्थिक क्षेत्र में आत्मविश्वास, स्वनिर्णय एवं समाज में भागीदारी से है। यदि महिलाए सुशिक्षित हैं तो उनके विकास के मार्ग अपने आप खुल जाएगे। सारी दुनिया के साथ भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है। वर्ष 2001 को हमने महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया था। महिला आर्थिक सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला को पुरूष के आर्थिक क्षेत्र के समान अधिकार से है, जिससे वह भी स्वआत्मसम्मान के साथ चल सकें। महिला की अपेक्षित भागीदारी ही नहीं बल्कि आत्मनिर्णय की स्थिति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि हों तो महिला निश्चित ही सशक्त हो सकेगी।

अध्ययन क्षेत्र – ग्वालियर जिले की महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। शोध क्षेत्र ग्वालियर जिले को लिया गया है। यह अध्ययन ग्वालियर जिले की महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति तक सीमित रखा गया है। ग्वालियर जिले की अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों का महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वेक्षित महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। महिला श्रमिकों के शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है; क्योंकि उनके परिवार के सदस्य या तो अशिक्षित हैं या फिर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे उनको शिक्षा दिला सकें।

शोध प्रविधि – समंक दो प्रकार के होते हैं – प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वह समंक होते हैं, जिनका संकलन स्वयं शोधार्थी के द्वारा किया जाता है। शोधार्थी शोध के लक्ष्य, आकार, एवं स्वरूप के आधार पर समंकों को एकत्रित करता है। पहली बार संकलित होने के कारण इन समंकों को प्राथमिक समंक कहते हैं। द्वितीयक समंक वह समंक होते हैं, जिनको पहले ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किया गया है तथा सांख्यिकीय रीतियों का उन पर प्रयोग किया जा चुका है। जब कोई शोधार्थी इन समंकों का प्रयोग अपने शोध कार्य में करता है तो यह उसके लिए द्वितीयक समंक द्वितीयक होगें।

शोध के उद्देश्यों को लेकर जो समंक एकत्रित किए जाते हैं, वे इतने अव्यवस्थित एवं विशाल होते हैं कि उन्हें आसानी से समझना एवं उनसे कोई निष्कर्ष निकालना लगभग असंभव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन समंकों को सरल एवं निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाए जिससे उनको समझकर उनसे आसानी से निष्कर्ष प्राप्त किए जा सके। समंकों के संकलन के बाद में अगला चरण होता है, वर्गीकरण एवं सारणीयन। संकलित समंकों को गुण, स्वभाव, व प्रकृति की समानता के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करने के प्रक्रिया को समंकों का वर्गीकरण कहते हैं। सारणीयन में समंकों को खानों और पक्तियों के रूप में क्रमबद्ध व्यवस्था है। इसके माध्यम से वर्गीकृत सामग्री को सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सारणीयन संकलित और वर्गीकृत समंकों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढ़ंग से इस प्रकार प्रदर्शित करने की प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें तुलनीय बनाया जा सके और उनके लक्षणों को प्रदर्शित किया जा सके।

महिला श्रमिकों की आर्थिक संरचना एवं जीवन स्तर – ग्वालियर जिले के महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए 250 श्रमिक परिवारों का अध्ययन किया गया है। जिनकी स्थिति को निम्न तालिकाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक – 1 : मासिक आय के आधार पर पारिवारिक सदस्यों का वर्गीकरण

* विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

पारिवारिक सदस्यों की मासिक आय रूपये में	प्रतिशत
0 – 250	0.75
251 – 500	24.5
501 – 750	34.78
751 – 1000	11.46
1001 – अधिक	28.45

तालिका क्रमांक – 2 : प्रति व्यक्ति मासिक आय के आधार पर वर्गीकरण

पारिवारिक महिला श्रमिकों की प्रतिव्यक्ति मासिक आय रूपये में	प्रतिशत
0 – 150	10
151 – 300	8.0
301 – 450	12.85
451 – 600	13.73
601 – 750	6.25
751 – 900	6.66
901 – 1050	2.5
1051 – से अधिक	2.91

उपरोक्त तालिकाओं के आधार पर हमने महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर को ज्ञात करने का प्रयास किया है। अधिकांश परिवार 500 रूपये से 750 रूपये की मासिक आय वाले हैं। कुछ परिवारों की आय 1000 रूपये से अधिक है, वहीं कुछ परिवारों की आय 250 रूपये से भी कम है। प्रति व्यक्ति मासिक आय 300 रूपये तक है ,वहीं कुछ की प्रतिव्यक्ति आय 1051 रूपये से भी अधिक है।

तालिका क्रमांक – 3 : महिला श्रमिकों के आवास व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण

मकान का प्रकार	प्रतिशत	संरचना के आधार पर	प्रतिशत
स्वयं का मकान	61.66	एक कमरे का मकान	31.25
किराए का मकान	30.0	एक कमरा एवं बरामदा	42.91
कंपनी द्वारा दिया गया मकान	3.33	दो कमरे का मकान	25.41
अन्य प्रकार का मकान	5.0	इससे अधिक	0.41

महिला श्रमिकों में अधिकांश के स्वंय के मकान हैं जो कि सरकार द्वारा दिए गए पट्टों पर निर्मित हैं या सरकार द्वारा बसाई गयी आबादी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हैं। कुछ प्रतिशत महिलाए किराये के मकान में निवास करती हैं। मकान की संरचना में अधिकांश एक कमरा और बरामदे में निवास करती हैं। अधिकांश के निवास में रसोईघर, स्नानघर और शौचालय भी हैं। कुछ प्रतिशत का निवास स्तर बहुत नीचा है। अधिकांश की दीवारें एवं फर्श कच्चे हैं। अधिकांश की छत खप्पर वाली हैं।

तालिका क्रमांक – 4 : निवास में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार वर्गीकरण

निवास में उपलब्ध सुविधायें	प्रतिशत
रसोईघर	29.16
स्नानघर	15.83
शौचालय	21.66
कोई सुविधा उपलब्ध नहीं	56.66

तालिका क्रमांक – 5 : निवास स्तर के आधार पर महिला श्रमिकों का वर्गीकरण

महिला श्रमिकों के निवास स्तर के आधार पर वर्गीकरण	प्रतिशत
कच्ची दीवारें	90.41
पक्की दीवारें	9.58
कच्चा फर्श	92.91
पक्का फर्श	7.08
घास फूस की छत	6.25
खप्पर की छत	75.41
टाइल्स की छत	11.25
टीन की छत	2.91
पक्की छत	4.16

तालिका क्रमांक – 6 : महिला श्रमिकों का शिक्षा पर मासिक व्यय राशि रूपये में

पारिवारिक मासिक व्यय में से शिक्षा पर होने वाला मासिक व्यय	प्रतिशत
0 – 50 रूपये तक व्यय	40.41
51 – 100 रूपये तक व्यय	13.75
101 – 200 रूपये तक व्यय	2.91
201 – 300 रूपये तक व्यय	0.41
शिक्षा पर शून्य व्यय करने वाले	42.50

सर्वेक्षित महिला श्रमिकों के पारिवारिक मासिक व्यय में अधिकांश तो शिक्षा पर कुछ भी व्यय नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल न के बराबर। क्योंकि उनके अधिकांश परिवार के सदस्य या तो अशिक्षित हैं या शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ प्रतिशत केवल 50 रूपये मासिक तक शिक्षा पर व्यय करते हैं। 100 रूपये मासिक से ज्यादा शिक्षा पर खर्च करने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। अधिकांश महिला श्रमिक 501 – 1000 रूपये मासिक तक भोजन पर व्यय करती हैं। इसमें कुछ प्रतिशत 250 रूपये से भी कम भोजन पर व्यय करती हैं।

तालिका क्रमांक – 7 : महिला श्रमिकों के पारिवारिक व्यय में से भोजन पर होने वाला व्ययमहिला

श्रमिकों का भोजन पर मासिक व्यय	प्रतिशत
0 – 250 रूपये में	4.16
251 – 500 रूपये में	10.00
501 – 750 रूपये में	29.58
751 – 1000 रूपये में	20.00
1001 – 1500 रूपये में	16.83
1501 – 2000 रूपये में	15.41
2001 – से अधिक	4.22

महिला श्रमिकों में अधिकांश 151 से 300 रूपये तक वस्त्र पर मासिक खर्च करती है। अधिकांश महिला श्रमिक दवाओं पर 101 से 150 रूपये तक खर्च करती हैं। अधिकांश महिला श्रमिक मनोरंजन पर कुछ भी व्यय नहीं करती है। और जो व्यय करती हैं, वो 50 रूपये तक मासिक व्यय करती है। उसमें कुछ प्रतिशत 51 रूपये से 100 रूपये तक मासिक व्यय करती है। कुछ प्रतिशत महिला श्रमिक तो कुछ भी अन्य व्यय करने की स्थिति में ही नहीं हैं।

तालिका क्रमांक – 8 : पारिवारिक व्यय में से महिला श्रमिकों का वस्त्र पर होने वाला मासिक व्यय

महिला श्रमिकों के पारिवारिक मासिक व्यय का वस्त्र पर होने वाला व्यय	प्रतिशत
0 – 150	24.58
151 – 300	28.33
301 – 450	42.08
451 – 600	4.58
601 से अधिक	0.41

तालिका क्रमांक – 9 : महिला श्रमिकों का पारिवारिक व्यय में से मनोरंजन पर होने वाला मासिक व्यय

मनोरंजन पर मासिक व्यय में से होने वाला व्यय	प्रतिशत
0 – 50	33.75
51 – 100	11.66
101 – 150	8.91
151 – 200	3.33
कुछ भी राशि न व्यय करने वाले	41.5

महिला श्रमिकों के परिवार का मनोरंजन के मुख्य साधनों में से अधिकांश का व्यय सिनेमा पर है। कुछ प्रतिशत परिवारों में रेडियो, टी.वी. व अन्य साधन भी हैं।

तालिका क्रमांक – 10 : महिला श्रमिकों का पारिवारिक व्यय में से दवाई एवं अन्य मासिक व्यय

दवाई पर मासिक व्यय में से होने वाला व्यय	प्रतिशत
0 – 50	–
51 – 100	11.25
101 – 150	35.41
151 – 200	33.33
201 – 250	5.33
251 – 300	6.66
301 से अधिक	5.00

तालिकाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिला श्रमिक नौकरी करते हुएआंशिक रूप से ही अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाती हैं। अधिकांश महिला श्रमिक नौकरी करते हुए भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल पूर्णत: कर पाती हैं। अधिकांश ने यह स्वीकार किया कि सदस्यों की देखभाल करने के लिए उन्हें अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। नौकरी करते हुए किन्हीं कारणों से देर से महिलाए घर पहुँचती हैं तो उन्हे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। देर से आने के कारण बारीकी से पूछताछ की जाती है। महिला श्रमिकों के पतियों की भी बहुत अधिक मासिक आय नहीं है, इसलिए भी महिलाओं को काम करना आवश्यक हो जाता है। स्त्रियों को आर्थिक कार्यों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी सर्वेक्षित परिवारों में इनका प्रतिशत बहुत कम है।

समस्याऐं / सुझाव – वर्तमान भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति दोहरे मानदंडों की स्थिति यथावत है। कामकाजी या श्रमिक स्त्रियाँ आज भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं है और न ही भारतीय समाज उनके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। महिला श्रमिकों को आज भी स्वंय निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। विशेषकर वह औरत जो स्वंय कमाती हो लेकिन स्वंय पर खर्च करने का अधिकार न रखती हो। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि महिला श्रमिकों ने स्वंय की इच्छा से आर्थिक मजबूरी के कारण नौकरी करना प्रारंभ किया है। सर्वेक्षित महिलाओं ने माना कि स्त्री पुरूष की दासी नहीं है और ना ही स्त्री पशुओं की तरह ताड़ना की अधिकारिणी है। अधिकांश का मानना था कि स्त्री शारीरिक रूप से पुरूषों से कमजोर जरूर है तथा साथ ही बुद्धि भी कम है। अधिकांश महिला श्रमिकों ने माना कि भारतीय समाज में स्त्रियों को पूर्ण आजादी नहीं है। उनके अनुसार स्त्रियों को चरित्र संबंधी मानदंड बदलने से पुरूषों में यह समझ विकसित होने से कि स्त्रियां भी उनके समकक्ष हैं, महिलाओं के शिक्षा स्तर बढ़ने से तथा सबसे अधिक उनका मानना है कि स्त्रियां यदि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तो उन्हें पूर्ण आजादी मिल सकती है। स्त्रियों की आजादी में महिलायें ही बाधक हैं। उन्होने यह माना कि उनके अनुसार स्त्री को सामाजिक शिक्षा देने कानून द्वारा रोके जाने तथा स्वंय प्रताड़ित स्त्रियों द्वारा विरोध करने से इन प्रकरणों को रोका जाना चाहिए। शिक्षित महिलाए अशिक्षित महिलाओं से ज्यादा जागरूक होती हैं।

अधिकांश महिलाओं ने दहेज प्रथा को भारतीय समाज के लिये एक अभिशाप माना है। स्त्रियों को पिता की संपत्ति में भी पूर्ण अधिकार मिलना चाहिये। स्त्री के विधवा होने पर पुत्र पर निर्भरता समाप्त नहीं होना चाहिए। महिला श्रमिकों को आर्थिक निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। स्त्रियों को आरक्षण की बजाय समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। पुरूष सहकर्मी साथ में काम करने वाली स्त्रियों की अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं इसे महिलाओं ने अनुचित ठहराया। महिला श्रमिकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिकांश अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। महिला श्रमिकों की व्यवस्था से आर्थिक अपेक्षाए हैं। महिला श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश, पर्याप्त वेतन तथा रोजगार का स्थाई प्रबंधन होना चाहिए। चिकित्सा सुविधा का अभाव, सवैतनिक अवकाश का अभाव, अपर्याप्त वेतन, शिक्षा का अभाव तथा स्थाई रोजगार का अभाव है।

निष्कर्ष – आज जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, तब भी भारतीय समाज में धर्म एवं मान्यताए स्त्रियों के पक्ष में नहीं हैं। किन्तु फिर भी यह बात कही जा सकती है कि आज महिलायें कुछ जागरूक सी होती दिखाई पड़ती हैं। वे परिवार में पुरूषों की तरह ही अधिकार चाहती हैं। वे आजादी चाहती हैं, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के साथ – साथ आर्थिक निर्णयों में भागीदारी भी चाहती हैं। जबकि वे हर क्षेत्र में पुरूष के साथ कार्यरत हैं फिर ये श्रम का बंटवारा या स्त्रियों एवं पुरूषों में फर्क क्यों ? आज भी भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण रूढ़िवादी है किन्तु महिलाए इसे बदलना चाहती हैं। स्त्रियों के चरित्र मापन के प्रति अब महिलाओं को दृष्टिकोण बदलता सा प्रतीत होता है, वे अब पुराने रूढ़िवादी मानदंडों को बदलना चाहती हैं। महिलाए आज आरक्षण की अपेक्षा समान अधिकार चाहती हैं। अब ये द्वितीय नागरिक के रूप में नहीं अपितु पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्वीकारी जानी चाहती हैं। वे मानती हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी स्त्री सत्ता आधीन हैं। संपूर्ण विश्व में स्त्रियों को एक समान दर्जा दिया जाएगा तथा उन्हें वही सम्मान मिलेगा जिसकी हकदार हैं। भारत में महिलाओं ने विभिन्न योजनाओं से लाभ लेकर न केवल स्थापित किया है बल्कि अपने उद्यम को मजबूती के साथ गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन के लिए सशक्त भी बनाया है। विगत् दो दशकों में हुये सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उद्यमिता के क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण तथा शिक्षा के बढ़ते प्रसार ने महिलाओं के आगमन का गर्मजोशी से स्वागत किया है वे पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर नियोजन, निर्णयन एवं

नियंत्रण रूपी उद्यमिता के कार्यों का प्रभावी ढ़ंग से निष्पादन कर रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय नारी दशा दिशा – आशा बाहेरा
2. प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति – इन्द्र एम.ए.
3. मुस्लिम भारत में शिक्षा – जाफर
4. भारतीय समाज – शर्मा, श्रीनाथ एवं भूपेन्द्र गौतम
5. आधुनिक नारी – वर्मा महादेवी
6. प्राचीन भारत की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याऐं – जैन कैलाशचन्द्र चंद्र
7. गरीबी और अकाल – डॉ. अमर्त्य सेन
8. कल्याण का अर्थशास्त्र – डॉ. अमर्त्य सेन

****

आरक्षण के संदर्भ में भारतीय राजनीति में सफाई कामगारों की स्थिति

मनमोहन द्विवेदी*

शोध सारांश – अस्पृश्य जातियों का विभिन्न समय व काल में अनेक प्रकार के नामों से संबोधित किया गया है। अस्पृश्यों के नामकरण के संदर्भ में आरंभ से आज तक काफी विवाद रहा है। सामान्यत: अस्पृश्यों के लिये अछूत, दलित, बाहरी जातियां, हरिजन व अनुसूचित जाति आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। लम्बे समय तक इन व्यक्तियों के लिए अछूत शब्द का प्रयोग किया जाता रहा। इनकी आर्थिक स्थिति अतिदयनीय होने के कारण बाद में इनके लिए दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। दलित का अर्थ है, जिसे दबाया जाए या जिसे अधिकारों से वंचित रखा जाए। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के 9 राज्यों के 50 सफाई कामगार जनप्रतिनिधियों से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कर निष्कर्ष पर पहुँचा गया है।

शब्द कुंजी – आरक्षण, अस्पृश्यता, सफाई कामगार

प्रस्तावना – भारतीय समाज में अति प्राचीन काल से विराजमान विविधता व अनेकता ने ऐसे विरोधाभासों व विसंगतियों को जन्म दिया जो कालांतर में भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गई। अत: चिंतन, विश्वास व आचार व्यवहार व अन्तर्विरोध भारतीय समाज में सरलतापूर्वक देखे जा सकते हैं।

एक और वर्ग शूद्र वर्ग में दिखलाई पड़ता है, इसमें वे जातियां शामिल की जा सकती हैं, जिन्हें उच्च वर्ण के अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के लोग न तो स्पर्श करते हैं न ही उनके हाथ का छुआ पानी व अन्न ग्रहण करते हैं, इन्हें अस्पृश्य जाति माना जाता है। डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें पंचम वर्ण कहा है। अस्पृश्य या अछूत जाति वे जातियां हैं जिनके स्पर्श मात्र से ही अन्य जातियों के लोग स्वयं को अपवित्र महसूस करें तथा जिनके पवित्र होन के लिए उन्हें कुछ विधि विधान या कर्मकाण्ड का सहारा लेना पड़े।

शोध समस्या का चयन – प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूचित जाति विशेषकर सफाई कामगार वर्ग को प्रमुखता से लिया गया है। यह वर्ग राजनीति में कितनी भागीदारी करता है क्या आरक्षण नीति का इस वर्ग पर अनुकूल प्रभाव है। यह एक शोध का विषय है। शोधार्थी द्वारा इस समस्या को लेकर विस्तृत अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की प्रासंगिकता – प्रस्तुत शोध अध्ययन संपूर्ण भारत में से सफाई कामगारों की राजनीतिक सहभागिता का प्रतिनिधित्व किस स्तर तक करता है। दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति का यह वर्ग कहाँ तक सफल हुआ है। यह जानना अति आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. सफाई कामगारों के राजनीतिक नेतृत्व की वर्तमान स्थिति का अध्ययन।
2. सफाई कामगारों की राजनीतिक स्थिति अध्ययन आरक्षण के संदर्भ में।

शोध प्रविधि :

1) **अध्ययन का क्षेत्र –** भारत के 9 राज्य अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लिए गए हैं।

2) **अध्ययन का समग्र –** भारत के 9 राज्यों में से लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष, अनुसूचित जाति में सफाई कामगारों की संख्या अध्ययन का समग्र है।

3) **अध्ययन की ईकाई –** भारत के निर्वाचित सांसद, विधायक तथा जिला पंचायत अध्यक्ष अध्ययन की ईकाई है।

4) **निदर्शन –**प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा भारत के 9 राज्यों का चयन किया गया जिसमें मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली सम्मिलित है।

इन नौ राज्यों की कुल लोकसभा सीटों में से 42 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग की है, जिसमें सफाई कामगारों की 07 सीटें हैं, कुल विधानसभा सीटों में से अनु. जाति की 269 सीटें हैं, जिसमें 31 सफाई कामगार है तथा इन्हीं राज्यों में जिला पंचायत की कुल सीटों में से अनु. जाति वर्ग की 45 सीटें है जिसमें 09 सीटों पर सफाई कामगार का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार कुल 50 सफाई कामगारों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिसमें 16 महिलाए तथा 34 पुरुष प्रतिनिधित्व है।

5) **आँकड़ों का संकलन –** प्राथमिक आँकड़ों का संकलन निर्वाचित सदस्यों में अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार के द्वारा किया गया। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन भारतीय निर्वाचन कार्यालय, सांख्यिकी विभाग, विधानसभा भवन, मुख्य कार्यालय, लोकसभा, सफाई कामगार कार्यालय, मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

6) **आँकड़ों का सांख्यिकीय निरूपण –** शोध में प्राप्त आँकड़ों को सारणीबद्ध किया गया तथा उनका सांख्यिकीय परीक्षण करके निष्कर्ष पर पहुँचा गया। प्राप्त निष्कर्षो के तत्पश्चात् शोधार्थी द्वारा मूल्यांकन कर सुझाव प्रस्तुत किए गए।

भारतीय राजनीति में आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में सफाई कामगारों की स्थिति – इन नौ राज्यों की लोकसभा की कुल 276 सीटों में से 42 सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य निर्वाचित हैं इनमें से 07 सीटों पर सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व है। इसी प्रकार इन राज्यों की कुल विधानसभा सीट 1797 में से अनु. जाति की 269 सीटें हैं जिनमें 34 सीटों पर सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व है इसी क्रम उपरोक्त में से 08 राज्यों में (दिल्ली को छोड़कर) जिला पंचायत अध्यक्ष की कुल 325 सीटों में से अनु. जाति वर्ग की 45 सीटें है जिनमें 09 सीटों पर सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

है। इस प्रकार कुल 50 सफाई कामगारों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

नौ राज्यों में लोकसभा में सफाई कामगारों की राजनैतिक सहभागिता –

राजनीतिक सहभागिता	संख्या	प्रतिशत
लोकसभा की कुल सीटें	276	100
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें	42	15.21
लोकसभा में अनुसूचित जाति में सफाई कामगार के लिए आरक्षित सीटें	07	16.66
लोकसभा की कुल सीटों में से सफाई कामगार वर्ग की सीटें	07	2.5

लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

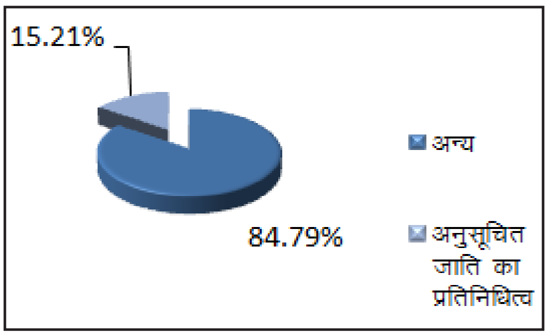

अनुसूचित जाति वर्ग में सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व

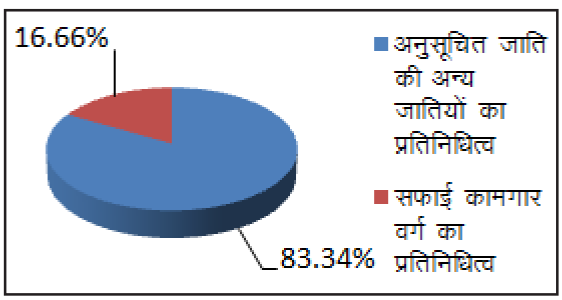

लोकसभा कुल सीटों में सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व

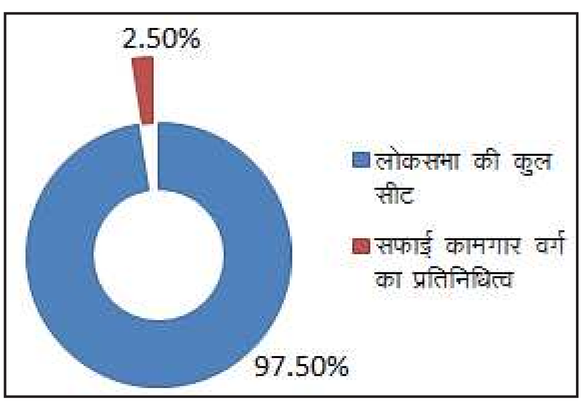

उपरोक्त तालिका के अनुसार शोध अध्ययन में सफाई कामगार वर्ग की राजनैतिक सहभागिता का अध्ययन करने हेतु भारत के 9 राज्यों में लोकसभा की कुल 276 सीटों को प्रमुख बिन्दु माना गया। इस संख्या में से अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीटों का प्रतिशत 15.21 (42 सीट) है। अनुसूचित जाति वर्ग की कुल सीटों में से सफाई कामगार वर्ग का राजनैतिक प्रतिनिधित्व 16.66 प्रतिशत (07 सीट) है। इस प्रकार समग्र लोकसभा सीटों (276 सीटों) में से सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व 2.5 प्रतिशत (07 सीट) है। उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल 07 राजनैतिक पद पर आसीन लोकसभा सदस्यों से प्राथमिक आँकड़ों का संकलन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आरक्षण आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सूक्ष्म अध्ययन किया गया है।

नौ राज्यों में विधानसभा में सफाई कामगारों की राजनैतिक सहभागिता

राजनीतिक सहभागिता	संख्या	प्रतिशत
विधानसभा की कुल सीटें	1797	100
विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें	269	14.96
विधानसभा में अनुसूचित4 जाति में सफाई कामगार के लिए आरक्षित सीटें	34	12.69
विधानसभा की कुल सीटों में से सफाई कामगार वर्ग की सीटें	34	1.8

विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

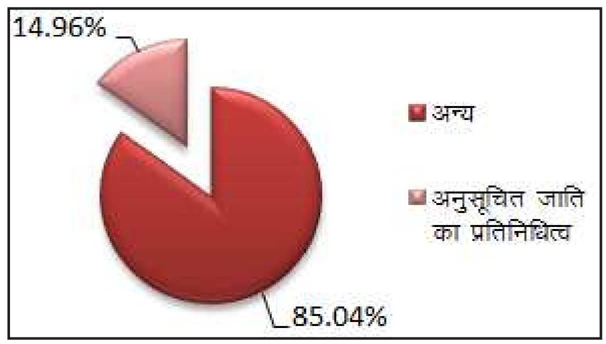

अनुसूचित जाति वर्ग में सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व

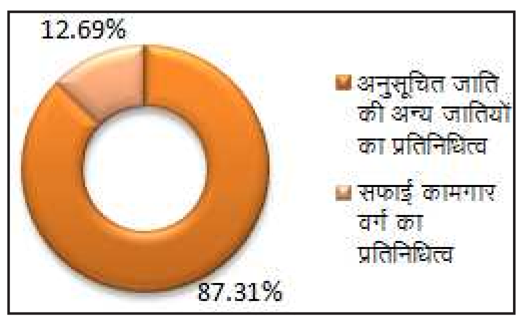

विधानसभा कुल सीटों में सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व

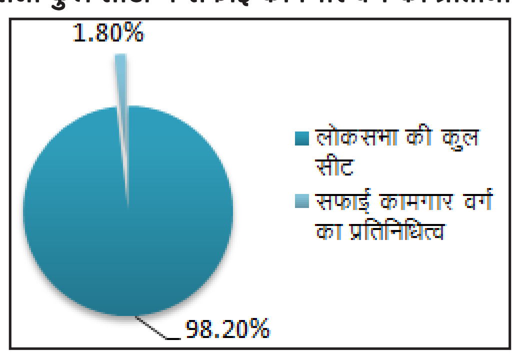

उपरोक्त तालिका के अनुसार शोध अध्ययन में सफाई कामगार वर्ग

की राजनैतिक सहभागिता का अध्ययन करने हेतु भारत के 9 राज्यों में विधानसभा की कुल 1797 सीटों को प्रमुख बिन्दु माना गया। इस संख्या में से अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीटों का प्रतिशत 14.96 (269 सीट) है। अनुसूचित जाति वर्ग की कुल सीटों में से सफाई कामगार वर्ग का राजनैतिक प्रतिनिधित्व 12.69 प्रतिशत (34 सीट) है। इस प्रकार समग्र विधानसभा सीटों (1797 सीटों) में से सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व 1.8 प्रतिशत (34 सीट) है। उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल 34 राजनैतिक पद पर आसीन विधानसभा सदस्यों से प्राथमिक आँकड़ों का संकलन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आरक्षण आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सूक्ष्म अध्ययन किया गया है।

नौ राज्यों की जिला पंचायतों में सफाई कामगारों की राजनैतिक सहभागिता

राजनीतिक सहभागिता	संख्या	प्रतिशत
जिला पंचायतों अध्यक्षों की कुल संख्या	325	100
जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति के अध्यक्षों की संख्या	45	13.84
अनुसूचित जाति में सफाई कामगार वर्ग की संख्या	09	20.00
जिला पंचायतों अध्यक्षों की कुल संख्या में से सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व	09	2.7

जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति

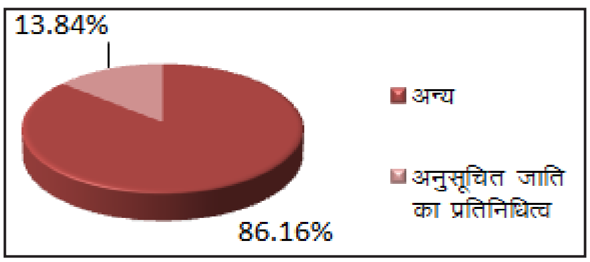

अनुसूचित जाति में सफाई के अध्यक्षों की संख्या कामगार वर्ग की संख्या

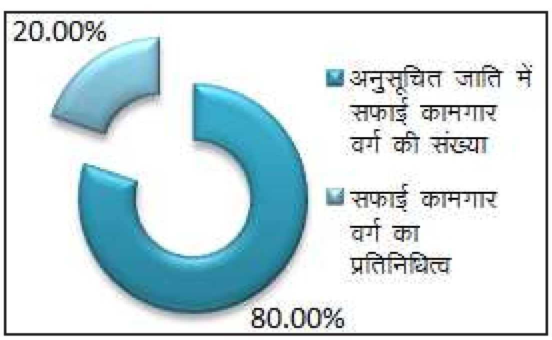

जिला पंचायतों अध्यक्षों की कुल संख्या में से सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व

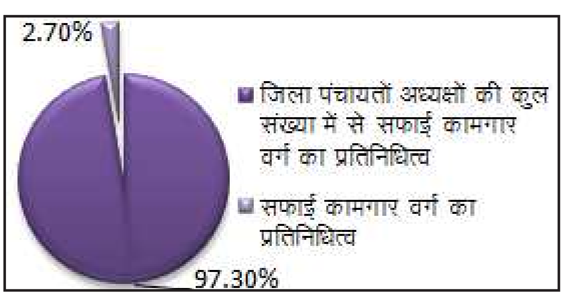

उपरोक्त तालिका के अनुसार शोध अध्ययन में सफाई कामगार वर्ग की राजनैतिक सहभागिता का अध्ययन करने हेतु भारत के 9 राज्यों में जिला पंचायत अध्यक्षों की कुल 325 सीटों (दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश को छोड़कर) को प्रमुख बिन्दु माना गया। इस संख्या में से अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीटों का प्रतिशत 13.84 (45 सीट) है। अनुसूचित जाति वर्ग की कुल सीटों में से सफाई कामगार वर्ग का राजनैतिक प्रतिनिधित्व 20.00 प्रतिशत (09 सीट) है। इस प्रकार समग्र जिला पंचायत अध्यक्षों की संख्या (325 सीटों) में से सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व 2.7 प्रतिशत (09 सीट) है। उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल 09 राजनैतिक पद पर आसीन जिला पंचायत अध्यक्षों में से प्राथमिक आँकड़ों का संकलन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आरक्षण आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सूक्ष्म अध्ययन किया गया है।

राजनैतिक पद प्राप्ति के पश्चात् मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि की स्थिति

क्र.	विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	45	90
2.	नहीं	02	04
3.	थोड़ा बहुत	03	06
		50	100

रेखाचित्र

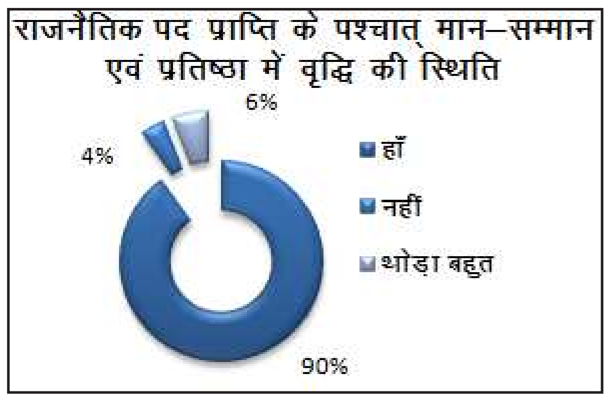

उपरोक्त तालिका के अनुसार सफाई कामगार जनप्रतिनिधियों को राजनैतिक पद प्राप्ति के पश्चात् मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि की स्थिति का अध्ययन किया गया जिसमें 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि राजनैतिक पद प्राप्ति के पश्चात् उनके मान-सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई वहीं 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी राजनैतिक पद प्राप्ति के पश्चात् मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई एवं 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि राजनैतिक पद प्राप्ति के पश्चात् मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है।

आरक्षण नहीं होने की स्थिति में राजनैतिक पद प्राप्ति

क्र.	विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	05	10
2	नहीं	45	90
		50	100

रेखाचित्र

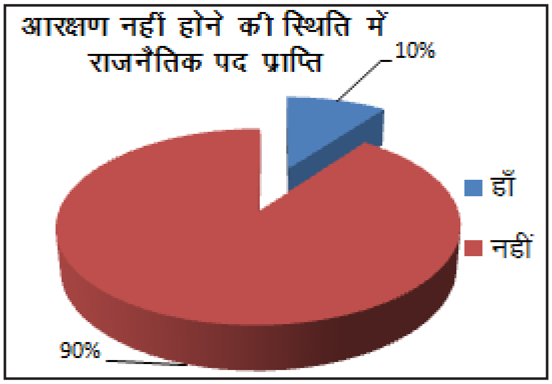

उपरोक्त तालिका के अनुसार उत्तरदाताओं से आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न पूछे गए जिसमें 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि आरक्षण नहीं होता तो भी हम यह राजनैतिक पद प्राप्त कर लेते जबकि 90 प्रतिशत का मानना है कि आरक्षण के बगैर यहाँ तक पहुँचना लगभग असंभव था।

निष्कर्ष :

1. उत्तरदाता एक राजनीतिक प्रतिनिधि था। नेता की सामान्य जानकारी के अनुसार भारत के नौ राज्यों के कुल सांसदों में से 07 विधानसभा सदस्यों में से 34 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 09 इस प्रकार 50 सदस्यों को अध्ययन हेतु चयनित (निदर्शित) किया गया।
2. उत्तरदाताओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन करने पर 14 प्रतिशत लोकसभा सदस्य, 68 प्रतिशत विधानसभा सदस्य तथा 18 प्रतिशत जिला पंचायत अध्यक्ष प्राप्त हुए। इससे विभिन्न राज्यों के विधानसभा में सफाई कामगारों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व सबसे अधिक देखने को मिला उससे कम जिला पंचायत तथा लोकसभा में भागीदारी देखने को मिली। इस अध्ययन के अनुसार कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तो 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती है
3. उत्तरदाताओं में सफाई कामगार वर्ग के प्रति अन्य वर्गों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर 64 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों द्वारा उपेक्षा का शिकार होना बताया। 26 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि उन्हें उपेक्षा का सामना नहीं करना पड़ा जबकि कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अन्य वर्गों द्वारा उपेक्षा का सामना कभी-कभी करना बताया गया है। अतः स्पष्ट है कि राजनैतिक पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उपरांत भी उपेक्षा सहन करना पड़ता है, जो कि चिंता का विषय है।
4. सफाई कामगार के राजनैतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने पर जातिवाद का सामना करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न पूछे गए जिसके जवाब में जनप्रतिनिधियों में 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि हमें जातिवाद का सामना करना पड़ता है, 06 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जातिवाद का सामना नहीं करना पड़ा वहीं उत्तरदाताओं का 04 प्रतिशत वर्ग ऐसा भी है जिन्हें कभी-कभी जातिवाद संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ा।

सुझाव :

1. सफाई कामगार वर्ग को आरक्षण नीति में विशेष दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए पृथक से आरक्षण नीति होना चाहिए।
2. सफाई कामगार वर्ग के जिन नेताओं को एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका हो उन्हें दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए
3. 70 प्रतिशत सफाई कामगार वर्ग अशिक्षित है उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
4. सफाई कामगार वर्ग को सफाईकर्मी आदि शब्दों से संबोधित करने के स्थान पर '**सफाई मित्र**' करना चाहिए जिससे इनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो।
5. सफाई कामगार वर्ग के जो गैर सरकारी संगठन बने हैं। उन संगठनों से शासन को समय-समय पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा उनके उचित कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु पारितोषिक प्रदान करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आम्बेडकर, (1992) : '**अस्पश्यता (डॉ. भीमराव आम्बेडकर)**' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
2. प्रसाद माता, (1995) : '**उत्तरप्रदेश में दलित जातियों का दस्तावेज**' देहली किताबघर, नई दिल्ली
3. दास भगवान (2007) : '**बाबा साहब और भंगी जातियाँ**' गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली तृतीय संस्करण
4. Arif Ashraf, (1984): "Caste Occupational Change: New Delhi," B.R. Publication, New Delhi
5. Annual Report, (2002-03): "Ministry of Social Justice and Empowerment", Government of India. New Delhi

****

ई-प्रशासन प्रणाली का वर्तमान परिवेश में नये आयामों का अध्ययन

डॉ. निशा वशिष्ठ * प्रमिला कबीर कुरेठिया **

शोध सारांश – सभ्य समाज, सुशासन और नयी तकनीकों पर बात करते हुए इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रशासन में नयी तकनीकों के प्रयोग के लिहाज से 1980 का दशक महत्वपूर्ण है। इस दौर में ई-प्रशासन का विकास शुरू हुआ।इसका उदय सूचना-संचार तकनीक, प्रबंधन और सरकार जैसे तीन भिन्न कारकों के मध्य अंतर्क्रियाओं से हुआ। विगत दो दशकों से प्रशासन में कंप्यूटरों, इंटरनेटऔर ई-मेल के प्रयोग के कारण ई-प्रशासन को बढ़ावा मिला। इससे सुशासन के पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे बुनियादी तत्वों के प्रवर्तन में सुविधा उपलब्ध होती है। अनेक सरकारी वेबसाइटों की मौजूदगी से नागरिकों और सरकारों के मध्य संपर्क व संबंध सरल होता गया है। ई-प्रशासन से अभिप्राय ऐसा शासन जिसमें कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता परिलक्षित होती हो। राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के ठोस कदम इसओर उठाए गए है जैसे – स्वचालित प्रणालियों का उपयोग, राज्यों के मध्य सम्बन्धों के साथ नागरिकता का विकास, उद्योगों के साथ विभागों को स्वांयत्रता प्रदान करना। राज्य सरकार इस बात के लिए भी कटिबंध है कि नागरिकों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जाये तथा ई-सेवाओं का विस्तार किया जाये।

ई-प्रशासन दुनिया भर में शासन प्रक्रिया की नवीनतम प्रवृत्ति है। सुशासन को ई-गवर्नेस द्वारा उचित कार्यान्वित करके सक्षम किया जा सकता है। सुशासन एक तरह का SMART शासन है, तात्पर्य एस-सरल,(Simple) एम-प्रबंधनीय,(Managerial) ए-जवाबदेह,(Accountable) आर-उत्तरदायी;(Responsible) एवं टी-पारदर्शी (Transparent) । प्रस्तुत शोध का उद्देश्य ई-प्रशासन की प्रणाली का इन्दौर के विशेष संदर्भ में मूल्याकंन करना है। ई-प्रशासन प्रणाली को और सफल बनाने हेतु नवीन चुनौतियों का अध्ययन करना है। नए तरीकों के साथ प्रौद्योगिकी को गठबंधन करने के लिए ई-प्रशासन प्रणाली की गतिविधियों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जा सकता है। सरकारी प्रक्रियाओं एवं शासन द्वारा प्रदत्त सेवाओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए सरल बनाना ई-प्रशासनका उद्देश्य है।

प्रस्तावना – प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ई-गवर्नेंस का पर्याय है। लोक प्रशासन में इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कुछ कम्प्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़कर किया गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क (ARPAN) नामक यह परियोजना ही विस्तारित होकर वर्ल्ड वाइड वेब (w-w-w) का रूप ले चुकी है।[2] अमेरिका में दिसम्बर, 2002 में पारित ई-शासन अधिनियम-2002 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनता से लोक सेवाओं का एकीकरण हो चुका है। देश-विदेश के अधि संख्य सरकारी विभागों, अभिकरणों तथा संगठनों की अपनी इंटरनेट वेबसाइटें खुल गई हैं। इन वेबसाइटों के माध्यम से सूचना सरकारी संगठन तुलनात्मक रूप से अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जनोन्मुख सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि वर्तमान युग में सूचना आर्थिक विकास की कुंजी है इसलिए पूरी व्यवस्था सूचना के चारों ओर घूम रही है। वास्तव में ई-शासन एक विस्तृत संकल्पना है जो मात्र शासकीय व्यवस्था से संबंध नहीं रखती अपितु इस में राजनितिक, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आयाम भी शामिल हैं। यदि संकीर्ण अर्थ में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग करना ही ई-गवर्नेंस है जबकि इसके विपरीत विस्तृत दृष्टिकोण में इसका अर्थ किसी भी संगठन, समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई-गवर्नेंस है। यह ई-नागरिक व्यवस्था का व्यापक प्रसार है।

सूचना-प्रौद्योगिकी को जन साधारण तक पहुँचाने हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य काफी कम हैं, किंतु ये कार्य राज्य एवं स्थानीय का विस्तार करने हेतु, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमिका को प्रोत्साहित करने को उत्प्रेरणा एवं स्वीकृति प्रदान करते हैं। अनेक सृजनात्मक परियोजनाएं शुरू किए जाने के पश्चात भी यह स्पष्ट नहीं है कि वे स्थानीय जनता की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रत्यक्षत: कहा तक पूर्ण कर सकी हैं। इन प्रयोगात्मक एवं विकीर्ण (Scattered) परियोजनाओं का सावधानीपूर्वक अंतर-अनुशासनात्मक विश्लेषण करके उनके प्रभावों का निर्धारण कर पाने में समय लगेगा।

प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उत्तम शासन पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है।-

उत्तरदायित्व – सरकार में निर्णय निर्माताओं, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों तथा संस्थागत हितधारकों के लिए ई- प्रशासन उत्तरदायी है।

भागीदारी – सभी पुरूष और महिलाओं के निर्णय लेने में एक आवाज होनी चाहिए। ई-शासन सीधे या वैध मध्यमवर्ती संस्थाओं के माध्यम से जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं या व्यापक भागीदारी संघ और भाषण की स्वतंत्रता रचनात्मक रूप से भाग लेने की क्षमता पर आधारित है।

पारदर्शिता – ई-प्रशासन के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखी जाती है तथा नागरिकों को पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाती है।

* सह निर्देशक सेवानिवृत प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

कानून नियम – कानूनी ढाँचे को निष्पक्ष रुप से विशेष रुप से मानवाधिकारों को ई–प्रशासन के माध्यम से सुचारु रुप से लागू किया जाता है।

आम सहमति – जनता के सर्वोत्तम हित में जहाँ संभव हो, नीतियों और प्रक्रियाओं पर व्यापक सहमति पहुँचने के लिए ई– प्रशासन विभिन्न हितों में मध्यस्थता करता है।

समग्रता – ई–प्रशासन सभी पुरुष और महिलाएँ और विभिन्न सामाजिक समूहों को उनके कल्याण को बेहतर बनाए रखने के अवसर प्रदान करता है।

प्रभावशीलता और क्षमता – ई–प्रशासन प्रक्रियाएँ और संस्थान संसाधनों का बेहतर उपयोग करते समय परिणामों की पूर्ति करते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई–शासन निजी व्यवसायों, सार्वजनिक सेवा उपयोगिता और सरकारी संस्थानों के साथ निम्नलिखित तरीकों से संपर्क करते हैं।

(अ) सूचना का आदान प्रदान।
(ब) सेवाओं का अधिक कुशल वितरण।
(स) आंतरिक दक्षता में सुधार।
(द) लागत को कम करना/राजस्व को बढ़ाना।
(ई) प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पुनर्गठन

सभ्य समाज, सुशासन और नयी तकनीकों पर बात करते हुए इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रशासन में नयी तकनीकों के प्रयोग के लिहाज से 1980 का दशक महत्वपूर्ण है। इस दौर में ई–प्रशासन का विकास शुरू हुआ। इसका उदय सूचना–संचार तकनीक, प्रबंधन और सरकार जैसे तीन भिन्न कारकों के मध्य अंतर्क्रियाओं से हुआ। विगत दो दशकों से प्रशासन में कंप्यूटरों, इंटरनेट और ई–मेल के प्रयोग के कारण ई–प्रशासन को बढ़ावा मिला। इससे सुशासन के पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे बुनियादी तत्वों के प्रवर्तन में सुविधा उपलब्ध होती है। अनेक सरकारी वेबसाइटों की मौजूदगी से नागरिकों और सरकारों के मध्य संपर्क व संबंध सरल होता गया है। पिछली शताब्दी के अंत में Y2K जैसी तकनीकी समस्याओं ने भी अनेक सरकारों का ध्यान नयी तकनीकों की तरफ दिलाया था। यह नयी तकनीकों की ही देन है कि आज ई–लोकतंत्र और ई–प्रशासन जैसे अनेक शब्द चलन में आए हैं और शिक्षित जन इनसे परिचित हो रहे हैं। ई–लोकतंत्र का संबंध इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए नीति–निर्माण की लोकतांत्रिक पद्धति से है। इससे सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलनी शुरू हो गई है। इसमें सरकारी निर्णयों व कार्यो के संदर्भ में लोक विमर्श के इलेक्ट्रॉनिक चैनल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी शामिल है।

ई–प्रशासन की श्रेणियां– भारत एवं विश्व के कई देशों में ई– प्रशासन कई रूपों में प्रवर्तित हैं। स्थूल रूप से ई– प्रशासन संबंधी परियोजनाओं को सेवा प्रदान करने की दृष्टि से पांच श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है

1. **जी.टू.जी. (सरकार से सरकार तक) –** जब सरकार के किसी विभाग का दूसरे किसी विभाग से ई– प्रशासन के माध्यम से संपर्क होता है तो यह श्रेणी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाती है। जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकताओं की सूचना विदेश मंत्रालय को भेजे या वित्ता मंत्रालय अन्य मंत्रालयों को वित्तीय सूचना उपलब्ध कराए इत्यादि।
2. **जी.टू.सी. (सरकार से जनता तक) –** सरकार एवं नागरिकों के बीच पास्परिक व्यवहार गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में आता है जैसे आयकर विवरणी जमा कराना, विद्युत एवं जल सम्बन्धी शिकायतें करना इत्यादि।
3. **जी.टू.बी. (सरकार से व्यवसाय तक) –** गवर्नमेंट टू बिजनेस श्रेणी के अंतर्गत सरकार व्यापार जगत से संपर्क कर लेन–देन करती है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण इत्यादि।
4. जी.टू.ई. (सरकार से कर्मचारी तक) इसमें सरकार अपने कर्मचारियों (गवर्नमेंट टू इम्पलॉयी) से संप्रेषण करती है।
5. सी.टू.सी. (नागरिक से नागरिक तक) सिटीजन टू सिटीजन श्रेणी में नागरिकों का पारस्परिक सम्पर्क होता है।

चित्र 1 : ई–प्रशासन के प्रमुख घटक 11

इन उपरोक्त श्रेणियों का विकास कर प्रशासन का उपसर्ग 'ई'– दक्षता (एफिशिएंसी), सशक्तिकरण (एम्पावरमेंट), प्रभावशीलता (इफेक्टिवनेस), आर्थिक एवं सामाजिक विकास (इकॉनोमिक एण्ड सोशल डेवलपमेंट), संवर्द्धित सेवा (एनहांस्ड सर्विस) जैसे तत्वों को हासिल करने का प्रयास करता है।

साहित्य – समीक्षा – एल कुमारवाड़, कुंमार, आर डी. डी. (2016) ने सरकारी कार्यालयों में ई–प्रशासन सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए अपने अध्ययन में प्रयास किया। वर्तमान शोध का उद्देश्य ई–प्रशासनपहल के एक वैचारिक ढांचे के विकास के लिए पृष्ठभूमि की स्थापना करना है। नागरिकों को ई–सेवाओं का वितरण उनके दरवाजे पर ई–प्रशासनका प्राथमिक कार्य है। महाराष्ट्र राज्य आय सेवा केन्द्र (महा ई–सेवा हेड), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडी एस), भूमि रिकार्ड (भूमि अभिलेख) आदि जैसे ई–प्रशासनसेवाओं में अग्रणी रहा है।

सोनी हिरेमाथ (2016) ने तर्क दिया है कि ई–प्रशासन पारदर्शिता में सुधार, प्रशासन के सभी पहलुओं में जानकारी, प्रसार, प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं में सहायता करता है। ई–शासन के कार्यान्वयन में नए व्यापक नवाचारों को जन्म दिया है। इस अध्ययन का उद्देश्य आईटी पर आधारित ई–शासन की शुरूआत और विकास के सम्बन्ध में परिवर्तन की प्रकृति की जांच करना है। सभी समाजों में, सार्वजनिक प्रशासन का गठन, सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक वातावरण, सांस्कृतिक पैटर्न और तकनीकी प्रवृति सहित अपने प्रासंगिक पैरामीटरों पर काफी हद तक निर्भर है। प्रशासन में लोगों को शामिल करने, नौकरशाही में पारदर्शिता को संबोधित करने और नागरिकों को अधिक

संवेदनशील बनाने की कोशिश करने वाली सरकारों के लिए ई-शासन नवीनतम घटक है। ज्ञान प्रबंधन (केएम) पर ध्यान केन्द्रित करके तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए ई-गवर्नेंस एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

अग्रवाल एट एल (2015) का शोध अध्ययन के अनुसार, इंटरनेट आधारित सेवाओं के तेजी से विकास और प्रयास ने इस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के विकल्प और स्वीकृति को जन्म दिया है। वास्तव में वेब आधारित ई-प्रशासन सेवाओं की पेशकश एक वैश्विक प्रवृत्ति बन गई है। भारत सरकार द्वारा वेब आधारित सेवाओं को अपने नागरिकों को भी लागू किया है क्योंकि आईसीटी नियमित जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ई-प्रशासनका उपयोग वेट, वाहन पंजीकरण, निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन, नई कंपनी के पंजीकरण और निविदाएँ आदि जैसे सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। यह अध्ययन लिंग, आयु, शिक्षा व्यवसाय, इंटरनेट लाभ, विश्वसनीयता और सुरक्षा जैसे जनसांख्यिकीय कारकों के मधय संबंधों की पहचान करके एक वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

एम. रेजल करीम (2015) ने अपने अध्ययन में बताया कि सार्वजनिक प्रशासन का पारंपरिक रूप एवं सेवा वितरण कागजी आधारित लंबी प्रक्रियाओं से घिरा हुआ है जो नागरिकों को असंतुष्ट बनाता है क्योंकि केन्द्र में कई समस्याएँ है जैसे- भ्रष्टाचार, विलम्बता, समय का ह्रास आदि। नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने ऑनलाइन के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराने की पहल की है। इस संबंध में सरकार ने सभी सरकारी अधिकारिक वेबसाइटों को इंटरेक्टिव करने तथा राष्ट्रीय वेब पोर्टल की स्थापना की है।

इस प्रस्तावित शोध विषय के उद्देश्य है-

1. ई-प्रशासन प्रणाली का वर्तमान परिवेश में उपयोगिता का अध्ययन करना।

शोध विधि - इस विधि में प्राथमिक संमकों का विश्लेषण सविचार निदर्शन विधि (Sample Technique) एवं दैव निर्दशन विधि (Random Sampling) के माध्यम से किया गया है, जिसमें चयनित 80 जनसाधारण साक्षात्कार से अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई।

(अ) शोध इकाई - प्रस्तुत शोध में इंदौर शहर को इन्दौर नगर निगम के लिए ई-गवर्नेस योजनाइकाई के रूप में लिया गया है।

(ब) विश्लेषण विधि - विश्लेषण विधि के अन्तर्गत ई-प्रशासन द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं का आवश्यकतानुसार वर्गीकृत व सारणीयन किया गया है एवं सांख्यिकीय परीक्षण के माध्यम से सिद्ध किया गया है।

H_1 - ई-प्रशासन प्रणाली की प्रभावकारिता का जनसाधारण का संतुष्टि स्तर पर संबंध सकारात्मक है।

तालिका क्र. 1 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

निर्वचन - मॉडल समरी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि, लिनियर सहसंबंध गुणांक आर. का मान 0.600 है, जो आर. स्क्वेयर (0.359) तथा एडजस्टेड आर.स्क्वेयर (0.358) से अधिक है। आर.स्क्वेयर व एडजस्टेड आर.स्क्वेयर के मान में निकटता दिखाई दे रही है। अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों कारकों के मध्य संबंध है। एडजस्टेड आर.स्क्वेयर (गुणांक का निर्धारण) का मान 0.358% प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि जनसाधारण का संतुष्टि स्तर ई-प्रशासन प्रणाली की प्रभावकारिताके मापदण्ड पर 35.8%है। ई-प्रशासन प्रणाली की प्रभावकारिता व जनसाधारण का संतुष्टि स्तरके बीच संबंध को जानने के लिए 'अनोवा परीक्षण' का प्रयोग किया गया है। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि F का मान 223.366 है, जो सारणीमान 2.47 से अधिक है व सार्थकता मूल्य .000[a] है, जो स्तरीय मान 0.05 से कम है। अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।

तालिका क्र.2 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

निर्वचन - तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दोनों चरों के मध्य Coeffcients[a] ज्ञात किया गया है। जनसाधारण का संतुष्टि स्तरको निर्भर चर तथा ई-प्रशासन प्रणाली की प्रभावकारिता को स्वतंत्र चर माना गया है। इस अध्ययन हेतु सबसे पहले बीटा स्तर का प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात् टी टेस्ट (t) का उपयोग किया है।

तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ज टेस्ट का मान 14.94 है, जो अधिक है। लिनियर समीकरण Y = 4.841 + .384 X है, जो कि सकारात्मक रेखीय संबंध को इंगित करता है। 0.05 स्तर पर Std. Error का मान .026 है।

निष्कर्ष - ई-प्रशासन विकेन्द्रीकृत योजना की दक्षता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी, उत्तारदायी एवं भागीदारी, सामाजिक समानता और लिंग समानता जैसे अनेक उद्देश्यों पर निर्भर करती हैं। ई-प्रशासन का उद्देश्य सेवा वितरण को न केवल उपर्युक्त उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए बल्कि गतिविधियों के सभी क्षेत्रों पर एक प्रभाव है। इसलिए ई-प्रशासन का प्रभाव समयबद्ध तरीके से उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ई-शासन के समर्थन के आधार पर देखा जा सकता है। ई-प्रशासन के कार्यान्वयन में निम्नलिखित तरीकों से सेवा वितरण की कार्यक्षमता में सुधार होता है।

ई-प्रशासन सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन जैसे- बेहतर सूचना आपूर्ति, सेवा स्तर, सार्वजनिक सेवा वितरण की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी सहायता से कार्य और लागत को अधिक कुशलता से वितरित किया जा सकता है। ई-प्रशासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों और प्रक्रियाओंके अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और वितरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित किया जा सकता है। ई-प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र के नागरिकों, व्यवसायों और बैंक- ऑफिस प्रक्रियाओं के साथ कई नियमित इंटरेक्शन को स्वचालित करने, कागजी कार्यवाही को खत्म करने और सॉर्टिंग, मेलिंग और प्रिंटिंग (जार्ज मैथ्यु 2001) जैसे लागतों को कम करने की अनुमति देता है।

सुझाव- प्रस्तुत शोध में परिकल्पनाओं के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं-

1. सरकार को ई-प्रशासन प्रणाली में प्रभावकारिता वृद्धि के लिए उपयुक्त पेशेवर का सहयोग लेना चाहिए।
2. लाभार्थियों के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं को ई-प्रशासन की ओर जागरूकता बढ़ाने और विकास में वृद्धि के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।
3. इन्दौर नगर निगम का पूर्ण रुप से ई-प्रशासन प्रणाली की सेवाओं को अपनाना चाहिए ताकि जनशक्ति पर निर्भरता कम हो।
4. उपयोगिताओं के डाटाबेस की गोपनीयता एवं सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
5. उचित उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और अभिगम नियंत्रित तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित करने की आवश्यकता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही जानकारी प्राप्त कर सकते है।

6. ई-प्रशासन प्रणाली को प्रभावी रुप से कार्यान्वयन करने के लिए पर्याप्त डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।
8. स्थानीय भाषा का उपयोग होना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों के उपयोगकर्ता भी ई-प्रशासन प्रणाली द्धारा प्रदत्ता सेवाओं का लाभ उठा सकें।
9. ई-प्रशासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखा जाना चाहिए।
10. बुनियादी अवधारणा को समझने में प्रौद्योगिकी में उपयोग किये जाने वाले अनुप्रयोगों को सरल बनाया जाना चाहिए।
11. ई-प्रशासन प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाने हेतु प्रयत्न किया जाना चाहिए।

References :-

1. AbdulezizAlrashidi (2012) User Growth & Motivation of e-governance services based on Employees levels of Experience in the UAE SME. American Journal of Economics 2 (6), pp, 132-135.
2. Agrawal et al., (2015). E-Governance: An analysis of Citizens' Perception.Journal of Information TechnologyVol. 11 Issue 3, pp.34-46.
3. Ajay Dutta & M. Syamala Devi (2015) E-Governance Status in India International Journal of Computer Sciences and Engineering. Vol 4, (2), pp, 56-68.
4. Al. Mohd. MudasirShafi (2013) E-Governance in Education: Areas of Impact and Proposing. A Framework to Measure the Impact. The Turkish Online Journal Of Distance Education. Vol. 14 (2) pp, 304-312.
5. Kumar, A.(2015) E-Governance plays a crucial role in higher education system of Uttarakhand: A prospective overview to this aspect. International Review of Humanities and Scientific Research.pp 231-234.
6. Kumarwad, Laxman L.&Kumbhar, Rajendra D (2016). E-Governance Initiatives in Maharshtrs (India): Problems and Challenges. Vol. 8 Issue 5, pp.8.
7. Md. AssrafSeddiky and EsmatAra (2015) Application of E-Governance in Education Sector to Enhance the Quality of Education and Human Resource Development In Bangladesh. European Scientific Journal. vol.11, No.4, pp 386-404.
8. M. Rezaul Karim (2015) E-Government in Service Delivery And Citizen's Satisfaction: A Case Study On Public Sectors in Bangladesh. International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies. Vol. 6, No. 2, pp 49-60.
9. Sami M. Alhomod&Mohd. MudasirShafi (2012) E-Governance in Education: Reasons for Introduction & Impact. International Journal of Scientific & Engineering Research. Vol 3 (2) p.g, 1-5.
10. Sangeetha G. (2015)Move To Intelligence Through E-Governance: The Case Of New Education Policy. Adarsh Journal of Information Technology - Vol. 2, Issue 1, pp 72-75.
11. S. Dhamuniya (2015) E-Governance in Rajasthan State Universities: Impacts And Impediments. International Journal of Social Sciences and Management. Vol-2, issue-1: 31-35.
12. Sony Hiremath (2016) E Governance in India: A Focus on Education Sector. International Journal of Research in Regional Studies, Law, Social Sciences, Journalism and Management Practices. Volume 1, Issue 9. pp 27 -32.

तालिका क्र. 1

Model Summary

ई- प्रशासन प्रणाली की प्रभावकारिता

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig.F	
1.	.600[a]	.359	.358	2.16907	.359	223.366	1	398	.000	1.667

a. Predictors : (Constant) ई-प्रशासन की प्रभावकारिता

b. Dependent Variable जनसाधारण का संतुष्टि स्तर

तालिका क्र.2

Coefficients[a]

ई- प्रशासनप्रणाली की प्रभावकारिता

Model		Unsatandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95.0% Confidence	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1.	Constant	4.841	.379		12.785	.000	4.096	5.585
	जनसाधारण का संतुष्टि स्तर	.384	.026	.600	14.945	.000	.334	.435

a. Dependent Variable - ई-प्रशासन प्रणाली की प्रभावकारिता

****

निर्वाचन विज्ञान (सेफोलॉजी) तथा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,तेलंगाना व मिजोरम के निर्वाचन एवं उनके परिणामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. लता धुपकरिया *

प्रस्तावना - भारतीय लोकतंत्र का महापर्व निर्वाचन का आयोजन हर स्तर पर केन्द्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर बड़े ही उत्साह ,दृढ़ता ,जोश,जुनून व कर्मण्यता के साथ किया जाता है। इस महापर्व में देश का हर वर्ग, हर स्तर, हर क्षेत्र प्रत्येक भाषा, रंग व प्रत्येक समाज, समुदाय के व्यक्ति सहभागी बन नेतृत्व का चयन करने में अपनी अहम भूमिका निभाते है। विगत वर्ष 2018 के उत्तरार्ध में देश में पॉच राज्यों के विधान सभा चुनाव सम्पन्न हुए है। जिसने देश की राजनीतिक सोच,मतदाताओं व विभिन्न राजनीतिक दलों के चिंतन को एक नया आयाम व एक प्रथक दिशा दी है निर्वाचन से जुडे हर पक्ष को प्रस्तुत करने में सेफोलाजी का चलन बढ़ा है अर्थात किसी भी निर्वाचन के प्रति आम जनता की सोच को विकसित करने में निर्वाचन विज्ञान की अहम भूमिका रहती है। निर्वाचन विज्ञान राजनीति विज्ञान की वह शाखा है। जो चुनावों के अध्ययन और वैज्ञानिक विश्लेषण से संबधित है।

विधान सभा चुनाव वाले पॉच में से तीन राज्यों छत्तीसगढ़,मध्यप्रदेश और राजस्थान में लोगों की दिलचस्पी अधिक थी, क्योंकि इन राज्यों के चुनाव परिणामों से देश के दो बड़े राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा का आगामी लोक सभा निर्वाचन को लेकर परिदृश्य स्पष्ट होना था।

अत: उक्त शोध पत्र में तथ्यों के विश्लेषण कर आगामी लोकसभा निर्वाचन की दिशा और संभावनाओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है।

शोध उद्देश्य - प्रस्तुत शोध पत्र का उद्धेश्य पॉच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करना है तथा उस परीक्षण के आधार पर आगामी लोकसभा निर्वाचन के परिदृश्य को चित्रण प्रस्तुत करना है।

शोध उपकरण/पद्धति - प्रस्तुत शोध पत्र में परम्परागत तकनीकी का उपयोग कर गुणात्मक पद्धति को अपनाया गया तथा तथ्य संकलन के लिये द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया है।

मध्यप्रदेश निर्वाचन, परिणाम एवं विश्लेषण - मध्य प्रदेश की 15 वी विधानसभा के निर्वाचन के लिये एकमेव चरण में 28 नवम्बर 2018 को 230 सीटों के लिये चुनाव सम्पन्न हुआ। जिसमें सीटों का विभाजन ग्वालियर-चंबल में 34,बुन्देलखण्ड में 26,विंध्य में 30, महाकौशल में 38, मध्य क्षेत्र में 36, मालवा निमाड में 66 सीटें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में विभाजित रही।

11 दिसम्बर 2018 को चुनाव परिणाम घोषित हुआ जिसमें 230 सीटों मे से कांग्रेस ने 114, भाजपा ने 104, बसपा ने02, सपा ने 01 और निर्दलीय ने 4 सीटों में जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बदलाव को अपना मुद्दा बनाकर जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया। जबकि भाजपा ने अपनी उपलब्धियों को अपना प्रबल हथियार बनाकर उसका प्रयोग किया।

मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर दिखायी नहीं दी और न ही चुनावी मुद्दो में राम मंदिर मुद्दा न ही विकास। अर्थात इन चुनावों में मतदाता का व्यवहार समझने व मध्य प्रदेश में चुनाव के पर्यावरण को समझने के लिए चुनाव की तैयारी से विश्लेषण करना होगा -

1. टिकट वितरण को लेकर दोनों प्रमुख दलों में बागी स्वर दिखायी दिए। कांग्रेस के प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी में अच्छे समन्वयक की भूमिका निभाई। जबकि भाजपा अपने वरिष्ठ नेता सरताज सिंह को मना नहीं पायी जिसका असर परिणामों पर साफ दिखा।
2. कांग्रेस से क्षेत्रीय का इस्तेमाल किया। ज्योतिरादित्य ने ग्वालियर, दिग्विजय सिंह ने मालवा, कमलनाथ ने बुंदेलखण्ड और अजस सिंह ने विंध्य क्षेत्र को ही केन्द्रित किया। इसके विपरित शिवराज सिंह ने अकेले ही पूरे प्रदेश में चुनावी रणनीति तैयार की और अभियान चलाया। उन्होंने जनता से सीधा सम्पर्क किया उनके प्रति मतदाता में प्रशंसा का भाव था।

फिर प्रश्न यह उठता है कि भाजपा के शिवराज सिंह लोकप्रिय छबि व मतदाताओं के मन में स्थान रखने के बावजूद नतीजों में पिछड क्यों गए?

इसके जवाब में तथ्यों के विश्लेषण से यह तर्क निकाल सकते है, कि जनता में शिवराज सिंह के प्रति गुस्सा नहीं था। परिणामों के प्रतिशत इसकी पुष्टि करते है अर्थात भाजपा की हार का मुख्य कारण अपनी संगठनात्मक मजबूती पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। यदि मतदाता ने भाजपा को वोट नहीं दिए तो वह गुस्सा प्रत्याशी को लेकर ज्यादा था सरकार को लेकर नही।

भाजपा की हार का एक ओर कारण एट्रोसिटी एक्ट भी रहा जो कर्मचारी व सवर्ण वर्ग को नाराज कर चुका था। कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देती रही और भाजपा समझ नहीं पायी। एक अन्य कारण आरक्षित वर्ग के कर्मचारी व व्यापारी वर्ग की नाराजगी भी थी,जिन्हें ख़ुश करने की कोशिश शिवराज सिंह करते रहे। लेकिन वह चुनाव में सफलता दिलाने में सहयोगी साबित नहीं हुए।

छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम एवं विश्लेषण - छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिये दो चरणों में 12 एवं 20 नवंबर को चुनाव सम्पन्न हुए। पहले चरण में 18 विधानसभा सीटों के लिए और दूसरे चरण में 72 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। वैसे तो यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला था इसके अलावा अजीत जोगी की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में थी।

11 दिसम्बर 2018 को ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुआ। जिसमें 15वर्ष के बाद कांग्रेस ने गौरवशाली ऑकडों के साथ सत्ता में वापसी की। कांग्रेस को 43 प्रतिशत, भाजपा को 32.8 प्रतिशत तथा एन.सी.पी. को 0.2 प्रतिशत वोट मिले। वहीं 2 प्रतिशत ने नोटा वटन

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) श्री कृ. प. शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातक महाविद्यालय, देवास (म.प्र.) भारत

दवाया। लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की सत्ता में रहने वाली भजपा की हार के कई कारण हो सकते है जैसे-

किसानों के लिए की गयी घोषणाओं को समय पर पूर न करना।

- युवाओं के लिये रोजगार उपलब्ध कराने की नाकाम कोशिश।
- आदिवासी इलाकों में पैसा, कानून और ग्राम सभा की वरीयता कानून लागू नहीं किया गया।
- नक्सलवाद आदिवासियों के पत्लगडी आंदोलन की सख्ती से दबाया जाना आदि।

इसके विपरीत जिन मोर्चो पर भाजपा कमजोर साबित हुई उन अवसरों को कांग्रेस ने भरपूर फायदा उठाते हुए सतर्कता के साथ हर कदम बढ़ाया जैसे- कांग्रेस जनता की नब्ज पकड़ने में सफल रही उसने जनसम्पर्क कर उनकी जरूरत के अनुसार घोषण पत्र तैयार किया । चुनाव में बदलाव का नारा दिया,किसानों से कर्जमाफी और धन का समर्थन मूल्य बढाने का वादा किया। इसका नतीजा किसानों ने सोसाइटी में धान बेचना ही बंद कर दिया, कांग्रेस के लगातार आंदोलन से कांग्रेस के प्रति सहानुभूति उपजी, युवाओं को नौकरी या बैरोजगारी भत्ता देने, शराब बंद करने जैसी घोषणाएँ प्रभावकारी साबित हुई।

स्थितियों का सम्यक विश्लेषण करें, तो छत्तीसगढ़ में 15 वर्षो से विकास कार्य तो हुए लेकिन उसका लाभ कम लोगों तक ही पहुँचा। स्मार्ट फोन,गरीबो को टिफीन और उज्जवला योजना जैसी सौगात के बावजूद भी इनका जनता पर विपरीत प्रभाव ही पडा। इसके विपरीत लंबे वनवास के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बदलाव का उत्साह था और वह जनता में यह संदेश पहुँचाने में सफल रही कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए।

राजस्थान: चुनाव परिणाम एवं विश्लेषण – राजस्थान विधानसभा चुनाव, 7 दिसंबर 2018 को सम्पन्न हुए। यहाँ विधानसभा की 200 सीटें है। इनमें 142 सीट सामान्य, 33 सीट अनुसूचित जाति और 25 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ झालरापाटन,टोंक, सरदारपुरा, बीकानेर पश्चिम, नोखा, आदर्श नगर ,अंता, नाथ द्धारा, सपोटरा तथा उदयपुर जैस 10 बडी सीटो के लिये जनता ने मतदान किया।

11 दिसम्बर 2018 को राजस्थान विधान सभा चुनाव के घोषित परिणाम में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीट भाजपा ने 73, निर्दलीय ने 13 सीटें, बसपा ने 6, कम्यूनिस्ट इंडिया ने 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी 2, राष्ट्रीय लोकदल ने 1 तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल ने 03 सीटे प्राप्त की।

राजस्थान में हर बार सत्ता परिवर्तन की परम्परा तो जारी रही। यहाँ कांग्रेस को करीब स्पष्ट बहुमत तो मिला पर जनता ने उसे वो विजय नहीं दी। जिसकी उम्मीद कांग्रेस को थी। उधर ....भाजपा को जनता ने एक सम्मानजनक विदाई दी। यहाँ भाजपा की हार के कारणो में सबसे प्रमुख कारण सत्ता विरोधी लहर थी। जनता ने अधिक मंत्रियों को अपने घर भेज दिया और जो जीते भी है। उनके मतों का अंतर बहुत कम है। ये स्पष्ट संकेत है कि लोग भाजपा के काम से संतुष्ट नहीं थे। भाजपा से राजपूत मतदाताओं की नाराजगी भी नजर आयी पार्टी के कई बड़े राजपूत नेता चुनाव हार गए। जाट नेता के रूप में उभरे हनुमान बेनीवाल ने मारवाड क्षेत्र में भाजपा की सीटें कम कर दी। मीना जाति के जाने-माने नेता किरोलीमल मीना का जादू भी इस बार नहीं चल सका। दूसरी तरफ कांग्रेस को बहुमत तो मिला पर वह भारी बहुमत से नहीं जीत पायी। यह माना जा रहा है कि यह जीत कांग्रेस के प्रयासों की बजाय भाजपा से नाराजगी का परिणाम है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में असली जीत निर्दलीयों व अन्य दलों की हुई है। 20 से अधिक सिंटो पर इन्होने अपनी जीत दर्ज करायी। कुल मिलाकर यहाँ कांग्रेस ने जीत तो हांसिल की लेकिन भाजपा पूरी तरह हारी नहीं।

मिजोरम:चुनाव परिणाम एवं विश्लेषण – मिजोरम की सभी 40 सीटो के लिए एक चरण में 28 नवम्बर को ही वोट डोले गए। जिसके परिणाम 11 दिसम्बर 2018 को घोषित हुए।जिसमें कांग्रेस को महज 05 सीटे ही मिली, वहीं मिजोनेशनल फ्रंट (एन.एन.एफ) 26 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हांसिल कर दस साल बाद सत्ता में वापसी की है।

पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही भाजपा की एक तरह से मिजोरम में भी जीत हुई (एमएनएफ) भाजपा के नेतृत्व वाले पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। भाजपा ने जहां 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहीं एम एन एफ ने सभी 40 सीटो पर लड़ा था। निर्दलीय जेडीपीएम को आठ सीटें मिली। इसाई बहुल इस राज्य में पहली बार एक सीट के साथ अपना खाता खोलने में कामयाब रही।

तेलंगाना: चुनाव, परिणाम एवं विश्लेषण – तेलंगाना की 119 सीटों के लिये दिसंबर 2018 में मतदान हुआ। जिसका परिणाम 11 दिसम्बर 2018 को घोषित हुआ। 119 सदस्यीय विधानसभा सीटो में टीआरएस को 86 सीटें, कांग्रेस नीत गठबंधन को 20 सीटें तथा भाजपा को 02 सीटे मिली। तथा अन्य देलो के खाते में 11 सीटें रही।

टीआरएस के साथ सत्ता विरोधी लहर जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि सरकार ने पिछले करीब साढे चार सालों में सभी मोर्चो पर अच्छा काम किया है। तेलंगाना के लोगों ने केसीआर के कठिन परिश्रम का फल दिया।

विगत 2018 में पॉच राजयों म.प्र.,छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम व तेलंगाना राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन हुए है। जिसके परिणामों ने बडे राजनीतिक दलों के समीकरण बदल दिए हैं। कांग्रेस ने जहाँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा से सत्ता छीन ली व मध्यप्रदेश में सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने में सफल रही है। हालांकि वह मिजोरम में सत्ता से बाहर हो गयी और तेलंगाना मं तेलगुदेशम से गठबंधन के बावजूद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को अपनी सत्ता कायम रखने से नहीं रोक सकी।

छत्तीढ़ढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा को यह चिंता सताना स्वाभाविक है कि कहीं ये नतीजे लोकसभा चुनाव पर असर न डाले। हालांकि लोकसभा चुनाव भिन्न परिदृश्य में सम्पन्न हुऐ और मतदाताओं के समक्ष मुद्दे एवं उनकी प्राथमिकता भी अलग थी। लेकिन भाजपा इसकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। लेकिन इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2019 भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही कठिन परीक्षा की घड़ी थी।

निष्कर्षत – यह कहा जा सकता है कि पॉच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लोकसभा चुनाव का सेमी फाईनल माना गया। जिससे हर एक दल को सबक लेने का अवसर मिला है। भाजपा को अपने अंदर झांकने का मौका मिला । जबकि कांग्रेस को यह अहसास हुआ कि इन चुनावों में वह नहीं जीती है बल्कि भाजपा हारी है। लेकिन हिन्दी पटटी के तीन राज्यों में मिली इस सफलता ने उसे 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संजीवनी प्रदान कर दी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस के इस उत्साह को जल्द ही मायुसी में बदल दिया। यह परिणाम इस दिशा कि ओर संकेत करते है कि विविधिता से भरे भारत देश के मतदाता अब केन्द्र और राज्य के मुददों में अंतर करना सीख गए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नइ दुनिया, दिसंबर 2018
2. दैनिक भास्कर, दिसंबर 2018
3. इंटरनेट वेबसाइटे ।

सत्याग्रह और संघर्ष समाधान

डॉ. देशराज वर्मा *

शोध सारांश – मानव जीवन में संघर्ष सर्वव्यापी और सर्वगत होता है। संघर्ष प्रत्येक समाज में दुनियाँ के प्रत्येक हिस्से में मौजूद है। इन संघर्षों के कारणों और स्त्रोतों की पहचान कर संघर्षों को रोका जा सकता है। यदि संघर्ष के स्त्रोतों और अन्तर्निहित कारणों को समाप्त कर दिया जाए तथा संघर्षरत पक्षों की समस्याओं को दूर कर दिया जाए तो संघर्ष समाधान आसान हो जाता है। सामान्यत: संघर्षों के समाधान के लिए दो पद्धतियां प्रचलित हैं– हिंसात्मक और अहिंसात्मक पद्धति। हिंसात्मक और बलात्मक संघर्ष समाधान के परिणामों से आज पूरा विश्व परिचित हो चुका है। युद्ध में प्रयोग होने वाले घातक हथियार जन हानि तो करते ही हैं साथ ही इनका प्रभाव लम्बी समयावधि तक रहता हैं। इसलिए सम्पूर्ण विश्व में संघर्ष समाधान की हिंसात्मक पद्धति के स्थान पर अहिंसात्मक पद्धति पर अब अधिक बल दिया जा रहा है। मनुष्य जाति को हिंसा से केवल अहिंसा के द्वारा छुटकारा मिल सकता है। घृणा को प्रेम से ही जीता जा सकता हैं। ऐसी सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया पर आधारित गाँधीवादी पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।

सत्याग्रह के द्वारा सभी प्रकार के संघर्षों का अहिंसक समाधान किया जा सकता है। सत्याग्रह में संघर्ष समाधान के लिए अहिंसक प्रविधि के रूप में समझौता वार्ता, असहयोग, सविनय अवज्ञा, आत्मपीड़न, उपवास, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, धरना और हिजरत का प्रयोग किया जाता है। सत्याग्रह विरोधी के प्रति सीधी कार्यवाही का सर्वाधिक सशक्त हथियार है। इसका उद्देश्य विरोधी को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना होता है। सत्याग्रह हृदय परिवर्तन के द्वारा विरोधियों के आपसी द्वेष, ईर्ष्या और बदले की भावना को समाप्त करता है। सत्याग्रह या अहिंसक संघर्ष समाधान पद्धति संघर्ष के तत्कालिक कारणों पर ही ध्यान नहीं देती अपितु संघर्ष के अप्रत्यक्ष कारणो पर भी ध्यान देती है तथा उनका उचित निराकरण करती है। यदि किसी संघर्ष के तत्कालिक कारणों को ध्यान में रखते हुए संघर्ष का समाधान कर दिया जाए तो वह समाधान अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता है। इसलिए संघर्ष के अप्रत्यक्ष कारणों का समाधान भी आवश्यक होता है। गाँधी ने न केवल सत्याग्रह का दर्शन दिया बल्कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न संघर्षों के समाधान में संघर्ष समाधान की सत्याग्रह तकनीक का सफल प्रयोग किया है। सत्याग्रह गांधीवादी परिपेक्ष्य में संघर्ष समाधान की व्यवहारिक पद्धति है। जिसकी महत्ता राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र स्वीकार करते हैं। गांधीवादी अहिसक सत्याग्रह पद्धति को अपनाकर विश्व में संघर्षों का उचित समाधान कर, विश्व शान्ती की स्थापना की जा सकती है।

शब्द कुंजी–सत्याग्रह, अन्तर वैयक्तिक संघर्ष, वैद्यानिक संघर्ष, औद्योगिक संघर्ष, सामूहिक संघर्ष।

प्रस्तावना – संघर्ष मानव जीवन के लिए एक सामान्य बात है। मानव जन्म से मृत्यु तक अनेकों प्रकार से संघर्षो का सामना करता है। कभी–कभी हम संघर्षों को आसानी से सुलझा लेते हैं, तो कभी हमें निराशा हाथ लगती है। कभी–कभी ऐसा होता है कि हम पुराने संघर्ष का समाधान करते हैं, तुरन्त ही नये संघर्ष हमारे सामने उत्पन्न हो जाते हैं। मानव की प्रकृति प्राचीन काल से ही संघर्षो के समाधान की रही है, चाहे वह संघर्ष किसी भी स्तर का हो। सामान्यत: संघर्षों के समाधान के दो पद्धति प्रचलित हैं–हिंसात्मक या बलात्मक संघर्ष समाधान पद्धति और अहिंसात्मक संघर्ष समाधान पद्धति। मानव ने संघर्ष की प्रकृति के आधार पर दोनो ही संघर्ष समाधान पद्धति का प्रयोग किया है। मानव संघर्ष समाधान के लिए हिंसा या अहिंसा में से विकल्प का चयन करता है। वर्तमान विश्व में घरेलू, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध या हिंसा संघर्ष समाधान के दुष्परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए अहिंसात्मक तरीके को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। हिंसा या युद्ध संघर्ष के तत्कालिक कारणों को तो समाप्त कर देता है किन्तु वह संघर्ष के अप्रत्यक्ष कारणों पर कोई ध्यान नहीं दे पाता जिससे यह संघर्ष समाधान स्थायी नहीं होता है। हिंसा या युद्ध से धन–जन की अपार हानि होती है जिससे शान्ति निर्माण एवं पुनर्वास में काफी समय लगता है। इसके विपरीत संघर्ष समाधान की गाँधीवादी अहिंसात्मक पद्धति न केवल संघर्ष के तत्कालिक कारणों का समाधान करती है बल्कि यह अप्रत्यक्ष या दीर्घकालिक कारणों को भी समाप्त कर देती है। इस प्रकार अहिंसात्मक संघर्ष समाधान पद्धति संघर्षो का स्थायी समाधान करती है, जिसमें युद्ध या हिंसा को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाता है। गाँधीवादी अहिंसक संघर्ष समाधान पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है। सत्य और अहिंसा गाँधी दर्शन की सबसे बड़ी देन है।

सत्याग्रह एक मिश्रित शब्द है, जो दो शब्द–सत्य और आग्रह से मिलकर बना है। सत्याग्रह का अर्थ है–सत्य पर अडिग रहना। सत्य पर आरूढ़ रहकर बुराई का विरोध जो कुछ असत्य है, उसका विरोध सत्याग्रह है। हिंसा, भय और मृत्यु सत्याग्रही को अपने पथ से विचलित नहीं कर सकते। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में इसे 'पेसिव रेसिस्टेन्स' कहा गया, लेकिन गाँधी जी को यह शब्द उचित नहीं लगा। हालांकि यह भी सत्याग्रह से मिलती जुलती अवधारणा है क्योंकि इसमें भी शब्द रहित अहिंसक प्रतिरोध होता है। इसके बावजूद उसे सत्यागह की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योकि उसमें अहिंसा का आधार दार्शनिक और आध्यात्मिक न होकर मजबूरी जैसा है।[2] गाँधी नेइसके नाम के लिए इण्डियन ओपीनियन में प्रतियोगिता द्वारा सुझाव मांगे। प्रतियोगिता विजेता मगनलाल गांधी ने 'सदाग्रह' शब्द का सुझाव दिया था, जिसे गांधी ने सत्याग्रह रूप में रूपातंरित कर दिया।[3] सत्याग्रह में अनिवार्य तत्व के रूप में सत्य, अहिंसा और प्रेम का समावेश होता है। वस्तुत:

* सहायक प्रोफेसर (इतिहास) डॉ. बी. पी. एस. कॉलेज, फिरोजाबाद (उ.प्र.) भारत

इसका प्रयोग घरेलू जीवन से आरम्भ होता है और राजनैतिक जीवन में उसी घरेलू प्रयोग का विस्तारीकरण सत्याग्रह के रूप में होता है। गाँधी जी ने सबसे पहले सत्यागह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में सरकार के खिलाफ भारतीयों के अधिकार के लिए किया, लेकिन भारतीय जन मानस के लिए सत्याग्रह कोई नई चीज नहीं थी। घर में मतभेद और विवाद प्रेम के विधान के अन्तर्गत निस्तारित होते रहते हैं, जिसमें आहत एवं असहमत व्यक्ति परिवार के उन सदस्यो का पूरा समादर रखता है और उनके प्रति प्रेम भाव से प्रेरित होता है, जिससे वह अपनी असहमतियों एवं प्रतिवाद का प्रगतीकरण करता है।[4] इस प्रकार सत्याग्रह की वर्णमाला परिवार से आरम्भ होती है और फिर इसका प्रयोग राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संघर्ष समाधान में किया जा सकता है।

एक सत्याग्रही हर हाल में अहिंसक होता है, द्वेषरहित होता है और उसके मन, वचन और कर्म में एकरूपता होती है।[5] वह सत्याग्रह का प्रयोग किसी प्रकार की प्रसिद्धि पाने, यश की कामना के लिए नहीं करता। वह सत्य और न्याय की स्थापना के लिए सत्याग्रह करता है। चाहे इस मार्ग में उसे कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़े। वह अन्तिम सांस तक अपना लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार सत्याग्रह कमजोरों का नहीं अपितु शक्तिशालियो का अहिंसक शस्त्र है।

महात्मा गांधी मानते थे कि सत्यागह के हथियार का प्रयोग बुद्धिमता एवं सावधानी के साथ करना चाहिए। इसमें सत्याग्रही को कठोर अनुशासन एवं नैतिक नियमों का पालन करना पड़ता है। चूंकि सत्याग्रह सीधी कार्यवाही का सर्वाधिक सशक्त हथियार है इसलिए सत्याग्रही सत्याग्रह का आश्रय लेने से पहले और सब उपाय अजमा कर देख लेता है।[6] इसके लिए वह सदा और निरन्तर सत्ताधारियों के पास जायेगा, लोकमत को प्रभावित और शिक्षित करेगा, जो उसकी सुनना चाहते हैं। उन सबके सामने अपना मामला शांति और ठण्डे दिमाग से रखेगा और जब ये सब उपाय वह अजमा लेगा तभी वह सत्याग्रह का आश्रय लेगा। जब उसे अन्तर्नाद की प्रेरक पुकार सुनाई देती है तो वह सत्याग्रह छेड़ देता है, तब वह अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है और पीछे कदम नहीं हटाता।[7]

एक सत्याग्रही कभी बर्बर शक्ति के सामने आत्मसमपर्ण नहीं करता।[8] उसके लिए सत्याग्रह की साधना में हार–जीत जैसे शब्द अर्थहीन होते है।[9] उसका काम तो हर कीमत पर सत्य का अनुकरण करना मात्र है। प्रतिपक्षी को नुकसान पहुंचाना या उसका बुरा चाहना सत्याग्रह का उल्लंघन है। सत्याग्रह एक सौम्य आग्रह है, वह कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, अपितु सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहन हेतु तैयार एवं तत्पर रहता है।[10]

सत्याग्रह का उद्भव सत्य के सर्वोच्च आदर्श से होता है। इसके लिए सत्य और अहिंसा अनिवार्य कसौटी होती है। गाँधी ने 7 जुलाई 1920 ई0 को सत्याग्रह की प्रविधि को नौ चरणबद्ध रूपों में वर्गीकृत किया, जो निम्नलिखित है[11]–

1. समझौता वार्ता
2. आत्मपीडन
3. उपवास
4. असहयोग
5. सविनय अवज्ञा
6. हड़ताल
7. सामाजिक बहिष्कार
8. धरना
9. हिजरत (स्वैच्छिक प्रवजन)

यह सत्याग्रह का वाह्यय पक्ष हुआ इसका आन्तरिक पक्ष सत्याग्रही द्वारा निर्धारित होता है। गांधी ने सत्याग्रह की इस प्रणाली की सफलता के लिए तीन कसौटियां रखी हैं–

1. सत्याग्रही के मन में विरोधी के लिए घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए।
2. सत्याग्रह का मुद्दा सच्चा और महत्वपूर्ण होना चाहिए।
3. सत्याग्रही को अपने ध्येय की पूर्ति तक पीड़ा भोगने के लिए तत्पर रहना चाहिए।[12] गांधी ने 1909 में हिन्द स्वराज में सत्याग्रही से कम से कम चार आचारों के पालन की अपेक्षा की थी–ब्रह्मचर्य, निर्धनता, सत्य पालन तथा निडरता।[13] बाद में गाँधी ने सत्याग्रही के लिए एकादश व्रतों का पालन करने का लक्ष्य रखा–अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। इस प्रकार प्रतिरोध का उपकरण प्रतीत होने वाला सत्याग्रह क्रमश: प्रेम का साधन बन गया, यह मात्र राजनैतिक परिवर्तन की प्रविधि न रह कर सामाजिक सेवा का दर्शन बन गया था।

सत्याग्रह की सबसे बड़ी शक्ति हृदय परिवर्तन की शक्ति है। यह 'पाप से घृणा करो पापी से नहीं' तथा परिवर्तन के लिए प्रेम श्रेष्ठ शक्ति है' के आदर्श पर चलता है। इसमें आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की शक्ति निहित है, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। अत: यह सत्याग्रही और उसके विरोधी दोनों के लिए हितकारी है। स्वयं गांधी ने कहा–सत्याग्रह एक ऐसी तलवार है, जिसके दोनों ओर धार है। उसे चाहें जैसे काम लिया जा सकता है। जो उसे चलाता है और जिस पर वह चलाई जाती है वे दोनों सुखी होते हैं। वह खून नहीं निकालती अपितु उससे भी बड़ा परिणाम ला सकती है।[14] इसमें अपनाया गया असहयोग भी सहयोग की शुरूआत है।[15] यह गांधी के लिए केवल संघर्ष से निपटने का एक तरीका ही नहीं अपितु जीवन जीने का एक ढंग था। सत्याग्रह एक जन्मसिद्ध अधिकार होने के साथ कर्त्तव्य भी था।

संघर्षो के समाधान में सत्याग्रह का प्रयोग–सत्याग्रह संघर्ष समाधान की अहिंसक पद्धति है, जिसके विषय में गांधी ने महत्वपूर्ण दर्शन दिया। सत्याग्रह में सामान्य घरेलू संघर्षो के समाधान से लेकर राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षो के समाधान की अहिंसक शक्ति निहित है। सत्याग्रह के द्वारा अन्तर वैयक्तिक संघर्ष, वैधानिक संघर्ष, औद्योगिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का सफल समाधान सम्भव है।

अन्तर वैयक्तिक संघर्ष–ये सीमित एवं छोटे स्तर के संघर्ष हैं। इस प्रकार के संघर्षों में पारिवारिक संघर्ष भी आते हैं। इनका समाधान सामान्यत: गाँधीवादी तकनीकी–असहयोग, समझौता वार्ता, उपवास आदि के द्वारा होता है। ये संघर्ष परिवार में पति, पत्नी, पिता, पुत्र, माँ–पुत्री, भाई–बहिन, रिश्तेदारों, पड़ौसियों एवं मित्रों के साथ होते हैं। इस प्रकार के संघर्षों में पारिवारिक सदस्य अपनी समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी से बात नहीं करता, कभी–कभी वह खाना नहीं खाता और कभी–कभी वह पारिवरिक सदस्यों की आज्ञा का पालन नहीं करता। इस व्यवहार से पारिवारिक सदस्यों को ध्यान सत्याग्रही सदस्य की ओर जाता है और वे उसकी समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रणाली में परिवार में किसी प्रकार की कटुता नहीं आती है और पारिवारिक सम्बंध मधुर बने रहते हैं।

वैधानिक (कानूनी) संघर्ष–वैधानिक (कानूनी) संघर्ष का समाधान भी सत्याग्रह के माध्यम सही ढंग से हो सकता है। सामान्यत: वैधानिक संघर्ष समाधान भी संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक पद्धति के अन्तर्गतआता है। महात्मा गांधी का मानना है कि कोई भी सिविल मामला अदालत में जब पहुंचता है, जब दोनों विरोधी स्वयं उसे सुलझाने में असफल हो जाते हैं।

जब मामला एक बार अदालत में आ जाता है तो इसमें एक पक्ष की हार और दूसरे पक्ष की जीत सुनिश्चित होती है, लेकिन इसका मूल्य दोनों पक्षों को चुकाना पड़ता है। अदालत में दोनों विरोधी पक्ष एक–दूसरे से संघर्ष नहीं करते बल्कि मामला उनके द्वारा नियुक्त वकीलों द्वारा सम्भाला जाता है।

इसमें न्यायाधीश का निर्णय वैद्य होता है, जो दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ता है। गाँधी का मानना था कि कानूनी संघर्षों का समाधान में वकीलों को मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए जिससे वैधानिक संघर्ष का सही और समय पर समाधान किया जा सके, इस प्रकार के समाधान में दोनों पक्षों की आम सहमति होती है। यहाँ वकील केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार दोनों ही पक्ष संघर्ष समाधान के इस तरीके से सन्तुष्ट हो जाते हैं। महात्मा गाँधी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला के मुकदमें का समाधान इसी प्रकार किया।

औद्योगिक संषर्घ–ये संघर्ष किसी उद्योग में आर्थिक और सामाजिक कारणों से होते हैं, जैसे–प्रबन्ध नीतियों में बदलाव, प्रबन्धकों के साथ सम्प्रेषण के अभाव से उत्पन्न निराशा, श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के हितों के बीच संघर्ष आदि।

महात्मा गाँधी ने औद्योगिक संघर्षो के समाधान के लिए सत्याग्रह पर आधारित दो अहिंसक उपायों का वर्णन किया है।

1. न्यायपूर्ण मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रबन्धकों से नैतिक अनुरोध।
2. यदि यह असफल होता है तो मध्यस्थ द्वारा निर्णय करवाना।

यदि ये दोनों तरीके असफल हो जाते हैं, तो गांधी ने श्रमिकों को अन्तिम विकल्प के रूप में हड़ताल करने के लिए कहा। अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष का समाधान गांधी ने सत्याग्रह नीति के आधार पर किया।

सामाजिक या सामूहिक संघर्ष – सामाजिक संघर्षों में संघर्ष का केवल एक कारण ही नहीं अपितु अनेकों कारण होते हैं। यह संघर्ष एक छोटे से कारण से प्रारम्भ होकर धीरे–धीरे विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इन संघर्षो के स्थायी समाधान के लिए संघर्ष में निहित सभी कारणों का समाधान आवश्यक है। महात्मा गांधी ने सामाजिक संघर्षो के समाधान के लिए सामूहिक सत्याग्रह करने का सुझाव दिया। इसमें सत्याग्रह प्रविधि के रूप में सत्य, अहिंसा, समझौता वार्ता, आत्मपीड़न, जबरन दवाब, धरना, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास–हड़ताल आदि का सामूहिक प्रयोग होता है। इसमें सत्याग्रह करने से पूर्व सत्याग्रही को संघर्ष समाधान के सभी अहिंसक उपायों को अजमा लेना चाहिए।

इस प्रकार के सत्याग्रह दीर्घकाल तक चल सकते हैं, अत: सत्याग्रहियों को अपनी जीविका या जीवन यापन के लिए कुछ समय कार्य करना चाहिए। सत्याग्रहियों में उत्साह एवं रुचि बनाए रखने के लिए ऐसे सत्याग्रह से कुछ रचनात्मक कार्यो को जोड़ना चाहिए। इससे सत्याग्रहियों में नीरसता नहीं आती है और सत्याग्रह अपनी सफलता की ओर बढ़ता है गाँधी ने स्वयं अपने सत्याग्रह आन्दोलनों को इसी आधार पर चलाया और उन्हें सफल बनाया। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन आदि इसी प्रकार के सत्याग्रह है।

अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष–गांधी ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सत्याग्रह की प्रभाविता को पूर्णरूपेण स्वीकार किया। उनका मत था कि सत्याग्रह एक अस्त्र के रूप में युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने में युद्ध या हिंसा सहायक नहीं हो सकती, इसके दुष्परिणामों को सम्पूर्ण विश्व जान चुका है। इसलिए विश्वशान्ति और न्याय की स्थापना के लिए सत्याग्रह ही श्रेष्ठ है। युद्ध द्वारा संघर्ष समाधान के बाद संघर्षरत पक्षों में तनाव कम नहीं होता है। पराजित पक्ष अपनी हार का बदला लेने के लिए धीरे–धीरे तैयारी करता रहता है। इस प्रकार द्वेष, ईर्ष्या और बदले की भावना सुलगती रहती है जो किसी अवसर पर पुन: संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। जबकि सत्याग्रह सदैव दोनों ही पक्षों में प्रेम, सहिष्णुता, दया, असयोग की भावना का विकास करता है। अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में सत्याग्रह पद्धति के लिए यह आवश्यक है कि इसमें एक पक्ष शस्त्र न उठाने का संकल्प ले। वह असहयोग, सविनय अवज्ञा आदि माध्यमों को अपनाये। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष भी युद्ध नहीं करेगा, इससे तनाव में कमी आएगी। तनाब कम होने पर दोनों देश समझौता वार्ता द्वारा अपने संघर्षों का समाधान कर सकते है। यदि फिर भी कोई पक्ष अहिंसक या सत्याग्रही पक्ष पर आक्रमण करता है तो गाँधी ने अहिंसक पक्ष के लिए दो सुझाव दिए–पहला आक्रमणकारी को कब्जा दे दिया जाए परन्तु उसका सहयोग न किया जाए और दूसरा अहिंसात्मक तरीके से प्रशिक्षित लोगों द्वारा अहिंसक प्रतिरोध किया जाए। सत्याग्रही पक्ष आक्रमणकारी पक्ष की तोप के सामने स्वयं को चारे के रूप में प्रस्तत करें। ऐसी स्थिति में सारे विश्व का समर्थन अहिंसक पक्ष की ओर हो जाता है। आक्रमणकारी पक्ष को सभी देश समझौता वार्ता द्वारा संघर्ष समाधान के लिए प्रेरित करते हैं। इससे अन्तत: आक्रमणकारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अहिंसक पक्ष से युद्ध को समाप्त कर देता है और संघर्ष समाधान के लिए शान्ती वार्ता का आयोजन करता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ती स्थापना में मदद मिलती है।

निष्कर्ष – इस प्रकार सत्याग्रह संघर्ष समाधान की अहिंसक एवं सर्वोत्तम तकनीक है। सत्याग्रह परिवार से प्रारम्भ होता है और फिर इसका प्रयोग राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक किया जा सकता है। गांधी ने न केवल सत्याग्रह का दर्शन दिया बल्कि गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न संघर्षो के समाधान के संघर्ष समाधान की सत्याग्रह तकनीक का सफल प्रयोग किया है। सत्याग्रह गाँधीवादी परिपेक्ष्य में संघर्ष समाधान की व्यवहारिक पद्धति है। जिसकी महत्ता राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र स्वीकार करते हैं। गाँधीवादी अहिंसक सत्याग्रह पद्धति को अपनाकर विश्व में संघर्षो का उचित समाधान कर विश्व शान्ती की स्थापना की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रो. बी.एम. शर्मा, डॉ. रामकृष्ण दत्त शर्मा, डॉ. सविता शर्मा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ0 78
2. डॉ. सतीश कुमार विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2006 पृ0 57 डॉ.
3. महादेव प्रसाद, महात्मा गांधी का समाजदर्शन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़ सन् 1989, पृ0 124
4. यंग इण्डिया मई, 11,19.9
5. यंग इण्डिया 27 अप्रैल, 1921
6. मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाश, अहमदाबाद 2011, पृ0 93
7. यंग इण्डिया 20.10.1927
8. यंग इण्डिया 30 अप्रैल, 1931
9. हरिजन 3 जून 1939
10. Speeches & Writing of Mahatma Gandhi, p. 463
11. डॉ. कृष्णा कान्त, पाठक गांधीवाद औ मार्कवाद, 2010, पृ0 20
12. हरिजन 31.03.1946 पृ0 64
13. हिन्द स्वराज, पृ0 66–67
14. हिन्द स्वराज, पृ0 65
15. यंग इण्डिया 12.0.1929, पृ0 300

बीकानेर रियासत की विश्वविख्यात 'गंगा रिसाला' (ऊंट वाहिनी सेना) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी गई योद्धिक सेवाएं

गिरधारी सिंह *

प्रस्तावना – प्राचीनकाल में राज्य के अस्तित्व के लिए सेना का बहुत महत्व था। राज्य का विस्तार एवं विकास प्रत्यक्ष रूप से राज्य की सेना पर निर्भर था। शक्तिशाली सेना के द्वारा ही राज्य को शक्ति संपन्न बनाया जा सकता था। इसी अनुक्रम में पूर्वमध्यकाल एवं मध्यकाल के मामलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद एवं लोदी राजवंशों तथा मुगल शासकों ने आधुनिक युद्ध प्रणाली से सुसज्जित सेना द्वारा ही भारत जैसे विशाल देश को विजित किया एवं लम्बे समय तक अपना शासन भी बनाए रखा। इसी समय राजस्थान में भी अनेक रियासतें थी जो अपनी सैन्य क्षमता एवं वीरता के लिए जानी जाती थी। इसी क्रम में बीकानेर रियासत भी अपनी सैनिक क्षमता के लिए जानी जाती थी। बीकानेर राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों ने भी यहां के लोगों को स्वाभाविक रूप से कठोर एवं संघर्षशील बनाया जो उन्हें एक अच्छे योद्धा बनाने में सहायक रहा।

गंगा रिसाला (ऊंट वाहिनी सेना) का गठन – मरूस्थल अर्थात रेगिस्तान के जहाज 'ऊंट' को इस रेगिस्तानी क्षेत्र में दीर्घकाल से ट्रासंपोर्टेशन के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता रहा था। यह पहला मौका था जब बीकानेर नरेश महाराजा गंगासिंह के शासनकाल के दौरान ऊंट को घोडे के समकक्ष महत्ता प्रदान करते हुए उसे आर्मी का एक हिस्सा बनाते हुए समसामयिक बीकानेर राज्य की सेना में एक 'कैमल–कॉर्प' का गठन किया। बीकानेर राज्य की रीजेंसी कौंसिल ने सन 1889 ईस्वी में यह 'कैमल–कॉर्प' खड़ी की तथा इसका नामकरण तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा गंगासिंह के नाम पर गंगा रिसाला रखा गया।

गंगा रिसाला पूरे भारत में अपनी तरह की पहली ऊंट वाहिनी सेना थी जो क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एंव अच्छी नस्ल के ऊंटों की उपलब्धता के कारण राज्य की सुरक्षा के लिए काफी उपयोगी थी।

चीन के बॉक्सर युद्ध (1898 से 1901) में गंगा रिसाला की भूमिका– बॉक्सर विद्रोह या मुक्केबाज विद्रोह चीन में सन 1898 से 1901 तक चलने वाला युरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के फैलाव के विरूद्ध एक हिंसक आन्दोलन था। इसका नेतृत्व एक 'धार्मिक समस्वर संध' (यीहेतुआन) नाम के संगठन ने किया था, जिन्हे 'धार्मिक और समस्वरीय मुक्को का संघ भी कहा जाता था। मुक्केबाज को अंग्रेजी में 'बॉक्सर' (BOXER) कहते हैं इसलिए विद्रोहियों को यही बुलाया जाने लगा।

चीन में हुए इस 'बॉक्सर विद्रोह' में ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा गंगासिंह एवं उनकी गंगा–रिसाला ने अगस्त 1900 ईस्वी में सेवाएं प्रदान करते हुए बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया था।1 चीनी भूक्षेत्र को देखते हुए 'गंगा रिसाला' को वहां पर डिसमांउडेंट यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया गया था सी.यू. एचीसन के अनुसार 'इम्पीरियल सर्विस कैमल–कॉर्प गंगा रिसाला ने चीन अभियान में महाराजा गंगा सिंह की निज कमांड में इंफेंट्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी।

भारतीय नरेशों में केवल महाराजा गंगासिंह ही चीन युद्ध में शामिल हुए। इनकी विशिष्ट सेवाओं के बदलें में भारत के सम्राट ने गंगा–रिसाला के झण्डे में 'चाइना 1900' का सम्मान चिन्ह लगाने की अनुमति दी थी। जनरल सर अलफ्रेड गसेली ने इस युद्ध की याद स्वरूप महाराजा गंगासिंह को शत्रुओं से छिनी हुई एक तोप भेंट की। जून 1902 में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर महाराजा गंगासिंहजी को सम्राट द्वारा 'चाइना मैडल' प्रदान किया गया।

सोमालीलैण्ड युद्ध (1902–1904 ईस्वी) में गंगा रिसाला की सेवाऐं – सोमालिया, अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर पश्चिम में जिबूती, दक्षिण पश्चिम में केन्या, उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में हिन्द महासागर और पश्चिम में इथियोपिया स्थित है।

औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के हॉर्न में सोमाली–निर्जन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से 'सोमालीलैण्ड' के रूप मे जाना जाता था। 1884 में ब्रिटेन ने तत्कालीन सोमाली सुल्तानों के साथ क्रमिक सन्धियों पर हस्ताक्षर कर उत्तारी सोमालिया में ब्रिटिश सोमालीलैण्ड रक्षक की स्थापना की। 1900 ईस्वी में सोमाली धार्मिक नेता सैय्यद मोहम्म्द अब्दुल्ला हसन (जिसे अक्सर ब्रिटिशों द्वारा 'मैड मुल्ला' कहा जाता था) ने अग्रेजों के विरूद्ध अपना प्रथम दरवेश विद्रोह प्रारम्भ किया जो 1920 ईस्वी तक विभिन्न चरणों में चलता रहा।

1902 में महाराजा गंगासिंह जी ने सोमालीलैण्ड की लड़ाई में अपनी सेना की सेवाएं देने का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार को भेजा एवं अनुमति मिलने पर जनवरी 1903 में गंगा–रिसाला के 216 सैनिक और 250 ऊंट इस युद्ध में भेजे गये। युद्ध क्षेत्र में केवल यही एक ऊंट सेना होने के कारण और साथ ही इसके लिए अनुकुल जलवायु वहां प्राप्त होने से लड़ने के अलावा रास्ता खोजने, मरूभूमि में जल तलाश करने, पत्र लाने–ले जाने आदि कार्यो में भी इससे बड़ी सहायता प्राप्त हुई।

गंगारिसाला की शत्रु सेना से दो बड़ी मुठभेड़ हुई। सोमालीलैण्ड युद्ध के बाद गंगा–रिसाला मेजर गफ की अध्यक्षता में बोहोट्ल एवं धारातोल भी गई। यहां भी इन सैनिकों ने अपनी विशिष्टता दिखलाई।[2] अंत में अंग्रेजों को मैड मुल्ला के विरूद्ध सफलता मिली।

प्रथम विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह एवं गंगा रिसाला – महाराजा गंगा सिंह जी ने अग्रेंजो के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की संभावना देख 03 अगस्त 1914 को सम्राट जार्ज पंचम एवं भारत के वाइसराय को अपनी सेना के युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की।

* शोधार्थी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (राज.) भारत

अंग्रेज सरकार द्वारा अनुमति मिलने पर अक्टूबर 1914 में गंगा रिसाला स्वेज (मिश्र) पंहुचा। स्वेज नहर के आस-पास का प्रदेश ऊंट सेना के लिए उपयुक्त था। मिश्र में एक मात्र केमल कोर होने के कारण, युद्ध के साढे चार वर्षों की अवधि तक स्वेज के पूर्व में रक्षा, भ्रमण और जासूसी देखभाल के कार्य विख्यात रेजीमेंट (गंगा-रिसाला) पर निर्भर था।

20 नवम्बर 1914 को प्रथम बार गंगा-रिसाला की बिर-अल-अस में शत्रु सेना से मुठभेड़ हुई। जिसमें ऊंट वाहिनी के सैनिकों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। जनवरी-फरवरी 1915 में जमाला पाशा की अध्यक्षता में तुर्की सेना के अग्रसर होने पर गंगा-रिसाला की शत्रु सेना से निरन्तर मुठभेड़ होती रही और शत्रु सेना आगे बढ़ने में कामयाब न हो सकी। इसी वर्ष महाराजा गंगासिंहजी ने स्वयं अपनी सेना का संचालन करते हुए कतीब-एल-खेल के युद्ध में तुर्क सेना को परास्त किया।[3]

1918 में गंगा-रिसाला का केन्द्र अमरिया के समुद्र तट पर रक्षकों की सहायता के लिए नियत किया गया। जिसमें जहाज के साथ डूबने वाले लोगों की प्राण रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अंततः 11 नवम्बर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर शत्रुओं से छिने हुए दो हवाई जहाज, सात मशीनगनें, 51 बन्दूकें, कुछ तलवारें आदि युद्ध की स्मृति स्वरूप बीकानेर राज्य को अंग्रेज सरकार की तरफ से भेंट की गई। गंगा-रिसाला के अफसरों एवं सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में महाराजा गंगासिंहजी को आंमत्रित किया गया एवं 28 जून 1919 के संधि पत्र पर भारतीय प्रतिनिधि और ब्रिटिश साम्राज्य के साझेदार की हैसियत से महाराजा गंगासिंह ने हस्ताक्षर किए।[4]

द्वितीय विश्व युद्ध एवं गंगा-रिसाला – द्वितीय विश्व युद्ध के समय महाराजा गंगासिंहजी द्वारा अपनी सेवाएं देने के अनुरोध को अंग्रेज सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त 17 अगस्त 1940 को गंगा-रिसाला बीकानेर से रवाना होकर युद्ध क्षेत्र (मध्य-पूर्व) में पहुंचा।[5] यह भारतीय राज्यों में प्रथम कोर थी जिसको इस महायुद्ध में जाने का सर्वप्रथम सम्मान मिला। इस कोर की ताकत पहले की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक थी। कोर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल खेमसिंह के हाथ में थी।

दिसम्बर 1942 में मिश्र एवं लीबिया में राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण गंगा-रिसाला को अरब से हटाकर सिंध प्रांत (अब पाकिस्तान में) में तैनात किया गया। जून 1944 तक सिंध प्रांत में सक्रिय सेवा के बाद गंगा-रिसाला ने हुरों के विद्रोह को दबाने में भाग लिया। इस तरह लगभग 4.5 वर्ष तक महायुद्ध में अपनी सेवाएं देकर 30 जनवरी 1945 को गंगा-रिसाला वापिस अपनी रियासत बीकानेर लौटी।

निष्कर्ष – गंगा-रिसाला ने साम्राज्यवादी युद्धों (प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध) एवं ब्रिटिश सोमालीलैण्ड में महत्वपूर्ण सेवाएं देकर अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया तथा बीकानेर रियासत की गौरवशाली परम्परा को कायम रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति एवं सम्मान अर्जित किया।

स्वतन्त्रता के पश्चात गंगा-रिसाला को 13 ग्रेनेडियर्स के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया। 1965 एवं 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों में भी इस सेना ने कई अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तानी सेना से टक्कर ली। आज भी सीमा सुरक्षा बल (BSF) में ऊँटों की सेना की उपयोगिता एवं क्षेत्र की भौगोलिक पारिस्थितियों के मध्य पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी का सम्पूर्ण भार इन्हीं ऊँटों की सेना पर टिका हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बीटसन – ए हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स ऑफ नेटिव स्टेट्स, पृ. 21
2. द हाउस ऑफ बीकानेर, बीकानेर – 1933, पृ. 45
3. पन्नीकर, के.एस. – हिज हाईनैस द महाराजा ऑफ बीकानेर – ए बायोग्राफी लन्दन 1937, पृ.159
4. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद – बीकानेर राज्य का इतिहास भाग-2, पृ.142
5. सिंह, डॉ. करणी – बीकानेर राजघराने का केन्द्रीय सत्ता से संबंध (1465-1449) बीकानेर 1968, पृ. 329

****

अमीर, उलमा और सामन्त

डॉ. सुनीता शुक्ला *

प्रस्तावना – शासकों के भाग्य का निर्णय करने वाला यही वर्ग रहा है। एक इतिहासकार के शब्दों में वे सेनानायक, प्रशासक कभी-कभी तो सम्राट के भी भाग्य विधाता बनकर मुस्लिम सत्ता के अंतर्गत सर्वप्रधान प्रभाव रखते थे, किन्तु उसके समुचित संगठन तथा नियुक्ति में वंश, कुल आदि से संबंधित निश्चित नियम का अभाव था। डॉ. अवध बिहारी पाण्डेय के अनुसार सामान्यतया मुस्लिम शासन में प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की संज्ञा 'अमीर' थी।[1] डॉ राम चौधरी ने लिखा है 'इसमें परस्पर ईर्ष्या-द्वेष तथा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति इतनी अधिक मात्रा में थी कि उसके कारण ये प्राय: शासन के हितकारी कार्यो की परवाह न करते थे।[2] डॉ. राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार बाबर के शासनकाल में भी इस वर्ग का प्राधान्य था।[3] शेरशाह अवश्य उन्हें भली-भॉति नियंत्रित रख सका। दिल्ली के अतिरिक्त मुस्लिम राज्यों की भी यही स्थिति थी । मालवा जैसे शक्तिशाली राज्य के विकास, बंगाल में राजतंत्र का समाप्ति, सुल्तान की अराजकता तथा बहमनी साम्राज्य का पॉच टुकड़ों में विभाजन आदि घटनाऍ उपर्युक्त परिस्थिति का ही परिणाम थी। यूरोप के यात्री लिखते है कि जितने ठाट से भारत के कुछ अमीर रहते थे उतने ठाट से यूरोप के शासक भी नहीं रहते। वे उनके मद्यपान और चरित्रहीन होने का भी उल्लेख करते है। जहॉगीर ने यह नियम बनाया था कि अमीरों के मरने पर उनका सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार हो। इस कारण यद्यपि आसफ खॉ जैसे कुछ व्यक्ति मितव्ययिता के आधार पर धन इकट्ठा करते थे, परन्तु अधिकांश अमीर फिजूलखर्ची के शिकार थे और प्राय: कुछ सम्पत्ति छोड़ने के स्थान पर पूर्ण छोड़ जाते थे।[4]

मुगलकाल में भी उलेमाओं का विशिष्ट स्थान था, लेकिन उनका राजनैतिक प्रभाव घटता गया। इसलिए वे निष्क्रिय रहे। जबकि सल्तनतकाल में उलेमाओं की पूर्ण धाक थी।

मुगलकालीन समाज का प्रमुख आधार सामंतवाद था। देश की समस्त शासन प्रणाली का संचालन सामंत वर्ग द्वारा बादशाह की इच्छानुसार होता था। शाही पदाधिकारी विशेषाधिकारों का प्रयोग करते थ। इस कारण अन्य वर्गो में ईर्ष्या की भावना का संचार होता था। सामंतवाद में यद्यपि विदेशी तत्व भी थे परन्तु किसी को भी देश के बाहर जाने का अधिकार नहीं था।

मध्यम वर्ग की दशा – मध्यम वर्ग के विषय में डॉ.यूसुफ हुसैन लिखते है 'मध्यम श्रेणी के लोगों की स्थिति के संबंध में हमारी जानकारी बहुत न्यून है। इस वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी और सरकारी कर्मचारियों या लेखक वर्ग, जैसा उन्हें कहा जाता था, सम्मिलित थे। समुद्र तट पर रहने वाले व्यापारियों और सौदागरों का जीवन स्तर निश्चित रूप से उन लोगों से ऊॅचा था जो देश के भीतरी भू-क्षेत्र में रहते थे, जिसका कारण यह था कि उन्हें दूसरें देशों के लोगों के सम्पर्क मे आना पड़ता था और अर्न्तराष्ट्रीय आराम और सुविधा का उन्हें अनुकरण करना पड़ता था।'[5] मध्यम वर्ग के लोग प्राय: व्यर्थ के आडम्बरों से मुक्त थे और वे अमीरों के समान अधिक खर्चीले नहीं थे। उनका व्यय अपने धन्धों और व्यवसायों के अनुकूल था। जुलाहों, संगतरासों और चित्रकारों का जीवन यद्यपि ऐश्वर्य पूर्ण नहीं था, परतु इस पर भी वे सम्मान जनक जीवन व्यतीत करते थे। बर्नियर के अनुसार सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में उनकी दशा शौचनीय हो गई थी।

मोरलैण्ड का मत है कि इस युग में मध्यमवर्ग अर्थात् बुद्धिजीवी वर्ग प्राय: नगण्ड था। डॉ. अवध बिहारी पाण्डेय के अनुसार 'यह सत्य है कि उस समय भी कुछ वकील थे, दरबार में तथा दरबार से पृथक अनेक वैद्य तथा हकीम थे और विद्वान पण्डित तथा उलमा प्राय: सारे देश में फैले थे। परन्तु उनकी संख्या देश की जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम थी। उनमें से अधिकांश व्यक्ति नौकर, दान प्रार्थी अथवा आश्रित थे। इसलिए मध्यम वर्ग द्वारा समाज के बौद्धिक नेतृत्व का कार्य होना कठिन था।[6] बहुधा वे उच्च वर्ग के अनुयायी होकर चलते थे और उनको प्रसन्न करके अपनी सुख-सुविधाओं की कामना करते थे। धार्मिक मामलों में उलमा तथा पण्डित वर्ग का जनसाधारण पर प्रभाव था, परन्तु वे उनको संगठित करके राज्य की सुपथ पर रखने का उपयोग करने की क्षमता नहीं रखते थे।[7]

जनसाधारण या निम्न वर्ग – डॉ. यूसुफ हुसैन के शब्दों में, 'निम्न श्रेणी के लोगों की ऐसी ही स्थिति थी जैसी कि आधुनिक समय में है। जहॉ तक उनके निवास भवनों का सम्बन्ध है, अधिकतर विदेशी यात्री उनकी दुर्दशा का चित्रण करते हैं। कृषक औरा श्रमिक वर्ग के लोग प्राय: छप्पर की झौपड़ियों में रहते थें।' [8]

इस युग में अमीरों तथा गरीबों का पारस्परिक भेद पहले से अधिक बढ़ गया। इस समय के धनी पहले से अधिक धनी थे, और वे उस धन का उपयोग करने में पहले से अधिक स्वार्थी थे।' निर्धन पहले से अधिक निर्धन हो गए और साधारणत: उनकी स्थिति अधिक असहाय हो गई।'[9]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ0 अवध बिहारी पाण्डे-पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, संस्करण 1, अध्याय-17, पृष्ठ-407.
2. डॉ0 आर.सी.मजूमदार एण्ड राय चौधरी-ऐम एडवान्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग-2, अध्याय-5-6, पृष्ठ 396.
3. डॉ. आर.पी. त्रिपाठी-राइज एण्ड फाल ऑफ दि मुगल एम्पायर, संस्करण-1956, अध्याय-2, पृ0 22.
4. डॉ0 अवध बिहारी पाण्डेय-उत्तर मध्यकालीन भारत, संस्करण-1965, पृ0 557.

* प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

5. डॉ. यूसुफ हुसैन व्दारा उद्धृत मध्यकालीन भारतीय संस्कृति
6. डॉ. अवध बिहारी पाण्डेय–उत्तर मध्यकालीन भारत, संस्करण–1965. अध्याय–26वॉ, पृ0 558.
7. डॉ. अवध बिहारी पाण्डेय–उत्तर मध्यकालीन भारत, संस्करण–1965. अध्याय–26वॉ, पृ0 558.
8. डॉ. यूसुफ हुसैन व्दारा उद्धृत मध्यकालीन भारतीय संस्कृति
9. डॉ. अवध बिहारी पाण्डेय–उत्तर मध्यकालीन भारत, संस्करण–1965. अध्याय–26वॉ, पृ0 560.

****

महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. ज्योति मेहता * राम भरोस साहू **

शोध सारांश – मानव अधिकार वे अधिकार है, जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। प्रस्तुत शोध कार्य में विद्यार्थियों का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का विकास करना है। इस शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि विद्यार्थियों के मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर जानकर उनमें वर्तमान समय में होने वाले भ्रष्टाचारों से निजात पाया जा सकता है।

शब्द कुंजी –मानव अधिकार– न्यूनतम अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति में लिंग भेद, वर्ण भेद, भाषा भेद होते है, जीवन में समान स्वंतत्रता प्रदान करते है।

प्रस्तावना – मानव अधिकार वे अधिकार है, जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है। इनके अभाव जीवन व्यतीत नही कर सकते है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास असंभव है। इनकी उपयोगिता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए सयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों को सार्वभौम को स्वीकार किया है। सार्वजनिक घोषणा में प्रस्तावना के साथ 30 अनुच्छेद प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों मानक की महत्व तथा मनुष्य एवं स्त्री के समान अधिकारों की समानता में निष्ठा व्यक्त की गयी है। इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 व 2 सामान्य है और अनुच्छेद 3-21 नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 22-27 आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है। 30 धाराओं वाली यह घोषणा लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शक्तियों के बढ़े हुए प्रभाव के अंतर्गत और मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक जनसाधारण की सशक्त कार्यवाही के फलस्वरूप ही स्वीकार की गई थी।

'यह घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अंग है।' (चार्ल्स मालिक)

यह घोषणा पत्र समस्त मानव समाज का मैग्नाकाट है। (श्रीमती रूजवेल्ट)

महाविद्यालय में अध्यनरत् छात्र-छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मानव अधिकारों के संबंध में जानकारी रखते होगे क्योंकि पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप में भले ही मानव अधिकारों का उल्लेख न हो किन्तु पाठयक्रम में समाहित विषय वस्तु की मानव अधिकार से संबंधित करते हुए मानव अधिकारों से अवगत हो सकते है।

जागरूकता पैदा नहीं की जाती तब तक इनका वास्तविक महत्व प्रकट नहीं हो सकता।

आवश्यकता एवं महत्व – 'शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण बच्चों को सुरक्षा के विशेष उपायों की आवश्यकता है।' मनुष्य के सर्वांगीण के लिए मानव अधिकार परम आवश्यक होता है। मनुष्य के विकास में मानव अधिकार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। जिससे मनुष्य अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता सकेगा तथा वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थाओं के माध्यम से विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

समस्या कथन – 'महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन'।

उद्देश्य –

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में शिक्षा के क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में आर्थिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
4. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में आर्थिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना
5. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातकोत्तर स्तर के छात्र-छात्राओं में सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता अध्ययन करना।
6. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं में राजनीतिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ –

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं में सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में सर्थक अंतर नहीं पाया जाता।
2. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में राजनीतिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में शैक्षिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।

*प्राध्यापक (समाज शास्त्र) शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई पी.जी.गर्ल्स कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत
** (समाज शास्त्र) स्कूल ऑफ सोशल साइंस देवी आहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

4. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में आर्थिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।
5. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातकोत्तर स्तर के छात्र छात्राओं में सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता
6. महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातकोत्तर स्तर के छात्र छात्राओं में राजनीतिक क्षेत्र मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नही पाया जाता है।

सीमांकन –

1. यह शोध प्रबंध कार्य जबलपुर जिले के 4 महाविद्यालय के 200 स्नातक एवं स्नाकोत्तर के छात्र छात्राओं पर किया।
2. न्यायदर्श में महाविद्यालय के 18–25 वर्ष के विद्यार्थी को लिया गया।

1.7 चर के प्रकार –

स्वतंत्र चर – छात्र एवं छात्राएँ

आश्रित चर – मानव अधिकार

उपकरण – मानव अधिकार जागरूकता मापनी।

श्रीमती एन. पॉल द्वारा निर्मित

सम्प्रत्यात्मक अवधारणा –

मानव + अधिकार = मानव अधिकार

मानव अधिकारों का तात्पर्य ऐसे न्यूनतम अधिकारों से है, जो प्रत्येक व्यक्ति में लिंग, भेद वर्ण भेद भाषा भेद होते हुए भी मानव परिवार का सदस्य होने के नाते होते है। प्रत्येक बच्चे 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्ति का और अपना समुचित विकास करने हेतु उपयुक्त होता है।

मानव अधिकारों के संबंध में अवधारणाएँ प्रचलित है।

पूर्व शोध कार्यो का सिंहावलोकन –

1. संगीता एवं जैन कामिनी Issue - Vall - VI (9) November 2007 रिसर्च विद्यार्थियों को मानव अधिकार से परिचित करना
2. चौबे वंदना 2007 जबलपुर संभाग को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन।
3. T.C. Johari Indian Political System' New Delhi (2000) the chapter on human rights contain the meaning nature and scope of human right he has bricIty discussed the international Deilartions Johari says the concept of natural rights is not a concept of human rights
4. M Jyoti the orde of sueli coary in protection of human right in India Autuday kurukshetra university Kurkshetra march 2005
5. Paul Reena National Human Right commission of india A human Right Evaluation London School of Economics and political 2005
6. झा नारायण प्रदीप (2009–10) उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता।
7. बागरे सुजाता (2001–2002) मानव अधिकार शिक्षा के प्रति स्तर के छात्र छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन तथा सुझाव
8. चौबे वंदना (1999–2000) सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक तथा मानव अधिकारों छात्र छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन।

शोध योजना एवं प्रस्तुत प्राकल्प – सर्वप्रथम जबलपुर नगर के चार महाविद्यालय 100 छात्र एवं 100 छात्राओं के मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया मानव अधिकार मापनी में परीक्षण में 54 प्रश्न है, जिसमें सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्र से प्रश्नों के उत्तर लेने का प्रयास किया परीक्षण के लिए हाँ, नहीं एवं अनिश्चत प्रश्न रखे गए, जिसमें छात्रों को सही का निशान लगाना था। सभी प्रश्नों को हलन पर (2) अंक गलत प्रश्नों पर (0) अंक एवं अनिश्चित के लिए एक अंक दिया गया। ऑकड़े प्राप्त कर उनका सारणीयन किया गया एव नाट डाय ग्राम द्वारा निष्कर्षी पर प्रभाव डाला गया।

न्यादर्श का चयन – न्यायदर्श द्वारा जहॉ परिणामों में महत्वपूर्ण भिन्नता नही आती वही श्रम, समय एवं अर्थ की भी बचत होती है।

1. P.V. Young

"Sample is miniature picture os is its Population"

2. डेसिंग के अनुसार – 'न्यायदर्श सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का केवल अंश मात्र ही नहीं है बल्कि न्यायदर्श एक कला व विज्ञान है, जिसकी सहायता से उपयोग में लाये जाने वाले ऑकड़ों की विश्वसीनयता को असम्भावता द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है तथा उसका मापन भी किया जा सकता है।'

न्यायदर्श विद्यालयों की सूची –

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	छात्र	छात्राऍ	योग
1.	नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर	25	25	50
2.	शासकीय मॉडल साइंस महाविद्यालय	25	25	50
3.	जी. एस	25	25	50
4.	हवाबाग महिला महाविद्यालय जबलपुर	25	25	50
	योग			200

प्रयुक्त शोध उपकरण –

मानव अधिकार जागरूकता मापनी – इस परीक्षण का निर्माण डॉ. (श्रीमती) निवेदिता पॉल ने मानव अधिकार जागरूकता मापने के लिए किया है। प्रश्नोत्तर में 54 प्रश्न है जिनका संबंध सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्र से है।

समय सीमा – प्रश्नोत्तर को हल करने में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी पर यह अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नोत्तरी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरा जा सके।

ऑकडों का सारणीयन तथा विश्लेषण – प्रदत्तों का सारणीयन व्याख्या एवं विश्लेषण किया गया है। प्रारम्भिक स्वरूप में जटिल तथा परस्पर उलझे हुए होते है। कार्य तथ्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण में किया जाता है।

परिणाम – तालिका से स्पष्ट होता है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं में सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रांतिक अनुपात के 2/98 स्वतंत्रस्तर पर 2.44 पाया गया। जो 0.05 सार्थक स्तर पर सार्थक अंतर को दर्शाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया जाता है। जैसा कि छात्र छात्राओं के मध्यमानों से अंतर सभी तथ्य स्पष्ट होता है।

निष्कर्ष –

निष्कर्ष को दो भागों में विभक्त किया गया है।

1. मुख्य निष्कर्ष
2. सामान्य निष्कर्ष

परिणामों को व्याख्या से स्पष्ट होता है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं मध्यमान 0.05 स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की अपेक्षा उच्च पाया गया इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर छात्रों का मध्यमान 0.05 स्तर तक पर शिक्षा क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र में छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाया गया उनकी छात्राओं का मध्यमान राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में अधिक पाया गया।

इसी प्रकार स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्राओं का मध्यमान 0.05 स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में छात्राओं से अधिक पाया जबकि सामाजिक क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र एवं आर्थिक कम पाया गया है।

भावी शोध कार्य हेतु सुझाव –

1. प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं का मानव अधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के उन पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना जो कि मानव अधिकार से संबंधित है।
3. विश्वविद्यालय स्तर के छात्र छात्राओं का मानव अधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है।
4. उच्च एवं निम्न आर्थिक स्तर छात्र छात्राओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है।
5. यह शोध कार्य ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता है।

शैक्षिक उपयोगिता – शोध कार्य विधि बिना उसके शैक्षणिक महत्व के अधूरा हो अत: शोध अध्ययन तभी महत्वपूर्ण साबित होता है। जब उसका शैक्षणिक क्षेत्र में कोई विशेष महत्व तथा योगदान हो।

प्रस्तुत शोध कार्य में विद्यार्थियों का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का विकास करना है। इस शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि विद्यार्थियों के मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर जानकर उनसे वर्तमान समय में होने वाले भ्रष्टाचारों से निजात पाया जा सकता है। विद्यार्थियों में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता कम है तो उनमें मानव अधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. चौबे वंदना जबलपुर संभाग की उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षकाओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन शैक्षणिक प्रभाव तथा मूल्यांकन डॉ. ऑफ फिलासकी हेतु प्रस्तुत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) 2007 PP 7-7
2. खमीता एवं जैन कामिनी रिसर्च के लिए IISUE - 44 Vol - VI (9) November 2007 P39.
3. बॉमरे सुजाता मानव अधिकार शिक्षा के प्रति 10+2 स्तर के छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन तथा सुझाव पी.सी.एम. महाविद्यालय जबलपुर (2001–2002)
4. चौबे वंदना हाई स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान पुस्तक का मानव अधिकारों के संन्दर्भ में विश्लेषण तथा जबलपुर जिले में छात्र छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन पी.एस.एम. महाविद्यालय (1999–2000)
5. Arya Raka Gander and How an Inevitable relatioship Joural of Gender Equality and Sensitivity 2012-2013
6. J.C. Johari Indian Political System New Delhi 2000.

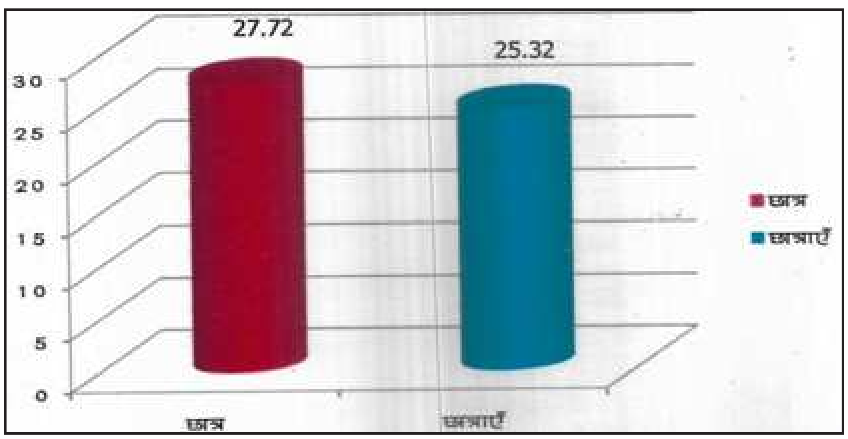

सार्थकता –

न्यायदर्श	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान	मानक विचलन त्रुटि	प्रामाणिक	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता का स्तर
छात्र	50	27.72	4.19	0.98	2.44	0.05
छात्राएँ	50	25.32	5.58			

DF = 98

05 = 1.98

****

भारत में महिलाओं की स्थिति व महिला आंदोलन

डॉ. शैलजा दुबे * सुयश दुबे **

प्रस्तावना – स्त्री की सामाजिक स्थिति पर विचार करना अत्यंत ही दुखदायी व पीडा का विषय प्राचीन समाज से ही रहा है, स्त्रियों की स्थिति पर जब भी विचार करना होता है, तो यह बात समझ नहीं आती कि किस युग की स्त्री पर विचार किया जाए हर युग में स्त्री केवल पुरूषों के भोग विलासिता की वस्तु मात्र रही है। किंतु स्त्रियों की इस पीडा दायक अवस्था से मुक्ति हेतु बहुत से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आन्दोलन स्त्रियों के उत्थान हेतु किए गए है। जिससे उनकी स्थिति एक दासी मात्र की न रहे व वह भी समाज में पुरूषों के बराबर ही हक प्रदान कर सकें व उनकी स्थिति में सुधार हो और वह ससम्मान इस समाज में जी सकें।

भारत में महिलाओं की स्थिति – स्त्रियों की स्थिति के बारे में विचार करते समय यह बात समझ नहीं आती कि किस युग की स्त्री पर विचार करें ?[1] स्त्री की किस स्थिति पर विचार करें ? किस समाज की स्त्री पर विचार करें ? पुरूष प्रधान समाज में स्त्री केवल पुरूषों के कामोवेश रूप में दासी ही रही है। पुरूषों की संपत्ति मात्र रही है, स्त्री समाज की जड़ चेतना ने उसे सदियों तक गुलाम जीवन जीने पर विवश किया है। स्त्री अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी, किसी से बात भी नहीं कर सकती थी अपनी बात सामान्य तौर पर प्रकट नहीं कर सकती थी। क्योंकि वह पुरूष प्रधान समाज में मालिक के आधीन थी। यहॉ तक कि उसकी देह पर भी उसका कोई हक नहीं होता था वह अपने मालिक के इशारे पर खरीदी व बेची जाती थी।

भारतीय समाजिक व्यवस्था प्राचीन काल से ही स्त्रियों को असहाय, निरीह व दयनीय रूप में गढ़ती आई है। बचपन से ही स्त्री के कानों में यह बात डाल दी जाती थी कि वह तो स्त्री है, उसे दूसरे घर जाना है, पराई संपत्ति है। पुरूष प्रधान शोषित वर्ग के शोषण हेतु स्त्री को बचपन से ही स्त्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। यहॉ फ्रांसीसी लेखिका सीमोन द बोउआर के शब्द कितने महत्वपूर्ण है 'औरत पैदा नहीं होती उसे बना दिया जाता है।'[2] यह कथन कल भी सत्य था और आज भी है पुरूष प्रधान समाज ने ही तो शताब्दियों से इसे ऐसा गढ़ा है।

महिला आन्दोलन – महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के निवारण हेतु अनेक समाज सुधारकों ने वीणा उठाया व उन्हें उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश की।

रामधारी सिंह दिनकर इस विषय में लिखते है – 'विद्रोह बगावत या क्रांति कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका विस्फोट अचानक होता है, घाव फूटने से पहले बहुत काल तक पकता है विचार भी, चुनौती लेकर खडे होने से पहले वर्षो तक अर्द्धजाग्रत अवस्था में फैले रहते हैं।[3]

(i) पुरूषों द्वारा महिला आन्दोलन – 19 वीं सदी के समाज सुधार आन्दोलन के प्रणेता राजाराम मोहनराय उन्हें पुनर्जागरण आन्दोलन के पिता के रूप में स्मरण किया जाता है। राजाराम मोहनराय ने स्त्री समाज की उन सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया जिसने स्त्री समाज को पंगु बना दिया था।

ब्रिटिश शासनकाल में राजाराम मोहनराय ने महिलाओं की समस्याओं को लेकर आन्दोलन आरम्भ कर दिया। इसमें मुख्य थी सतीप्रथा, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह, बहुपत्नि विवाह की प्रथा, स्त्री को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखना उन्होने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया। सतीप्रथा के विरूद्ध तो इतना व्यापक आंदोलन छेडा गया कि 1829 में लॉर्ड विलियम वैंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया।4 साथ ही इसके विरूद्ध कानून बना दिया।'

राजा राम मोहनराय द्वारा स्त्रियों के उत्थान हेतु जो कार्य किए गए उनसे उनकी दशा में बहुत ही सुधार आया। जिनमें मुख्यत: सतीप्रथा बाल विवाह व स्त्री शिक्षा बहुत ही मुख्य सुधार थे। इसका असर सीधे ही कुछ दशकों बाद देखा गया व समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत हद तक पहले से बेहतर हुई।

(ii) महिलाओं द्वारा महिला आन्दोलन – पुरूषों द्वारा महिला आन्दोलन की शुरूआत करने के बाद महिलाओं ने भी अपने हक के लिए लड़ना आवश्यक समझा पुरूषों द्वारा महिला आन्दोलन की सफलता के बाद महिलाओं द्वारा भी महिलाओं के उत्थान व महिलाओं की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला आन्दोलन शुरू किए गए। किन्तु महिला आन्दोलन को बल ब्रिटिश काल में हुए आन्दोलनों से ही प्राप्त हुआ।

महिलाओं द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक आन्दोलन चलाए गए वास्तव में महिला आन्दोलन बड़ा व्यापक है।

'1910 व 1920 के मध्य अनेक स्त्री संगठनों की स्थापनाएं हुई जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इनमें मुख्य है 'महिला समिति' 'वीमन्स क्लव' 'वीमन्स इण्डियन एसोशिएशन' (1917) इन महिला आन्दोलनों के पीछे सुधारवादी आन्दोलनों की प्रेरणा समाहित है। जिसने नारियों को घर से निकलने की प्रेरणा दी व उन्हें जागरूक बनाया।'[5]

इन आन्दोलनों ने महिलाओं को जागरूक बनाया व यह कथन यहॉ पर सिद्ध होता है कि ' जब तक कोई आपकी मद्द नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं खुद की मद्द करना न सीख लें।'

निष्कर्ष – निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि राजाराम मोहनराय व अन्य पुरूष समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने व महिला उत्थान के लिए जो भी कार्य किए है, पूर्णत: सफल रहे व उनसे स्त्री समाज

* शोध निर्देशिका (समाज कार्य व समाज शास्त्र) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाज कार्य व समाज शास्त्र) शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

को बहुत ही राहत मिली। उनका सामाजिक स्तर बढा।

समाज में स्त्रियों को जीवन यापन की एक नई दिशा मिली महिलाओं द्धारा महिलाओं के उत्थान के लिए जो कदम उठाए गए वह भी बहुत हद तक सफल ही रहे। उनका भी सकारात्मक प्रभाव स्त्री समाज में देखा गया।

भारतीय आन्दोलनों ने स्त्रियों की दशा को आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रगतिशील बनाने में सहायता की है। वहीं महिला शोषण, उत्पीडन व अत्याचार में काफी कमी हुई है।[6] किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जो देश प्रगतिशील व विकासशील होने का दावा कर रहा है वह आज भी बलात्कार, अपहरण शोषण जैसी घटनाओं से जूझ रहा है दिन प्रतिदिन इन कुरीतियों में वृद्धि हो रही है। यह बहुत ही शर्मनाक है।

अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्त्री की बिगडी हुई दशा को राजाराम मोहनराय व अन्य समाज सुधारकों महिला समाज सुधारकों ने सुधारा है। अब वक्त है कि वर्तमान सरकार भी बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के शोषण को रोकने हेतु जटिल कठोर नए कानून बनाए व उन्हें लागू करें। जिससे इन जटिल बुराइयों से भी नारी समाज पूर्णत: सुरक्षित महसूस करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह वी.एन., भारत में सामाजिक आन्दोलन, पृष्ठ क्रं. 219 सिंह जनमेजय।
   2.सिंह वी.एन., भारत में सामाजिक आन्दोलन, पृष्ठ क्रं. 219 सिंह जनमेजय।
3. सिंह दिनकर रामधारी, संस्कृति के चार अध्याय,पृष्ठ क्रं. 102
4. सिंह वी.एन., भारत में सामाजिक आन्दोलन, पृष्ठ क्रं. 223 सिंह जनमेजय।
5. जनमेजय सिंह, समकालीन भारतीय समाज,पृष्ठ क्रं. 152
6. सिंह वी.एन., भारत में सामाजिक आन्दोलन, पृष्ठ क्रं. 236 सिंह जनमेजय।

****

Major Crops Pattern And Trend In Haryana - A Geographical Analysis

Vinod Kumar*

Abstract - Agriculture plays very important roll to determine the economy of Haryana. This paper bring out contrast on trend of seven major crops of Haryana, which are, Rice, Bajra, Mazze, Jowar, Wheat, Barley and Sugarcane. The paper also compares the district – wise production of these crops of Haryana in 2017-18. This paper is based on secondary source of data collected from statistical abstract Haryana 2017-18. Data has been analyzed with the help of general statistical techniques. Pattern has been shown with the help of Microsoft Word and Excel. The study found that the area under rice and wheat is continuously increased however the area under Bajra, wheat and sugarcane is decreased from 1970-71 to 2017-18. It is also found that production of rice, Wheat and Bajra is most continuously increased form 1970-71 to 2017-18. On the other side of the production of sugarcane is decline after 2010-11 and the production of jowar is also decreased in Haryana form 2010-11 to 2017-18. Yamunanagar have the highest production of sugarcane followed by Karnal and Kurukshetra. The highest production of wheat is recorded in Sirsa followed by Hisar. The highest production of rice is recorded in Karnal and followed by Kaithal, Kurukshetra and fatehabad. Production of Bajra is highest in Mahendragarh and production of Jowar is highest in Bhiwani, Rewari.
Key Words - Major Crops, pattern Trend, Rice, Jowar, Bajra, Wheat and Sugarcane, Microsoft Word and Excel 2007.

Introduction - The Green Revolution in India refers to a period when Indian agriculture was converted into an industrial system due to the adoption of modern methods and technology such as the use of high yielding variety (HYV) seeds, tractors, irrigation facilities, pesticides, and fertilizers. Green revolution highly influences the agriculture of Haryana. In the recent year, commercial orientation of the state agriculture is mom associated with some specific crops as a result the area and production of some crops is increased especially of rice and wheat, influence the area and production of other crops.

In this paper, focus has been made on the trend of five major crops of Haryana form 1970-71 to 2017-18. The district wise comparison of the production of these major crops of Haryana in 2017-18 is also focused in this paper.

Study Area- The Present Study has been conducted in Haryana at district level. Map shows the location of Haryana in India. Haryana is a landlocked state in northern India. It is located between 27° 37' to 30° 53' N latitude and between 74° 28' and 77° 36' E longitude. The total geographical area of Haryana is 44,212 square K.M. Haryana is a small state with 2.54 crores (Census of India 2011) Populations. For administrative purposes, the State has been divided into 22 districts.

Figure – 1 **(See in the last page)**

Objectives - The present study has been carried to obtain following objectives-

1. **To compare the district -** wise production of five major crops (Rice, Jowar, Bajra, Wheat and Sugarcane) of Haryana in 2017-18.
2. To find out the trend in area and production of five major crops (Rice, Jowar, Bajra, Wheat and Sugarcane) of Haryana from 1970-71 to 2017-18.

Data Source & Methodology- This study is based on secondary data, collected from Statistical Abstract Haryana 2017-18 and Census of India 2011. Data has been taken from 1970-71 to 2017-18. A temporal analysis is made to fulfill about mentioned objectives. Data has been analyzed with the help of general statistical techniques and presented with the help of appropriate table and graphs. Pattern has been shown with the help of Microsoft Word and Excel 2007.

Trend in Area and Production of Major Crops of Haryana - Represent the trend in area under major crops in Haryana in 1970-71 to 2017-18. It clearly represents that the area under rice and wheat is continuously increased however the area under Bajra, Wheat and Sugarcane is decreased from 1970-71 to 2017-18.

Green revolution play very important role in production of crops in Haryana especially in the production of rice and wheat. Shows on table in trend in production of seven major crops of Haryana from 1970-71 to 2017-18. Its clearly shows that production of rice, wheat is mostly continuously increased from 1970-71 to 2017-18 on the other side, the production of sugarcane is decline after 2000-01. The production of Maize and jowar is also decreased in Haryana

*Asst. Professor (Extension Lecturer) (Geography) Govt. College, Loharu, Bhiwani (Haryana) INDIA

from 1970-71 to 2017-18. So, it is clear that the area and production under rice, wheat and sugarcane is continuously increased from 1970-71 to 2017-18. Pattern of rice, wheat and sugarcane in Haryana in 2017-18 table -1 represents the production of seven major crops in Haryana in 2017-18. The pattern of these five crops is as follows.

Figure - 2 (See in the last page)

Figure - 3 (See in the last page)

Table – **(See in the last page)**

Rice – The production of rice in 2017-18 is basically very low(no production) Charkhi Dadri, Mahendragrah. The main cause behind this is that, in these district most of the people engaged in non-agriculture activities. These areas are considered as industrial areas. The production is also low in Bhiwani, Faridabad, Gurugram, Jhajjar, Nuh, Palwal, Panchkula, Rewari and Rohtak, it is because that the soil of these areas is not considered good for the rice crops. On the other side the highest production of rice is recorded in Karnal followed by Kaithal, Fatehabad, Jind, Sirsa, Ambala, Panipat, Yamunanagar and Hisar.

Wheat - Wheat is one of the important crops of Haryana. In 2017-18, the highest production of wheat is recorded in Sirsa (1547000 tonnes) followed by Hisar (1075000 tonnes), Jind (1056000 tonnes), Fatehabad (995000 tonnes), Karnal (897000 tonnes), Kaithal (861000 tonnes) Sonipat (744000 tonnes), Jhajjar (545000 tonnes), Kurukshera (521000 tonnes), Bhiwani (519000 tonnes) and other district above (100000 tonnes), because Panchkula capture lowest area under this crops production (69000 tonnes) then other districts.

Sugarcane – The production of sugarcane in 2017-18 (Charkhi Dadri, Fatehabad, Gurugram, Mahendragarh, Nuh, rewari and Sirsa) have no producation of sugarcane, whereas Bhiwani, Faridabad, Hisar, Jhajjar, Jind, Kaithal, Palwal and Panchkula have low production. On the other side, Yamunanagar have the highest production of sugarcane followed by Karnal, Kurukshetra, Ambala, Rohtak and Panipat.

Bajra – Bajra is not cropped in Ambala, charkhi Dadri, karnal, Kurukshetra, Panipat and Yamunanagar. Its production is also low in Panchkula, Kaithal, Faridabad, Fatehabad, Sirsa and Palwal. It is highest in Mahendragarh district following by Bhiwani, Rewari, Jhajjar and Hisar.

Barley – The production of Barley is mainly low then the other four major crops in Haryana. Three districts production of Barley is recorded in Bhiwan (13000 tonnes) followed by Hisar (11000 tonnes), Sirsa (11000 tonnes) and Jhajjar (8000 tonnes), Rohtak (6000 tonnes).

Figure – 4 **(See in the last page)**

Jawar – The production of Jowar is mainly low then the other five crops. In years 2017-18, only 8 districts (Bhiwani, Faridabad, Gurugram, Jhajjar, Nuh, Palwal, Rohtak and Sonipat) cropped jowar in more than 50 hectares. So, the production remains low. The highest production of jowar is recorded in Nuh in (9000 tonnes) followed by Rohtak (8000 tonnes).

Maize – The production of Maize is mainly low then the other Six crops. In years 2017-18, only 5 districts (Ambala, Kurukshetra, Panchkula, Rohtak and Sonipat). The highest production of Maize is recorded in Rohtak in (10000 tonnes) followed by Panchkula (9000 tonnes), Sonipat(5000 tonnes).

Conclusion - Its is found that the area under rice and wheat is continuously increased however the area under Bajra, Maize, Jowar, Barley and Sugarcane is decreased form 1970-71 to 2017-18. It is also found that production of rice, wheat and sugarcane is continuously increased form 1970-71 to 2017-18. Yamunanagar have the highest production of sugarcane following by Karnal and kurukshetra. The highest production of wheat is recorded in Sirsa followed by Hisar, Jind and Fatehabad. The highest production of Bajra is recorded in Mahedragarh followed by Bhiwani, Rewari, Jhajjar and Hisar.

References :-

1. Government of Haryana (1991). Statistical Abstract of Haryana. Department of Economic and Statistical Analysis, Chandigarh.
2. Government of Haryana (2011). Statistical Abstract of Haryana. Department of Economic and Statistical Analysis, Chandigarh
3. Social – Economic Review and Statistical Abstract of Haryana District, (2017-18).
4. Land use and Cropping Pattern in Jaisalmer District, International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR) Volume 5, Issue 4, April 2016.

Figure - 1 - Map Location of Haryana in India.

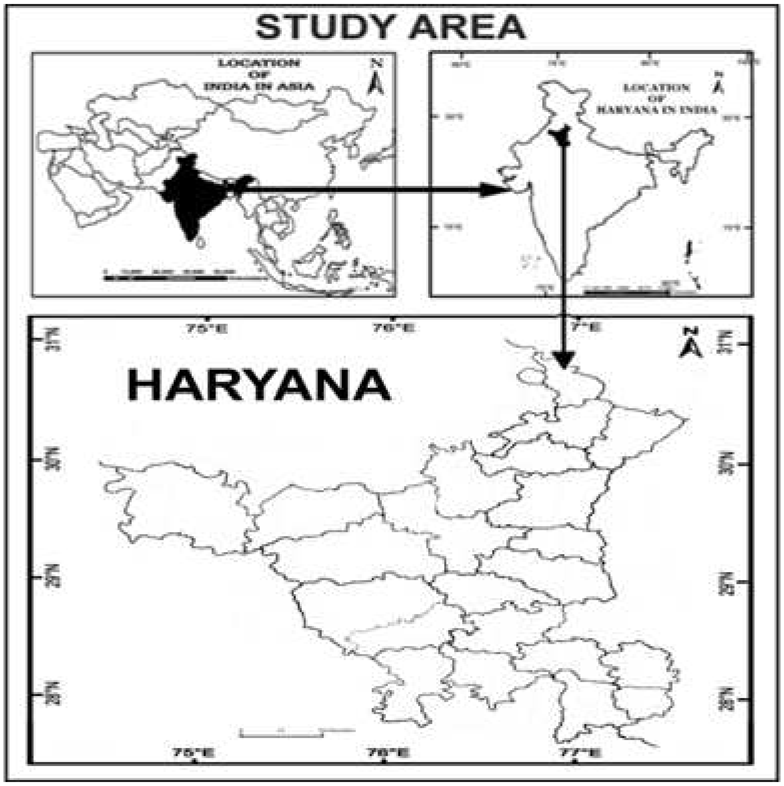

Figure – 2 Trend in Area under Major Crops in Haryana in 1970-71 to 2017-18.

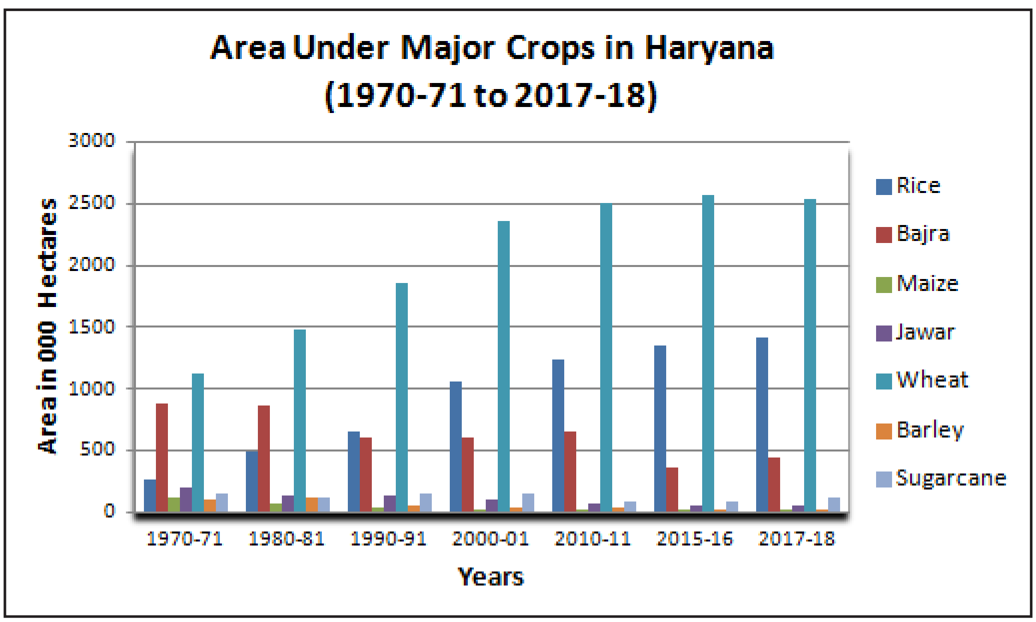

Figure - 3 Trend in Major Crops Production in Haryana in 1970-71 to 2017-18.

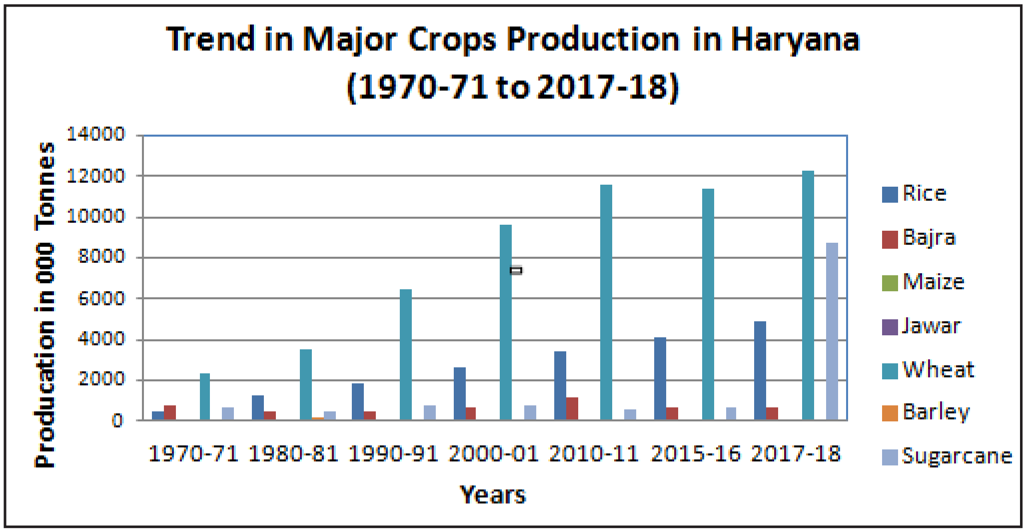

Figure - 4 - District wise comparison of Production of Rise, Bajra, Wheat, Jawar, Maize, Barley and Sugarcane.

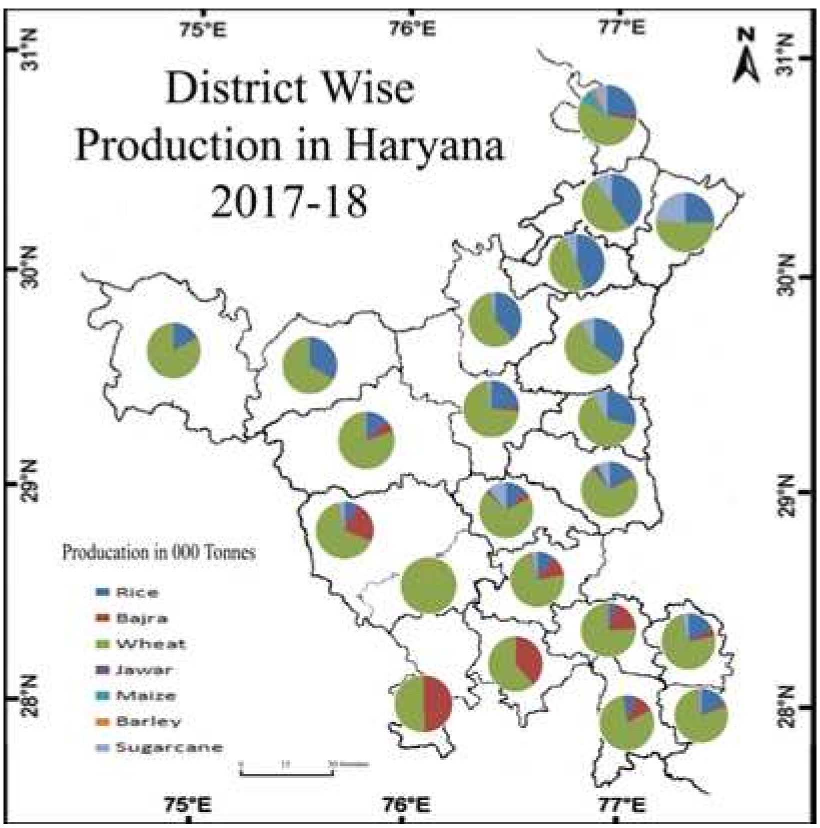

Table – Major Crops Production in Haryana 2017-18.

District	Production in 000 Tonnes						
	Rice	Bajra	Wheat	Jawar	Maize	Barley	Sugarcane
Ambala	319	0	392	0	1	0	78
Bhiwani	63	189	519	2	0	13	25
Charkhi Dadri	0	0	259	0	0	5	0
Faridabad	33	9	141	1	0	0	8
Fatehabad	486	9	995	0	0	4	0
Gurugram	15	59	224	1	0	5	0
Hisar	186	84	1075	0	0	11	13
Jhajjar	80	88	545	5	0	8	23
Jind	349	34	1056	0	0	0	38
Kaithal	552	6	861	0	0	0	38
Karnal	555	0	897	0	0	0	112
Kurukshetra	495	0	521	0	1	0	86
Mahendragarh	0	228	236	0	0	0	0
Nuh	23	49	338	9	0	0	0
Palwal	95	11	424	4	0	3	10
Panchkula	31	3	69	0	9	0	9
Panipat	198	0	419	0	0	0	58
Rewari	4	149	241	0	0	5	0
Rohtak	95	25	482	8	10	6	71
Sirsa	315	9	1547	0	0	11	0
Sonipat	164	12	744	3	5	0	70
Yamunanagar	195	0	399	0	0	2	183

Source - Statistical Abstract Haryana 2017-18.

****

विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामकथा

प्रफुल्ल कुमार टेम्भरेकर *

प्रस्तावना – भगवान राम जन-जन के आराध्य हैं। ये हमारी संस्कृति के आधार हैं। कला, संगीत, साहित्य के प्रमुख प्रतिपाद्य हैं। ऐसी कोई भाषा अथवा बोली नहीं है, जो इनके गुण का वर्णन न करती हो, तभी तो भगवान राम के चरित्र का प्रतिपादन प्रत्येक भाषा के साहित्यकारों ने किया है। बोलियों में लोकगीत तथा लोक कथाओं में रामचरित्र प्रस्तुत होता है। सामाजिक जीवन में व्याप्त रीति-रिवाज, तीज-त्योहार, सभी भगवान राम से अछूते नहीं रह सके है। भारतीय भाषाओं में राम कथा की परंपरा बारहवीं से बीसवीं सदी के बीच, विशेषकर चौदहवी सदी से सोलहवी सदी तक अधिक विकसित हुई।

विश्व में ऐसा दूसरा चरित्र खोजने पर भी नहीं मिलेगा जिस पर इतना लिखा, बोला, कहा तथा गाया गया हो। हालाकि भगवान राम एक ही हैं, फिर भी प्रत्येक भाषा एवं क्षेत्रों के राम अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत होते हैं। उनकें चरित्र का वर्णन कथाकार, लेखक, गायक ने अपने-अपने दृष्टि से किया है। परन्तु सब में एक ही बात मुख्य है और वह है, भगवान श्री राम चरित्र का वर्णन। प्रत्येक ने श्री राम को अलग-अलग भाव से देखा है। श्री राम कथाओं की विविधता उसके सौंदर्य को अधिक बढ़ाती है। कहीं-कहीं विषयांष जरूर देखने में आता है, परन्तु हर एक का आधार वाल्मीकि के राम ही हैं। कहीं-कहीं कथानक में भारी अंतर भी है। शैली व प्रस्तुति की विविधता तो है ही। इस सब के बावजूद भी रामकथा को लेकर वैमनस्यता या विवाद नहीं है। क्योंकि सब राम के प्रति आस्था, श्रृद्धा व भक्ति रखते हैं। तभी तो रामकथा प्रत्येक भाषा की कथावस्तु बनी, लोकगीतों तथा लोककथाओं की कथानक बनी। रामकथा को जातिगत, संप्रदाय वर्ण, वर्ग के भेद की सीमाएँ बाँध नहीं सकी हैं। राम लोक जीवन के लोक-नायक हैं। हमारी सनातन संस्कृति, पूजा, धर्म, श्रृद्धा, भक्ति, त्याग और सत्य आधार है। देश समस्त आधुनिक भाषाओं, नेपाली, असमिया, बांगला, ओड़िया, मैथली, मराठी, अवधी, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम इत्यादी में रामकथा का वर्णन किया गया है।

राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ रामचरित्र का कई रूपों में वर्णन देखने को मिलता है।लोक जीवन में पग-पग में भगवान राम को स्मरण किया जाता है। राजस्थानी लोक जीवन में भगवान राम का अटूट विश्वास है। यहाँ कई स्थल ऐसे हैं, जो राम-सीता और उसके परिवार के स्थाई यादगार वर्णित करते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर ईश्वर के प्रमुख चौबीस अवतारों में से भगवान राम के प्रति जो सहज भाव और लगाव है, वह प्रभाव किसी अन्य के प्रति इतना व्यापक नहीं मिलता। जाम्भोजी द्वारा राजस्थान में स्थापित विष्नोई संप्रदाय के प्रमुख कवि 'महोजी गोदारा' ने 'रामायण' नामक ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम की है।[1] इस राम काव्य को विभिन्न राग-रागिनियों में गाए जाते हैं।

राजस्थानी भाषा में 'पिंगल शिरोमणि' नामक ग्रंथ की रचना की गई है। यह आठ प्रकरणों मे विभक्त है। 'राम रासौ' ग्रंथ के रचियता माधवदास दधवाड़िया है। राम रासौ में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की कथा का वर्णन कवि ने विस्तार के साथ किया है। श्रीराम की जीवन गाथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। सात काण्डों में विभक्त राम रासौ में वर्णित राम कथा का स्वरूप प्राय: परम्परागत है लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस के माध्यम से रामकथा से परिचित समाज को राम रासौ में वर्णित कुछ घटना-प्रसंगों के स्वरूप नए से लग सकते हैं। जैसे हनुमान द्वारा बिल्ली का रूप धारण कर लंकापुरी में प्रवेश करना-

अंधारी निसि धुरि अरत। अरधी उजियारै।।
सुखिंम गात समंधरे। धरि भेष मंजारै।।[2]

गुजराती भाषा में रामकथा साहित्य की परम्परा लेखन समृद्धशाली एवं व्यापक है। गुजरात प्रदेश में गुजराती भाषा के उदय के साथ ही रामकथा विषयक काव्यों का उदय होने लगा था। गुजराती में रामकथा काव्य, गेयकाव्य, आख्यान तथा फुटकल पदों में है। गुजराती में 14वी सदी के उत्तरार्द्ध से वर्तमान समय तक रामकथा की साहित्यिक परंपरा अबाधित रूप से प्राप्त होती है।

श्री प्रहलाद चन्द्रशेखर दीवान की सूचना के अनुसार रामकथा के आरंभिक गुजराती रचनाकारों में राजाराम के पुत्र आशायित जो कि गुजराती के प्रसिद्ध भक्त कवि नरसिंह मेता के पूर्ववर्ती है का नाम सर्वप्रथम सामने आता है। उन्होने 'रामलीलाना' पदों की रचना संवत 1427 में की थी।[3] इनके अलावा प्रमानंद-रणयज्ञ, भालण-रामविवाह, सीताविवाह, गिरधर-रामायण, वजियोकवि-सीताबेल इत्यादी प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएँ हैं।

भारतीय भाषाओं में रामकथा विशेषकर बंगाली साहित्य में कृत्तिवास ओझा ने 'श्रीराम पांचाली' की पयार छंद में रचना की। यह रचना बांग्ला भाषा का आदिकाव्य माना जाता है। कृत्तिवास रामायण इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि इसने बंगााल में भक्तिवाद का प्रचार किया है। कृत्तिवास रामायण के सभी रामद्रोही रावण, तरणी सेन तथा वीरवाहु राम के भक्त हैं। आयोध्या काण्ड की शुरूआत होती है, श्रीराम के राजा होने के प्रस्ताव के साथ मंथरा स्वाभाविक रूप से यहाँ भी भरत को राज्य और राम को वनवास देने की सलाह कैकेयी को देती है। कृत्तिवास लिखते हैं कि मंथरा का जन्म राम के दुख, कैकेयी के अपमान, दशरथमरण और रावण उद्धार के लिए हुआ था-

रामेर दुखेर हेतु तार उपादान, राजर मरण, कैकेयीर अपमान।
मरिने रावन जाते, विधाता से जाने, विधाता सृजिल तारे एई से कारणों।[4]

हिन्दी की तरह ही कन्नड़ के कवियों ने मध्ययुग में रामकथा से प्रेरित होकर

*शोधार्थी (हिन्दी) अटलबिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

रामायण का केवल अनुवाद ही नहीं अपितु रूपांतरण भी किया है। सभी पुराणों में से रामायण को कन्नड़ कवियों ने आदर्श ग्रंथ के रूप में अपनाया है। इन कवियों का लक्ष्य रामकथा को जनसाधारण के बीच पहुँचाना था इसलिए इन कवियों ने प्राचीन कन्नड़ में रामायण ग्रंथ लिखे हैं। कन्नड़ में रामकथा की भरमार का मुख्य कारण है कि कन्नड़ प्रदेश विभिन्न धार्मिक संतों की कर्मभूमि रही है। कर्नाटक के कोने-कोने में श्रीराम मंदिर, हनुमान मंदिर छाए हुए हैं। कन्नड़ लोगों के लिए रामायण परमप्रिय ग्रंथ है। बताया जाता है कि यहाँ का पम्पा सरोवर राम-सीता के स्पर्श से पवित्र हुआ है, सुग्रीवांजनेयो का किष्किंथा कर्नाटक में है। कर्नाटक के लोकगीतों में, कहावतों में, लोकजीवन की विभिन्न उक्तियों में रामायण की ध्वनि प्रतिबिंबित है। कन्नड़ का आदिम ग्रंथ 'कविराज मार्ग' (9वीं शदी का उत्तरार्द्ध) इससे पूर्व का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।[5] 'श्री विजय' इसके रचयिता है, इसमें रामकथा से संबंधित 14 पद है। इसमें रामकथा के अन्तर्गत सीता हरण, राम-रावण युद्ध, राम-हनुमसंदर्षन इत्यादि है। कन्नड़ भाषा के अन्य कवियों में कुमुदेन्दु कृत कुमुदेन्दु रामायण, नागचन्द कृत पम्प रामायण, बत्तालेश्वर कृत कौशिक रामायण इत्यादि प्रमुख है।

मलयालम राम साहित्य काव्य, नाटक तथा उपन्यास विधाओं में उपलब्ध है। इनमें सर्वाधिक वैभवपूर्ण विधा काव्य ही रहा है। यही नहीं चित्रकला तथा भित्ति चित्रों में भी राम-चरित के दर्शन मिलते हैं। मलयालम रामकाव्य परंपरा लोकगीतों से प्रारंभ होती है। चीरामन नायक कवि द्वारा 'रामचरितम्' रचना लिखी गई है, जो मलयालम का प्रथम गीत है। मलयालम रामकथात्मक काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय रचना 16वीं शताब्दि में जीवित एपुत्ताच्छन द्वारा 'आध्यात्म रामायण किष्ठपाट्टु' है।[6] रामकथा के अनेक प्रसंगों का आधुनिकीकरण इन रचनाओं का उद्देष्य है। इस प्रकार पाट्टु, चम्पू, आट्टक्कथा, महाकाव्य, खण्डकाव्य आदि अनेक विधाओं मे मलयालम का रामकाव्य बिखरा पड़ा है।

तेलुगु में रामचरित को लेकर अनेक काव्य शतक एवं लोक-कथाएँ रची गई है। आंध्रप्रदेश के कोने-कोने में राममंदिर स्थित है। भक्त पोतन्ना, भक्त रामदास तथा त्यागय्या ने अपनी कृतियों से आंध्रप्रदेश में रामभक्ति का प्रचार-प्रसार किया है। रचनाकाल की दृष्टि से 'रंगनाथ रामायाण' प्रथम रामकाव्य है। इसके कवि गोन बुद्धा रेड्डी ने कथा-संविधान में नवीन कल्पनाओं तथा लोकप्रचलित वृत्तांतों को स्थान देकर काव्य को अधिक रोचक बनाया है। तेलुगु अन्य कवियों में श्री विश्वनाथ सत्यनारायण कृत रामायण कल्पवृक्ष, भास्कर रामायण प्रमुख है।

ओड़िसा में भक्ति आन्दोलन और ओड़िसा साहित्य में रामकथा की एक प्राचीन परंपरा है। धर्मनिष्ठ उत्कलियों के साथ रामकथा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। पन्द्रहवीं शताब्दी के ओड़िआ प्रतिनिधि कवियों में सारलादास का महत्वपूर्ण स्थान है इन्होने 'विलंका रामायण' की रचना की है। सोलहवी शताब्दी में नीलाम्बर दास ने 'टीका रामायण' की रचना की। इसमें महिरावण की कथा, लव-कुश युद्ध जैसे नवीन प्रसंगों को स्थान दिया है। आधुनिक ओड़िआ साहित्य में कई कवियों ने रामकथा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कविवर राधानाथ राय, व्यासकवि फकीर मोहन, भक्तकवि मधुसूदन राव जैसे प्रख्यात कवियों ने रामकथा से संबंधित मौलिक और अनुदित रचनाओं से ओड़िया साहित्य को समृद्ध किया है।

आधुनिक सिंधी हिन्दू जनजीवन में प्रभु श्रीराम रचे-बसे हुए हैं। श्रीराम के भाव रूपों का सिंधी समाज पर प्रभाव के तहत, सिंधी हिन्दुओं पर दो लोक मान्यताओं ने अपना सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है। प्रथम-राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास काल में चित्रकूट वास के उपरान्त हिंगलाज देवी के दर्शनार्थ सिंध जाना। द्वितीय-सिंध के हिन्दुओं का श्रीराम का वंशज होना।[7] सिंधियों में विवाह के समय राम-सीता, राम-लक्ष्मण के नामों वाली मुद्रिका, राम-सीता की मूर्तियों के बने गले के हार इत्यादि आभूषणों का भेंट स्वरूप देना आवश्यक समझा जाता है। इसके पीछे यही प्रयोजन होता है कि पुरूष राम की तरह मर्यादित तथा स्त्रियाँ सीता की भाँति पवित्रता बनाए रखें। सिंधी भाषा में लिखित रूप में साहित्यिक रचनाएँ 16वीं शदी के प्रारम्भ में मिलती है। साह अब्दुल तलीफ द्वारा 'सुर रामकली' की रचना प्रमख है। लीलाराम वतनमल लालवाणी ने रामायण नामक नाटक की रचना की।

इस प्रकार समस्त भारतीय भाषाओं मे रामकथा का उल्लेख मिलता है जो भावशुचिता से लोक हृदय को अपने शील-सस्पर्श से सरसित, अपराजय शक्ति से आश्वस्त और अप्रतिम सौंदर्य से अभिभूत करती हुई मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के जीवन की कर्मधारा सृष्टि की स्थिति, रक्षण और संवर्धन में क्रियाशील दृष्टिगत होती है। शील, शक्ति और सौन्दर्य भंगुणित हुई श्रीराम के जीवन की कर्म कथा का रमणीय रूप सनातन काल से भारतीय मन को अपनी मनोहरता से आकर्षित करता आ रहा है। रामकथा की परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही आरंभ होती है। संस्कृत भाषा में रचित 'वाल्मीकि रामायण' रामकथा का गौरव-ग्रंथ है। इसी से प्रेरणा लेकर सभी भारतीय भाषाओं में राम के जीवन को आधार बनाकर प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय भाषा में रचित रामकथा, (राजस्थानी भाषा)- डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह-पृ.क्र. 9
2. राम रासौ, संपादक - शुभकरण देवल - पृ.सं. 134
3. भारतीय भाषाओं में रामकथा (गुजराती भाषा) - डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह-पृ.सं. 11
4. भारतीय भाषाओं में रामकथा (बांग्ला भाषा) - डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह-पृ.सं. 77
5. भारतीय भाषाओं में रामकथा (कन्नड़ भाषा) - डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह-पृ.सं. 13
6. भारतीय भाषाओं का राम साहित्य तथा वर्तमान लोकतंत्र की सामाजिक प्रासंगिकता-डॉ. प्रदीप कुमार सिंह-पृ.सं. 20
7 भारतीय रामकथा साहित्य का स्वरूप-विकास - प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ल- पृ.सं. 246

****

राजस्थान की गवरी लोकनाट्य में सामाजिक समरसता के आयाम का विश्लेषण

उषम वैष्णव *

प्रस्तावना – लोकनाटक भारत व इसके राज्यों की विविधता वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। मानवीय संस्कारों, भावनाओं व संस्कृति से युक्त लोकनाट्यों की परंपरा युगों पुरानी है जो कि ग्रामीण समुदाय के रीति-रिवाजों, परंपराओं व मान्यताओं की पहचान बनाए रखने का सशक्त माध्यम है। यह विभिन्न उत्सवों, त्योहारों व अवसरों पर ग्रामीणों व स्थानीय लोगों द्वारा मनोरंजनार्थ आरंभ की गई स्वपोषित कला है। यह कला जनमानस के दिन-प्रतिदिन की जीवन की निरसता व उबावपन को दूर कर उनके जीवन में रस भरने की ऐसी कला है, जिसमें विशेष साहित्यिक भाषा व रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जनमानस के सुख-दु:ख, आशा-निराशा, हर्ष-उल्लास, संघर्ष आदि भावनाएं स्वत: प्रदर्शित होती है। इसके कथानक लोगों के विश्वासों, अंधविश्वासों, रीति-रिवाजों, नियमों, परिस्थितियों, एवं समस्याओं से संबंधित होते है। मानव के क्रियाकलापों, सामुदायिक वातावरण, परंपरागत मान्यताओं एवं निरंतर अभ्यास ने ही लोकनाटकों को जन्म दिया और जीवित रखा है।

डॉ. नगेंद्र के अनुसार ''लोकनाटक सामूहिक आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के कारण निर्मित होने से लोककथानकों, लोकविश्वासों और लोकतत्वों को समेटे चलता है और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है।'' लोक जीवन के विविध प्रसंगों की रसपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम ही लोकनाटक है। प्रारंभ में लोक जनमानस के विश्वासों, अंधविश्वासों से प्रेरित धार्मिक लोकनाटकों का ही मंचन किया जाता था, परंतु धीरे-धीरे समाज की कुप्रथाओं व कुरीतियों पर कटाक्ष व व्यंग्य आधारित सामाजिक विषयों को भी लोकनाट्यों में स्थान प्राप्त होने लगा। ''भारत के विभिन्न राज्यों में लोकनाट्यों की परंपरा भिन्न-भिन्न एवं विविधता पूर्ण है। लोकनाट्य की दो प्रवृत्तियां ही पूरे भारत में प्रचलित है-धार्मिक और लौकिक। मध्यकाल में वैष्णव आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जनजीवन का कल्याण था, विशेषकर लोकनाट्यों को जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाना रहा। इसलिए भगवान कृष्ण तथा राम के जीवन संबंधी लीलाएं जनजीवन के आकर्षण एवं धार्मिक भावना का केंद्र बनी।''

डॉ.श्याम परमार ने लोकनाटकों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि ''लोकनाटक से तात्पर्य नाटक के उस रूप से है, जिसका संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से हो और जो परंपरा से अपने-अपने क्षेत्र के जन समुदाय के मनोरंजन का साधन रहा हो।'' लोकभाषा व सर्वसाधारण के जीवन से प्रेरित होने के कारण लोकनाटक सहजता व सुगमता से अपनी बात पहुंचाने में सफल होते हैं। ग्रामीण परिवेश में मनोरंजन का सुगम, सस्ता व सरल साधन होने के साथ ही लोकनाटक को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज माना जा सकता है। लोकनाटकों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज-प्रथा, घूंघट-प्रथा, अंधविश्वास, शोषण और भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि पर कटाक्ष कर जन-जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। लोकनाटकों के कथानक व पात्र समाज और वातावरण से प्रभावित हो अपने-अपने विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकनाट्य जनता के अति निकट और सामाजिक ऊंच-नीच का अंतर भूलाकर सभी के लिए समान रूप से शिक्षा व मनोरंजन का माध्यम है। इस मंच पर अभिनेताओं व दर्शकों की सामाजिक एकता को स्थान दिया जाता है। लोकनाट्य आज प्रमुख रूप से समाज के सामने आ रहे है और बड़े-बड़े शहरों तथा महानगरों में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहे है। इसकी लोकप्रियता इसका प्रमाण है।

राजस्थान के लोकनाट्यों व लोकनृत्यों की रंगमय संस्कृति को संपूर्ण भारत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है जिसमें रम्मत, भवाई, ख्याल, गवरी, नौटंकी, रामलीला, रासलीला तमाशा, स्वांग आदि प्रमुख है। इन लोकनाट्यों में धार्मिक व सांस्कृतिक तत्वों के साथ ही सामाजिक तत्वों का भी समावेश होता है। लोकनाटकों में सामाजिकता की धारा उसकी आत्मा का निर्माण करती है। ये लोकनाटक नृत्य प्रधान, खेल प्रधान व व्यंग्य प्रधान होते हैं। राजस्थान के आदिवासी भीलों की संस्कृति ने आज भी लोकनाट्यों के परिवर्द्धन व संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उनके रीति-रिवाज, परंपराएं एवं त्योहार लोकनाट्यों के संरक्षणकर्ता है, तो राजस्थान की प्राचीन व जीवन्त संस्कृति की ढाल लोकनाट्य व लोकनृत्य है। क्रमबद्धता व नवीनीकरण के तत्व लोकनाट्यों में समाहित होते हैं, जिससे ये सर्वसाधारण लोकजन की सार्वजनिक चेतना से उभरने वाले विचारों को सहज ही स्वीकार कर आत्मसात कर लेते हैं, इसलिए लोकनाट्यों को सामाजिक चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जा सकता है।

सामंतवादी काल में लोकनाटक राजा-महाराजाओं के मनोरंजनार्थ खेले जाते थे। तत्पश्चात रूढ़ जातिवाद की अवधारणा उत्पन्न होने पर लोकनाट्य दलित व निम्न जातियों के मनोरंजन का साधन मात्र बन गए परंतु सामाजिक समरसता की धारा प्रवाहित होने के पश्चात लोकनाट्य संपूर्ण लोकजन के मनोरंजन का साधन व चेतना की आवाज बन गए। यह लोकजन के सामाजिक, सामुदायिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। लोकनाट्यों के मंचन में प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश के कारण ही सामाजिकता का पुट समाहित है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में बिखरी भील, मीणा, गरसिया, सहरिया जातियों की रंगमयी संस्कृति के जीवंत नृत्य, नाटक इनकी सांस्कृतिक व सामाजिक अभिव्यक्ति का स्रोत है। लोकनाटक के क्षेत्र में सामाजिक जीवन के रूप में समाज सामूहिक रूप से प्रतिभागिता करता है जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण गवरी लोकनाट्य है। गमेती व गरासिया समुदाय द्वारा स्थान-स्थान पर गवरी समूह में खेला जाता है। इनकी कथावस्तु धार्मिक व सामाजिक होती है। पौराणिक कथाएं, सामाजिक तथ्य, मिथकीय आख्यान, ऐतिहासिक कथाएं आदि गवरी के अत्यंत लोकप्रिय विषय है। अधिकांश विषय सामाजिक और धार्मिक है, जिनका

*शोधार्थी (हिन्दी) मानविकी संकाय मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर टीका टिप्पणी करते हुए समाज की वास्तविकता को उजागर करना है। संवादों में स्थानीय भाषा, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। गवरी पुरुषों द्वारा खेला व रचा जाने वाला लोकनाट्य है, जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है।

गवरी का उद्‌भव शिव-भस्मासुर की कथा से माना जाता है। गवरी का एक बार प्रारंभ होने के पश्चात इसे खेलने वाले पुरुष लगभग सवा महीने तक घर नहीं जाते वरन अलग-अलग जगहों पर गवरी का मंचन करते हैं एवं विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। गवरी में एक मूल कथा होती है जिसके साथ-साथ अन्य सह कथानक होते हैं। इसके प्रमुख प्रसंग देवी अखंड, बादशाह की सवारी, बिनजारा प्रसंग, भूतनाथ, शेर-सुअर की लड़ाई आदि है। कथानक के माध्यम से भीलों के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश का जीवंत चित्रण किया जाता है। सुबह से शाम तक चलने वाले गवरी में नृत्यक और गायक सभी उल्लास से भरे होते हैं। गवरी अपने मूल स्वरूप में जाति विशेष की आस्था से जुड़ी अनुष्ठानिक धारा है, जिसके कथ्य धार्मिक के साथ-साथ सामाजिक पृष्ठभूमि लिए होते हैं। गवरी में चार प्रकार के पात्र देवता, मनुष्य, दानव व जानवर होते हैं। सभी पात्रों का सर्जन व अभिनय पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। देवता पात्र में शिव व पार्वती होते हैं जिसकी दर्शकगण भी पूजा करते हैं। देवता आस्था के प्रतीक हैं एवं मनुष्य के दु:खो को कम करने एवं उनकी सहायता के लिए मनुष्यों में प्रवेश करते हैं। शिव अपने अलौकिक शक्ति से मनुष्य के कार्यो को करने में मदद करते हैं एवं वरदान देकर उपकृत कहते हैं।

गवरी में कई मानव पात्र होते हैं, जो सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें कंजर-कंजरी, मीणा, राई बुडिया, नट, शंकरिया, कालबेलिया कान-गुजरी, फत्ता-फत्ती आदि उल्लेखनीय हैं। मनुष्य बुद्धि, विवेक, ज्ञान व बल में सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। अत: इस लोकनाट्य में मानव पात्रों की बहुलता होती है। ये पात्र अपने समाज, परिवेश, समस्याओं व कठिनाइयों का जीवंत चित्रण करते हैं। दानव पात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भस्मासुर होता है। साथ ही भंवरा, बडल्या, भूत, हठीया आदि भी दानव पात्र होते हैं। ये पात्र धार्मिक रूप से दानवों का तो सामाजिक रूप से कुत्सित व दुराचारी मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चतुर्थ पात्र के रूप में हिंसक पशु सूअर, रीछ, नार आदि प्रमुख है। इन पात्रों के माध्यम से गवरी की कथा व प्रसंगों की पूर्ति की जाती है। इन पात्रों के माध्यम से गवरी में सामाजिक तत्वों की पुष्टि की जा सकती है। वर्तमान में गवरी धारण करने का उद्देश्य मनोरंजन व धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के साथ सामाजिक समरसता को उत्पन्न करना भी है। आदिवासी भील इन खेलों के माध्यम से ग्रामीणों की खुशहाली, जाति की सुरक्षा, रोग, शोक, दु:ख, दरिद्रता से मुक्ति की कामना करते हैं। गवरी भीलों में सामाजिक समरसता उत्पन्न करने वाला प्रमुख लोकनाट्य है।

गवरी में अलग-अलग कहानियों का मंचन होता है, जिसमें विभिन्न प्रसंगों को मुख्य प्रसंग से जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है। उसे गवरी की घाई कहा जाता है। आजकल गवरी में मीणा-बंजारा, बादशाह की सवारी, बीवी बादशाह तथा महाराणा प्रताप के प्रसंगों का भी अभिनय किया जाता है। ''गवरी संपूर्ण समाज व गांवों का लोकनाट्य है साथ ही भीलों द्वारा अपनी बहन बेटियों के ससुराल में भी खेले जाने के कारण यह संपूर्ण समुदाय को जोड़े रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गवरी नृत्य के दल का गठन संपूर्ण गांव से किया जाता है तथा दल के कपड़े, गहनों, साज-सज्जा इत्यादि का खर्च सभी ग्रामवासियों द्वारा मिल-जुलकर वहन किया जाता है। गवरी के पात्र ज्यादातर समय उसी वेशभूषा में होते हैं, जिसका वे अभिनय करते हैं।'' इसके साथ ही कुछ सामाजिक मुद्दों को भी व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। गवरी के विशिष्ट पात्रों में झमरिया पटकथा का निर्माण करता है एवं कुटकड़िया व्यंग्यात्मक व हास्यात्मक शैली को बनाए रखता है। इन व्यंग्यात्मक व हास्यात्मक प्रसंगों के माध्यम से समाज में शिक्षा, विकास, कुप्रथाओ का अंत संबंधी जागरूकता संदेश प्रचारित किए जाते हैं। इस प्रकार सभी जातियों व समुदायों द्वारा मिलजुलकर गवरी का गड़ावण-वलावण किया जाता है जो कि सामाजिक समरसता को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति प्रदान करता है। गवरी के प्रसिद्ध कलाकार भानु भारती हैं जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें गवरी के नवीन व आधुनिक रूपांतरण का प्रयोगकर्ता माना जाता है। ''भानु भारती ने पशु-गायत्री नाटक का मंचन अनेक बार किया है जिसे शिक्षा व विकास के कार्यक्रमों से भी जोड़ा जा सकता है। इसके कथानक के माध्यम से शिक्षा व विकास के संदेश ने ग्रामीण समुदाय को जागरूक किया जाता है। पशु गायत्री लोकनाट्य को गवरी का ही एक महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है। उदयपुर की गवरी में इस नाटक के कई संस्करण खेले जाने लगे हैं।''

इस प्रयोग की व्यापक सफलता ने जहां भानु भारती को रंगमंच की सामर्थ्य और प्रासंगिकता के प्रति नए सिरे से आश्वस्त किया, वहीं बड़ी चुनौतियों को भी उसके लिए खड़ी कर दी है। ''जिस तरह भानु भारती ने पशुगायत्री नाटक के आलेख को एक काव्य रूप के घनीभूत कर दिया था। उसी तरह उन्होंने गवरी अनुष्ठान का सारतत्व भी इस नाट्य प्रस्तुति में रच दिया था। ढोल, मादल और थाली के अनुष्ठानिक संगीत से परिचालित यह प्रस्तुति गवरी अनुष्ठान में प्रयुक्त मुकुट, वेशभूषा, नृत्य गतियों एवं चेष्टाओ में अभिव्यक्त भील सर्जना के चरम का एक ऐसा अनुठा संयोजन थी जिसके बाद गवरी के तत्वों को लेकर कुछ और नया लक्ष्य पाने की गुंजाइश कम से कम उसे संभव नहीं लग रही थी। तब उसे गवरी से इतर भी भील जीवन को देखने समझने की आवश्यकता महसूस हुई। बिना गवरी के मूल स्त्रोतों को खंगाले अब इस दिशा में और आगे बढ़ना संभव नहीं होगा उसे समझ पढ़ रहा था और यह भी कि इसके लिए भी भील संस्कृति से एक सघन क्रिया की आवश्यकता होगी, जो कि एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। गवरी तो उस संस्कृति का तैयार उत्पाद था जिसका कल्पनापूर्ण उपयोग पशु गायत्री के लिए उसने कर लिया, लेकिन अब आगे कुछ रचने के लिए तो उसे और गहरे में खोदना तलाशना होगा।''

इस प्रकार गवरी लोकनाट्य धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ ही सामाजिक चेतना व जागरूकता उत्पन्न करने का सशक्त माध्यम है। यह भील जनजाति के साथ ही राजस्थान के दक्षिणी जिलों के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकनाट्य गवरी में आदर्श लोकनाटक के सभी गुणों संगीत, अभिनय, संस्कृति का अद्वितीय समन्वय मिलता है जिससे समुदाय के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में ये सफल रहते हैं एवं सामाजिक समरसता को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोविंद चातक, भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली 1996 पृ.सं. 255
2. भानु भारती, तो फिर विपथन ही सही, तद्‌भव पत्रिका 2013 पृ.सं. 2
3. मदन मोहन भारद्वाज, भारतीय नाट्यपरंपरा और रंगभूमि, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, पृ.सं. 88, 2001
4. महेंद्र भाणावत, लोकनाट्य गवरी उद्‌भव और विकास 1970 पृ.सं.2
5. सरबजीत कौर, लोकनाट्य परंपरा की प्रासंगिकता, अंतरराष्ट्रीय हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका 2016

नारी अस्मिता और महिला कहानीकार

डॉ. शशिकान्त चंदेला *

शोध सारांश – साहित्य के इतिहास में पुनर्जागरण काल से ही नारी अपने अस्मिता संघर्ष के लिए अंगडाई ली है और अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई है। आज के समय की महिला कहानीकार अस्मिता जैसे शाश्वत प्रश्नों को अपनी अनुभूति का विषय बना संघर्ष के आयाम को गति दे रही हैं।

एक तो नारी अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कर्त्तव्य और कर्म में इस कदर पिस जाती है कि उसके इस बदले हुए रूप और अस्मिता पर प्रश्न चिह्न लग जाता है, जिसे हासिल करने के लिए नारी-लेखन पूरे समर्पण के साथ प्रतिबद्ध है। निश्चित ही महिला कहानीकारों की रचना-धर्मिता नारी अस्मिता जाग्रति के प्रति एक आंदोलन है।

सचमुच, नारी का अस्मिता विमर्श कितने-कितने आंसू का दस्तावेज है और सदियों से चुपचाप सहन करने की गाथा भी।

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य के इतिहास में कथा-साहित्य का विशिष्ट स्थान है। यदि कहानीकारों की चर्चा करें तो उनकी रचनाधर्मिता विशिष्ट और अनुभूतिजन्य है। फिर स्त्री लेखन अपने पूर्ण वैशिष्ट्य के साथ उपस्थित है। आज के समय में महिला कहानी लेखिकाएं अपनी पहचान व अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है। इसी परिदृश्य में नारी अस्मिता भी विमर्श के तौर पर उपस्थित हुआ है। निश्चित ही स्वच्छ, स्वस्थ एवं बेहतर समाज की स्थापना हेतु मुक्ति-संघर्ष आवश्यक है।

यह सर्वज्ञात है कि भारतीय नारी को अपने जीवन के साथ-साथ, अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए सदियों से सघर्ष करना पड़ रहा है। स्वातंत्र्योत्तर कहानीकार एवं महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों में नारी अस्मिता के अहम् सवाल खड़े किए हैं, जिससे नारी की बदलती हुई भूमिका का यर्थाथवादी दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है।

विश्व साहित्य पटल पर नारी विषयक जितनी चिंताएं, रचनाएं की गई हैं संभवत: नारी अस्मिता को बचाने की अभूतपूर्व कोशिश है। वैसे तो नारी विषय की गहनता, गूढ़ता अद्वितीय है। काव्य साहित्य का अथाह सागर नारी के प्रेम और आंसुओं से भरा पडा है।[1] स्वातंत्र्योत्तर कहानियों में इसी अनुभूति का सार्थक स्पंदन है, इतना ही नहीं नारी पुनर्जागरण काल से ही अस्मिता संघर्ष के लिए अंगडाई ली है। रतन कुमारी वर्मा मानती हैं- 'स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई है। वह अपनी स्वतंत्र सत्ता, पृथक सत्ता एवं अस्मिता के लिए संघर्षरत् हुई।'[2]

स्वातंत्र्योत्तर महिला कहानी लेखिकाओं ने नारी अस्मिता की विभिन्न चुनौतियों को अपने चिंतन का विषय बनाया। नारी-अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कर्त्तव्य और कर्म में इस कदर पिस जाती है कि उसके इस बदले हुए रूप और अस्मिता पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। कहां गया वह सुख, सौहार्द्र एवं आपसी प्यार और विश्वास।[3] शोभा पवार निंबालकर तो मानती हैं कि- 'कोई भी साहित्य मनुष्य जीवन के इन प्रश्नों को सुलझा नहीं सकता।'[4] केवल बहस ही किए जा सकते हैं, सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, फिर भी स्वातंत्र्योत्तर महिला कहानीकारों ने नारी अस्मिता को अपनी लेखनी का केन्द्र बिन्दु बनाया। नारी अस्मिता के अहम् सवाल उठाए हैं तथा उन सवालों के हल खोजने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

नारी अस्मिता ही नारी का वजूद है। महिला कहानीकारों ने इतना तो अच्छा किया है कि नारी के होने के दर्द को महसूस किया है फिर अभिव्यक्ति दी है। ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, इस्मत चुगताई आदि-आदि तमाम कहानी लेखिकाओं की कहानियों में यह सच मिल जायेगा। 'सजा' कहानी की 'आशा' जिन्दगी को स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। 'कितने-कितने आंसू बहाकर भी वह चाची की बात चुप रहकर सुनती है और दोनों समय का खाना भी मैंने अपनी ही जिम्मे कर रखा था।'[5]

इस्मत चुगताई की कहानी 'चिडी की दुक्की' दिलों से खेलने वालों पर करारी चोट करती हुई कहती है- 'वैसे औरत जात के लिए तो वह जहरीला बल है। वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगें। बूढे खूँसठ हो जायेंगे पर यूँ ही मैदान मारते रहेगें। न जाने कितने घर बिगाडेंगे, कितनों की बीबियाँ भगाएँगे और न जाने कितनों का दिल खाक में मिलायेंगे।'[6] मैत्रेयी पुष्पा की कहानी ललमनियाँ में संग्रहीत कहानी 'पगला गई है भागवती' में नई लकदक से जगर-मगर दुनिया में नारी अस्मिता की एक अनूठी पहल की गई हैं। देखिए- 'मठौले की जनी बुरी थोड़े ही है, बात करो तो रस की गगरी-सी छलकती है, सौ-सौ बेर पाँव पडती है। दु:ख-तकलीफ में जान-प्रान से हाजिर जो कुत्ता-कूकरा की तरह दुत्कारोगें तो फिर अपनी इज्जत आबरू तो सबई प्यारी है।'[7] तो वहीं कृष्णा सोबती अपनी कहानी 'बादलों के घेरे' में नारी-अस्मिता की पुरजोर बकालत करती है- 'धुले ताजे कपडों में लिपटकर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती है।'[8]

स्वातंत्र्योत्तर नारी अपने अंदर घुट-घुट कर अपना दम नहीं तोडती बल्कि कभी अकेले जी ऊब जाता है तो दो-चार दिन को शहर चली जाती।[9] इतना ही नहीं अगर दु:ख-तकलीफ होती है या बीमार होती है, तो दबी आजादी के बाद स्त्री जिंदगी को अपने तरह से जीना चाहती है। वह नूर बनकर नहीं बल्कि एक सम्पूर्ण स्त्री बनकर।[10] यह सच है कि आज स्त्रियां बाजारू माहौल से घुटन महसूस कर रही है। वह मायूस हो जाती है, स्त्री देह पर हो रहे अत्याचार पर, परन्तु स्त्री अस्मिता के लिए अबकी नारी यह कहती है कि मैंने जगह नहीं बदली, जगह ने मुझे बदल दिया।[11]

अब नारी जगत के लिए यह कथन बोना हो गया है कि वह खुद अपने

* उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय मॉडल उच्च. माध्यमिक विद्यालय, रीठी, जिला-कटनी (म.प्र.) भारत

देह की नारी है। वह तो अपने स्वाभिमान और अस्मिता को अच्छी तरह पहचान गई तभी तो स्वातंत्र्योत्तर कहानी लेखिकाओं की नारी अपनी अस्मिता के लिए खुली चुनौतियों का सामना करती है। ये स्त्रियां हर वर्ग और हर समाज की है। मुस्लिम महिलाएं भी कुरान की आयतों तक सीमित नहीं है, 'पर स्त्रीगमन' कहानी की नारी कहती है– 'अपनी बदकारी के लिए प्रेम जैसे शब्द का सहारा लेकर क्या तुम कुरान के पीछे छिप नहीं रहे हो, याद रखो, तुम्हारी यह चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी।'[12]

कहानीकारों का ऐसा मानना है कि– 'कहानी कभी भी जीवन के नाप की नहीं हो सकती या तो वह जीवन से तंग होती है या ढीली, छोटी होती है या बड़ी और शायद इसलिए मैं लोगों के बीच गायब होता हूँ।'[13] सहमी–सी नहीं रहती, वह तो खुल्लम–खुल्ला बोलती है।

इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर नारी की आँखों में न आश्चर्य है न उत्कंठा है और न उदासीनता है, अगर है तो बस अपनी अस्मिता का स्वर। स्वातंत्र्योत्तर कहानी लेखिकाएं मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, चित्रा मुद्गल आदि–आदि की कहानियों में नारी अस्मिता के अहम् सवाल उठाए गए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रतन कुमारी वर्मा : महिला साहित्यकारों का नारी चित्रण हिन्दी कहानियों के संदर्भ में, अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्टीव्यूटर, नई दिल्ली 110002 पृ. भूमिका से ।
2. रतन कुमारी वर्मा : महिला साहित्यकारों का नारी चित्रण हिन्दी कहानियों के संदर्भ में, अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्टीव्यूटर, नई दिल्ली 110002 पृ. भूमिका से ।
3. डॉ शोभा पंवार निंबालकर : हिन्दी कहानी और नारी विमर्श के अहम सवाल, अन्नपूर्णा प्रकाशन 127/1100 डब्ल्यू वन साकेत नगर कानपूर 208014 प्रथम सं. 2009 पृ. 6
4. वही – पृ. 06
5. कमलेश्वर : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानियाँ, नेशनल बुक टस्ट इंडिया, ए–5 ग्रीन पार्क नई दिल्ली –016 पृ. 122
6. इस्मत चुगताई : चिडी की दुक्की, वाणी प्रकाशन, 21 ए दरियागंज नई दिल्ली 110002 सं. तृतीय 2007, पृ. 28
7. मैत्रेयी पुष्पा : ललमनियाँ तथा अंन्य कहानियाँ, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. बी नेता जी सुभाष मार्ग नई दिल्ली 110002 सं. प्रथम 2002 पृ. 128
8. कमलेश्वर : स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानियाँ, नेशनल बुक टस्ट इडिया ए–5 ग्रीन पार्क नई दिल्ली –016 पृ. 129
9. वही– पृ. 129
10. वही– पृ. 179
11. वही– पृ. 180
12. वही– पृ. 181
13. वही – पृ. 130

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) July To September 2019, Vol. II

Problems Of Females In Attending Classes In Teachers Training Regularly

Dr. Naseem Ahemad* **Dr. Anuj Goyal****

Abstract - This study is conducted to know the problem of females why they could not attend the classes regularly in teacher training course. It is evident from the result that the married females face problems in attending classes regularly in comparison of unmarried females. Also married and unmarried rural females have problems attending classes regularly.

Introduction - Background Of Study - Education is a fundamental human right. It provides children, youth and adults with the power to reflect make choices and enjoy a better life. It is the most important invention of mankind. It is more important than his invention of tools, machines, spaced craft, medicine, weapons and even of language because language too was the product of his education. Man without education would still be living just like an anima. It is education, which transformed man from a more "two legged animal" into human. It helps him to behave like a man and prevents him from behaving like an animal.

Education of man does not begins at schools, it begin at birth. It ends, not when he graduated from the university, but at his death. Hence education is a life-long process.

If we talk about female education, in India, since the 19th century, when the first voice was raised against the inferior status of women in society, social reformers gave high priority to women's education. Education is important from various points of view. Its field of activity is so wide that all activities and experiences are embraced in its sphere of work. Essentially it is a process of development a development of thelatent inherent capacities of child to the fullest extent. It is a socially useful activity, habit of thinking and behaving. It includes in a child higher moral and social ideals together with spiritual values, so that he is able to form a strong character useful to his own self and society of which he is an integral part.

Women education should be given due importance in the present society. Efforts must be made to overcome all the problems of women's education in light of the recommendations made by the above committees and commission. As a result of which universalization of women's education will be possible in our country.

For the development of a nation female education are most important because females give fifty percent contribution to built up a nation. At present, girls & women are taking interest in every field of work, if it is a field of education, occupation, job, medical, defense, agriculture, business etc. They are doing best performance in every field. So it is our duty that we should encourage them and give more & more facilities for increasing in life.

Every profession is good for females but if we talk about teaching profession, it is best for females for many ways like- they can give more time of your family, the can do other work together job, they can do your house works easily and timely, they can make adjustment between family and society etc.

Our government is giving many facilities of peoples. In every place of our country training centers has been opened by the government for every profession. Peoples are trained for every profession by these training centers or institutions. Hence, we are talking about education especially female education we observe that sometime and somewhere they want to be educated but due to lack of encouragement from the society and some circumstances and problems they don't take education. Through this study we will know about female's problems which comes in the way of taking education.

In ancient time female education was neglected. People thought that educating girls is useless. They thought that women are just to give birth to baby, look after them and their homes. For such works education is not necessary only the girls from educated family could get an opportunity of education. This idea has been slowly changed today. Many people have realized the importance of educating girls. The number of girls in increasing day by day in the schools and universities. However, the village women are still deprived of the opportunity of getting education.

Since independence, there is no doubt that female education in India is in progress but still it is lagging far behind when compared to other countries.

Statement Of Problem - "A study of problems of females in attending classes in teachers training regularly".

Objectives Of Study - Following objectives are setup for

*Head Of The Department, Nayab Abbasi Degree College, Amroha (U.P.) INDIA
**Principal, Oxford College Of Education And Technology Sardhana, Meerut (U.P.) INDIA

the study-

- To find out the problem of married women in attending classes in teacher training regularly.
- To find out the problem of unmarried women in attending classes in teacher training regularly.
- To find out the difference between problems of married and unmarried women in attending classes in teachers training regularly.

Hypothesis of study - Researcher has developed null hypothesis for the statistically testing of the study is as follows -

1. There is no significant difference between problems of rural and urban women in attending classes in teachers training regularly.
2. There is no significant difference between problems of married and unmarried women in attending classes in teachers training regularly.
3. There is no significant difference between problems of rural and urban married females in attending classes in teachers training regularly.
4. There is no significant difference between problems of rural and urban unmarried females in attending classes in teachers training regularly.
5. There is no significant difference between problems of married and unmarried rural females in attending classes in teachers training regularly.
6. There is no significant difference between problems of married and unmarried urban females in attending classes in teachers training regularly.

Statistical Techniques Used - Researcher will use mean, S.D. and t-test for the solution of own research problem

Justification Of Study - The men and the women are the two wheels of the society. If one of the two falls defective, the society cannot make progress. Hence we need education for the females as we need for the males.

The female education is highly necessary for the society, because mothers are the first teachers of the children. They are the first teacher of the future citizens of the country. If the mothers be ignorant, they cannot infuse good qualities in them. Hence, the very foundation of our people will remain week, if the females will be ignorant the society will lose the services of a powerful part of our society. So female education is quite necessary for the girls. The women are in no way inferior to men.

Gender inequality in education is extreme. Girls are less likely to access school to remain achieve in education. Education helps men and women claim their rights and realize the economic, political and social areas. It is also the single most powerful way to lift people. Education plays a particularly important role as a foundation for girl's development.

Indian society is marked by tremendous diversity, difference and inequalities for example Indian society is stratified in terms of religion, caste, class, rural urban residence, language and ethnicity. Similarly, women too are stratified by the same parameters.

On the one way we talk about girls and women education and on the second way we stop them. Why we do this? We should think about it. Females are the half part of our population them, why do we ignore females education? In this modern age, we need that we should give freedom to females to get education as they want.

The present study is based on female's problems. Who are coming in the path of their education?

Method Of Study - For the present study and achieve the objective the researcher has used survey method of research.

Sample - The number of sample was selected from 100 married and unmarried students.

Tool - Toll used for research is self made questionnaire development by the researcher.

Data Analysis And Interpretation-(See in the next page)

The objective of the study purports to find out the difference between female students on problem of non attending classes regularly belonging to rural and urban locality. To test the formulated hypothesis, there is no significant difference between problems of married and unmarried women in attending classes in teachers training regularly. The data were collected and analyzed. Data presented in the table-1 reveals that mean of rural and urban females are 15.81 and 17.64 with their corresponding SD's 2.63 and 7.59. The t-value is 4.35. Which is significant at both 0.05 and 0.01 level of significance. Hence we may that there is a significant difference between rural and urban female. Hence formulated null hypothesis is rejected.

Table - 2 shows that mean of married and unmarried womenare 18.36, 15.76 and SD are6.81 and 3.00. The t-value is 6.19. Which is significant at both 0.05 and 0.01 level of significance. Hence we may calculate that there is a significant difference between married and unmarried women. So the formulated null hypothesis is rejected.

Table - 3 shows the difference between rural and urban married females on problems of non attending classes regularly. Data presented in the table reveals the mean of married and unmarried females in this regard in 17.56 and 15.64 respectively with their corresponding S.D.'s 6.74 and 2.73 and the calculated t-value is 4.18 which is significant at both the level of significance. This means married urban females face more problems then rural. Hence formulated null hypothesis is rejected.

Table - 4 shows the difference between rural and urban unmarried females on problems of non attending classes regularly. Data presented in the table reveals the mean of married and unmarried females in this regard in 15.87 and 14.57 respectively with their corresponding S.D.'s 5.82 and 2.63 and the calculated t-value is 3.04 which is significant at both the level of significance. This means married urban females face more problems then rural. Hence formulated null hypothesis is rejected.

Table -5 shows the difference between married and unmarried rural females on problems of non attending classes regularly. Data presented in the table reveals the

mean of married and unmarried females in this regard in 15.64 and 14.57 respectively with their corresponding S.D.'s 2.73 and 2.63 and the calculated t-value is 2.67 which is significant at both the level of significance. Hence formulated null hypothesis is rejected.

Table - 6 shows the difference between married and unmarried urban females on problems of non attending classes regularly. Data presented in the table reveals the mean of married and unmarried females in this regard in 17.56 and 15.87 respectively with their corresponding S.D.'s 6.74 and 5.82 and the calculated t-value is 3.19 which is significant at both the level of significance. This means married urban females face more problems then rural. Hence formulated null hypothesis is rejected.

Conclusion & Generalization -

Major Findings -

1. Significant difference found between rural and urban females in the problem of attending classes regularly.
2. Significant difference found between married and unmarried females in the problem of attending classes regularly.
3. Significant difference found between rural and urban married females in the problem of attending classes regularly.
4. Significant difference found between rural and urban unmarried females in the problem of attending classes regularly.
5. Significant difference found between married and unmarried rural females in the problem of attending classes regularly.
6. Significant difference found between married and unmarried urban females in the problem of attending classes regularly.

Conclusion - It is evident from the result that the married females face problems in attending classes regularly in comparison of unmarried females. Also married and unmarried rural females have problems attending classes regularly.

Generalization - The female education is highly necessary for the society, because mothers are the first teachers of the children. They are the first teacher of the future citizens of the country. If the mothers be ignorant, they cannot infuse good qualities in them. Hence, the very foundation of our people will remain week, if the females will be ignorant the society will lose the services of a powerful part of our society. So female education is quite necessary for the girls. The women are in no way inferior to men.

Gender inequality in education is extreme. Girls are less likely to access school to remain achieved in education. Education helps men and women claim their rights and realize the economic, political and social areas. It is also the single most powerful way to lift people. Education plays a particularly important role as a foundation for girls development.

Indian society is marked by tremendous diversity, difference and inequalities for example Indian society is stratified in terms of religion, caste, class, rural urban residence, language and ethnicity. Similarly, women too are stratified by the same parameters.

On the one way we talk about girls and women education and on the second way we stop them. Why we do this? We should think about it. Females are the half part of our population then, why do we ignore females education? In this modern age, we need that we should give freedom to females to get education as they want.

References :-

1. Aggarwal J.C., (eight revised edition) " Development and planning of modern education". Published by vikas publication house Pvt. Ltd. 576, Masjid road, Jangpura, New Delhi- 110014.
2. Bhatnagar Suresh, Saxena Anamika, " Modern Indian & its education problems" published by Surya publications near Govt. Inter College, Meerut- 250001.
3. Best. W. John and Kahn V. James (2008), " Research in Education" tenth edition, prentice- hall of India private limited, New Delhi- 110001.
4. Das B.N. (2011) "Education and Society" Published by dominant publishers and distributors New Delhi-110002.
5. Das B.N. (2011), " History of education in India" published by Dominant publishers and distributors Pvt. Ltd. New Delhi-110002.
6. Dr. Singh Y.K. and Dr. Bajpai R.B. (2010), " Research methodology techniques and trends" APH publishing coroporation, 4435-36/7, ansari road, Darya Ganj New Delhi-110002.
7. Dr. Mohan Radha and Prof Parameshwaran E.G. (2008), " Research methods in education" Neelkamal Publication Pvt. Ltd. Educational publishers sultan bazaar, Hyderabad.
8. Good V. Carter (2006), " How to do research in Education" published by COSMO publications for genesis publishing Pvt. Ltd., 24-B, Ansari road Darya Ganj New Delhi-110002.
9. Kaul Anjana (2010), " Career orientation and teacher training" A.P.H. publishing corporation 4435-36/7, ansari road, Darya Ganj New Delhi-110002.
10. Kaul Lokesh (2000), "Methodology of educational research" Vikas publishing house Pvt. Ltd., 576, Masjid Road, Jangpura, New Delhi-110014.

Data Analysis And Interpretation-
Showing The Difference Between Rural And Urban Females On Problems Of Not Attending Classes Regularly

S. No.	Category	Mean	S.D.	t-test	Level of significance
1.	Rural	15.81	2.63	4.35	Significant
2.	Urban	17.64	7.59		
3.	Married	18.36	6.81	6.19	Significant
4.	Unmarried	15.76	3.00		
5.	Urban Married	17.56	6.74	4.18	Significant
6.	Rural Married	15.64	2.73		
7.	Urban Unmarried	15.87	5.82	3.04	Significant
8.	Rural Unmarried	14.57	2.63		
9.	Married Rural	15.64	2.73	2.67	Significant
10.	Unmarried Rural	14.57	2.63		
11.	Married Urban	17.56	6.14	3.19	Significant
12.	Unmarried Unban	15.87	5.82		

****

A Study Of The Anxiety Levels Of Senior Secondary School Students Appearing For Competitive Exams

Dr. Kumud Dikshit *

Abstract - In the domain of education, high level of anxiety is often experienced by students during performance related activities such as competitive exams.The present paper deals with the analysis of the anxiety levels of senior secondary appearing for competitive exams.For this study standardised test was used namely Sinha's Comprehensive Anxiety Test by A.K.P. Sinha and L.N.K. Sinha. In the test 90 items were there that were implemented on 100 students.100 senior secondary school students comprising 50 commerce stream students and 50 non medical stream school students were selected as a sample of the study. The results showed that there is no significant relationship in the anxiety levels of the non medical stream students and the commerce stream students.

Introduction - The educational standards of school children in India are primarily evaluated based on written and competitive examinations. The scores obtained in the 12th board exams are necessary to choose the preferred main stream of higher secondary education. Since the number of seats in high quality colleges is limited compared to the number of students passing out of the 12th grade, competition to get higher education institutions admission is always fierce. Thus, higher education being a prerequisite for successful future, the competitive exams have been the source of stress and anxiety for several students. In addition to the struggle to meet their own set values, today's students also have to satisfy the demand of their parents and the society, which adds further stress and anxiety.

Anxiety is an emotional and behavioural disorder caused by the activation of sympathetic nervous system. In the domain of education, high level of anxiety is often experienced by students during performance related activities such as exams . In fact, academic examinations and school work are considered to be the most stressful events of adolescent's life. Inefficient study, night study before exams, lack of review/revision of study materials, emotional factors, and negative/irrational thinking about exams are some of the causes of exam anxiety. Although some level of anxiety among students is essential to achieve success in exams, too much of it can have adverse effect on their performances. Importantly, in students, high level of anxiety could have an impact on working memory, reasoning abilities, self-esteem, academic performance, and achievement. Anxiety in students can affect their physical and psychological characteristics causing panic attacks, which makes them go blank during exams, feel helpless/cold/nervous, have sweaty palms/fast breath/ palpation and could even cause stomach upset. Sometimes, anxiety can have extreme consequences such as tendency to attempt suicide. Unfortunately, India has one of the highest teenage suicide rates in the world, and the number of students attempting suicide because of exam fear and pressure is increasing. Hence, this study seeks to assess the level of state anxiety among 12th grade students of Faridabad.

Statement of the problem - "A study of the anxiety levels of senior secondary school students appearing for competitive exams."

Limitations of the study -

- The study is confined to the senior secondary school students of C.B.S.E affiliated schools only.
- The study is delimited to the schools of Faridabad only.
- The study is confined to the students of 12th standard only.

Objective -

1. To study the anxiety level in Non-medical students appearing for competitive exams.
2. To study the anxiety level in commerce students appearing for competitive exams.
3. To explore the relationship in anxiety of Non-medical students and commerce students.

Hypothesis - Ho: There is no significance difference in anxiety level of Non-medical and commerce streams students.

Research design - The study in hand wasdescriptive type (frequency distribution and percentage).The researcher therefore, adopted normative survey study. The main aim of the research was to compare the anxiety level of the senior secondary school students from non- medical and commerce streams respectively.

Sample - For the present study the sample consisted of 100 senior secondary school students (50 commerce

*Principal, Satyug Darshan Institute of Education and Research, Faridabad (Haryana) INDIA

stream students and 50 from Non-medical stream students) from the several schools of Faridabad district selected randomly. A total of 10 schools of Faridabad districts were selected randomly by lottery method for the purpose of the study.

Tools - For this study thestandardised test for anxiety namely Sinha's Comprehensive Anxiety Test by A.K.P. Sinha and L.N.K. Sinha. In the test 90 items were there that were implementedon 100 students i.e. 50 of Non- medical and 50 of commerce stream. The student was required respond to each item in terms of 'Yes' or 'No'. The Yes response to any item was indicative of anxiety and was given scores of "one". A score of Zero was given to a "No" response. No time limit was fixed for completion of the test. Percentiles norms as provided with the test booklet were considered as reference points for interpreting the test scores. The individual may be classified into "FIVE" categories on the basis of the scores obtained in the inventory. An individual with extremely high score of above 75 may be regarded as Hyper anxiety and extremely low score below 25 may indicate the person as under motivated and sluggish. The middle group of represent initially normal individual.

Statistical Technique - The descriptive statistical technique (frequency distribution and percentage) was used for analysis of data. To analyse the relationship of anxiety levels of the students of non medical and commerce streams inferential statistics of chi-square test was used.

Results and Discussion - SPSS20 package programme was used to analyze the data. The chi-square test was applied to establish the relationship in anxiety of Non-medical students and commerce students.

The chi square test results were = .563and p=0.967 is greater than 0.05, reveals that there is no significant relationship between the anxiety levels of the non medical stream students and commerce stream students. By conventional criteria, this relationship is considered not to be statistically significant. Hence our null hypothesis that there is no significance difference in anxiety level of Non-medical and commerce streams students is accepted.

Table-1: (See in the last page)

Chi-Square Tests (See in the last page)

Bar Chart (See in the last page)

Conclusion - From the findings as mentioned above we can concluded that there is no significant relationship in theanxiety levels of Non-medical and commerce streams students.

As time goes by, the rate of teens with anxiety has increased. More and more students worry about passing their classes, getting into college, and finding a job. It is thus the responsibility of the teachers and the parents to create a balanced schedule for the children appearing in the competitive exams so that they can manage their anxiety levels in an effective manner.

References :-

1. A. Mukherji, Around 6,000 Students Committed Suicide in 2006, 2008.
2. B. Geelani, "Student Suicides Force Indian Government to Overhaul Education System," Asia Calling, September 2009.
3. D. P. McGuire, W. Mitic, and B. Neumann, "Perceived stress in adolescents: what normal teenagers worry about," Canada's Mental Health, vol. 35, no. 2, pp. 2–5, 1987.
4. E. Horwitz, "Language anxiety and achievement," Annual Review of Applied Linguistics, vol. 21, pp. 112–126, 2001. View at Publisher · View at Google Scholar
5. Garrett, H.E.(1973). Statistics in Psychology and Education; Vakils, Feffer and Simons Ltd, Bombay.
6. Good, C.V.(1959).Dictionary of Education; Mc Graw Hill Book Co. Inc, New York.
7. I. Singh and A. Jha, "Anxiety, optimism and academic achievement among students of private medical and engineering colleges: a comparative study," Journal of Educational and Developmental Psychology, vol. 3, no. 1, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
8. K. Lacey, M. D. Zaharia, J. Griffiths, A. V. Ravindran, Z. Merali, and H. Anisman, "A prospective study of neuroendocrine and immune alterations associated with the stress of an oral academic examination among graduate students," Psychoneuroendocrinology, vol. 25, no. 4, pp. 339–356, 2000. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
9. L. Mazzone, F. Ducci, M. C. Scoto, E. Passaniti, V. G. D'Arrigo, and B. Vitiello, "The role of anxiety symptoms in school performance in a community sample of children and adolescents," BMC Public Health, vol. 7, article 347, 2007. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
10. NDTV, "Suicide rates in India are highest in the 15–29 age group," Report, 2012, http://www.ndtv.com/article/india/suicide-rates-in-india-are-highest-in-the-15-29-age-group-report-234986
11. P. Ruffins, "A real fear: it's more than stage fright. Math anxiety can derail academic or professional success but some scholars are working to help students get over it," Diverse Issues in Higher Education, 2008.
12. P. Vitasari, M. N. A. Wahab, A. Othman, T. Herawan, and S. K. Sinnadurai, "The relationship between study anxiety and academic performance among engineering students," Procedia—Social and Behavioral Sciences, vol. 8, pp. 490–497, 2010.
13. R. Deinzer, C. Kleineidam, R. Stiller-Winkler, H. Idel, and D. Bachg, "Prolonged reduction of salivary immunoglobulin A (sIgA) after a major academic exam," International Journal of Psychophysiology, vol. 37, no. 3, pp. 219–232, 2000. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
14. R. McCraty, D. Tomasino, M. Atkinson, P. Aasen, and S. J. Thurik, Improving Test-Taking Skills and Academic Performance in High School Students Using HeartMath Learning Enhancement Tools, HeartMath Research Center, Institute of HeartMath, Boulder Creek, Calif,

USA, 2000.

15. S. Hashmat, M. Hashmat, F. Amanullah, and S. Aziz, "Factors causing exam anxiety in medical students," Journal of the Pakistan Medical Association, vol. 58, no. 4, pp. 167–170, 2008. View at Scopus
16. T. S. Mwamwenda, "Test anxiety and academic achievement among South African university students," Psychological Reports, vol. 75, no. 3, pp. 1593–1594, 1994. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
17. S. K. Singh, "Stress drives 40 students to suicide every year," Deccan Herald, 2012.

Table-1 - Relationship between the anxiety levels of senior secondary school students appearing for competitive exams in non medical and commerce streams.

Anxiety levels * Streams Cross tabulation

			Streams		Total
			Non Medical	Commerce	
Anxiety levels	Hyper Anxiety	Expected Count	6.0	6.0	12.0
		% within Anxiety levels	58.3%	41.7%	100.0%
	High Anxiety	Expected Count	11.5	11.5	23.0
		% within Anxiety levels	52.2%	47.8%	100.0%
	Normal	Expected Count	11.5	11.5	23.0
		% within Anxiety levels	47.8%	52.2%	100.0%
	Low Anxiety	Expected Count	14.0	14.0	28.0
		% within Anxiety levels	46.4%	53.6%	100.0%
	Under Motivated	Expected Count	7.0	7.0	14.0
		% within Anxiety levels	50.0%	50.0%	100.0%
	Total	Expected Count	50.0	50.0	100.0
		% within Anxiety levels	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.563[a]	4	.967
Likelihood Ratio	.565	4	.967
Linear-by-Linear Association	.315	1	.575
N of Valid Cases	100		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

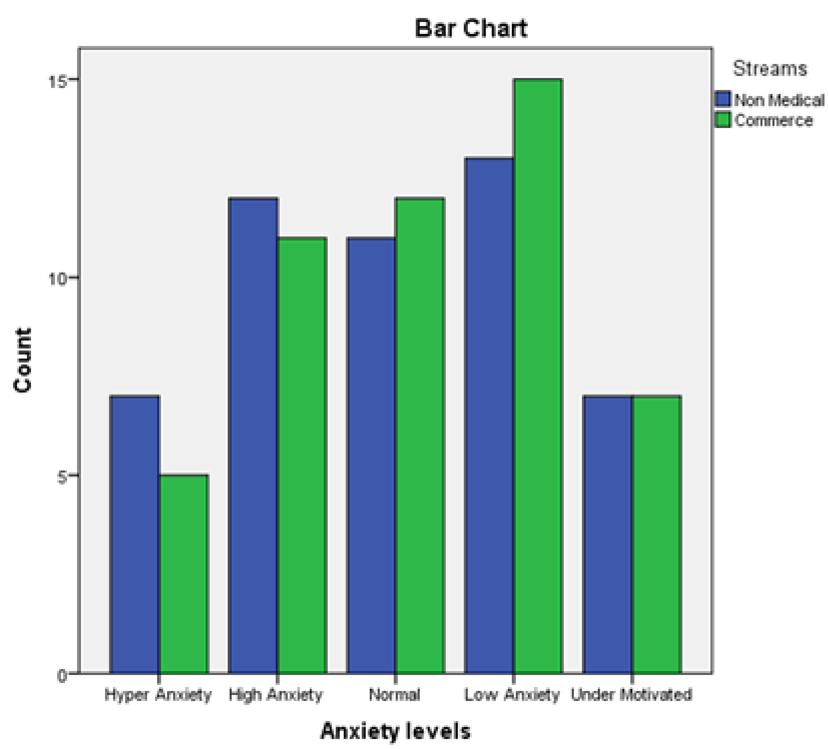

A Comparative Study Of The Role Of Teachers In Inculcation Of Values Among The Government And Private Secondary School Students

Bhawna Verma*

Abstract - Values can be imbibed by the teachers in the students through their ethics and talk and walk approach.The present paper deals with the comparative analysis of the role of teachers in the inculcation of the values amongst the private and govt. secondary school students.An interview schedule having 5 components and 20 items was prepared by the researchers themselves and was administered to the respondents to determine their role in inculcation of the values amongst the students.40 secondary school teachers comprising 20 govt and 20 private school teachers were selected as a sample of the study. The results showed that there is no significant difference in the inculcation of values among the students by govt and private secondary school teachers.

Introduction - Education institutes today are engulfed by materialistic values. Teachers have become salesman while the students indulge in indiscipline, take drugs, alcohol and smoking. This scene has emerged as the teachers do not take interest in the development of personality of the students. A distinguished scientist, Prof. D.S Kothari, who headed the Education commission (1964-66) has described the grave aberrations afflicting our world "knowledge is expanding but human personality is shrinking". On one hand we have the exponentially arising, growing spiral of science, technology and productivity and on the other hand we have greed, hatred and delusion. If we are to prevent further defacement and defilement of culture, the foundation of a refurbished value system must be strongly laid in the minds and hearts of the people as urged by the constitution of UNESCO.

Today there is both a striving and search for a sound philosophy that can sustain the human race in this nuclear age. For this purpose education can aid us.India is on the move again in the promise of new renaissance in the making. The most powerful tool in the process of this renaissance and modernisation is education based on the secular values on the one hand and on the other on science and technology. Pt. Jawaharlal Nehru has rightly remarked, "Can we combine the progress of science and technology with the progress of mind and spirit also? We cannot be untrue to science because that represent the basic fact of life today. Still less can we be untrue to those initial principles for which India has stood in the past throughout the ages." In the attempt to inculcate values through education, we should draw freely upon our own traditions as well as traditions of other countries and cultures of the world.

In our educational reconstruction the problem of an integrated perspective on values is pivotal, for its solution alone can provide organic unity for all the multifarious activitiesof a school curriculum and programme. An integrated education is not possible without integration of values. The teacher is expected to function not only as facilitator for acquisition of knowledge but also as inculcator of values and transformer ofinner being. Ancient Indian Education was value based. Thus the role of the teacher in imbibing the values among the students is of paramount importance.

Statement of the problem - "A comparative study of the role of teachers in inculcation of values among the Government and private secondary school students."

Limitations of the study -

1. The study is confined to the teachers of government and private schools only.
2. The study is delimited to theschools of Faridabad only.
3. The study is confined to the students of 9^{th} standard only.

Objective - To study and compare the teaching strategies of teachers of government and private schools in inculcation of values among students.

Hypothesis - Ho: There is no significance difference in teaching strategies of teachers of government and private schools in inculcation of values among students.

Research design - The researcher adopted normative survey study which was conducted through quantitative analysis. The main aim of the research was to determine the role of teachers in inculcation of values among the government and private secondary school students through comparative analysis.

Sample- - For the present study the sample consisted of 20 teachers from the government school and 20 teachers from the private schools. For this process a total of 20 schools were selected randomly in which 10 schools were

*Asst. Professor, Satyug Darshan Institute of Education and Research, Faridabad (Haryana) INDIA

private and 10 were government schools.

Tools - For this study the interview was conducting to known the role of teachers in inculcation of values.

Statistical Technique - The normality of data (teachers Scores) was assessed by calculating the values of Mean, S.D. in order to study the significant difference in the role of government and private secondary school teachers with regard to inculcation of values. T-test was employed.

Results and Discussion - SPSS20 package programme was used to analyze the data. The t-test was applied to compare the role of government and private secondary school teachers in imbibing the values amongst the secondary school students. In addition, descriptive statistics were calculated to determine the mean standard deviation and standard error of the variables in the teacher's scores of government and private schools respectively. Table-1 shows the Mean scores of the teachers teaching in government schools was 43.85 and S.D of 10.271 is much lesser as compared to the Mean score of private school teachers. The t-test results were t= -5.496 and p=0.129 is greater than 0.05, reveals that there is no significant difference in the values taught by the government and private school teachers. By conventional criteria, this difference is considered not to be statistically significant.

Conclusion - From the findings as mentioned above we can concluded that there is no significant difference in the values taught by the government and private secondary schools teachers

The emphasis on education for value development imposes on the teacher a very special responsibility. As the values can best be imparted by living example of teacher a high standard of ethos must become and indispensible part of the teaching profession. It is thus the responsibility of the government and of the people to provide to the teachers all the material and infrastructural facilities so that they can give all the time and energy to the progress and development of their students.

References :-

1. Aggrawal, J.C.(2005).*Education for Values, Environmentand Human Rights;* Shipra Publications, Shakarpur, Delhi
2. Garrett, H.E.(1973). *Statistics in Psychology and Education*; Vakils, Feffer and Simons Ltd, Bombay.
3. Goel, A. and Goel, S.L.(2005), Human values and education; Deep and Deep Publications Pvt. Ltd, New Delhi.
4. Good, C.V.(1959).*Dictionary of Education*; Mc Graw Hill Book Co. Inc, New York.
5. Joshi, D.(2006). *Value Education In Global Perspective;* Lotus Press. New Dehli.
6. Patro, R.K. and Mishra, B.C.(2007), Value Profiles of School Students; Discovery Publishing House, New Delhi.

Table - 1 Comparison between Means scores of the values imbibed by Government and private secondary school teachers.

Teachers	N	Mean	S.D	Std. Error Mean	Value of t-test	df	Sig.(p)
Government	20	43.85	10.271	2.297	-5.496	38	0.129
Private	20	65.30	14.113	3.156	-	34.719	-

****

उच्च स्तर पर शिक्षकों के आत्मबोध एवं दायित्व बोध में सम्बन्ध का एक अध्ययन

डॉ. अंजनी कुमार मिश्र *

प्रस्तावना – भारतीय शिक्षाशास्त्री शिक्षा के माध्यम से मानव को ईश्वर के समीप ले आना चाहते हैं। उनका विचार है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इस लोक तथा अदृश्य लोक के दर्शन करना। ज्ञान एवं विद्धता शिक्षा का साध्य होने के साथ-साथ उच्चतर जीवन तथा दृष्टिकोण की प्राप्ति का साधन भी है। वे ज्ञान तथा तकनीकी कौशल को उच्चतर जीवन के निर्माण के लिये सहायक के रूप में बताते हैं। जिस प्रकार पदार्थ से जीवन, जीवन से बुद्धि और बुद्धि से मूल्यों की चेतना का विकास हुआ उसी प्रकार मूल्यों की चेतना से ईश्वरीय अनुभूति का विकास हुआ। जिस प्रकार अर्द्धमानव से मानव जीवन का विकास हुआ है, उसी प्रकार मानव जीवन से दैवीय जीवन का विकास होगा। यही उच्चतर जीवन है तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक आदर्श लक्ष्य है। यह विकास तभी सम्भव है। जब व्यक्ति अपने आपको पहचाने अपनी अन्तर्निहित शक्तियों से परिचित हो लेना ही आत्मबोध है।

आत्मबोध का अर्थ ही है कि वह शिक्षण कार्य को नैतिक दायित्व के साथ निभाए जिससे उनका दायित्व निर्वहन स्वत: हो जाएगा। नयी शिक्षा नीति 1986 में अध्यापकों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही गयी है जिसके लिये कार्य योजना 1992 में भी जोर देकर वकालत की गयी है कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थायें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में तभी सफल हो सकेगी जब अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी जाए। जवाबदेही के लिए समाज देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी मांग कर रहा है परन्तु सरकारी प्रयास न तो इन्हें कर्मचारियों में और न ही अधिकारियों में परिभाषित कर पा रहा है। जिससे और भी गुरूतर दायित्व बढ़ जाता है कि इसका बोध उनमें स्वयं होना चाहिए। जिससे गुणवत्ता परक शिक्षा बहाल हो सके। आधुनिकता एवं भौतिकवादिता वर्तमान में अध्यापकों को अपने दायित्व से विमुख कर रही है अस्तु आध्यात्मिकता 'शिक्षकों को उनके दायित्व निर्वहन में किस प्रकार योगदान कर सकती है अथवा नहीं इससे जिज्ञासित होकर शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत अध्ययन किया जा रहा है।'

समस्या कथन – प्रस्तुत अध्ययन का समस्या कथन

'**उच्च स्तर पर शिक्षकों के आत्मबोध एवं दायित्व बोध में सम्बन्ध का अध्ययन**'

समस्या में प्रयुक्त विशेष शब्दों की संक्रियात्मक परिभाषा – आत्मबोध- प्रस्तुत अध्ययन में आत्मबोध का अर्थ व्यक्ति द्वारा स्वयं का प्रत्यक्षीकरण तथा अपनी अन्तर्निहित शक्तियों की समझ से लगाया गया है।

दायित्वबोध- दायित्वबोध किसी कार्य के प्रति वह जिम्मेदारी है, जिसके लिए व्यक्ति स्वयं जवाबदेह होता है और उसकी जवाबदेही के आधार पर ही उस व्यक्ति की सक्षमता और अक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य – उच्च स्तर पर अध्यापकों के आत्मबोध एवं दायित्व में संबंध का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाए – उच्च स्तर पर अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के आत्मबोध एवं दायित्वबोध में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक सर्वेक्षण है।

जनसंख्या- प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या के रूप में जौनपुर जनपद के उच्च स्तर के अध्यापकों को सम्मिलित किया गया है, जो लिंग के अनुपात में 1/2 व 1/2 है।

न्यादर्श एवं न्यादर्शन तकनीकी – प्रस्तुत सोद्देश्यपूर्ण अध्ययन में जौनपुर जनपद के महाविद्यालयों से 50 अध्यापकों एवं 50 अध्यापिकाओं को चयनित किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरणें

(I) आत्मबोध मापनी – प्रवेश मिश्र द्वारा निर्मित

(II) दायित्व बोध मापनी – शशिकांत पाण्डेय एवं कल्पलता पाण्डेय द्वारा निर्मित

प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकी – प्रस्तुत शोध में 2×2 आसंग सारणी द्वारा काई वर्ग परीक्षण (X^2) की गणना की गयी है। जिसका सूत्र निम्नवत है-

$$X^2 = \frac{N(AD-BC)^2}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

परिकल्पना के परीक्षण हेतु 2×2 सारणी से X^2 की गणना निम्न है-

	आत्मबोध		दायित्वबोध	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अध्यापक	20	27	22	28
अध्यापिका	30	23	28	22
	50	50	50	50

N= 100

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य था 'उच्च स्तर के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के, आत्मबोध एवं दायित्व के मध्य संबंध का अध्ययन करना इस उद्देश्य से सम्बन्धित ऑकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि उच्च स्तर के शिक्षकों के आत्मबोध एवं दायित्व के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है।'

प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष भी प्राप्त हुआ कि आत्मबोध प्रश्नावली में उच्च प्राप्तांक वाले अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दायित्व बोध प्राप्तांक भी उच्च स्तर के पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे शिक्षक जिनका आत्मबोध अधिक विकसित होता है वे अपने दायित्वों का निर्वाह अधिक अच्छे ढंग से करते हैं एवं जिन शिक्षकों में आत्मबोध का विकास

* सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगराऊ, जिला-जौनपुर (उ.प्र.) भारत

अपेक्षाकृत कम हुआ है, उनका दायित्व बोध स्तर भी कम होता है।

क्योंकि प्राप्त X^2 का मान उच्च आत्मबोध एवं उच्च दायित्व बोध तथा निम्न आत्मबोध एवं निम्न दायित्व बोध दोनों ही स्तरों पर दिए गए सारणी मान .05 स्तर पर 3.841 और .01 स्तर पर 6.635 से कम है। इसलिए यह .05 के स्तर पर सार्थक नहीं है।

अतः कहा जा सकता है कि अध्यापक एवं अध्यापिकाओं में लिंग भेद के आधार पर उनके आत्मबोध एवं दायित्व बोध के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है।

शोध निष्कर्ष– उच्च स्तर के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के आत्मबोध एवं दायित्व बोध के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ – जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट है कि उच्च स्तर के शिक्षकों में लिंग भेद के आधार पर उनके आत्मबोध, एवं दायित्व बोध में कोई सार्थक अन्तर नहीं है एवं ऐसे शिक्षक जिनके आत्मबोध प्राप्तांक उच्च स्तर के पाये गये उनका दायित्व बोध प्राप्तांक उच्च स्तर का तथा जिनके आत्मबोध प्राप्तांक अपेक्षाकृत निम्न स्तर के पाए गए उनका दायित्व बोध प्राप्तांक भी निम्न स्तर का था।

अस्तु आज आवश्यकता है कि हम अपने शिक्षकों को इस आधुनिक एवं भौतिकवादिता की दौड़ में कूदने से बचाए एवं उनमें ऐसे मूल्यों का विकास करें जिससे वे शिक्षण कार्य को नैतिक दायित्व से निभाने में गर्व का अनुभव करें और अपने गुरूतर दायित्व को समझते हुए एक वेतनभोगी कर्मचारी की तरह नहीं अपितु भावी राष्ट्र निर्माता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. अदावल एस0बी0 (1919) – क्वालिटी ऑफ टीचर्स, (अमिताभ प्रकाशन इलाहाबाद)
2. ओड, लक्ष्मीकांत (2013) – शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर)
3. कपिल, एच0के0 (2011) – अनुसंधान विधियां (भार्गव भवन कचहरी घाट आगरा–2)
4. करलिंगर एफ0एन0 – फाउण्डेशन आफ विहैविरल रिसर्च (न्यूयार्क हाल्ट राइनहर्ड एण्ड विन्सटन, 1966)
5. गुप्ता एस0पी0 एवं गुप्ता अलका (2014) – उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान (शारदा पुस्तक भवन, युनिवर्सिटी रोड इला.)
6. गुप्ता एस0पी0 (2007) – सांख्यिकी विधियां(शारदा पुस्तक भवन, युनिवर्सिटी रोड इला0)
7. पाठक, पी0डी0 – भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याए(विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा)
8. पाण्डेय के0पी0 (2009) – नवीन शिक्षा मनोविज्ञान(विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी)
9. पाण्डेय रामसकल (2009) – भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास (अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा–2)
10. बेस्ट जे0डब्ल्यू – रिसर्च इन एजूकेशन, (न्यु डेलही, प्रिंटिस हाल आफ इण्डिया प्रा0लि0 1963)
11. शर्मा आर0ए0 (2013) – शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया (आर0लाल बुक डिपो, मेरठ)
12. सिंह अरूण कुमार (2013) – मनोविज्ञान, समाज शास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां (मोती लाल वनारसीदास, चौक, वाराणसी)
13. सिंह नरेन्द्र कुमार – शैक्षिक और मानसिक मापन(शारदा पुस्तक भवन युनिवर्सिटी रोड इला0)
14. सुखिया, एस0पी0 एण्ड त्यागी गुरूसरनदास – विद्यालय प्रशासन संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा (अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा–2)

****

प्रशिक्षण का महत्व

डॉ. महेश कुमार शर्मा *

प्रस्तावना - प्रशिक्षण क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है? अगर अन्य क्षेत्रों की तरह बदलते समय के साथ स्वयं को अद्यतन (अपडेट) करने, नए विचारों और नई तकनिक के साथ सामंजस्य बैठाने की बात स्वीकार कर ली जाए तो एजुकेशन सेक्टर में कार्य करने वाले शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की क्या उपयोगिता है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण का क्या योगदान है? इसे हमें गहराई से समझना होगा।

प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह के ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति (नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड) के ऊपर फोकस किया जाता है। ज्ञान में किसी क्षेत्र विशेष की अवधारणाओं पर व्यापक समझ बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे अगर शिक्षा के दर्शन की बात करें तो इसमें सीखना कैसे होता है? बच्चे कैसे सीखते है? बड़ो को सीखना और बच्चों के सीखने में फर्क कैसे होता है? ज्ञान का निर्माण कैसे होता हे? हमारे दिमाग में कैसे कोई अवधारणा आकार लेती है? इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर फोकस किया जाता है।

ज्ञान के बारे में एक बात कहीं जा सकती है कि यह समय के साथ बदलने वाली चीज है। किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले शोध व विचार-विमर्श से किसी क्षेत्र के विभिन्न आयामों के नये - नये पहलू हमारे सामने आते हैं। जिसके अनुसार हमें स्वयं को अद्यतन (अपडेट) करने करना होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक ज्ञान का स्रोत माना जाता था। इसके कारण शिक्षण की सारी विधियों में शिक्षक को एक केंद्रीय स्थान प्राप्त था। लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, दर्शन व शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न शोधों व उसके निष्कर्ष लोगों के सामने आए तो इस अवधारणा में भी बदलाव का रास्ता खुला।

नये विचारों के प्रति खुलापन - रूसो ने कहा था कि बच्चा अपने ज्ञान का मौलिक निर्माता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विचार को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। एक बच्चा खुद से सीखता है, इस अवधाराणा की स्वीकृति ने शिक्षकों को एक सुगमकर्ता के रूप में देखने वाले नजरिये का निर्माण किया। इसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रशिक्षणों में यह बात बार-बार दोहराई गई कि शिक्षक खुद को एक सुगमकर्ता के रूप में देखें और बच्चों को कक्षा में होने वाले संवाद में बराबर भागीदारी का मौका दे। वो बच्चों को सवाल पूछने और अपने सवालों का जवाब लोगों के साथ मिलकर और खुद से खोजने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें।

कोई नया विचार धीरे - धीरे स्वीकृति पाता है। किसी काम को करने का सही तरीका सीखने के लिए कौशल विकास की जरूरत होती है। अगर किसी विचार को देखने का हमारा हमारा नजरिया शंका से भरा रहे तो शायद हम अपना सौ फीसद नहीं दे सकते। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रशिक्षण इन समस्याओं का समाधान तलाशने की दिशा में कोशिश करते है। उदाहरण के तौर पर नेतृत्व (लीडरशिप) पर केंद्रित प्रशिक्षण एक प्रधानाध्यापक को संस्था को बेहतर नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है, तो वही भाषा के ऊपर केंद्रित कोई प्रशिक्षण एक भाषा शिक्षक को अपना विषय अच्छे से पढ़ाने के लिए जरूरी कौशल व ज्ञान से लैस करता है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कह सकते है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।इसी कारण से समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण की बात होती हैं। हॉलाकि कई शिक्षकों की शिकायत होती है कि एसी कार्यशालाओं के बारे में कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। एक ही बात बार-बार दोहराई जाती हैं। यहा स्थिति दो-तरफा है।

अगर प्रशिक्षण के लिए आने वाले लोग एक तैयारी के साथ आएं तो प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) पर एक सकारात्मक दबाव होता है, कि वे अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करें। इसके अभाव में दोनों तरफ से बस खानापूर्ति होती है। ऐसी खानापूर्ति बस समय की बर्बादी कहीं जा सकती है, जो प्रशिक्षणों के महत्व को कम करती है व इसके बारे में एक नकारात्मक छवि का विकास करती है। जब कि जरूरत है कि प्रशिक्षणें की गंभीरता व उसकी उपयोगिता में विश्वास की बहाली फिर से हो और सीखने-सीखने का वातावरण बने।

वर्तमान में **शिक्षक प्रशिक्षण** की जगह **शिक्षक शिक्षा** शब्द का उपयोग किया जा रहा है। यानि शिक्षक अपने विषय से संबधित तैयारी खुद करें और अपने पेशेवर कौशलों व क्षमताओं के विकास के लिए पहल करें। वे खुद से सीख सकते हैं। उनको अपने सीखने के तरीके और रूचि के हिसाब से खुद को तैयार करना चाहिए।

क्या कहती हैं महादेवी वर्मा? - महादेवी वर्मा ने अपनी पुस्तक **संस्कृति** में शिक्षक के लिए कहती है, ***आप अपने बच्चों को कोई ज्ञान देने से पूर्व अपने वात्सल्य से बच्चे का पात्र इतना भर दे कि उसमें राई भर स्थान भी रिक्त ना रह जाए। फिर आपके ज्ञान की एक-एक बूँद बच्चे के पात्र में ही जाएगी।*** इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। बिना शिक्षक प्रशिक्षण के यह संभव नहीं लगता।

एक शिक्षक को बच्चों जैसा बनना होगा - बच्चे स्वयं बहुत सहज, सरल और सौम्य होते है, इसलिए शिक्षक को पहले बच्चों जैसा बनना होगा। बच्चों को उठने-बैठने पर अधिक ध्यान नहीं देकर उसकी सुविधा पर अधिक ध्यान देते हुए उनके साथ समय व्यतीत करें। क्योंकि छोटे बच्चों को स्वयं करके ही सिखाना होगा। वे हमारा अवलोकन करके खुद ही बहुत सी बातें सीख लेगें। यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह काम है ही नहीं। यह तो स्वभाव है, अभ्यास है और व्यक्तित्व है। इसे एक दिन में नहीं गढ़ा जा सकता है परन्तु इच्छाशक्ति हो तो प्रशिक्षण और निरंतर सजग प्रयास से ऐसा करना संभव है।

* प्रभारी प्राचार्य, शहीद नरेन्द्रसिंह शिक्षा महाविद्यालय, जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) भारत

शिक्षक का व्यवहार ही बच्चे का ज्ञान मार्ग है – शिक्षक की महानता और पुस्तकीय ज्ञान से बच्चों को कोई लेना-देना नहीं है। शिक्षक का व्यवहार ही बच्चे का ज्ञानमार्ग है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि बच्चा अपने शिक्षक से इतना प्रभावित होता है कि वह अपने शिक्षक के कपड़ों, उसके रंग, उसका व्यवहार, उसके बोलने, उसके चलने, उसकी पसंद, उसकी ना पंसद कार्य करने का ढंग आदि सब कुछ अपना लेता है और तो और शिक्षक का कहा हुआ तो बच्चे इतना मानेगें, जितना वह अपने मात-पिता का कहा भी नही मानते। अत: शिक्षक का व्यवहार व आचरण भी इसी के अनुकूल होना चाहिए और व्यवहार व आचरण परिवर्तन के लिए भी शिक्षक-प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

क्या कहता है एनसीएफ-2005 – भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) का निर्माण करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी की है। यह संस्था इसकी समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करती है। वर्तमान में भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसकी समीक्षा की जा रही है। एनसीएफ-2005 के बनने का कार्य एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक प्रो. कृष्ण कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटंत प्रणाली से निजात पाने, परीक्षा में सुधार करने और जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की बात कहीं गई।

शिक्षा के लक्ष्य :

1. एनसीएफ-2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के विद्यालयी जीवन को उसके उसके घर, आस-पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसके लिए बच्चों को विद्यालय में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए। उसे सुना जाना चाहिए। ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसकी बात को महत्व दे रहे है।
2. शिक्षा का प्रमुख दूसरा लक्ष्य है,आत्मज्ञान (Self-knowledge)। यानि शिक्षा स्वयं को खोजने, स्वयं को जानने की एक निरंतर प्रक्रिया बने।इसके लिए बच्चों को विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात एनसीएफ में कहीं गई है।
3. शिक्षा के तीसरे लक्ष्य के रूप में साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि मूल्य शिक्षा अलग से ना होकर शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। तभी हम बच्चों के सामने सही उदाहरण पेश कर पाएंगे।
4. सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात करता है।
5. वैयक्तिक अंतर के महत्व को स्वीकार करने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि हर बच्चे कि अपनी क्षमताएं और कौशल होते है। इसे विद्यालय में व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे संगीत, कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य (कहानी, कविता, घटनाएं आदि) नृत्य एवं प्रकृति के प्रति अनुराग इत्यादि।
6. ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ-साथ साहित्यिक एवं कलात्मक रचनात्मकता को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का एक हिस्सा माना गया है। यहॉ पर तर्क (वैज्ञानिक अन्वेषण के साथ-साथ भावना (साहित्य) वाले पक्ष को भी महत्व देने की बात कही गई है।
7. इसमें कहा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया (Liberating process) के रूप में देखा जाना चाहिए अन्यथा अब तक जो कुछ भी कहा गया है, वह अर्थहीन हो जाएगा। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह के शोषण और अन्याय (गरीबी, लिंग भेद, जाति तथा सांप्रदायिक झुकाव) से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते है।
8. इसमें विद्यालय में पढ़ने-पढ़ाने के कार्य के लिए अच्छा वातावरण बनाने की बात कही गई है। यानि शिक्षक स्वयं आगे न आकर बच्चों को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करें।

उपरोक्त आधार पर हम कह सकते है कि शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने व व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। शिक्षण कार्य करने हेतु शिक्षा के लक्ष्यों, शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों, शैक्षणिक अनुसंधानों एवं नवाचारों के बारें में जानना आवश्यक है। शिक्षक के लिये विषय के ज्ञान के साथ-साथ ज्ञान को प्रदान करने का कौशल भी आवश्यक है। शिक्षक को विद्यालय के अनुकूल वातावरण में ढ़लने और बच्चों को ढ़ालने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर ।

****

ध्वनि प्रदूषण - बढ़ते खतरे एवं बचाव

राजेश भारतीय *

प्रस्तावना - आज का मानव जिस पर्यावरण में रह रहा है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या,उद्योग धन्धों तथा मोटरों और रेलगाड़ियों के कारण दूषित होता जा रहा है। धुंआधार दम घोंटू वायु प्रदूषित जल गंदी बस्तियॉ और फिर असहनीय शोर यही है, वह वातावरण जिसमें आज लोग जी रहे है। अन्य प्रदूषणों के साथ-साथ शोर भी नगर नियोजकों तथा वैज्ञानिकों के लिए समस्या है,ऐसी स्थिति लगभग सभी नगरों-महानगरों में है। शोर एक प्रकार का वायु मण्डलीय या वातावरणीय प्रदूषण है। शहरी क्षेत्रों में यह प्रदूषण अधिकतम है।

आधुनिक सभ्यता के रूप में पल रहा यह शोर (ध्वनि) प्रदूषण अनोखा है। हम सभी इसके बारे में निश्‍िंत है, क्योंकि हमें इसका आभास नहीं होता,किन्तु शोर में गजब की शक्ति होती है। हमें भले ही विश्वास न हो, लेकिन यह सच है कि नर्तकी के ताल से थियेटर हाल गिर सकता है। नदी का लोहे का पुल भी गिर सकता है। यही वजह है कि नेपोलियन की सेना की एक टुकड़ी जब पुल पार कर ही थी, तो कदम मिलाते हुए चलने से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई कि पुल ध्वस्त हो गया और तभी से सैनिक की परेड को पुल पर करते समय तितर-बितर कर दिया जाता है।

ब्रिटेन के बार्बरा वार्ड का कहना है कि 'मोटर वाहनों द्वारा उत्पन्न शोर परमाणु बमों जितना घातक है, अंतर केवल इतना है कि परमाणु बम तुरन्त मार डालते है और शोर प्रदूषण धीरे-धीरे।

अध्ययन के उद्देश्य - इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य है -

1. ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता से जन मानस को अगाह कराना।
2. प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर मण्डराते खतरों से अवगत कराना जैस- श्रवण तंत्रिका पर विपरीत प्रभाव,श्रवण शक्ति का ह्रास होना, ह्रदय एवं पाचन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव,रक्त कोलेस्ट्राल में वृद्धि स्वभाव में चिड़चिड़ापन तथा अनिद्रा की समस्या आदि।
3. पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव।
4. मनुष्य की कार्य क्षमता पर पड़ने वाले कुप्रभाव।
5. मानव जीवन पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव का विश्लेषण।

शोर के स्त्रोत -

1. शहरों में आटोमोबाइल्स,ट्रक,मोटर सायकल,बस, आग बुझाने की गाड़ियाँ (फायर ब्रेगड) पुलिस वाहन,एम्बुलेंस,हवाई जहाज तथा उनके हार्न,सायरन आदि।
2. निवास स्थान के आस-पास रेडियों-स्टीरियो,टेलीविजन,शोर-शराबे वाली पार्टियॉ आदि घरों में मशीन पंखा भट्टी,हीटर तथा वातानुकूलित यंत्र भी ध्वनि प्रदूषण के स्त्रोत है।।
3. एयर क्राप्ट का बढ़ता आकार व उनकी संख्या ध्वनि प्रदूषण के अंग है। शिकागो का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का व्यस्ततम् हवाई अड्डा है। यहॉ प्रतिदिन हजारों जेट औसतन उड़ाने भरते है। यानि 40 सेकेण्ड में एक उड़ान भरी जाती है। जेट इंजन की आवाज मानव जीवन में अशांति का कारण है।
4. सुपर सैनिक हवाई जहाज से ऐसी तरंगे उत्पन्न होती है, जो अत्याधिक ऊर्जा युक्त होती है तथा ये तरंगे 10 से 80 मील की दूरी तकफैल जाती है। इन तरंगों से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलता है, मेक्सवेल ने शोर प्रदूषण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि - 'शोर वह ध्वनि में अवांछनीय है, यह वायुमण्डलीय प्रदूषण का एक प्रमुख प्रकार है।'

लगभग सात दशक पूर्व नोबेल पुरूस्कार विजेता वैज्ञानिक राबर्ट कॉच ने शोर के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि-'एक दिन ऐसा आऐगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा।'

वर्तमान यांत्रिक युग में लगातार बढ़ रहे औद्योगिक संयत्रों,परिवहन के साधनों तथा अन्य मानव जनित ध्वनि प्रसारक कार्यो के कारण ध्वनि का प्रकोप बढ़ गया है। ये सभी क्रियाऐं मानव अपने लिए तथा समाज के लिए विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करता है। जो अत्यावश्यक भी है , लेकिन इनका प्रभाव एक निष्चित सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। ये सभी क्रियाऐं अपनी औद्योगिक सभ्यता की देन है।

रिचाईबक,मिनिस्टर तथा फुलर ने कहा है कि - 'मनुष्य वही कर सकता है। जिसकी अनुभूति उसे प्रकृति करा सकती है तथा जो प्रकृति के नियमों के विरूद्ध है वह कदापि नहीं होगा।'

प्रकृति न तो क्रूर है,और न ही निष्ठुर। वह तो नियमानुकूल चलती रहती है। प्रकृति के यह नियम एक संतुलित विधि से चक्रीय रूप में चलते रहे है। लेकिन अपने आपको प्रकृति विजेता कहने वाला आधुनिक मानव अपने भौतिक तथा मानसिक बल से प्रकृति पर विजय की कामना करते हुए अनेक विकृतियों को जन्म दे रहा है। जिनके ध्वनि प्रदूषण भी एक है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 'शोर अर्थात ध्वनि एक अदृष्य जहर है जो हर पल में हमें जाने अनजाने में लगातार हानि पहुँचाता रहता है। एक निश्चित मात्रा में शोर न केवल कान, ह्रदय पैर एवं दिमाग को रूग्न करता है, अपितु पारिवारिक जीवन एव सामाजिक जीवन पर भी कुप्रभाव डालता है।

शोर का मापन या प्रबलता - 'ध्वनि का मापक इकाई को डेसिबल कहते है। इसको प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्रेहम बेल ने प्रस्तुत किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तय मानकों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की मात्रा दिन के समय 55 तथा रात्रि के समय 45 डेसिबल तक होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में इसकी सीमा दिन में 75 एवं रात्रि में 70 डेसिबल तय की गई है,

* प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बडोदिया तालाब नरसिंहगढ, जिला, राजगढ़ (म.प्र.) भारत

सामान्यत: 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हानिकारक माना जाता है। ' तालिका क्रंमाक 1:1 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि 60 डेसिबल से अधिक होते ही ध्वनि प्रतिकूल प्रभाव छोड़ना आरंभ कर देती है। 100 डेसिबल की ध्वनि अत्याधिक तीव्र तथा सुविधाजनक श्रेणी में आ जाती है अन्य तीव्र ध्वनियॉ में मोटर हार्न 110 डेसिबल, रेलगाड़ी का शोर 110-130 डेसिबल, तथा जेट यानों की उड़ान 150 डेसिबल प्रमुख है। ये अत्यधिक असहनीय तथा पीड़ाजजनक तीव्रता वाली ध्वनियाँ है।

शोर का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव - इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने से पता चला है कि शोर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव मस्तिष्क की 12 नसों में से 1 सुनने की नस श्रवण तंत्रिका होती है। इसके दो भाग होते है - (1) कर्णावर्त तंत्रिका (2) प्रमाण-तन्त्रिका। इन्हीं के माध्यम से ध्वनि तंरगे कान के द्धारा मस्तिष्क तक पहुँचती है। अधिक शोर का परिणाम इस तंत्रिका पर इतना भीषण होता है तथा ऐसे शोर को निरंतर सुनने से उसकी श्रवण शक्ति पूर्णत: समाप्त हो जाती है। मनुष्य के स्वचलित स्नायुतंत्र के माध्यम से अधिक शोर का प्रभाव हृदय पाचन तंत्रों पर पड़ता है।

सामान्य प्रभाव - सामान्य प्रतिकूल प्रभावों में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा तथा इससे संबंधित अन्य प्रभाव तथा बोलने में आने वाले व्यवधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न परीक्षणों से पता चला है कि 80 डेसिबल शोर के बीच कुछ समय रहने से सिरदर्द होने लगता है। शोर से मस्तिष्क में तनाव की उत्पत्ति होती है तथा निरन्तर तनाव ग्रस्त रहने पर उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों की उत्पत्ति होती है।

रेल मार्गो के सहारे निवास करने वाले मनुष्य रात्रि में गुजरने वाली रेल उच्च शोर के कारण बार-बार जगने के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है। तालिका क्रंमाक 1 : 2 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

श्रवण स्तर पर प्रभाव - कभी-कभी ध्वनि इतनी उच्च होती है कि बहरापन भी आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण गर्भवती महिलाओं के गर्भस्थ शिशु जन्म से ही बहरा हो सकता है। एक प्रयोग से यह ज्ञात हुआ है कि यदि एक व्यक्ति को 80 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि की 2000 आवृत्तियों का सामना करना पड़े तो 10 वर्षो में उसकी श्रवण क्षमता में 15 डेसिबल तक कमी हो जाएगी। रात्रि क्लबों में उच्च आवाज के विभिन्न संगीत अधिक समय तक सुनने में युवा लोगों की श्रवण शक्ति में क्षीणता आ जाती है। अनेक पश्चिमी सभ्यता वाले देशों में इस प्रकार के उच्चतम शोर युक्त वातावरण में रहने के कारण बधिरता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। भारत में 10 प्रतिशत शहरी तथा 70 प्रतिशत ग्रामीण लोग श्रवण विकारों से ग्रसित है।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव - दैनिक जीवन में अवांछित शोर सामाजिक तनाव,खीज,झुंझलाहट,चिड़चिड़ापन, मानसिक अस्थिरता,कुण्ठा,थकान तथा पागलपन इत्यादि दोषों का कारण माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण से मस्तिष्क की रक्त वाहिनियॉ फैल जाती है, जिससे तीव्र सिरदर्द रहने लगता है, ऑखों की पुतली फैल जाने से दृष्टि कमजोर हो जाती है। शोर से वातावरण में जन्म लेने वाले शिशुओं के स्नायु तंत्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

शारीरिक प्रभाव - प्रो. ग्राउल (मारबर्ग विश्वविद्यालय) के अनुसार - 150 डेसिबल का शोर यदि मनुष्य के ऊपर थोड़े समय के लिए भी बड़े तो वह श्रवण शक्ति सदा के लिए खो सकता है। शोर प्रदूषण का प्रभाव मानव की शारीरिक कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। इससे प्रभावित लोगों में घबराहट, हृदय रोग, रक्तचाप,दुष्चिन्ता उद्धेग तथा चिड़चिड़ापन एवं अन्य संबंधित घातक बीमारियॉ हो जाती है। 180 से 200 डेसिबल शोर में रहने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अधिक शोर से स्मरण शक्ति को अधिक हानि होती है। 120 डेसिबल से अधिक शोर गर्भस्थ शिशु को नेत्रहीन बना सकता है।

'शोर एक धीमे विष की भॉति मानव शरीर को प्रभावित करता है। उसके दिल-दिमाग,कान,ऑख एवं गुर्दे की छोटी रक्त वाहिनी नलिकाओं एवं फेफड़ों की धमनियों में धीरे-धीरे रक्त प्रवाह कम होने लगता है जिसकी परिणति लकवे,गुर्दे खराब होने हृदय रोग तथा बहरेपन से हो सकती है इससे शरीर में विभिन्न रोगो से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।

तालिका क्र. 1 : 3
शोर की अधिक आवृत्ति का स्वास्थ्य पर प्रभाव

शोर की आवृत्ति	**स्वास्थ्य पर प्रभाव**
80	चिड़चिड़ापन
90	श्रवण शक्ति समाप्त
110	चमड़ी पर उद्दीपन व सरसराहट
130-135	उल्टी, स्पर्श अनुभव में कमी
150	चमड़ी पर जलन
160	संवेदनशील झिल्लियों का फटना

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय -

1. शोर के उद्गम स्थान पर ही उसे कानूनी सहायता से रोकना चाहिए। उदाहरणार्थ - ब्राजील,इंग्लैण्ड में 80 डेसिबल से अधिक शोर करने वाले वाहनों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाने का प्रावधान है।
2. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आबादी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाए।
3. मोटर वाहनों में बहुध्वनि वाले हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
4. औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च तकनीकी द्धारा निर्मित न्यून शोर प्रदूषण वाली मशीनों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाए।
5. नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त शोर का स्तर निर्धारित किया जाये तथा इससे अधिक शोर वाले करने वाले यंत्रों एवं उद्योगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।
6. भारी माल ढोने वाले वाहनों का आवासीय एवं भीड़ युक्त क्षेत्रों में प्रवेश निषिद्ध करना चाहिए उन्हें बाहर मुद्रित सड़कों (Ring Road) पर चलाना चाहिए।
7. दिल्ली की तर्ज पर पुरानी जीर्ण-षीर्ण तथा अत्यधिक शोर करने वाले वाहनों के चलन पर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली में डीजल वाहन तथा पुराने वाहनों की संख्या में कमी आयी है।
8. रेल द्धारा उत्पन्न शोर को बेलास्ट विहीन रेल पथों के निर्माण द्धारा कम किया जा सकता है।
9. हवाई जहाज की उच्च ध्वनि को उच्च तकनीक द्धारा नियंत्रित करना चाहिए।
10. उद्योगों में काम करने वाले लोगों को कर्णप्लग और कर्णबंदकों का प्रयोग करना चाहिए।
11. जेट यानों के शोर कम करने के लिए टर्बोजेट इंजनों के निर्गम पर शोर अवशोषक का प्रयोग किया जाए।
12. आवास गृहों,कार्यालयों,पुस्तकालयों,चिकित्सालयों में उपयुक्त बनावट द्धारा शोर नियंत्रित किया जा सकता है।
13. विमानों को विशेष ढाल पर उतारा तथा चढ़ाया जाए जिससे कम से कम शोर हो।

14. इस दिशा में भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो 1 जुलाई 1989 को प्रभावी हुआ उसको अधिक मात्रा में प्रभावी बनाना।
15. त्यौहार एवं शादी में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाना।
16. अत्यधिक शोर वाले कल-कारखानों में पाली की व्यवस्था करना।
17. ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 को सख्ती से लागू करना।
18. लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुमति पत्तत् ही हो ।
19. पश्चिमी राष्ट्रों की भॉति कानून का कठोरता से पालन करना आवश्यक है।
20. समाचार-पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से लोगों में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जन चेतना जागृत करना तथा इसके दुष्प्रभाव से अवगत कराना चाहिए।
21. यूरोपीय देशों की भॉति विशेष समय पर ही वाहन में हार्न का उपयोग किया जाता है। भूल से भी हार्न का उपयोग करने पर व्यक्ति को (चालक को) अपराध बोध होने लगता है।
22. जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है।

प्रदूषण के प्रति विश्व चेतना- विश्व के विशेषज्ञों ने बड़ी चेतावनी दी है कि -यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ने दिया गया तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब ताजी हवा और शुद्ध जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। वातावरण में विषैले पदार्थ जमा होते जाऐंगें तो नए रोग पनपते जाऐगें और मानव जाति खतरनाक मोड़ पर पहुँच जाऐगी। ' अनुसंधानों से यह भी पता चला है कि - 'पर्यावरण में शोर की तीव्रता 10 वर्षो में दोगुनी होती जा रही है हमारे देश में महानगरों में पिछले 20 वर्षो में 10 गुना शोर बढ़ा है। कलकत्त,मुम्बई,दिल्ली तो दुनिया के सर्वाधिक शोर गुल वाले महानगरों की श्रेणी में आते है। अत: आज के युग में शोर का चक्रव्यूह हमें चारों ओर से घेरता जा रहा है।'

जीवन का हर क्षेत्र शोर से घिर सा गया है, जिस तरह से यह शोर प्रदूषण उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह इतना विकराल रूप धारण कर लेगा कि मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोपीनाथ श्रीवास्तव - पर्यावरण प्रदूषण।
2. शुकदेव प्रसाद - पर्यावरण और हम।
3. प्रेमानन्द चन्दोला - पर्यावरण और जीव।
4. प्रो.धनन्जय वर्मा - पर्यावरण चेतना।
5. डॉ.एस.एस. पुरोहित, डॉ.पी.पी.देव डॉ.अशोक के.अग्रवाल - पर्यावरण अध्ययन।
6. डॉ. रामकुमार गुर्जर, डॉ. बी.सी.जाट - पर्यावरण अध्ययन।
7. डॉ. ओ.पी. शर्मा - भारत में आर्थिक पर्यावरण।
8. डॉ. एच.एस.शर्मा - पर्यावरण शिक्षा।
9. डॉ. आर.डी. गुप्ता - पर्यावरणीय अध्ययन, डॉ. के.वी.सिंह।

तालिका क्रंमाक 1:1

विभिन्न ध्वनियों की प्रबलता

क्र.	स्त्रोत	ध्वनि की प्रबलता	सामान्य मनुष्य द्वारा अनुभव किए जाने वाला ध्वनि स्तर
01	श्वसन	10	शान्त
02	स्टूडियों प्रसारण	20	शान्त
03	फुसफुसाहट	10-30	शान्त
04	घड़ी की टिकटिक	30	मधुर
05	वार्तालाप	35-60	सामान्य तेज
06	टेलीफोन	60	सामान्य तेज
07	हल्का यातायात	70	शोर गुल
08	मोटर सायकल (लगभग 25 फीट दूर)	100	प्रबल
09	शेर की गरजन	105-110	असुविधाजनक रूप से प्रबल
10	जेट इंजन (लगभग 100 फीट दूर)	105	असुविधाजनक रूप से प्रबल
11	बिजली की कड़क	120	असुविधाजनक रूप से प्रबल
12	रेलगाड़ी का शोर	110-130	पीड़ा जनक
13	जेटयान उड़ते समय	150	पीड़ा जनक
14	अंतरिक्ष राकेट उड़ते समय	170-180	असह्य पीड़ा जनक

तालिका क्रमांक 1 : 2

क्र.	अवस्थिति	ध्वनि स्तर (डेसिबल)	अवस्थिति	ध्वनि स्तर (डेसिबल)
01	ग्रामीण स्तर	25-30	रेडियो,टेलीविजन, स्टूडियो	25-35
02	उपनगरीय क्षेत्र	35-40	संगीत कक्ष	30-35
03	नगरीय आवास क्षेत्र नगरों में आवासीय	35-40	अस्पताल,अध्ययन-अध्यापन कक्ष होटल, संगोष्ठी कक्ष	35-40
04	एवं व्यापारिक क्षेत्र नगर क्षेत्र	40-45	कचहरी कक्ष,निजी कार्यालय पुस्तकालय	40-45
05	औद्योगिक क्षेत्र	40-45	बड़े सरकारी कार्यालय तथा बैक	50-55
06		50-60	स्टोर तथा भोजनालय	50-55

****

बघेली लोक वाद्यों की परम्परा का अध्ययन

पवन कुमार शुक्ल *

प्रस्तावना – बघेली लोक वाद्यों की समृद्ध परम्परा है। प्रलम्ब इतिहास है। बघेली लोक वाद्यों के साथ लोक संस्कृति और जातीय स्मृतियाँ लिपटी हैं तथा चमारों, कुम्हारों और अहीरों के लोक वाद्य अलग-अलग गुण धर्म वाले हैं। सवर्णों और पिछड़े वर्ग के लोक वाद्यों में स्पष्ट अंतर है जो उनकी वर्णीय चेतना को रेखांकित करता है। कालक्रम के प्रभाव से यत्किंचित परिवर्तन अवश्य परिलक्षित होते हैं। साहित्य और लोक कला की यही तो खूबी है कि उन्हें अमरत्व प्राप्त है। वर्तमान का नगर साहित्य व्यापारी निष्ठिय साहित्य मूलतः लोक साहित्य रहा है। इसी प्रकार आधुनिक वाद्य यंत्रों का निर्माण अवश्य हो गया है किन्तु लोक वाद्यों की आत्म छवि और स्तर विर्निष्ट नहीं हुए। वे आज भी मौजूद हैं, भविष्य में भी मौजूद रहेंगे। नैरन्तर्य का यह धर्म लोक वाद्यों की मौलिक अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। बघेली लोक वाद्यों को निम्नलिखित प्रभेदों में बांटा जा सकता है–

1. **अनुप्रयोग की दृष्टि से–** (अ) (प) ढोलक (पप) पखाउर (पपप) नगरिया (पअ) डफला (अ) डफुली (अप) चिंकारा (अपप) खंजनी (अपपप) करतार (पग) खटखरी (ग) हारमुनियाँ

(ब) हाथ और मुँह से बजाए जाने वाले लोक वाद्य:- (प) धुतुआरा (पप) तुरुही (पपप) शहनाई (पअ) बाँसुरी (अ) अलगोजा।

2. **अभिप्राय की दृष्टि से–**

(अ) उत्सव-विवाह– जन्मोत्सव में प्रयोग होने वाले बघेली लोक वाद्य ढोलक, पखाउर, नगरिया, डफला और धुतुआरा हैं।

(ब) अनुष्ठान– धार्मिक अनुष्ठान में ढोलक, झांझ, मंजीरा, करतार, घरी-घंट, शंख और हारमोनियम का उपयोग किया जाता है।

(स) संगीत–हारमोनियम, ढोलक, झांझ, मंजीरा, करतार, चिंकारा और बाँसुरी का प्रयोग होता है।

(द) मनोरंजन– डफली, डफला, खटखटी, बाँसुरी जैसे वाद्यों की उपयोगिता है।

3. **उपकरण की दृष्टि से–** (अ) लकड़ी और खाल (चमड़ा) से निर्मित बघेली लोक वाद्यों के नाम, ढोलक, पखाउर, डफला, चिंकारा, डफली है।

(ब) लकड़ी और धातु से तैयार लोक वाद्य करतार, हारमोनियाँ हैं।

(स) धातु से बनने वाले बघेली लोक वाद्य धुतुआरा, सुरुही, शहनाई, घरी-घंट झांझ, मंजीरा।

(द) लकड़ी से बनने वाले बघेली लोक वाद्य धुतुआरा, सुरुही, शहनाई, घरी-घंटी, झांझ, मंजीरा।

परिचय :

1. **ढोलकी (ढोलक):–** ढोलक के बड़े आकार को नगाड़ा कहा जाता है जिसे शुद्ध आरम्भ होने के पूर्व सेनाओं को उल्लेखित करने के लिए बजाया जाता था। अब इनका प्रचलन नहीं है। ढोलकी लकड़ी के खोखले बेलन पर बकरे की खाल चढ़ी होती है, इसे दोनों हाथों से उत्सवों और अनुष्ठानों में बजाया जाता है। साज में गीत और भजन गाये जाते हैं। ढोलकी स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा बजायी जाती है।

2. **पखाउर (मृदंग):–**ढोलकी की ही एक विशेष किस्म को पखाउर कहा जाता है। पखाउर का बीच वाला भाग ढोलकी की अपेक्षा अधिक उभरा रहता है तथा दोनों कोर संकरे होते हैं। पखाउर चमारों और कुम्हारों की विशेष लोक वाद्य है जिसे विवाहोत्सव, नृत्यादि अवसरों पर गीत के साथ बजाया जाता है।

3. **नगरिया:–**मिट्टी के पात्र पर खाल चढ़ी रहती है, इसे हाथ से लकौड़े द्वारा बजाया जाता है। डफला विवाहोत्सव का विशेष लोक वाद्य है। इसके साथ धुतुआरा और शहनाई भी बजती है।

4. **डफला:–**चपटी लकड़ी के वृत्त पर एक ओर खाल चढ़ी रहती है, इसे हाथ से लकौड़े द्वारा बजाया जाता है। डफला विवाहोत्सव का विशेष लोक वाद्य है। इसके साथ धुतुआरा शहनाई भी बजती है।

5. **डफली:–**डफला का लघु संस्करण है। मनोरंजन के बालकों का यह लोकप्रिय लोक वाद्य है।

6. **चिंकारा (सारंगी):–**लकड़ी को खोलकर विशेष आकार दिया जाता है, जिस पर खाल चढ़ायी जाती है, पतले तार और खुटियों का प्रयोग किया जाता है। चिंकारा संगीत वाद्य है जिसे बसदेवा और भरथरी जाति के लोक बजाते हुए भिक्षा रटन करते हैं।

7. **हारमोनियाँ:–**यह संगीत वाद्य है, जिससे सा रे ग म प ध नि सा सात स्वर हैं। नृत्य और गीत के साथ इन वाद्य को बजाया जाता है।

8. **करतार:–**हाथ से बजाया जाने वाला वाद्य करतार लकड़ी का होता है जिसके कटे हुए खानों में धातु की पत्तियाँ लगी रहती है। भक्त लोक झूम-झूमकर करतार बजाते हैं।

9. **धुतुआरा:–**सर्प की कुण्डली के आकार के धातु का बना हुआ होता है, जिसका एक शिरा चौढ़ा और दूसरा संकरा होता है। संकरे शिरे को फूंक मारकर बजाया जाता है। विवाहोत्सव और युद्ध की तैयारी के अवसर पर इस वाद्य का विशेष प्रयोग होता है।

10. **तुरुही-शहनाई:–**धुतुआरा के सह वाद्य हैं। आकार में छोटे किन्तु मधुर और तीव्र स्वर वाले होते हैं। मुँह से फूँक मारकर इन्हें बजाया जाता है।

11. **घरी-घंटी:–**घरी मोटी धातु की वृत्ताकार होती है, जिसे लकड़ी के हथौड़े से पीट-पीटकर बजाया जाता है। घंटी भी धातु के कटोरे के आकार का वाद्य है जो प्राय: घरी के साथ बजता है। रूप से भी घंटी को लकड़ी से बजाते है, इसे विजय घंटी भी कहा जाता है।

*शोधार्थी (संगीत) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

12. झांझ-मंजीरा (खंजरी):-झांझ और मजीरा धातु के बने होते हैं, जिन्हें दोनों हाथों से ढोलक, हारमोनियम आदि के साथ बजाया जाता है। स्वतंत्र रूप से भी इन्हें बजाया जाता है।

13. बसुड़ी (बाँसुरी):-अलगोजा बसुड़ी दो प्रकार की होती है, आड़ी बसुड़ी और सीधी बाँसुड़ी भी होती है। आड़ी बाँसुड़ी में मुँह से फूँक मारने के लिए ऊपर से छिद्र होती है और सीधी बाँसुड़ी के किनारे पर छिद्र होता है। अलगोजा बाँसुड़ी से मोटा और तेज स्वर वाला होता है, इसके भी आड़े और सीधे दो भेद माने गये हैं। बाँसुड़ी, अलगोजा से गीत की ध्वनि निकाली जाती है।

14. खटखटी:-खटखटी छोटी-छोटी चपटी दो लकड़ियों से बनती है। बसदेवा और भरथरी लोग इसे बजाते हैं। यह हाथ से बजायी जाती है।

15. शंख:-समुद्र से निकाला जाता है, इसे मुँह से फूँक मारकर बजाया जाता है। शंख पूजा पाठ और भजन कीर्तन का वाद्य है।

दृश्य परम्परा के अंतर्गत लोक नृत्य और लोक नाट्य का स्थान है। लोक नाट्य दृष्टि पेय भी और श्रवण पेय भी है। छाहुर, नटकौरी, लकड़बग्घा, बहेरे, तक का मूल, मनु, सुखा, नौटंकी, रामलीला आदि प्रमुख बघेली लोक नाट्य हैं। बघेली लोक नाट्य प्राय: मंच पर सहज परिधार और मेक अप में मंचित होते हैं। गेरू, छूही से ही साज सज्जा कर ली जाती है। दर्शक और अभिनेता के बीच ज्यादा दूरी नहीं होती। बघेली लोक नृत्य की समृद्ध परम्परा है। लोक नृत्य की पूर्णता के लिए लोक वाद्य लोकगीत अवसर और वर्ग (स्त्री-पुरुष) आवश्यक उपकरण है। प्रत्येक नृत्य के अपने-अपने वाद्य गीत और अवसर होते हैं। करमा-शैला प्रमुख लोक नृत्य हैं। करमा कर्म का नृत्य है। किम्बदनी है कि किसी वैगा ने स्वप्न में एक वृक्ष लगाया और उसे कर्मा की संज्ञा दी। करमा लोक नृत्य इसी 'कर्मा' वृक्ष से जुड़ा है। शैला पुरुषों का नृत्य है, जिसमें छोटे-छोटे डण्डों का प्रयोग होता है। ढोलक और टिमकी इसके लोक वाद्य हैं। कोलदहका लोक नृत्य कोल सांस्कृतिक का संवाहक है। यह स्त्री-पुरुष का साझा लोक नृत्य है। दादर लोक गीत पर कोलदहका नृत्य रात-रात भर चलता है।

केहरा पोता:-स्त्रियों का विशेष नाच है, इस नृत्य में पद संचालन और अंगुलियों की सक्रियता देखने योग्य रहती है। दादर और सजनई गीतों का यह नृत्य रोमांचकारी होता है। अहीरों का बाछी नृत्य डोर और चौरासी परिधान में होता है।

बघेलखण्ड में खेल-तमाशे का प्रचलन पाया जाता है जो दृश्य परम्परा की कोटि में आता है। बालकों के खेल बालिकाओं के खेल युवकों के खेल अलग-अलग होते हैं। बंदर भालू का नाच, तीतर की लड़ाई, बीन पर सांप का नाच आदि बघेली नृत्य परम्परा को समृद्ध बनाते है।

कोल नृत्य:- कला भावना सब का उद्देश्य है। मनुष्य की रूचि श्रम और अहाद कला के बीज सूत्र है। आदिम मानव प्रकृति के चमत्कार और सौन्दर्य से प्रभावित हुआ होगा। उसके मनोभाव भीतर व समा पाये होंगे। खुशी में झूम उठा होगा। भाषा के अभाव में हा-हा-ही कुछ ध्वनि निकली होगी और अनियंत्रित अंग संचालन हुआ होगा। यही मुक्त स्वर और अनियंत्रित ध्वनि और अंग संचालन लोकगीत और लोक नृत्य के प्रस्थान बिंदु है। आदिम मानव के मनोभाव अंगों के अनुशासन को नकार कर प्रकट हो गये और लोक नृत्य का जनम हो गया।

'भावना से उद्धलित संचालन ही नृत्य है।' - एन साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका

नृत्य मन की मुक्ता वस्था का इजहार है, परिवेश के प्रभाव में मन इतना अधिक उद्धेलित हो जाता है कि तन का बंधन उसे बाँध नहीं पाता, शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। पाँव चिरक उठते हैं। हाथ हिलने डुलने लगते हैं। सारी देह काँप उठती है। बस ऐसे ही 'नृत्य' प्रकट हो जाता है। नृत्य का जितना सम्बंध मन प्राण से होता है, उतना ही देह से रहता है। वस्तुत: नृत्य देह की जरूरत है। नृत्य देह को विज्ञापित करता है। अशोक बाजपेयी के शब्दों में 'नृत्य देह का अपना वक्तव्य है।' समास एक देह का देह काल।

लोक नृत्य स्वाभाविक होते हैं। आडम्बर और औपचारिकता से लोक नृत्य का कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। आनंद मस्ती और मुहब्बत लोक नृत्य के आंतरिक तत्व हैं। यद्यपि हमारे और अन्य देशों में शास्त्रीय नृत्य बड़े कलापूर्ण और सुन्दर हैं लेकिन लोक नृत्य में स्वाभाविकता होती है। इसीलिए यह जीवन के अधिक निकट होते हैं। इनमें बनावट नहीं होती, इसमें मस्ती और मुहब्बत है, यह आनंद भी होता और यह समाज के लिए उपयोगी है।

लोक नृत्य प्रकृति की व्याख्या भी है और अनुकृति भी कल कण-कण नृत्य रत है। सौर मण्डल के ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रादि नृत्यरत हैं। इनमें लय विद्यमान है। सृष्टि में अनुस्पूत ऊर्जा में भी लय है। लोक नृत्य प्रकृति के इसी विशिष्टता की व्याख्या करता है। वृत्ताकार लोक नृत्य मण्डलाकार नक्षत्र लोक की अनुकृति दर्शाते हैं। अर्द्ध वृत्ताकार लोक नृत्य सृजन के संकेत और सौंदर्य हैं। लोक का सारा गूढ़ रहस्य लोक नृत्य में स्थापित होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेली लोक रागिनी – डॉ. भगवती प्रसाद शुक्ल
2. लोकगीत सामाजिक व्याख्या – श्री. कृष्णा दास
3. लोक साहित्य की भूमिका – डॉ. कृष्ण देव उपाध्याय
4. बघेली लोकगीतो का उत्सव – डॉ. भगवती प्रसाद शुक्ल

****

A Comparative Study of Grammatical Errors Related to Noun, Pronoun ,Adjective and Verb in Writing of Gujarati Language of Granted and Non- granted Students

Dr. Dharmendra Kumar Shrotriya* Mehulkumar R. Patel**

Abstract - The main aim of the Ph.D. researcher work was A comparative Study of Grammatical Errors Related to Noun, Pronoun ,adjective and verb in Writing of Gujarati Language of Granted and Non- granted Students". sample for the study was selected from khedha district & admistrated on 600 students. in conclusion we can say that there is significance difference between granted and non-granted school studentsw.r.t. Grammatical Errors Related to Noun, Pronoun ,adjective and verb in Writing of Gujarati Language

Key Words –noun, Pronoun, adjective and verb.

Introduction - Emergence of the Problem - After having a thorough look in to the grammatical aspects of Guajarati language researcher has undergone various research studies and related literature of the field, the researcher found following related work done in the area.

Quirk R. (1988) "A University grammar of English" **Brown (1988)** 'Understanding research in second language learning **Swan M. (1989) "**Practical English usage" **Thakore (1990** "Effect of immediate and delayed feedback in the improvement of written English" **Misra S. (1993)** "An analysis of errors made by a group of under graduate students of Madhya Pradesh and its pedagogical implications" **Thomsan A.J. Martinet A.V (1993)** "A Practical English Grammar" **Rincra, A.F. (2001)** "A study of Elementary Teachers and Presents Perception of parental investment." **Tuli, Ashutosh (2002)** "Identification of Training needs of secondary school English Teachers." **Lauridsen, D.A. (2002)** "What are Teachers' perception of the Curriculum Development Process." **Marr, A.W. (2003)** "Self Perception of Elementary School Children with world Level Reading Problem."

From the review of related studies above the researcher found that there exists a wide gap regarding the Common Grammatical Errors in Writing of Gujarati Language. Therefore, the researcher has taken up the study of the Common Grammatical Errors in Writing of Gujarati Language.

Objectives :

1. A comparative study of the Common Grammatical Errors related to **noun** in writing of Gujarati language of Granted and non-Granted School Students.
2. A comparative study of the Common Grammatical Errors related to **pronoun** in writing of Gujarati language of Granted and non-Granted School Students.
3. A comparative study of the Common Grammatical Errors related to **adjective** in writing of Gujarati language of Granted and non-Granted School Students.
4. A comparative study of the Common Grammatical Errors related to **Verb** in writing of Gujarati language of Granted and non-Granted School Students.

Hypothesis for the Present Study :

1. There is no significant difference between related to **noun** in writing of Gujarati language of Granted and non-Granted School Students.
2. There is no significant difference between related to **pronoun** in writing of Gujarati language of Granted and non-Granted School Students.
3. There is no significant difference between related to **adjective** in writing of Gujarati language of Granted and non-Granted School Students.
4. There is no significant difference between related to **Verb** in writing of Gujarati language of Granted and non-Granted School Students.

Statistical Analysis :-

Table 1 & Graph 1 (see in next page)

Interpretation - The mean scores and standard deviation scores obtained opinion of students of Granted and Non–granted school is 6.23, 6.36 and 0.03, 0.17. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 4.12 which is greater than the table value 2.53 for df=598 at 0.01 level of significance. It is evident from this value that there is significant difference regarding common grammatical error **'Noun'** in writing of Gujarati Language of Granted and Non-granted school students.

***Professor (Education) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA**
****Research Scholar (Education) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Table 2 & Graph 2 (see in next page)

Interpretation - The mean scores and standard deviation scores obtained opinion of students of Granted and Non–granted school is 6.26, 6.33 and 0.08, 0.14. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 2.38 which is greater than the table value 1.96 for df=598 at 0.05 level of significance. It is evident from this value that there is significant difference regarding common grammatical error **'Pronoun'** in writing of Gujarati Language of Granted and Non-granted school students.

Table 3 & Graph 3 (see in next page)

Interpretation - The mean scores and standard deviation scores obtained opinion of students of Granted and Non–granted school is 5.56, 5.73 and 0.02, 0.12. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 7.65 which is greater than the table value 2.53 for df=598 at 0.01 level of significance. It is evident from this value that there is significant difference regarding common grammatical error **'Adjective'** in writing of Gujarati Language of Granted and Non-granted school students.

Table 4 & Graph 4 (see in last page)

Interpretation - The mean scores and standard deviation scores obtained opinion of students of Granted and Non–granted school is 5.5, 5.63 and 0.01, 0.11. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 6.45 which is greater than the table value 2.53 for df=598 at 0.01 level of significance. It is evident from this value that there is significant difference regarding common grammatical error **'Verb'** in writing of Gujarati Language of Granted and Non-granted school students.

Conclusion - Common Grammatical Errors **noun, Pronoun, adjective&verb** in writing of Gujarati language are done by Student of Granted School more than Non-granted School Students.

References :-

1. Best, J.W. (1981), "Research in education (4th edition) ", Delhi, Prentice hall of India Pvt. Ltd.
2. Fox, D.J. (1969), "The Research processes in education", New York, Holt Richard Association.
3. Garrette, H.E. (1969) : "Statistics in psychology and education", bombay : Allied pacific Pvt. Ltd.
4. Good, C.V. (1959) : "Introduction to Educational Research", New York.
5. Gupta, S.C. (1981) : "Fundamentals of Statistics", Bombay Himalaya Publishing Home.
6. Gupta, S.P. : "Statistical Methods", Sultan Chand & Sons, New Delhi.
7. John, H. Kick (2005) : "Philosophy of Religion : Foundation of Philosohpy Series", Delhi, Pearsion Education Pvt.Ltd. Indian Branch.
8. Kothari, C.R. (2005), "Research methodology : methods and techniques", New Delhi: New Aye. International (p) ltd. Publishers.
9. Koul, Lokesh (2004), "Methodology of educational Research", New Delhi, vikas publishing house Pvt. Ltd.
10. Lal & Joshi (2007), "Educational measurement evaluation and statistics", Meerut: R. Lal Book Depot.
11. Prof. Trikam Bhai N. Patel (2010) "Gujarati Bhashasaundarya", Bhasha Niyamak Kachahari, Gujarat.
12. Shah Upendra N. (2015) : "Assan Gujarati", Gurjar Sahitya Prakashan.

Table 1 - Area wise analysis on the basis of T-value of Common Grammatical Errors Noun in writing of Gujarati language of Granted & Non-Granted School Students

S.	Mean		S.D.		t- value	Significance at 0.05/0.01level
	Granted School Students	Non-Granted School Students	Granted School Students	Non-Granted School Students		
1.	6.23	6.36	0.03	0.17	4.12	**Significance at 0.01 level**

df=598
value on .01 level = 2.53
value on .05 level = 1.96

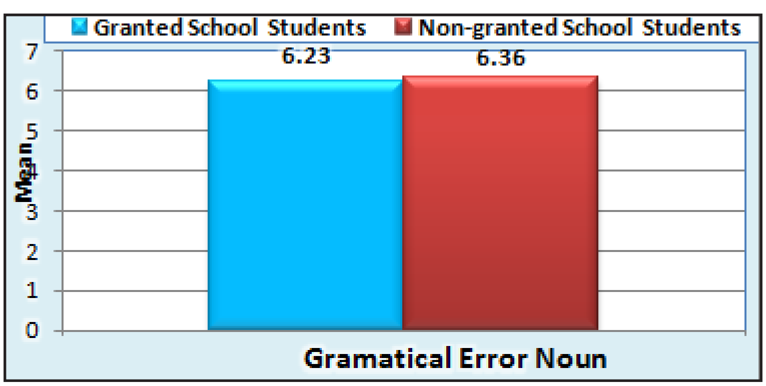

Graph 1 - Area wise analysis on the basis of T-value of Common Grammatical Errors Noun in writing of Gujarati language of Granted & Non-Granted School Students

Table – 2 - Area wise analysis on the basis of T-value of Common Grammatical Errors Pronoun in writing of Gujarati language of Granted & Non-Granted School Students

S.	Mean		S.D.		t- value	Significance at 0.05/0.01level
	Granted School Students	Non-Granted School Students	Granted School Students	Non-Granted School Students		
1.	6.26	6.33	0.08	0.14	2.38	Significance at 0.05 level

df = 598
value on .01 level = 2.53
value on .05 level = 1.96

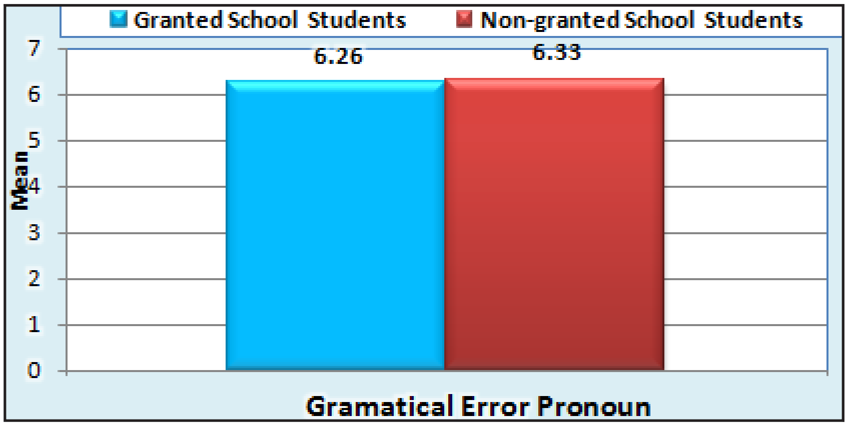

Graph 2 - Area wise analysis on the basis of T-value of Common Grammatical Errors Pronoun in writing of Gujarati language of Granted & non Granted School Students

Table 3 - Area wise analysis on the basis of T-value of Common Grammatical Errors Adjective in writing of Gujarati language of Granted & Non-Granted School Students

S.	Mean		S.D.		t- value	Significance at 0.05/0.01level
	Granted School Students	Non-Granted School Students	Granted School Students	Non-Granted School Students		
1.	5.56	5.73	0.02	0.12	7.65	Significance at 0.01 level

df=598
value on .01 level = 2.53
value on .05 level = 1.96

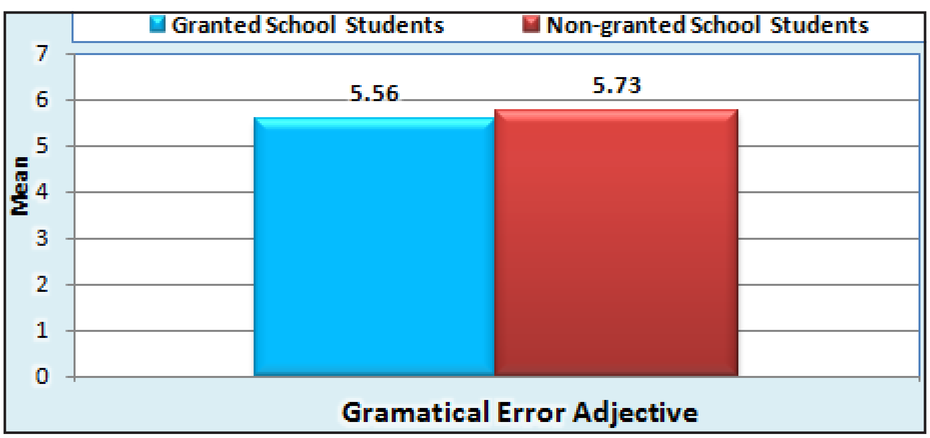

Graph 3 - Area wise analysis on the basis of T-value of Common Grammatical Errors Adjective in writing of Gujarati language of Granted & Non-Granted School Students

Table 4 - Area wise analysis on the basis of T-value of Common Grammatical Errors Verb in Writing of Gujarati language of Granted & Non-Granted School Students

S.	Mean		S.D.		t- value	Significance at 0.05/0.01level
	Granted School Students	Non-Granted School Students	Granted School Students	Non-Granted School Students		
1.	5.5	5.63	0.01	0.11	6.45	**Significance at 0.01 level**

df=598
value on .01 level = 2.53
value on .05 level = 1.96

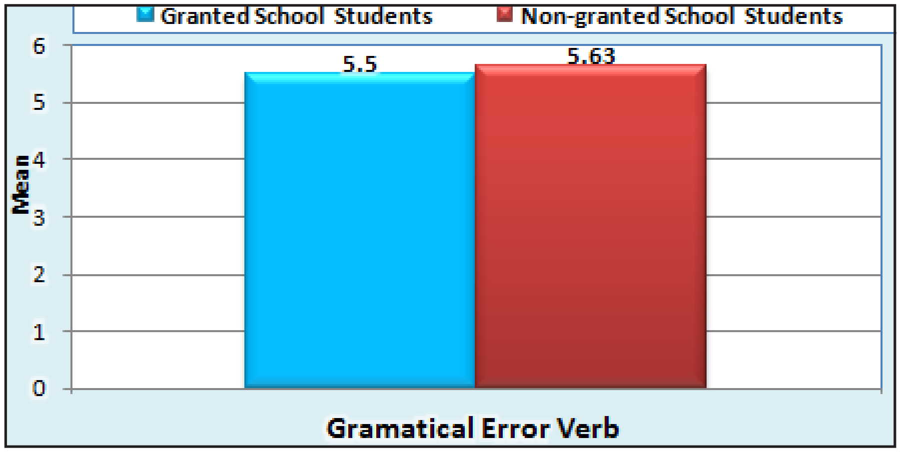

Graph 4 - Area wise analysis on the basis of T-value of Common Grammatical Errors Verb in Writing of Gujarati language of Granted & Non-Granted School Students

****

NSS
Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) July To September 2019, Vol. II

Awareness of Parents towards the Learning-Disabled

Sanjeev Tripathi* Dr. Apoorva Pauranik Dr. Saroj Kothari*****

Abstract - A Learning Disability is caused by a dysfunction of the brain. This may be genetic, but often, organic/ biological factors are involved. This paper is subjected to determine parents' awareness levels about learning disability in children. The sample taken was the parents of the selected sample of learning-disabled children of central school. A tool was constructed to obtain the data. Data was analysed with the help of apaired 't-test'. It was found that the parents of students who participated in the intervention programme showed more awareness than those who did not.

Introduction - One of the many wonders of the world is the miracle of birth, as a child begins to explore the world, he intently listens to the parents speak and tries to imitate. He then spends the better part of his life learning and skilling up. But when he is unable to keep up with his peers and he faces difficulty in performing academically even though he performs well in other skills of day-to-day life (like creativity, household chores, self-care, sports, social skills), this marks the possibility of a learning disability. Researchers have consistently discovered that academically, a child will be around as good as his parents. Evidently, children of parents who are college graduates usually perform better than their peers. This can be explained and justified by a number of factors.

Firstly, one's socioeconomic status largely decides the extent of education that will be available and/or pursued by an individual. Poorer students do substantially risk academic failure compared to their peers.

Secondly, parents who are undereducated and unexposed to higher studies and opportunities might not be able to chip in as well as other parents because of limited knowledge and interest. Others might not be too interested, or might be too busy to travel to their child's school and to parent-teacher meetings, missing out on important advice on how they can better help their child. Yet others may be incompetent to help out their kids with homework. Parents may also project their own negative academic experiences onto their kids.

Thirdly, a child growing up in a disturbed, dysfunctional or pathological family often fails to receive the participation and support from their parents who fail to be attentive or take their children's education seriously.

Parental age also comes into play. From statistics, it is evident that children of younger parents perform superior to those with older parents, who may struggle with their own cognitive skills, and hence, struggle to contribute to their children's education. That age and education can both determine income can make matters worse as it all inextricably comes into play. To a child completely reliant on his parents to guide him through life, all these factors combined can wreak havoc.

Problem Statement - Awareness of parents towards the learning-disabled.

Objective - To compare the mean awareness towards learning disability scores of Parents at pre- and post-intervention stages between experimental and control groups.

Hypothesis - There will be no significant difference in the mean awareness towards learning disability scores of parents at pre- and post-intervention stages between experimental and control groups.

Methodology

Sample - The samples for the tryout and field stages were different, but belonged to the same population. Details of the samples used for the tryout and field stages are listed below.

Sample at Tryout Stage - There were 149 primary, middle, and higher secondary government schools in Indore city. Out of these 149 schools, 2 were selected purposively. The sample for the tryout stage comprised 400 students of ages 5-13 years.

Sample for Experimentation - Out of the remaining 147 Schools, 2 were selected purposively for the field study. All the schools were situated in Indore. The school-wise and gender-wise distributions of students of ages 5-13 in different classes are in Table 1.1.

Table 1.1 (see in last page)

It can be observed from Table 1.1 that the sample consisted of 60 students. Of these, there were 33 girls and 27 boys. And the students were between 5-13 years old.

*Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA
** M.G.M. Medical College, Indore (M.P.) INDIA
*** Govt. M.L.B. P.G. Girls College, Indore (M.P.) INDIA

The selected school was affiliated to the Central Board of Secondary Education.

The selected school had nice infrastructure and they cooperated patiently with the researcher. Most of the students' parents were central government employees and the sample represented the middle level of socio-economic status. These students had languages other than English as their mother tongue.

Tool - To determine the levels of awareness about learning disability in teachers and parents, a questionnaire is developed to gather information from both, teachers and parents. But in this research paper, we will use the data related to the awareness levels in parents only.

Dimensions Taken For The Development Of The Tool "Awareness Of Parents And Teachers Towards The Learning-Disabled"

Details of items included in the test:

1. Concept of learning disability
2. Capability to learn
3. Poor attention
4. Motivation
5. Parents' attention
6. Teachers' biases
7. Illiteracy of parents
8. Trained teachers
9. Differences between LD and normal children
10. Need for special schools
11. Need for special educators
12. Intelligence of LDs
13. Achievement of LDs
14. Need for counsellors and psychologists
15. Government acts related to LD
16. Identification of LDs
17. Categories of LD
18. Persistence of LD
19. Improvement strategies for LDs

Data Analysis - The data related to this objective were analyzed with the help of a paired t-test.

Results and Discussion - OBJECTIVE: To compare the mean awareness towards learning disability scores of Parents at pre- and post-intervention stages between experimental and control groups.

The results are given below in Table 1.2.

Table 1.2: Group-wise meanawareness towards learning disability scores of parents, N, M, SD, 't' value, df, and level of significance

Group	N	M	SD	't' value	Df	Level of Signifi -cance
Control Group	30	386.56	123.45-	10.125	29	.00
Experim -ental Group	30	310.50	118.65			

** Significant at 0.01 level

From Table 1.2, it is evident that the 't' value for the experimental group is 10.12, which is significant at the 0.01 level of significance with a df of 29. It indicates that the experimental group differs significantly. The mean awareness towards learning disability scores of the experimental group is 310.50, which is significantly lower than the mean awareness towards learning disability scores of control group, which is 386.56. It may, therefore, be concluded that scores of parents trained through the intervention program were found to be more effective than those of the control group in terms of their awareness towards learning disability scores.

Finding: An Intervention Program was found to be more effective than conventional methods in terms of the awareness of parents towards learning disability. Hypothesis is not accepted.

The intervention program was found to be effective than conventional methods in terms of the awareness towards learning disability. These findings were supported by the findings of Anjana (2006) Bose (1996), Cole (1992), Hughes, et& al. (2002), Jamal (2007), and Lovett et al. (2012), who used intervention programs for the learning-disabled and studied their effectiveness in comparison to conventional methods. They found that intervention programs proved to be more effective than conventional methods in terms of improvement in awareness towards learning disability.

This could be because the intervention program comprised various strategies and training skills planned after the diagnosis based on the specific awareness displayed by the parents along with interesting discussions on the problems with the learning-disabled.

Another reason may be that the parents got an opportunity to warm up to the truths of learning disability. The program pushed them to become inquisitive and come forward to discuss their problems in hopes of finding a solution. Regular interactions and discussions brought a change in their awareness, and they learned how to be with the learning-disabled. They were also motivated by the positive feedback from the investigator. It also created an interest towards the problem and improved the parents'awareness.

Implications :

1. Administrators
2. Teachers
3. Curriculum designers
4. Teacher educators
5. Parents
6. Researchers

References :-

1. Cancelli,Anthony S.(1993).Type of Instruction and the relationship of classroom behavior to achievement among learning disabled children. Journal of Classroom Interaction,28(1),13-21.
2. Dunn, A., StenfertKroese, B., Thomas, G., McGarry, A. & Drew, P. (2006) 'Are you allowed to say that?' using video materials to provide accessible informa-

tion about psychology services, British Journal of Learning Disabilities, 34(4), 215-19.

3. Fraser, M. & Fraser, A. (2001) Are people with learning disabilities able to contribute to focus groups on health promotion? Methodological Issues in Nursing Research, 33(2), 225-33.
4. Gilbert, T. (2004) Involving people with learning disabilities in research: issues and possibilities, Health and Social Care in the Community, 12(4), 298-308.
5. Gray, C. (1994) The New Social Story Book. Arlington, Future Horizons. Grove, N., Porter, J., Bunning, K. & Olsson, C. (1999) Interpreting the meaning of communication by people with severe and profound intellectual disabilities: theoretical and methodological issues, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23, 190-203.
6. Hood, S., Kelley, P. &Mayall, B. (1996) Children as research subjects: a risky enterprise, Children & Society, 10, 117-28. Iacono, T. & Murray, V. (2003) Issues of informed consent in conducting medical research involving people with intellectual disability, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16, 41-51.
7. Kiernan, C. (1999) Participation in research by people with learning disabilities: origins and issues, British Journal of Learning Disabilities, 27(2), 43-47. Knox, M., Mok, M. &Parmenter, T. (2000) Working with the experts: collaborative research with people with intellectual disability, Disability & Society, 15(1), 49-62.
8. Kumari, K. (1998). Effectiveness of Remedial Modules in Language Learning in Minimum Level of Learning Curriculum.Ph.D.(Edu.). Kurukshehtra University.
9. KusumaHarinath, P. (2001). Studied Factors Related to Learning Disabilities in English among School Students. Ph.D.; Education, Algappa University, Karaikudi. Cited in Indian educational abstracts july 2006 vol.6 number 2page no. 51.
10. KusumaHarinath, P. (2001). Studied Factors Related to Learning Disabilities in English among School Students. Ph.D; Education, Algappa University, Karaikudi. Cited in Indian educational abstracts july 2006 vol.6 number 2 page no. 51.
11. Lewis, A. (2001) Research involving young children, in: T. David (ed.) Promoting EvidencebasedPractise in Early Childhood Education: Research and its implications. Oxford, Emerald Group (pp. 253-72).
12. Lewis, A. (2002) Accessing, through research interviews, the views of children with difficulties in learning, Support for Learning, 17(3), 111-16.
13. Lorsbach, Thomas C;&Frymier, Jack (1992). A Comparison of Learning disabled and non- disabled students on five at-risk factors. Learning Disabilities: Research and Practice ,7(3),137-141.
14. Mohite (1989). A Study on Developing and Implementing a Classroom Instruction
15. Munford, R., Sanders, J., Mirfin-Veitch, B. &Conder, J. (2008) Looking inside the bag of tools: creating research encounters with parents with an intellectual disability, Disability & Society, 23(4), 337-347.
16. N C E R T(2006).Position Paper National Focus Group on Curriculum, Syllabus And Textbooks, 2.3, New Delhi.
17. N C E R T(2006). Fifth Survey of Research in Education (1993to 2000) vol.I and II, National Council of Education Research and Training, New Delhi.
18. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
19. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
20. Patnaik, L.(1997).A study of Learning Disabilities in context of Adjustment and Personality of class VII students.UnpublishedM.Ed.Dissertation.DAVV.Indore.
21. Rath. (1991). An Individualized Instruction Training Approach for Teaching Children with Learning Difficulties in Reading and Comprehension Skills.MPhil(Psychology). Utkal. University.
22. Swain, J., Heyman, B. & Gillman, M. (1998) Public research, private concerns: ethical issues in the use of open-ended interviews with people who have learning difficulties, Disability & Society, 13, 21-36.
23. Ware, J. (2004) Ascertaining the views of people with profound and multiple learning disabilities, British Journal of Learning Disabilities, 32, 175-80.
24. Whitehurst, T. (2006) Liberating silent voices – perspectives of children with profound and complex learning needs on inclusion, British Journal of Learning Disabilities, 35, 55-61.
25. Zarb (1992) On the road to Damascus: first steps towards changing the relations of disability research production, Disability, Handicap & Society, 7, 125-38.

Webliography :

1. https://www.researchgate.net/publication/335377941_Attitude_of_Primary_School_Teachers_towards_Children_with_Learning_Disabilities
2. http://pubs.iscience.in/journal/index.php/jds/article/view/280
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255958/
4. https://dcidj.org/articles/abstract/10.5463/dcid.v23i1.47/
5. https://www.researchgate.net/publication/255566622_A_Fuzzy_Approach_To_Classify_Learning_Disability
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19081758/
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4439404/
8. https://osre.ncert.gov.in/abstract/Anjana/1595
9. https://eric.ed.gov/?id=EJ450068
10. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED350792.pdf
11. https://education.stateuniversity.com/pages/2085/Individualized-Instruction.html

Table 1.1: School wise, Gender wise, Class wise distribution of sample

S.	Schools	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Class VI	Class VII	Class VIII	Total
1.Control Group	Central School No 1Shift-1	2	5	7	5	4	2	3	2	30
2.Experimental Group	Central School No 1Shift-2	3	4	6	6	5	4	1	1	30

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Rural Marketing in India

Dr. Nilesh Gangwal*

Abstract - In recent years, rural markets have acquired significance, as the overall growth of the economy has resulted into substantial increase in the purchasing power of the rural communities. Rural Markets are defined as those segments of overall market of any economy, which are distinct from the other types of markets like stock market, commodity markets or Labor economics. In the recent years rural market have acquired significance and attract the attention of marketers as 68.84% population of India reside in 6, 38,000 villages and overall growth of economy has resulted into substantial increase in the purchasing power of the rural communities. Due to green revolution, the rural areas are consuming a large quantity of industrial and manufactured products. In this way rural market offers opportunities in the form of large untapped market, increase in disposable income, increase in literacy level and large scope for penetration. Fast pace of technology advanced every sphere of social, economic, political cultural life, produce, reduce costs, distribute, and expect higher profits. The focus is on tapping the rural markets. Urban markets have saturated lied to look rural markets. This paper presents a review of rural markets environment, Problems and strategies in India. Rural marketing has become the latest mantra of most corporate even MNCs are eyeing rural markets to capture the large Indian market.

Introduction - The concept of Rural Marketing in India Economy has always played an influential role in the lives of people. In India, leaving out a few metropolitan cities, all the districts and industrial townships are connected with rural markets. The rural market in India is not a separate entity in itself and it is highly influenced by the sociological and behavioral factors operating in the country. The rural population in India accounts for around 627 million, which is exactly 74.3 percent of the total population. Rural Markets are defined as those segments of overall market of any economy, which are distinct from the other types of markets like stock market, commodity markets or Labor economics. Since the 1980 s the mass rural market was used to attract the marketers in Indian consumer market. The fact that 70% of country's population was unaddressed, which was the major attraction for marketers. In recent time this attraction has increased with the additional money that comes into hands of rural consumers due to green revolution, rise in Agri-produce prices and MNREGA spending. Budget 2013 further strengthens the rural story with MNREGA because there has been a substantial increase in their spending. These initiatives shift the rural consumers towards Brands. Rural market constitute an important segment of overall economy. Government agencies like IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority) and NCAER (National Council for Applied Economics Research) define rural as a village with a population less than 5000 with 75% male population engaged in agriculture, while Hindustan lever, ITC and most FMCG companies define rural as any place with a population below 20,000.

742 million Indians constituting 138 million households reside in 6, 38,365 villages (Census, 2001). the size of rural market itself speaks of its potential. The current marketing environment and economic scenario have brought the corporate under contemporary roofs of modern India, which is challenging the current standards of segmenting, targeting and reaching the customers. Realistically, India as a nation has come a long way from the place where only urban population which constitutes 20 per cent of customer base for companies are responsible for 80 per cent of their profits. The companies are looking for new opportunities and avenues, as they are witnessing a decline in their growth rates in urban markets due to market saturation and they do have a huge, untouched and untapped rural Indian market. The driving force for this is rural youth who are educated, have access to technology and have openness to change. Also rural markets have acquired significance, as the overall growth of economy has resulted into substantial increase in the purchasing power of the rural communities.

Objectives :

1. To study the present scenario of rural market in India.
2. To identify the major opportunities available in the rural market.
3. To study the major challenges faced by marketer in rural market.

Research Methodology - The present study is descriptive in nature. The data used is secondary in nature and has been collected from various websites and reputed journals.

*PMB Gujarati Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

What Is Rural? - B.N. Garudachar, general manager, corporate communication and investor relations at Voltas, a Tata group company in air-conditioning and engineering services. "These are: low population numbers, low median income, poor infrastructure [roads, electricity, communications], and agrarian rather than industrial activity. Such rural areas are within the sphere of influence of neighboring cities and metros.

Salient Features of Rural India

Some common characteristics that do exist amongst most of the rural markets in India are as follows.

1. **Population:** 83.3 per cent of the villages have a population of less than 2000
2. **Levels Of Education:** Although the percentage of literates has increased from 36 in 1981 to 59 in 2001, there is still approximately 60 per cent of the rural population who lies below the middle education bracket.
3. **Occupational Pattern:** Almost 76 per cent of the rural population depends on cultivation or wages for their living.
4. **Characteristics:** in terms of occupation, consumption and buying behavior change prominently from urban to rural in locations with population more than 10000.

What constitutes rural market? - The Census of India defines rural as habitation where population density is less than 400 per sq. Km, and where at least 75% of the male working population engaged in agriculture, and where there is not any municipality or board. Planning Commission of India defines rural as a town having population up to 15,000. The difference between rural and urban consumers always exists in India. Most of Indian rural consumers are illiterate and poor. Illiteracy leads to inability to identify brand differences and read basic text on packages. Moreover products are sold lose, giving high competition to branded sealed products. Irregular income, induce the rural consumers to buy in small quantities. It is important for rural marketers to provide products in small quantities as well as good credit system for larger products.

Rural market status - The market scenario in the rural areas today is changing very rapidly. Rural consumers demand branded products mainly because of increase in disposable income and literacy level. Rural families do not like to cut their expenditure on weddings, pilgrimages, constructions and consumptions. Rural consumers have more aspirations, today this segment of buyers consumes large variety of products, both durable and non-durables and willing to pay right price for right products. Pardeep Kashyap, CEO, MART, says "The rural India has cash in hand and is not bound by EMIs or loans, with the majority of our population based in tier III, tier IV cities and villages. It is right time to penetrate into rural market."

Table 1 (see in last page)

The table 1 shows that the rural share in stock of consumer goods like car/jeeps, motorcycle, scooters, moped, automotive, television, fans, other white goods and low cost items. The rural share in automotive has increased from 30.5% in 2011-12 to 35.9% in 2012-13 and 42.5% in 2013-14, cars/ jeeps from 7.4% in 2011-12 to 9.3 in 2013-14,motorcycle from 45.8% (2011-12) to 50.4 (2012-13) and 55.4 (2013-14), scooters from 25.2% (2011-12) to 29.8% (2012-13) and 32.0 (2013-14), moped from 37.3% (2011-12) to 46.6 (2012-13). Similarly, in television it has registered an increase from 40.7% (2012-13) to 44.9% (2013-14). Thus it is clear from the table that the percentage of rural share in the stock of consumer goods has been raising since 2011-12 to 2013-14.

Table 2 (see in last page)

The table 2 shows that the rural share in stock of consumer demands. The rural share in demand for car/ jeeps has increased from 2.1% in 2011-12 to 8.0% in 2012-13 and 10.9% in 2013-14 and for motorcycle it has increased from 47.3% in 2011-12 to 48.3% in 2012-13. Similarly, the demand of fans, scooter, moped and low cost items has also increased. Share of automotive remained same at 37.9%.

What Rural India Buys?

1. Products more often (mostly weekly).
2. Buys small packs, low unit price more important than economy.
3. Many brands are building strong rural presence without much advertising support, like shampoos, detergent, talcum powder and beauty cream, etc.
4. Fewer brand choices in rural areas; number of FMCG brands in rural areas is half of urban area.
5. Buys value for money, not cheap products.

Importance of Rural Marketing - Rural market is getting importance because of the saturation of urban market. So the marketers are looking for extending their product categories to an unexplored market i.e. the rural market. According to the Nielson s survey the rural market for FMCG (Rs. 65,000 crores), durables (Rs. 5,000 crores) and clothing and footwear (Rs. 35,000 crores) was as large as Rs. 1, 05,000 crores in 2008. Certainly the size is much bigger now. According to Nielson by 2025, the rural FMCG sale is estimated to be $ 100 billion from the current $ 12 billion. This has also led to the CSR activities being done by the corporate to help the poor people attain some wealth to spend on their product categories. Here, we can think of HLL initiatives in the rural India. One of such product is project Shakti, which is not only helping their company attain some revenue but also helping the poor women of the village to attain some wealth which is surely going to increase their purchasing power.

Rural market is mystery for the companies. Due to lack of dipper insights into the psyche of the rural consumers, companies are hesitant to explore this territory. But local brand like "Ghadi" detergent in Kanpur have been able successfully tap the opportunities presented by rural market.

Rural India offers sustainable sales and profit for growth. Growth of rural market is possible due to green revolution and white revolution, which results into substantial wealth generation in rural area. In recent years, rural markets have acquired significance in the country like China

and India as the overall growth of the economy has resulted into substantial increase purchasing power of rural communities. Due to green revolution in India, consumption pattern of rural people are changed.

What Makes Rural Market Attractive? - Rural market has following attributes and facts:

- About 833 million people reside in rural area as compared to 377 million people in urban area.
- 53% of all FMCGs and 59% of all consumer durables are sold in the rural market.
- Estimated annual size of rural market:-

FMCG Rs. 65,000 crores
Durables Rs. 5,000 crores
Agri-inputs and Tractors Rs. 45,000 crores
2/4 wheelers Rs. 8,000 crores

1. 42 million rural households availing banking services in comparison to urban households.
2. Indian rural market is almost twice as compared to the entire market of USA and Russia.
3. 46% of soft drinks sales come from rural areas.
4. 49% of motorcycles sales come from rural areas.
5. Rural India accounts for 59% of cigarettes sales.
6. In 20 years, rural Indian market will be larger than the total consumer markets in countries such as South Korea and Canada and almost 4 times of the size of today s urban market.
7. Close to 10% of Maruti Suzuki s sale come from rural market.

Increasing in disposable income and purchasing power - Projects from private companies and the rural employment initiatives by the Government like MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) schemes have given the rural population an opportunity to meet their daily needs. Government decided to expand the agriculture loan at lower rate of interest and distribute million of Kisan Credit Cards, has given a boost to the income level to the rural sector. According to advanced estimates of national income released by center statistic organization "The Per Capita income at current prices during 2011-12 is estimated to be Rs. 60,972 compared to Rs. 53,332 during 2010-11 showing a rise of 14.3%. Companies have the opportunity to enter in this new market and take the advantage of increased disposable income.

Infrastructure improving rapidly - In 50 years only, 40% villages have been connected by roads, in next 10 years another 30% would be connected. Rural telephone density has gone up by 300% in the last 10 years. Government of India is planning its most ambitious national program in Jan.2013 to facilitate electricity through decentralized renewable energy sources. The government aims to provide LED lights to around 400million homes that do not have an electricity connection by 2017. Rapid development of rural infrastructure is also major attraction for marketers.

Some of the organized retail model working in Rural India

1. **Hariyali Kisaan Bazaar:** It is the decision of DMC Shriram consolidated LTD s Agri business. The company operates in two lines of business: Agri/rural, Chemicals and polymers. Their Agri-business offering agriculture inputs, both manufactured and merchandised, outputs and services. The company initiated rural retailing with the objective to move towards providing total solutions to farmers. Hence it can be said one stop shop for meeting farming and family needs of rural population. It has 264 outlets in many villages of eight different states: Haryana, Punjab, Utter Pradesh, Rajasthan, Uttrakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh.
2. **ITC Choupal Sagar:** ITC launched the choupal sagar in 2004. It is a rural hyper market which is managed by ITC s Agri-business division. Farmers can sell their commodities and can buy almost everything including cosmetics, garments, electronics, appliances and even tractors. Currently there are 24 choupal sagars: 11 in Madhya Pradesh, 5 in Maharashtra and 8 in Utter Pradesh. Local sourcing of vegetables and fruits allows the company to delivering fresh vegetables and fruits to consumers. Moreover ITC s procurement centers provide farmers the option of selling their product directly to ITC, instead of billing it to mandi. ITC s Agri-business division conceived e-choupal as a more efficient supply chain aimed at delivering value to its customers around the world on a sustainable basis.

Conclusion - The study concluded that rural India offers huge opportunities which companies can tap for their growth and development. However, Companies face many challenges in tackling the rural markets. 833 million people reside in India as compared to 377 millions in urban India so vast untapped opportunities are available in rural India, but marketer unable to tap these opportunities because of lack of infrastructure facilities. Literacy rate is low in rural area so people are unable to identify brand difference. Now trend has gone to change literacy rate in rural area is increasing. Number of middle and higher income household in rural India is expected to grow from 80 million to 111 million. There is rapid development in infrastructure all these opportunities attract companies to target rural market. With some technologies breakthrough in distribution and marketing of products in rural India, companies in rural market can earn more profits, market share, etc. The Rural market is a greater future prospect for the marketers and there are many opportunities available for them in rural markets.

Thus, looking at the challenges and the opportunities, which rural markets offer to the marketers and the manufacturers, it can be said that the future is very promising for those who can understand the dynamics of rural markets and make use of them to their best advantage. A radical change in attitudes of marketers towards the cheerful and budding rural markets is called for, so they can successfully impress on the 750 million rural consumers spread over approximately six hundred thousand villages in rural India.

References :-

Books :

1. MANOHAR LAL JALAN (1988), Marketing of Agricultural Inputs, Himalaya Publishing House (Delhi). 1988.
2. MISRA, S.K. (2000). Indian Economy, Himalaya Publishing House, 18th Edition, p. 739 New Delhi.
3. MULVIHILL, DONALD F (1951), "Marketing Research for the Small Company", Journal of Marketing, Vol. 16, No. 2, Oct., 1951, pp. 179–183.
4. RAJAGOPAL, Development of Agricultural Marketing in India, Print well (Jaipur).

Journals :

1. Kavitha, C.T. (2012). A comparative study of growth, challenges and opportunities in FMCG of rural market. *Interscience Management Review*, 2(3), 23-28.
2. Kotni, VV D.P. (2012). Prospect and problems of Indian rural markets. ZENITH *International Journal of Business Economics and Management Research*, 2(3), 200-213.
3. Kumar A., Hagagi, S. (2011). Rural market in India: some opportunities and challenges. *International Journal of Exclusive Management Research*, 1(1), 1-15.
4. Mannappa, O. (2003). Rural marketing challenges in the new millennium. *Delhi Business Review,* 4(1).

Websites :

1. Census of India 2011
2. www.smehelpline.com
3. www.managementcanvas.iimindore.in
4. www.coolavenues.com/mba-journal/marketing/rural-marketing-challenges-opportunities-strategies

Table 1 : Rural share in stock of Consumer Goods

Stock	2011-12 (in'000)	Share in percent	2012-13 (in'000)	Share in percent	2013-14 (in'000)	Share in percent
Cars/Jeeps	197	7.4	389	6.9	1876	9.3
Motorcycle	2210	45.8	6710	50.4	34724	55.4
Scooters	2496	25.2	4416	29.8	6125	32.0
Mopeds	2096	37.3	3930	42.2	7333	46.6
Automotive	6999	30.5	15445	35.9	50058	42.5
Television	21411	40.7	40605	47.6	63295	44.9
All Fans	37990	42.4	74673	49.3	157237	49.0
Other White goods	3337	13.5	7766	16.7	16730	16.7
Low cost items	226952	57.9	313892	58.7	521999	58.5

Table 2 : Rural share in stock of consumer demands

Demand	2011-12 (in'000)	Share in percent	2012-13 (in'000)	Share in percent	2013-14 (in'000)	Share in percent
Cars/Jeeps	6	2.1	63	8.0	376	10.9
Motorcycle	359	47.3	1036	39.8	4045	48.3
Scooters	368	33.1	355	39.4	311	39.9
Mopeds	286	52.7	235	58.2	141	57.7
Automotive	1016	37.9	1689	36.0	4873	37.9
Television	4852	54.0	6400	54.5	7712	44.2
All Fans	7050	50.0	14627	56.9	32561	56.7
Other White goods	819	23.8	1439	23.9	3120	23.7
Low cost items	29228	58.1	45139	60.1	88607	61.3

****

Moral Values in Advertising

Dr. Sanjay Bhavsar *

Introduction - Human beings are world creators. One of the worlds that human beings have created is the world of money commodities trades, exchanges. To me it's a world full of beauty and in equal proportions, messy exotic scary No one who has made their home in this world would see this the way an outsider and being a philosopher makes me by definition an outsider can see this. I regard the business area the world of buyers and sellers, bosses and workers, Procedures and consumers the world of money as nothing less than and ontological category, a way of being. It is not accidental to who we are. It define the way we related to each other and to the world around us. But it is not only way of being. There are other ways, and the most fundamental of these is a moral values.

Ethics, as understood here, is defined by the I- thou relationship: When I engaged another person in moral dialogue, there are not two parallel process of practical deliberation going on, his and mine but only one.(Contrast this with the case of a 'dialogue between ' politician or traders, where each is privately deliberating how to gain the upper hand.) In opening myself up and addressing the order as a thou O am already committed to the practical consequences of agreement, of doing the action which by the combined light of his valuation perspective and mine is seen as the thing to be done.

Advertising: For Good Or evil? But how fair is the business game really. On the face of it procedures and playing here are three charges leveled against advertiser:

1. They sell us dreams, entice us into confusing dreams with reality.
2. They pander to our desires for things that are bad for us.
3. They manipulate us into wanting things we don't really need

All this can be summed up in the popular sentiment that advertisers cynically use a world of fantasy and illusion in an attempt to control us. Most people who express this sentiments however, would add that the attempts doesn't succeed. We see through the ruse,(or at least it is always other people who seem to have the wool pulled over the eye never ourselves) that's a claim to take with a big pinch of salt.

In recent times advertising has become increasing regulated by codes of practices these code may be adequate to curb the worst excesses of advertising It is much harder nowadays for advertisements to get away with telling outright lies. But the still fall far short of answering these three indictments. That suggests the following question: suppose that u were an advertiser who wanted to be truly ethical and not just legal. What would you have to do? Let's look at each of the indictments.

Pandering - WE TELL A CHILD, 'you'll feel sick if u eat that second chocolate bar.' Yet advertisers are only too willing to sell us as many chocolate bars as we can eat- or whatever our particular vice may be. In today's climate, as a would be ethical advertiser there's no way you could accept a cigarette advertising account. With the current problem of binge drinking in the UK amongst young people one would have to be very careful In accepting accounts. I have yet to see a drinks advert whose message was **' Enjoy our beer but don't drunk!**'

Advertisement can set out with the laudable aim of educating people 'eat our cereal because it's low in fat and high in fiber this is a good advice. If consumer were less sensitive to such appeals to improve their health and life style then advertiser would not waste time and money making them. This illustrates the important point that advertisement can be very knowing showing an awareness of the ethical issues which marketing that particular product, while at the same time deftly deflecting criticism, we are not offend because we get the point, we smile at the irony and buy the product.

Manipulating - Suppose you are a deodorant manufacturer who has conceived the idea of an ethical advertising campaign. It goes without saying that the deodorant has got to work effectively as claimed. It should not contain chemicals which are bed for our health. This is more or less where we are now in relationship to current rules on advertising. But what does it mean for a deodorant to be effective? On a hot day, you will be more confident in the company of other people, because they will not be able to detect your body odor. Critics of deodorant advertising have pointed out, however, that although it is true that the deodorant has the power to prevent odor, and this is a ground for extra confidence, the reason why it is a ground for confidence is at least partly due to belief of attitude which

*PMB Gujarati Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

has itself been inculcated by advertising.

'Body odor' is one of the classic phrases invented by advertisers, embodying the concept that any natural human smell is, or ought to be regarded as offensive. It is hard to question a belief when it has become part of language itself. If you have B.O. that is something is bad, by definition. B.O. is unpleasant and offensive because odors are unpleasant, or only some.

So let's take our imagination scenario form here: The ethical deodorant marketing team take the brave decision to question this assumption. The design and advertising of the product will be based around the idea that there are pleasant as well as unpleasant bodily odors. The chemists are asked to come up with a product which gets rid to the unpleasant odors while not masking the pleasant ones. After extensive research and testing, the product is launched. The campaign is a great success. The concept captures the public imanation, better than anyone had dared hope. However, a new trend emerges from the on-going market research. A significant proportion to the people questioned expressed a willingness to try a product which enhances their 'naturally pleasant' bodies smell. The chemists identify a complex blend of chemicals, some of which are capable of synthesis in a laboratory. The ethical marketing teams now face a difficult dilemma.

How can it be wrong to market the chemically enhanced product, if this was what people want? The argument for not doing so is that it was the success of the first campaign that created the demand for an added 'natural bodily smell', where none had existed before. This is the very thin that the ethical advertising team had sought to avoid! Against competitors who show no such scruples, however, the ethical advertisers face a losing battle in the marketplace.

Conclusion - I raised the question whether it is possible to be an ethical adversity - in the true sense of 'ethical', and not merely in the minimalist, legal sense of respecting the rules that govern play in the business arena, such as honesty and fairness. I have argued that reflection on what ethics demands makes the hurdles impossibly high the stark truth is that manufactures and advertisers are as much controlled by the fickle consumer as in control. Rules can be set down concerning what is factually, decent and fair. It is not the advertiser's job to make people better than they are, or want better things than they want. That is the work for politicians and preachers, or, possibly, philosophers A defense of advertising against unjustified demands is bound to be less spectacular than an attack. However, don't forget the point of all this. My aim is to defend ethics against pressures that would weaken or dilute its requirements in order to fit in with a so called 'business ethics'. Ultimately, we are all members of the moral world, whatever games we choose to play, whatever other worlds we may inhabit. No one escapes ethics.

References :-

1. The Ethics of dialogue - Geoffey klempher
2. The business arena - 2004
3. Plato progress - Gilbert Ryle
4. So many various website

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Awareness of Green Marketing and its Influence on Buying Behavior of Consumers: Special Reference to Madhya Pradesh, India

Dr. Shaizal Batra* Dr. Mohammad Sajid**

Abstract - The client's mentalities are changing towards the climate to empower development for protection and the advantages from this wellspring of advancement are sure to outlast our present age. This paper explores purchaser convictions and mentality on climate insurance and their buying conduct of eco-accommodating items.

This paper additionally centers around the achievement of endeavors put by advertisers in bringing green brands mindfulness to consumers. It further audits buyer conduct and the effect of promoting correspondence to recognize how shoppers are convinced to choose greener items. It reports the aftereffects of a customer item review utilizing a poll dependent on the Dunlap and Van Liere HEP-NEP natural overview and the Roper Starch Worldwide ecological conduct study. This paper recognizes that purchasers are not presented enough to green item showcasing correspondence and recommends the more prominent utilization of advertising and brands to advance and sell items that are harmless to the ecosystem and capacity adequately. The paper proposes that the Indian market for greener items could be abused more inside shopper bunches that have favorable to natural qualities.

Keywords - Green showcasing, Customer's Belief and Trust, Consumer's mindfulness, Green Brands, HEP-NEP ecological overview.

Introduction - Green development has been extending quickly on the planet. With respect to this purchasers are assuming liability and doing the right things. Buyer mindfulness and inspiration keep on driving change in the commercial center, outstandingly through the presentation of more eco-accommodating items. Contrasted with shoppers in the created nations, the Indian purchaser has substantially less consciousness of dangerous atmospheric deviation issues. Effective advertising has consistently been tied in with perceiving patterns and situating items, administrations, and brands in a way that upholds purchaser goals. Today, "Green" showcasing has moved from a pattern to a method of working together, and organizations that sell ought to perceive (a) the benefit of practicing environmental awareness and (b) consolidating this message into their advertising project and imparting the green idea to their shoppers.

Green is gradually and consistently turning into the representative shade of eco-cognizance in India. The developing shopper mindfulness about the beginning of items and the worry over the looming worldwide natural emergency there are expanding the chances for advertisers to persuade buyers. Firms have progressively presented GPIs (Green Product Innovations) into their item improvements over ongoing many years. Studies on the utilization of naturally economical items have exhibited that apparent item execution is a huge boundary to their determination.

This paper inspected how customers' qualities/ convictions and perspectives, just as their openness to impacts and data, shape their conduct and view of item execution, with a specific spotlight on the persuasive job of advertising.

Naturally Sustainable Products - Characterizing naturally feasible items is perplexing. From a severe perspective, there is nothing of the sort as a genuinely supportable or green item, as all items we purchase, own, utilization and dispose of in our regular daily existences will have negative natural effects at some stage in their lifecycles. Be that as it may, items can be characterized by the size of these effects, and a quality edge can be drawn (Cooper, 2000). On the off chance that an item has a low ecological effect, it is viewed as a naturally practical item. Another meaning of earth manageable item, for thought in this paper, is that items ought to be promptly accessible for buy and incorporate those provided by organizations with standing for decreasing ecological effects from their assembling measures.

Literature Review

Green promoting is an inventive chance to enhance in manners that have an effect and simultaneously make business progress (Grant, 2007, p. 10). As business

*Associate Professor & Director, Vidhik Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA
** Associate Professor, Technocrats Institute of Technology - MBA, Bhopal (M.P.) INDIA

exercises caused a large number of natural issues before and still do, there is expanding acknowledgment that business is imperative during the time spent an all the more environmentally feasible society. Organizations, particularly multinationals, assume a fundamental part of the planet's economy, and they have added the assets and ability to incorporate biological arrangements (Tjärnemo, 2001, p. 29). Organizations have an obligation to drive the improvement towards more prominent maintainability and becoming greener so an organization's point is to make markets for all the more harmless to the ecosystem items and benefits and teach and impact clients to change (Hart, 1997, p. 67). Something like two intentions in organizations to change to all the more ecologically proper systems and practices are cost-saving and the market opportunity potential. Organizations can set aside cash by decreasing the measure of crude material and energy utilized underway. Turning out to be more eco-situated and offering naturally more amiable items may bring about expanded pieces of the pie just as a further developed organization picture and along these lines, organizations acquiring first-mover benefits in greening ought to turn out to be more aggressive (Tjärnemo, 2001, pp. 29-30). This first-mover advantage anyway isn't adequate any longer as more organizations arrange themselves natural and clients can look over an assortment of eco-named items.

In any case, despite reports that ecological issues comprised one of the highest public concerns, market development for green items disappointingly missed the mark regarding advertisers' assumptions (Wong et al., 1996). The emotional development in green showcasing energies toward the start of the 1990s has bit by bit died down (Peattie and Crane, 2005). Green promoting entered its second stage during the 1990s when advertisers began to encounter a backfire (Wong et al., 1996). Bit by bit, advertisers understood that customer worry for the climate and a connected longing for green items didn't convert into buying conduct (Schrum et al., 1995). Among every one of the significant preventions, the primary viewpoint adding to the reaction against green promotion was shopper negativity about green items, green cases, and the organizations' goal just as practices (Mendleson and Polonsky, 1995; Peattie and Crane, 2005; Wong et al., 1996). From the mid-1990s, buyers began to turn out to be increasingly more ecologically and socially mindful (Strong, 1996). Basic customers started to arise as another power of green commercialization during that period whereby they require social duty from companies (Gurau and Ranchhod, 2005).

Research Objectives - The market of environmental products is growing rapidly at global level. The main objectives of this paper were to investigate the-

1. Consumer beliefs and attitudes on green products.
2. Consumer awareness on the availability of environmentally friendly products.
3. The influence of marketing efforts put by marketers with reference to Consumers.

Research Methodology - In order to investigate the research objectives, both secondary and primary data have been collected and analyzed. The first stage of the research process was an extensive search of articles, reports and professional information concerning eco-consumer studies and eco- marketing strategies in general using the internet and academic databases. The analysis of secondary information provided the general context for initiating the collection, analysis and the interpretation of primary data. The study was carried out in various cities of Madhya Pradesh (India).

The primary data was collected through questionnaire contains the HEP-NEP questions (Dunlap and van Liere, 1978) to measure consumer general environmental beliefs with the possible responses of strongly agree to totally disagree.

Statistical Methods - The statistical methods used in the analysis were: Means, Coefficient of Variation - to analyze the Average level of perception of the Respondents means and standard deviations; Student's t- test - is used to explain equality of average level of perceptions; Factor analysis is used to reduce the number of variables into a few in numbers without losing the inherent qualitative information; Multiple regression method is used to explain the variation in the dependent variable, given a set of independent variables.

Sampling Design - A convenient sampling design was followed and intercept method was used for data collection. One hundred and twenty women consumers (Ottman, 1998 reports that the consumers most receptive to environmentally-oriented marketing appeals are women; as mothers, they would be motivated to secure their children's futures.), with an age ranging from 21 to 45 years, were approached with a structured questionnaire.

Data Collection and Analysis - The first part of the questionnaire contains HEP-NEP questions (Dunlap and van Liere, 1978) to measure general environmental beliefs with the possible responses of strongly agree, agree, slightly agree, disagree and strongly disagree.

Table 1 (see in last page)

Out of 11 suggestions on Consumer General Environmental Beliefs (GEB), 6 recommendations mean score is 3 or above on Likert-5 point scale (coded as 0,1,2,3 and 4) for recommendations 2,3,6,7,8 and 11 which implies the majority of the respondents are having emphatically consented to these recommendations and same is upheld by moderately less SD and lower upsides of CV. For Propositions 4, 5 and 9 respondents gave a decent mean scores going from 2.83 to 2.95 (coded as 0,1,2,3 and 4), which suggests respondents pretty much conceded to these recommendations. For suggestions 1 and 10 the greater part of the respondents gave a normal mean score and they are marginally conceding to these recommendations the equivalent is reflected in CV moreover. That implies respondents have changed assessments on these recommendations which is all around upheld by its SD.

Table 2 (see in last page)

Out of seven suggestions on Consumer Environmental Behavior Questions EBQ), every one of the recommendations aside from sixth one are in the scope of 2.75 to 2.90 (coded as 0,1,2,3 and 4), which implies every one of the respondents pretty much concurred and sixth recommendation respondents gave normal mean score yet this recommendation the assessment of respondents fluctuated a great deal as SD is unified with high C.V. The third piece of the survey covered promoting issues identified with perspectives towards green items, intended to investigate subjects recognized in the purchaser conduct and publicizing industry assessment segments.

Table 3 (see in last page)

The most environmentally concerned sector reported that they were unaware (3.08 out of 4; table-3) of green product marketing, and found it mildly engaging and also moderately relevant to their lifestyles. This result is not surprising, as it is mostly the green niche market that is being targeted by current marketing strategies. They reported that green products were not generally marketed in a way that particularly engaged them. Of the respondents, 72 per cent were unable to name a specific product, or product type, on which their opinion of product performance might be based. However, this outcome may have been influenced by the sample group chosen (women who shop at supermarkets), as those products that are regularly stocked by supermarkets would have sprung to mind. Product marketing communication Respondents agreed that they expected to be informed about new and improved product formulas and design (mean aggregate scores of 2.68 and 2.07 out of 4; table-3).

Findings :

1. Consumer's Values/Beliefs, Attitudes towards Environmentally Friendly Products: No one unequivocally dissents, where three-fourth of the respondents firmly concur that they would pick reverberation agreeable brands. Respondents responded emphatically about purchasing brands that are less harming to the climate (80%). Notwithstanding, the assumption for the client isn't away from the compelling working of green brands as that of non-green items.
2. Consumer Awareness: Majority (60%) of shoppers communicated that distinguishing naturally items on the racks of the store is somewhat troublesome. At the point when asked, most of the respondents can't name a particular item or item type which are eco-accommodating. This talks about the customer's ignorance of green brands.
3. Efforts of Marketing: Marketing assumes an essential part in bringing shopper mindfulness. As the reaction shows, buyers would be bound to pick harmless to the ecosystem marks and couldn't remember green items/brands. This talks about the hole in showcasing exertion put by the green advertisers in bringing shopper mindfulness.
4. Trust and Product Performance: The survey uncovers that green item execution was essentially influenced by ecological convictions. Further, it is communicated by as extensive as 88% of the respondents that they are probably going to believe notable items and judge green items dependent on their past experience. This backings Hong-You and Perks' (2005) contention that brand trust depends on experience, data, and fulfillment.

Conclusion - Given India's fast GDP development rate and the exceptionally bad ecological effect, interest for eco-named items may make the essential buyer strain to guarantee a cleaner climate. This examination affirms the presence of an ecological worth activity hole, a hole between buyers' convictions and practices over being green. This paper has featured different parts of purchaser conduct and shown that buyer inclination for greener merchandise could be affected by promoting. Items given more noteworthy openness will be bound to sell in more prominent numbers. Favorable to natural qualities are bound to bring about more support of ecological conduct when esteems and convictions are sufficiently explicit, the green activity lines up with shoppers' emotional advantages, and item ascribes are emphatically seen. A significant obstruction in the buying of green items is worried about whether the item will proceed true to form. Nonetheless, shoppers for the most part trust the presentation of notable brands, so green items that function admirably and don't make overinflated green cases could sell effectively under notable brands.

With the current low degrees of buyer mindfulness about an Earth-wide temperature boost, India's brands need to assist with raising shopper awareness. Indian makers still can't seem to discover a business opportunity for green items, even as buyers have a low consciousness of them in view of the deficient endeavors made by the advertisers. Yet, by accepting the green goal, and putting resources into green drives and purchaser schooling, Indian brands can break this endless loop.

In general, plainly the Indian market for greener items is under abuse by advertisers inside customer bunches with supportive of natural qualities. This finding proposes the there is a more prominent utilization of showcasing brands to sell green items that are truly harmless to the ecosystem.

References :-

1. Aseem Prakash (2002) Green Marketing, Public Policy And Managerial Strategies- http://www.greeneconomics.net/GreenMarketing.pdf)
2. Pavan Mishra* & Payal Sharma**, 25th Dec. 2010 Green Marketing In India: Emerging Opportunities And Challenges http://www.nitttrbhopal.org/journal/volume3/Pavan%20%20Mishra% 20and% 20Ms.%20Payal%20Sharma.pdf
3. Prof. Sanjit Kumar Dash, Thursday, May 27, 2010 Green Marketing: Opportunities & Challenges http://www.coolavenues.com/mba-journal/marketing/green-marketing-opportunities- challenges
4. Jacquelyn A. Ottman, Edwin R. Stafford and Cathy L. Hartman (June 2006)

5. Green Marketing Myopia http://www.greenmarketing.com/files/Stafford-MyopiaJune06.pdf
6. J. Joseph Cronin, Jr & Jeffery S. Smith & Mark R. Gleim & Edward Ramirez & Jennifer Dawn Martinez,15 September 2010 Green Marketing Strategies: An Examination of Stakeholders and the Opportunities they Present http://library.constant contact.com/download/get/file/1102608159425-99/2010+JAMS.pdf

Table 1

S.	General Environmental Beliefs	Mean	Standard Deviation (SD)	Coefficient of Variation(CV)
1.	Our population size is growing to the limit of thenumber of people the earth can bear.	2.33	0.91	39.19
2.	The equilibrium of nature is very delicate and easilygets upset.	3.17	0.69	21.88
3.	Humans have the right to modify the naturalenvironment to suit their needs.	3.20	0.82	25.60
4.	When humans interfere with nature it often hasdisastrous consequences.	2.85	0.97	34.08
5.	Mankind created to rule over the nature.	2.83	0.91	31.94
6.	Plants and animals exist primarily to be used byhumans.	3.40	0.59	17.29
7.	To maintain a healthy economy, we will have tocontrol industrial growth.	3.25	0.63	19.32
8.	Humans must live in harmony with nature in orderto survive.	3.35	0.78	23.20
9.	The earth is like a spaceship with only limited roomand resources.	2.97	0.76	25.56
10.	There are limits to which our industrialized societycan expand.	2.33	1.11	47.78
11.	Mankind is severely abusing the environment.	3.28	0.64	19.50

Table 2

S.	Environmental Behaviour Questions	Mean	Standard Deviation (SD)	Coefficient of Variation(CV)
1.	Use biodegradable products.	2.90	0.86	29.57
2.	Avoid buying aerosol products.	2.85	0.90	31.53
3.	Read labels to see if contents are environmentallysafe.	2.75	0.75	27.30
4.	Buy products made or packaged in recycledmaterials.	2.87	0.79	27.60
5.	Buy products in packages that can be refilled.	2.80	0.75	26.95
6.	Take your own bags to the supermarket.	2.45	1.00	40.76
7.	Cut down on car use.	2.88	0.83	28.62

Table 3

S.	Consumer Product Questions	Mean	Standard Deviation (SD)	Coefficient of Variation(CV)
1.	I feel good about buying brands which are less damaging to the environment.	3.15	. 0.73	23.25
2.	It is easy for me to identify these products.	3.18	0.85	26.81
3.	Green products are inferior in performance to non- green products.	2.72	0.94	34.62
4.	I have formed this opinion because people I know and trust told me so.	2.83	0.81	28.45
5.	I have formed this opinion because of my own recent experience of a product.	3.18	0.68	21.24
6.	I trust well-known brands to make products which work.	3.45	0.70	20.27
7.	In the marketing communication about a product, I expect to be informed of new improved Formulas/design.	2.68	0.89	33.26
8.	In the marketing communication about a product, I expect to be informed of how environmentally friendly a product is.	2.07	1.04	50.29

****

Heavy Metals and Their Toxic Effects on Health

Dr. Shobha Gupta *

Abstract - Some heavy metals have bio-importance as trace elements but the biotoxic effects of many of them in human biochemistry are of great concern.Heavy metal toxicity has proven to be a major threat and there are several health risks associated with it. The toxic effects of these metals, even though they do not have any biological role, remain present in some or the other form harmful for the human body and its proper functioning. They sometimes act as a pseudo element of the body while at certain times they may even interfere with metabolic processes. Few metals can be removed through elimination activities, while some metals get accumulated in the body and food chain, exhibiting a chronic nature. Various public health measures have been undertaken to control, prevent and treat metal toxicity occurring at various levels, such as occupational exposure, accidents and environmental factors. Metal toxicity depends upon the absorbed dose, the route of exposure and duration of exposure, i.e. acute or chronic. This can lead to various disorders and can also result in excessive damage due to oxidative stress induced by free radical formation. This paper gives details about some heavy metals and their toxicity along with their health effects.
Keywords- heavy metals, human health, metal toxicity, oxidative stress, free radicals.

Introduction - Metallic elements are intrinsic components of the environment. Their presence is considered unique in the sense that it is difficult to remove them completely from the environment once they enter in it. Metal constitute an important class of toxic substance which are encountered in numerous occupational and environmental circumstances. The impact of these toxic agents on human health is currently an area of intense interest due to the ubiquity of exposure. With the increasing use of a wide verity of metals in industry and in our daily life, problems arising from toxic metal pollution of the environment have assumed serious dimensions.

Heavy metals are generally referred to as those metals which possess a specific density of more than 5 g/cm^3 and adversely affect the environment and living organisms (1). These metals are essential to maintain various biochemical and physiological functions in living organisms when in very low concentrations, however they become toxic when they exceed certain threshold concentrations. Although it is acknowledged that heavy metals have many adverse health effects and last for a long period of time, heavy metal exposure continues and is increasing in ecological, evolutionary, nutritional and environmental reasons (2,3). The most commonly found heavy metals in waste water include arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel, and zinc, all of which cause risks for human health and the environment (4). Heavy metals enter the surroundings by natural means and through human activities. Various sources of heavy metals include soil erosion, natural weathering of the earth's crust, mining, industrial effluents, urban runoff, sewage discharge, insect or disease control agents applied to crops, and many others (5). Heavy metals are significant environmental pollutants and their toxicity is a problem of increasing significance for ecological, evolutionary, nutritional and environmental reasons (2,3).

Although these metals have crucial biological functions in plants and animals, sometimes their chemical coordination and oxidation-reduction properties have given them an additional benefit so that they can escape control mechanisms such as homeostasis, transport, compartmentalization and binding to required cell constituents. These metals bind with protein sites which are not made for them by displacing original metals from their natural binding sites causing malfunctioning of cells and ultimately toxicity. Previous research has found that oxidative deterioration of biological macromolecules is primarily due to binding of heavy metals to the DNA and nuclear proteins.

Metal containing industrial effluents constitute a major source of metallic pollution of hydrosphere. The chief toxic metals in industrial effluents are shown in table-1

Table 1: Toxic Metal in Industrial Effluents

Metal	Manufacturing Industries
Arsenic	Phosphate and Fertilizer, Metal Hardening, Paints And Textile
Cadmium	Phosphate Fertilizer, Electronics, Pigments and Paints
Chromium	Metal Plating , Tanning, Rubber And Photography
Copper	Plating, Rayon And Electrical
Lead	Paints, Battery
Nickel	Electroplating , Iron Steel
Zinc	Galvanizing, Plating Iron And Steel
Mercury	Scientific Instruments and Chemicals

*Associate Professor (Chemistry) D.A.K. College, Moradabad (U.P.) INDIA

Toxic Effects Of Heavy Metals - In general the toxicity of metal ions to human health is due to chemical reactivity of the ions with cellular structural proteins, enzymes and membrane system. The target organs of specific metal toxicities are usually those organs that accumulate the highest concentrations of the metal . This is often dependent on the route of exposure and the chemical compound of the metal i.e. its valiancy state, volatility, lipid solubility etc. The target organs and clinical manifestations of chronic exposures to the metal are given in table 2. Besides the general toxicities of metals, we are today also concerned with the potential carcinogenicity of metal compounds. Certain metals such as chromium and nickel have been linked with cancers in exposed human populations. Metals have been shown to causes acute as well as chronic poisoning in man and other experimental animals. Harmful effects of individual metals are presented briefly below

Table 2 (See in last page)

Arsenic - Arsenic, has a semimetallic property, is prominently toxic and carcinogenic, and is extensively available in the form of oxides or sulfides or as a salt of iron, sodium, calcium, copper, *etc.* (6). Arsenic is the twentieth most abundant element on earth and its inorganic forms such as arsenite and arsenate compounds are lethal to the environment and living creatures.

Arsenic contaminations have occurred as a result of both natural geologic processes and the activities of man. Anthropogenic sources of arsenic include human activities such as mining and processing of ores. The smelting process, both the ancient and a recent one, can release arsenic to the air and soil . Such types of sources can affect the quality of surface water through groundwater ejection and runoff. Another way of ground water contamination is through geologic sources such as arsenic minerals. The third type of sources are sedimentary and meta-sedimentary bed rocks (7). Most of the paints, dyes, soaps, metals, semi-conductors and drugs contain arsenic. Certain pesticides, fertilizers and animal feeding operations also release arsenic to the environment in higher amounts. The inorganic forms of arsenic such as arsenite and arsenate are found to be more dangerous to human health. They are highly carcinogenic and can cause cancer of lungs, liver, bladder and skin. Humans are exposed to arsenic by means of air, food and water. Drinking water contaminated with arsenic is one of the major causes for arsenic toxicity in more than 30 countries in the world (8). If the arsenic level in ground water is 10–100 times the value given in the WHO guideline for drinking water (10 ìg/L), it can be a threat to human health. Water may get contaminated through improperly disposed arsenical chemicals, arsenical pesticides or by natural mineral deposits. Arsenic toxicity can be either acute or chronic and chronic arsenic toxicity is termed as arsenicosis. Most of the reports of chronic arsenic toxicity in man focus on skin manifestations because of its specificity in diagnosis. Pigmentation and keratosis are the specific skin lesions that indicate chronic arsenic toxicity (9). Figure shows arsenic keratosis, so called “raindrops on a dusty road

Lower levels of arsenic exposure can cause nausea and vomiting, reduced production of erythrocytes and leukocytes, abnormal heart beat, pricking sensation in hands and legs, and damage to blood vessels. Long-term exposure can lead to the formation of skin lesions, internal cancers, neurological problems, pulmonary disease, peripheral vascular disease, hypertension and cardiovascular disease and diabetes mellitus. Chronic arsenicosis results in many irreversible changes in the vital organs and the mortality rate is higher. In spite of the magnitude of this potentially lethal toxicity, there is no effective treatment for this disease (10).

Cadmium - Cadmium is the seventh most toxic heavy metal as per ATSDR ranking. It is a by-product of zinc production which humans or animals may get exposed to at work or in the environment. Once this metal gets absorbed by humans, it will accumulate inside the body throughout life. Soils and rocks, including coal and mineral fertilizers, contain some amount of cadmium. Cadmium has many applications, *e.g.* in batteries, pigments, plastics and metal coatings and is widely used in electroplating (9). Cadmium and its compounds are classified as Group 1 carcinogens for humans by the International Agency for Research on Cancer (11). Cadmium is released into the environment through natural activities such as volcanic eruptions, weathering, river transport and some human activities such as mining, smelting, tobacco smoking, incineration of municipal waste, and manufacture of fertilizers. Although cadmium emissions have been noticeably reduced in most industrialized countries, it is a remaining source of fear for workers and people living in the polluted areas. Cadmium can cause both acute and chronic intoxications (12). Cadmium is highly toxic to the kidney and it accumulates in the proximal tubular cells in higher concentrations. Cadmium can cause bone mineralization either through bone damage or by renal dysfunction. Studies on humans and animals have revealed that osteoporosis (skeletal damage) is a critical effect of cadmium exposure along with disturbances in calcium metabolism, formation of renal stones and hypercalciuria. Inhaling higher levels of cadmium can cause severe damage to the lungs. If cadmium is ingested in higher amounts, it can lead to stomach irritation and result in

vomiting and diarrhea. On very long exposure time at lower concentrations, it can become deposited in the kidney and finally lead to kidney disease, fragile bones and lung damage (13). Cadmium and its compounds are highly water soluble compared to other metals. Their bioavailability is very high and hence it tends to bioaccumulate. Long-term exposure to cadmium can result in morphopathological changes in the kidneys. Smokers are more susceptible for cadmium intoxication than non-smokers. Tobacco is the main source of cadmium uptake in smokers as tobacco plants, like other plants, can accumulate cadmium from the soil. Non-smokers are exposed to cadmium via food and some other pathways. Yet cadmium uptake through other pathways is much lower (14). Cadmium interacts with essential nutrients through which it causes its toxicity effects. Experimental analysis in animals has shown that 50% of cadmium gets absorbed in the lungs and less in the gastrointestinal tract. Premature birth and reduced birth weights are the issues that arise if cadmium exposure is high during pregnancy (15).

Mercury - Mercury is considered the most toxic heavy metal in the environment. Mercury poisoning is referred to as acrodynia or pink disease. Mercury is released into the environment by the activities of various industries such as pharmaceuticals, paper and pulp preservatives, agriculture industry, and chlorine and caustic soda production industry . Mercury has the ability to combine with other elements and form organic and inorganic mercury. Exposure to elevated levels of metallic, organic and inorganic mercury can damage the brain, kidneys and the developing fetus (16). Mercury is present in most foods and beverages in the range <1 to 50 ìg/kg. In marine foods it is often seen at higher levels. Organic mercury can easily permeate across the biomembranes and since they are lipophilic in nature, mercury is present in higher concentrations in most species of fatty fish and in the liver of lean fish (17). Micro-organisms convert the mercury present in soil and water into methyl mercury, a toxin which can accumulate with fish age and with increasing trophic levels. EPA has declared mercuric chloride and methyl mercury to be highly carcinogenic. The nervous system is very sensitive to all types of mercury. Increased exposure of mercury can alter brain functions and lead to shyness, tremors, memory problems, irritability, and changes in vision or hearing. Exposure to metallic mercury vapors at higher levels for shorter periods of time can lead to lung damage, vomiting, diarrhea, nausea, skin rashes, increased heart rate or blood pressure. Symptoms of organic mercury poisoning include depression, memory problems, tremors, fatigue, headache, hair loss, *etc.* Since these symptoms are common also in other conditions, it may be difficult to diagnose such cases (9). Due to the excess health effects associated with exposure to mercury, the present standard for drinking water has been set at lower levels of 0.002 mg/L and 0.001 mg/L by the Environmental Protection Act and World Health Organization (18).

Chromium - Chromium is present in rocks, soil, animals and plants. It can be solid, liquid, and in the form of gas. Chromium compounds are very much persistent in water sediments. They can occur in many different states such as divalent, four-valent, five-valent and hexavalent state. Cr(VI) and Cr(III) are the most stable forms and only their relation to human exposure is of high interest (19). Chromium(VI) compounds, such as calcium chromate, zinc chromates, strontium chromate and lead chromates, are highly toxic and carcinogenic in nature. Chromium (III), on the other hand, is an essential nutritional supplement for animals and humans and has an important role in glucose metabolism. The uptake of hexavalent chromium compounds through the airways and digestive tract is faster than that of trivalent chromium compounds. Occupational sources of chromium include protective metal coatings, metal alloys, magnetic tapes, paint pigments, rubber, cement, paper, wood preservatives, leather tanning and metal plating (9). Schroeder *et al.* (20) reported that cigarettes contained 390 g/kg of Cr, but there has been no significant report published on the amount of chromium inhaled through smoking. When broken skin comes in contact with any type of chromium compounds, a deeply penetrating hole will be formed. Exposure to chromium compounds can result in the formation of ulcers, which will persist for months and heal very slowly. Ulcers on the nasal septum are very common in case of chromate workers. Exposure to higher amounts of chromium compounds in humans can lead to the inhibition of erythrocyte glutathione reductase, which in turn lowers the capacity to reduce methemoglobin to hemoglobin (21). Results obtained from different *in vitro* and *in vivo* experiments have shown that chromate compounds can induce DNA damage in many different ways and can lead to the formation of DNA adducts, chromosomal aberrations, sister chromatid exchanges, alterations in replication and transcription of DNA (22).

Lead - Human activities such as mining, manufacturing and fossil fuel burning has resulted in the accumulation of lead and its compounds in the environment, including air, water and soil. Lead is used for the production of batteries, cosmetics, metal products such as ammunitions, solder and pipes, *etc.* (9). Lead is highly toxic and hence its use in various products, such as paints, gasoline, *etc.*, has been considerably reduced nowadays. The main sources of lead exposure are lead based paints, gasoline, cosmetics, toys, household dust, contaminated soil, industrial emissions (23). Lead poisoning was considered to be a classic disease and the signs that were seen in children and adults were mainly pertaining to the central nervous system and the gastrointestinal tract. Lead poisoning can also occur from drinking water. The pipes that carry the water may be made of lead and its compounds which can contaminate the water (24). According to the Environmental Protection Agency (EPA), lead is considered a carcinogen. Lead has major effects on different parts of the body. Lead distribution in the body initially depends on the blood flow into various

tissues and almost 95% of lead is deposited in the form of insoluble phosphate in skeletal bones (25). Toxicity of lead, also called lead poisoning, can be either acute or chronic. Acute exposure can cause loss of appetite, headache, hypertension, abdominal pain, renal dysfunction, fatigue, sleeplessness, arthritis, hallucinations and vertigo. Acute exposure mainly occurs in the place of work and in some manufacturing industries which make use of lead. Chronic exposure of lead can result in mental retardation, birth defects, psychosis, autism, allergies, dyslexia, weight loss, hyperactivity, paralysis, muscular weakness, brain damage, kidney damage and may even cause death (9). Although lead poisoning is preventable it still remains a dangerous disease which can affect most of the organs.

Conclusion - This paper through light on the effects of some heavy metals, *i.e.* arsenic, lead, mercury, cadmium, chromium on the environment and living organisms, mainly human beings. Effective legislation, guidelines and detection of the areas where there are higher levels of heavy metals are necessary. Failure to control the exposure will result in severe complications in the future because of the adverse effects imposed by heavy metals. Occupational exposure to heavy metals can be decreased by engineering solutions. Monitoring the exposure and probable intervention for reducing additional exposure to heavy metals in the environment and in humans can become a momentous step towards prevention. National as well as international co-operation is vital for framing appropriate tactics to prevent heavy metal toxicity.

References:-

1. Järup L. Hazards of heavy metal contamination. *Br Med Bull.* 2003;68(1):167–182.
2. Jaishankar M, Mathew BB, Shah MS, Gowda KRS. Biosorption of Few Heavy Metal Ions Using Agricultural Wastes. *Journal of Environment Pollution and Human Health.* 2014;2(1):1–6.
3. Nagajyoti PC, Lee KD, Sreekanth TVM. Heavy metals, occurrence and toxicity for plants: a review. *Environ Chem Lett.* 2010;8(3):199–216.
4. Lambert M, Leven BA, Green RM. New methods of cleaning up heavy metal in soils and water; Environmental science and technology briefs for citizens; Manhattan, KS: Kansas State University; 2000.
5. Morais S, Costa FG, Pereira ML. Heavy metals and human health. In: Oosthuizen J, editor. *Environmental health – emerging issues and practice.* 2012. pp. 227–246.
6. Singh N, Kumar D, Sahu A. Arsenic in the environment: effects on human health and possible prevention. *J Environ Biol.* 2007;28(2 Suppl):359–365.
7. Smedley PL, Kinniburgh DG. A review of the source, behavior and distribution of arsenic in natural waters. *Appl Geochem.* 2002;17:517–568.
8. Chowdhury UK, Biswas BK, Chowdhury TR, Samanta G, Mandal BK, Basu GC, Chakraborti D. Groundwater arsenic contamination in Bangladesh and West Bengal, India. *Environ Health Perspect.* 2000;108(5):393–397
9. Martin S, Griswold W. Human health effects of heavy metals. *Environmental Science and Technology Briefs for Citizens.* 2009;(15):1–6.
10. Mazumder G. Chronic arsenic toxicity & human health. *Indian J Med Res.* 2008;128(4):436–447.
11. Henson MC, Chedrese PJ. Endocrine disruption by cadmium, a common environmental toxicant with paradoxical effects on reproduction. *Exp Biol Med (Maywood)* 2004;229(5):383–392.
12. Chakraborty S, Dutta AR, Sural S, Gupta D, Sen S. Ailing bones and failing kidneys: a case of chronic cadmium toxicity. *Ann Clin Biochem.* 2013;50(5):492–495.
13. Bernard A. Cadmium & its adverse effects on human health. *Indian J Med Res.* 2008;128(4):557–64.
14. Mudgal V, Madaan N, Mudgal A, Singh RB, Mishra S. Effect of toxic metals on human health. *Open Nutraceuticals J.* 2010;3:94–99.
15. Henson MC, Chedrese PJ. Endocrine disruption by cadmium, a common environmental toxicant with paradoxical effects on reproduction. *Exp Biol Med (Maywood)* 2004;229(5):383–392..
16. Alina M, Azrina A, Mohd Yunus AS, Mohd Zakiuddin S, Mohd Izuan Effendi H, Muhammad Rizal R. Heavy metals (mercury, arsenic, cadmium, plumbum) in selected marine fish and shellfish along the Straits of Malacca. *Int Food Res J.* 2012;19(1):135–140.
17. Reilly C. Pollutants in Food – Metals and Metalloids. In: Szefer P, Nriagu JO, editors. *Mineral Components in Foods.* Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group; 2007. pp. 363–388.
18. WHO. Guidelines for drinking-water quality. Sixty-first meeting; 10–19 June 2003; Rome. 2004. Joint FAO/ WHO Expert Committee on Food Additives,
19. Zhitkovich A. Importance of chromium-DNA adducts in mutagenicity and toxicity of chromium (VI) *Chem Res Toxicol.* 2005;18(1):3–11.
20. Schroeder HA, Nason AP, Tipton IH. Chromium deficiency as a factor in atherosclerosis. *J Chron Dis.* 1970;23(2):123–142.
21. Schlatter C, Kissling U. Acute fatal bichromate poisoning. *Beitrage zur Gerichtlichen Medizin.* 1973;30:382–388.
22. Matsumoto ST, Mantovani MS, Malaguttii MIA, Dias AL, Fonseca IC, Marin-Morales MA. Genotoxicity and mutagenicity of water contaminated with tannery effluents, as evaluated by the micronucleus test and comet assay using the fish Oreochromis niloticus and chromosome aberrations in onion root-tips. *Genet Mol Biol.* 2006;29(1):148–158.
23. Gerhardsson L, Dahlin L, Knebel R, Schütz A. Blood lead concentration after a shotgun accident. *Environ Health Perspect.* 2002;110(1):115–117.

24. Brochin R, Leone S, Phillips D, Shepard N, Zisa D, Angerio A. The cellular effect of lead poisoning and its clinical picture. *GUJHS.* 2008;5(2):1–8.

25. Papanikolaou NC, Hatzidaki EG, Belivanis S, Tzanakakis GN, Tsatsakis AM. Lead toxicity update. A brief review. *Med Sci Monitor.* 2005;11(10):RA329.

Table 2: Clinical Aspects of Chronic Toxicities

Metal	**Target Organs**	**Primary Sources**	**Clinical effects**
Arsenic	Pulmonary Nervous System, Skin	Industrial Dusts, Medicinal Uses Of Polluted Water	Perforation of Nasal Septum, Respiratory Cancer, Peripheral Neuropathy: Dermatomes, Skin, Cancer
Cadmium	Renal, Skeletal Pulmonary	Industrial Dust And Fumes And Polluted Water & Food	Proteinuria, Glucosuria, Osteomalacia, Aminoaciduria, Emphysemia
Chromium	Pulmonary	Industrial Dust And Fumes And Polluted Food	Ulcer, Perforation of Nasal Septum, Respiratory Cancer
Manganese	Nervous System	Industrial Dust And Fumes	Central And Peripheral Neuropathies
Lead	Nervous System, Hematopoietic System, Renal	Industrial Dust And Fumes And Polluted Food	Encephalopathy, Peripheral Neuropathy, Central Nervous Disorders, Anemia
Nickel	Pulmonary, Skin	Industrial Dust, Aerosols	Cancer, Dramatis
Tin	Nervous, Pulmonary System	Medicinal Uses, Industrial Dusts	Central Nervous System Disorders, Visual Defects And EEG Changes, Pneumoconiosis.
Mercury	Nervous System, Renal	Industrial Dust And Fumes And Polluted Water And Food Proteinuria	Proteinuria

****

वेदाङ्ग शिक्षा का कालान्तर में महत्त्व

डॉ. उषा नागर *

शोध सारांश – वेदाङ्ग शिक्षा में भी वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में स्वराङ्कन पद्धति को गुरूमुख से सीखना पड़ता है। यह व्यवस्था तो वर्तमान युग तक यथावत् प्रचलित है, अन्तर इतना ही है कि इस युग में वेदाध्ययन अनिवार्य नहीं है, जबकी प्राचीन काल में यह शिक्षा प्रत्येक के लिए अनिवार्य थी। यहाँ 'परवर्ती' शब्द से अभिप्रेत है–वैदिककालीन शिक्षा के उपरान्त की शिक्षा, व्यवस्था। वैदिककालीन शिक्षा भी दो रूपों में विभक्त हो गई थी, जो 'वेदाङ्ग शिक्षा' तथा 'अध्यात्म शिक्षा' या 'उपनिषद्कालीन शिक्षा' कहलायी। वैदिक वाङ्मय में संहिता भाग, आरण्यक ग्रन्थ एवं उपनिषदों का समावेश किया जाता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार की शिक्षाओं में गुरु–शिष्य सम्बन्ध परमावश्यक माना गया है, क्योंकि गुरु–सम्पर्क के बिना अज्ञान रूपी अंधकार का नाश नहीं हो पाता और संशयों का उच्छेदन भी नहीं हो पाता। 'वेदाङ्ग शिक्षा' में भी वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में स्वराङ्कन पद्धति को गुरुमुख से सीखना पड़ता है। यह व्यवस्था तो वर्तमान युग तक यथावत् प्रचलित है। अन्तर इतना ही है कि इस युग में वेदाध्ययन अनिवार्य नहीं है, जबकि प्राचीन काल में यह शिक्षा प्रत्येक के लिए अनिवार्य थी।

शब्द कुंजी – वैदिक कालीन शिक्षा, उपनिषद, वैदिक मन्त्र, वैदिक युग, वैदिक मंगलाचरण, धर्मशास्त्र।

उद्देश्य :

1. वेदाङ्गों का सांस्कृति एवं साहित्यक महत्व प्रतिपादन करना।
2. वेदाङ्ग शिक्षा का वर्तमान शिक्षा पर प्रभाव का प्रतिपादन करना।

वेदाङ्ग शिक्षा का परवर्ती युग में उपयोग – जैसा कि सर्वविदित है, वैदिक युग के उपरान्त भी वेदों का अध्ययन निरन्तर चलता रहा, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद व वैदिक वाङ्मय ही रहा है।

अन्यान्य विषयों के संयोजन के उपरान्त भी वेदों का अध्ययन आवश्यक रूप से होता रहा। अध्ययन की प्रधानता व गौणता युगानुरूप चलती रही। प्राचीन शिक्षा केन्द्रों में सभी विषयों के अध्ययन के प्रारम्भ करने से पूर्व वैदिक मंगलाचरण आवश्यक माना गया था। इसके परिणामस्वरूप वेदाध्ययन निरन्तर चलता रहा। ऐसे भी विश्व में भारत ही ऐसा सांस्कृतिक देश रहा है, जहाँ संस्कारों का प्रावधान रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तथा मृत्यु के उपरान्त भी अनेक कार्य ऐसे रहे हैं, जिनमें वैदिक मन्त्रों का पर्याप्त प्रयोग होता रहा है। भारतीय पौरोहित्य कर्म (कर्मकाण्ड) श्रौत यज्ञ एवं स्मार्त यज्ञों में भी अनेक विधियाँ वेद मन्त्रों पर ही आधारित रही है। अत: कभी प्रधानता से तथा कभी गौणता से वेदाध्ययन वर्तमान काल तक प्रचलित रहा है। यह अवश्य चिन्तनीय है कि वह अध्ययन भी अब अत्यन्त संक्षिप्त हो गया है, परन्तु लुप्त नहीं हुआ है।

रामायण एवं महाभारत कालीन शिक्षा–व्यवस्था – वैदिक युग के उपरान्त सांस्कृतिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में जो–जो प्रयोग एवं परिवर्तन हुए, वे वाल्मीकि रचित 'रामायण' एवं वेदव्यास रचित 'महाभारत' में विद्यमान हैं। ये दोनों प्रबन्ध काव्य भारतीय संस्कृति के उज्वल पक्ष को उपस्थित करने में पूर्ण सक्षम हैं। महाभारत को तो 'पंचम वेद' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है 'भारत: पञ्चमो वेद:'।

महर्षि वाल्मीकि के मुख से क्रौञ्च पक्षी पर किये गये व्याध (निषाद) के आक्रमण के फलस्वरूप जो करुणामय शब्द निकले, वे ही 'रामकथा' के बीज माने जाते हैं। युगों से भारतीय मनीषा रामायण को आदर्श काव्य मानती रही है। यह भारतीय साहित्यकारों का भी प्रेरणा स्रोत रहा है। संस्कृत भाषा से अपरिचित लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' की रचना कर रामकथा के आदर्श स्वरूप को सुरक्षित रखा। रामायण का वर्तमान रूप, जिसमें प्रक्षिप्त अंश भी सम्मिलित हैं, 600 ई.पूर्व से 200 ई. तक रचा गया माना जाता है। इसमें राजनीति, नीतिशास्त्र तथा शिक्षा नीति का विस्तार से वर्णन है। शिक्षा एवं संस्कृति के प्रसार की दृष्टि से रामायण काल भारतीय जीवन का उत्कर्ष काल रहा है। उस समय उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसका उद्देश्य न केवल व्यक्ति का बौद्धिक विकास करना था, अपितु इसके साथ नैतिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन भी रहा है। उस समय शिक्षा को सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के प्रभावी माध्यम के रूप में माना जाता था। उस समय आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, इसका उल्लेख राम की दक्षिण यात्रा के समय भी हुआ है तथा विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि आचार्यो के आश्रम भी शिक्षण के महत्त्व केन्द्र थे। वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के अनेक उद्धरणों से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर अच्छा विवेचन किया जा सकता है। एक पद्य देखिये–

नास्तिको नानृतीवापि न कश्चिद् बहुश्रुत:।
नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान् विद्यते क्वचित्।।

(वा.रा., बालकाण्ड अध्याय 6/14)

अर्थात् अयोध्याधिपति दशरथ के राज्य में ऐसा कोई भी नहीं था, जो नास्तिक अर्थात वेद–निन्दक (नास्तिको वेदनिन्दक:) हो, असत्य बोलने वाला हो, नाना शास्त्रों से अनभिज्ञ हो तथा विद्वान न हो। वस्तुत: यह शैक्षिक व बौद्धिक सुव्यवस्था का ही सुपरिणाम था। उस समय आचार्य गृह या गुरुकुल विद्या के केन्द्र थे। ध्येयवादी गुरु के संरक्षण में विद्यार्थियों का अपेक्षित विकास होता था। गुरु ही छात्रों के लिए दीप–स्तम्भ माना जाता था। उस समय के गुरु–छात्र सान्निध्य को पर्याप्त महत्त्व प्राप्त था। शिक्ष्यों का

* सह आचार्य (संस्कृत) बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राज.) भारत

चयन भी उनकी पात्रता के अनुरूप होता था। गुरु या आचार्य का समाज में सम्मानीय स्थान था। डॉ. अ.स. अल्तेकर की रचना 'एजूकेशन इन एनशियेन्ट इण्डिया' इस दृष्टि से महत्त्वपर्ण ग्रन्थ हैं, जिसमें उन्होंने प्राचीनकालीन शिक्षा का वास्तविक मूल्यांकन किया है।

वर्ण-व्यवस्था सुदृढ़ होने से ब्रह्मचर्याश्रम का महत्त्व था तथा विद्यार्थियों के लिए 'आचार संहिता' निर्धारित थी। नियमित शिक्षण शुल्क का निषेध था। दान से शिक्षण संस्थाओं (आश्रमों) की व्यवस्था चलती थी। रामायण में जिन आश्रमों का उल्लेख आता है, उनमें विश्वामित्र का आश्रम, वशिष्ठ का आश्रम, भारद्धाज का आश्रम, अत्रि तथा शरभंग मुनि का आश्रम तथा वाल्मीकि के स्वयं के आश्रम का उल्लेख है, जहाँ लव-कुश की शिक्षा हुई थी। व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण के नगरीय शिक्षा केन्द्र भी थे, जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है। सुयज्ञ को बुलाकर श्रीराम द्वारा सम्मानित करना, कौशल राजकुमारों के शिक्षक उपाध्याय सुधन्वा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सुधन्वा धनुष बाण आदि प्रक्षेपास्त्रों के विशेषज्ञ थे, साथ ही वे सुविख्यात अर्थशास्त्री भी थे। रामायणकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम सर्वतोमुखी विकास को ध्यान में रखकर चार भागों में विभक्त किया गया था-(1) शारीरिक शिक्षाए (2) बौद्धिक शिक्षाए (3) व्यावहारिक शिक्षा तथा (4) नैतिक शिक्षा। इनके अतिरिक्त अनेक विद्याओं की शिक्षा का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें बला तथा अतिबला विद्या, स्वच्छन्द बलगामिनी विद्या, कामरूप धारिणी विद्या, त्रिकालज्ञता विद्या, सर्वभूतरुत विद्या, भूत.विनाशिनी विद्या, आणिमा विद्या, चक्षुष्मती विद्या का उल्लेख मिलता है। रामायण काल में स्त्री शिक्षा का भी पर्याप्त उन्नयन था। सीता को नारी शिक्षा का प्रतिमान माना जाता है।

संक्षेप में रामायण कालीन शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य को इस प्रकार उपस्थित किया जा सकता है-(1) शारीरिक बल का अर्जन, (2) सर्वतोमुखी विकास, (3) व्यावहारिक योग्यता का विकास, (4) छात्रों को कर्तृत्ववान् बनाना, (5) सुयोग्य नागरिकों का निर्माण, (6) छात्रों में विनयशीलता का विकास, (7) बौद्धिक निर्भयता उत्पन्न करना, (8) नैतिक अनुशासन का विकास करना, (7) आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण, (10) सामाजिक संवेदनशीलता का विकास इत्यादि।

रामायण के बाद महाभारत कालीन शिक्षा पर चर्चा करने की भी नितान्त आवश्यकता है।

रामायण के उपरान्त महर्षि कृष्ण द्धैपायन व्यास की रचना 'महाभारत' भी भारतीय संस्कृति का संरक्षक आधारभूत ग्रन्थ है। महाभारत का उपलब्ध वर्तमान स्वरूप कई शताब्दियों के विकास का प्रतिफल है। इसका प्राचीनतम उल्लेख आश्वलायन गृह्यसूत्र में मिलता है, जिसे रामायण की भाँति महाभारत ने भी सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के प्रभावी माध्यम के रूप में शिक्षा की परिकल्पना की है। महाभारतकार की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विकास तक ही सीमित नहीं था। व्यक्तित्व का विकास शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि पर तो अवलम्बित था ही, साथ ही सांस्कृतिक चेतना से संपृक्त होकर राष्ट्रीय एकता की अनुभूति भी करा सके तो अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा था। यह शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य भी था कि व्यक्ति की सांस्कृतिक चेतना जाग्रत हो तथा वह राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित हो सके।

'शिक्षा' की दृष्टि से महाभारत का मूल्यांकन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें नीतिपरक चिन्तन पर विशेष बल दिया गया है। इसके आरण्यक, शांति एवं अनुशासन पर्व शिक्षा के विविध पक्षों एवं आयामों पर गहन चिन्तन प्रस्तुत करते हैं। आज के सन्दर्भ में उनकी महती उपादेयता है। आज की शिक्षा इतनी दूषित हो चुकी है कि उसके शुद्धीकरण की नितान्त आवश्यकता है। राजनीति प्रधान शिक्षा समाज एवं राष्ट्र के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती। महाभारत कालीन शिक्षा का भी मुख्य केन्द्र आचार्य होते थे, जो महान् शिक्षाविद् एवं चरित्रवान् होते थे। उनका नैतिक बल ही उन्हें आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करता था। उनके द्धारा संस्थापित दूरन्दराज नगरीय कोलाहल व दूषित वातावरण से पृथक् आश्रम ही शिक्षा के केन्द्र होते थे। निष्ठ्वान् व योग्य छात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु के अन्तेवासी के रूप में वहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। महर्षि शौनक तत्कालीन 'कुलपति' के रूप में प्रसिद्ध थे, जो नैमिषारण्य में निवास करते थे। उस समय कुलपति की परिभाषा निश्चित थी -

मुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नदानादि.पोषणात्।
अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कुलपतिः स्मृतः।।

अर्थात् कुलपति वह कहलाता था, जो दस हजार मुनियों (विद्यार्थियों) को अन्नदानादि व्यवस्था के साथ अध्यापन कराता था। महाभारत में ऐसे अनेक शिक्षा केन्द्रों का उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी महर्षि कण्व को कुलपति पद से सम्बोधित किया है, जिनका आश्रम उत्तराखण्ड में मालिनी नदी के किनारे अवस्थित था।

महाभारत काल में 'धर्म' को नियामक तत्तव माना गया था। समाज में उसकी सर्वोपरिता स्वीकृत थी। 'धर्मो विश्वस्य जगतरू प्रतिष्ठा' का उद्घोष तत्कालीन ही था। शिक्षा का पाठ्यक्रम भी रामायण काल के अनुवर्ती रूप में भारतीय संस्कृति का प्रसारक, नैतिक मूल्यों पर आधारित एवं आदर्शोन्मुख था। उसके निर्धारण का अधिकार कुलपति/आचार्य को ही था। उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं था। तत्कालीन विद्वानों को, स्नातकों तथा आचार्यो को प्रचुर मात्रा में धनादि दान देकर राजा लोक कल्याण के लिए शिक्षा प्रसार हेतु प्रेरित करत थे। 'प्रजाक्षेम' का यही अर्थ था कि राजा प्रजा के शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु प्रयत्नशील रहे। शिक्षण संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। राज्य का भूमिका केवल अनुदान तक ही सीमित थी। वर्ण व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जाता था। सवर्ण विवाह से उत्पन्न सन्ताने 'वर्ण' तथा असवर्ण विवाह से उत्पन्न सन्तान 'जाति' के रूप में परिगणित थीं। वर्ण का सम्बन्ध आश्रम धर्मो से भी था। रामायण काल के समान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना इस युग में भी प्रचलित था। प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था, जिसकी पालना न करने पर वह दण्डित भी होता था।

ब्रह्मचारी विद्यार्थी के लिए चार अवस्थाएँ नियत थीं। अभिमान पर, क्रोध पर नियन्त्रण रखते हुए वेदों के अध्ययन एवं 'गुरु शुश्रूषा' ब्रह्मचर्य की प्रथमावस्था थी। गुरु के प्रत्येक आदेश को मानते हुए उनके प्रिय कर्मों को पूर्ण करना तथा गुरु के साथ गुरु पत्नी एवं गुरुपुत्रों की सेवा करना द्धितीया अवस्था थी। गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना और उनके अनुग्रह को कदापि विस्मरण न करना ब्रह्मचर्य की तृतीयावस्था कही गई है। इसी प्रकार अध्ययन समाप्त कर श्रद्धा एवं विनय के साथ गुरु को दक्षिणा समर्पित कर समावर्तन कराना चतुर्थ अवस्था कही गई है (शांति पर्व अध्याय 44, श्लोक 2-15)। महर्षि मनु ने उसी का अनुकरण करते हुए अपनी स्मृति (3/1-2) में लिखा है-

षद् त्रिंशदाब्दिकं चर्य गुरोः त्रैवेदिकं व्रतम्।
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा।।
गुरवे तु वरं दत्त्वा स्नायीत तदनुज्ञया।।

विद्या हि सा ब्रह्मचर्येण लभ्या, 'ब्रह्मचर्येण वै लोकान् जयन्ते परमर्षयरू' आदि महाभारत के ही उद्धरण हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का उस समय विशेष महत्त्व रहा है। वर्णभेद रहित शिक्षा के उदाहरण को समीक्षक महात्मा विदुर के ज्ञान से जोड़ते हैं। गुरु की आज्ञा के बिना शिक्षा प्राप्त करना नियमों की अवहेलना माना जाता था, जिसका उदाहरण 'एकलव्य' था। विद्वान् शूद्र का सम्मान करना राजा का दायित्व माना गया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी अपने राजसूय यज्ञ में शूद्र राजाओं का ससम्मान आवाहन किया था।

अध्ययन के विषयों में वेदाध्ययन तो प्रमुख था ही, तदतिरिक्त तर्कशास्त्र, दण्डनीति एवं वार्ता अध्ययन के प्रमुख विषय थे। वार्ता का अभिप्राय कृषि व वाणिज्य जैसे व्यावसायिक विषयों से था। पुराण, युक्तिशास्त्र, शब्दशास्त्र, आख्यान एवं कला विद्या भी अध्ययन के विषय थे-

(1) **त्रयी चान्वीक्षिकी चौव वार्ता च भरतर्षभ।**
दण्डनीतिश्च विपुला विद्याशास्त्र निदर्शिताः।।
(शांतिपर्व अध्याय 59/33)

(2) **युक्तिशास्त्रं च ते ज्ञेयं शब्दशास्त्रं च भारत।**
(अनुशासन पर्व अध्याय 104/149)

गन्धर्व शास्त्र के अन्तर्गत नृत्य, गीत व संगीत की शिक्षा का प्रावधान भी था। छात्र अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप विषयों का चयन करते थे। अपनी क्षमता के अनुसार कोई छात्र एक या तदधिक विषयों का भी अध्ययन करते थे। क्षत्रियों अर्थात् राजकुमारों के लिए पाठ्यक्रम किंश्चिद् भिन्न निर्धारित था। उन्हें धनुर्वेद, अश्वसूत्र, हस्तिसूत्र, रथसूत्र, यन्त्रसूत्र आदि विषय पढ़ाये जाते थे, ताकि वह युद्ध क्रिया में निपुण हो सके। 'नागर' शास्त्र का उनके अध्ययन के लिए विशेष प्रावधान था (सभापर्व अध्याय 5/120-121)। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान का भी विशेष प्रबन्ध होता थाए ताकि राजा बनने पर वह क्षत्रिय उक्त ज्ञान का सदुपयोग कर सके। महाभारत काल शिक्षा की दृष्टि से अत्युन्नत काल था, जहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसमें भी व्यक्तिगत गुणों को विशेष महत्त्व दिया जाता था। उनकी अधिकांश क्षमताओं का निर्धारण वंश-परम्परा के अनुसार किया जाता था। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल ब्राह्मण को दिया जाता था 'ब्रह्मास्त्रं ब्राह्मणो विद्यात्' (शांतिपर्व अध्याय 2 श्लोक 13)। क्षत्रिय, तपस्वी या अन्य किसी को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए 'क्षत्रियों वा तपस्वी वा नान्यो विद्यात् कथश्चन' (शांतिपर्व अध्याय 2 श्लोक 13)। इसी प्रकार वेदाध्ययन का अधिकार भी उपनीत द्विज्जनों यब्राह्मणए क्षत्रिय व वैश्यद्ध को ही था, शूद्रों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। आचार्य शिष्य बनाने से पूर्व उस बालक का जन्म कुल आदि जान लेते थे।

शास्त्रों के अतिरिक्त शस्त्र विद्या का दानाधिकारी परम्परा प्राप्त होता था। जैसे आग्नेयास्त्र का ज्ञान बृहस्पति से भारद्वाज, भारद्वाज से अग्निवेश, अग्निवेश से द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य से अर्जुन ने प्राप्त किया था। 'पुरास्त्रमिदमाग्नेयं प्रादात् किल बृहस्पतिरू' (आदिपर्व अध्याय 170/29-30)। इसी प्रकार भीष्म पितामह ने परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। द्रुपद, द्रोण व कर्ण भीष्म के सहाध्यायी थे। दुर्योधन व भीम ने गदायुद्ध की शिक्षा बलरामजी से ली थी। धृष्टद्युम्न एवं शिखण्डी ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी थी। पाण्डव व कौरवों ने धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से सीखी थी। अभिमन्युए सात्यकि एवं प्रद्युम्न ने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक गुरु हर विद्या में पारंगत नहीं होता था।

गृह-शिक्षक की प्रथा भी महाभारत काल की ही देन है। इससे पूर्व शिक्षार्थी को गुरु-गृह जाकर ही शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, परन्तु महाभारत काल में राजा द्रुपद ने अपनी पुत्रियों की शिक्षा घर पर ही करवाई थी। आचार्य पंचशिख ने भी आचार्य जनक से शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की थी। यद्यपि यह परम्परा केवल धनी व समर्थ व्यक्तियों तक ही सीमित थी। आज भी समर्थ व्यक्ति ही गुरु को घर आकर शिक्षा देने के लिए बाध्य करते हैं।

परीक्षा प्रणालीश् का प्रारम्भ भी महाभारत काल में ही देखने को मिलता है। आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखला कर मिट्टी की चिड़िया का आँख बेधने की परीक्षा ली थी, जिसमें अर्जुन को विजयी घोषित किया था।

छात्र के लिए आचार संहिता निश्चित थी। उसक लिए कुछ त्याज्य था तो कुछ पालनीय। परिधान भी निश्चित होता था। अवकाश दिवस (अनध्याय दिन) भी निश्चित होते थे। गुरु सभी के लिए समान रूप से भोजन व वस्त्र की व्यवस्था करता था। स्वाध्याय छात्रों का नित्य कर्म था। शिक्षक निरूस्वार्थ भाव से शिक्षा देते थे।

महाभारत कालीन शिक्षा पद्धति रामायण कालीन शिक्षा पद्धति का विकसित रूप तो कही जा सकती है, परन्तु उसमें वह आदर्श भावना व नैतिकता दृष्टिगत नहीं होती, जो रामायण काल में थी। शस्त्रों के संचालन की शिक्षा भी अपेक्षाकृत इस युग में चरम उत्कर्ष पर थी, जिसका परिणाम 18 दिन के महाभारत युद्ध में देखने को मिलता है। अनेक उपदेशों में चरित्र गठन सम्बन्धी शिक्षा की सार्थकता का उल्लेख भी यही प्रमाणित करता है कि उस समय चरित्रबल डगमगाने लगा था।

जहाँ तक स्त्री शिक्षा का प्रश्न है, महाभारत कालीन महिलाओं में द्रौपदी व उत्तरा के अतिरिक्त शकुन्तला, अरुन्धती, सावित्री, शिवा, गौतमी, शाण्डिली, दमयन्ती, सुलभा, प्रभासभार्या, विदुला, गंगा, सत्यवती, माधवी, गान्धारी, कुन्ती आदि सभी को शिक्षित एवं विदुषी महिला के रूप में चित्रित किया गया है। अनेक विदुषियाँ राजा जनक की सभा में सम्मिलित होती रही हैं तथा अपने वैदुष्य का प्रदर्शन करती रही हैं।

इस प्रकार महाभारत काल शिक्षा की दृष्टि से उत्कर्ष युग माना जाता है, जो महाभारत के अनेक उद्धरणों से प्रमाणित होता है।

धर्मशास्त्रों में विवेचित शिक्षा प्रणाली - पुरातन काल में सामाजिक दायित्वों को व्यवस्थित रूप से निर्वहण करने के लिए सर्वप्रथम धर्मसूत्र ग्रन्थों का निर्माण किया गया। ये वेदांगों के द्वितीय भाग 'कल्पशास्त्र' के अंग माने जाते हैं, जिनमें श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र प्रसिद्ध रहे हैं। वस्तुतः ये भारतीयों के जीवन के नियामक शास्त्र रहे हैं। महाभारत के युद्ध के बाद विशृंखलित समाज को दायित्व बोध कराने के लिए इनकी रचनाएँ महत्त्वपूर्ण मानी गई हैं। धर्मशास्त्र वाङ्मय तीन रूपों में उपलब्ध है-(1) सूत्र रूप में, (2) स्मृति रूप में तथा (3) निबन्ध ग्रन्थों के रूप में।

वर्तमान में उपलब्ध धर्मसत्रों में गौतम धर्मसूत्र सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। यह सामवेद शाखियों का नियामक सूत्र ग्रन्थ है। अन्य सूत्रों में आपस्तम्ब, बौधायन, वशिष्ठ आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनका रचनाकाल ईसापूर्व छठी शताब्दी से लेकर ईसापूर्व तृतीय शताब्दी माना जाता है। वस्तुतः यह काल भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की दृष्टि में स्वर्ण युग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद विशृंखलित संस्कृति इस समय में पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकी थी। सूत्रग्रन्थ अत्यन्त संक्षेप में दिशा-निर्देशन करते थे, जिनसे विषय स्पष्ट नहीं होता था। परिणामतरू स्मृति ग्रन्थों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। मनु ने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि

'श्रुति' अर्थात् वेद तथा 'स्मृति' अर्थात् धर्मशास्त्र हैं

'श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति:'।

सभी वर्गों के लिए आचार संहिता की नितान्त आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। धर्मसूत्र विषय को अधिक स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, अत: महर्षि मनु ने 'मानव धर्मशास्त्र' के आधार पर 'मनुस्मृति' की रचना की, जो बारह अध्यायों में विषय विवेचन करती है। इसका रचनाकाल ईसापूर्व चौथी शताब्दी माना है, परन्तु वर्तमान में उपलब्ध उसका स्वरूप ईसा की प्रथम शताब्दी का माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन-परिवर्धन (प्रक्षिप्तांश) हुए। ईसा की प्रथम शताब्दी धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का युग माना जाता है, क्योंकि उस समय भारत पर यहूदियों, खस, हूण जाति के लोगों का यहाँ प्रभाव बढ़ा था। पूर्व प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था शिथिल होने लगी थी। संस्कृतियों के मिलने से वह शुद्ध नहीं रह गई थी। अनुलोम व प्रतिलोम विवाहों से जातियाँ पनपने लगी थी। परिणामत: मनु को अपनी स्मृति में विभिन्न जातियों व उनके कर्तव्यों का उल्लेख करना पड़ा। यद्यपि वर्ण संकरता का उल्लेख तो महाभारत काल में भी मिलता है और इसीलिए धर्मसूत्र भी उनका संकेत करते हैं, परन्तु इसका सामाजिक प्रभाव मनुस्मृति में अधिक व्यापक रूप में दृष्टिगत होता है। उन सामाजिक विषमताओं को जैसे शूद्रा विवाह आदि को नियन्त्रित करने की आवश्यकता अनुभव की गई और ईसा की द्वितीय शताब्दी में महर्षि याज्ञवल्क्य को अपने स्पष्ट मत प्रस्तुत कर विषमताओं को नष्ट करने का स्पष्ट आदेश देना पड़ा-

यदुच्यते द्विजातीनां शूद्राद् दारोपसंग्रह:।
नैतन् मम मतं यस्मात् तत्रायं जायते स्वयम्।।

ऐसे भी मनु एवं याज्ञवल्क्य द्वारा रचित स्मृति ग्रन्थ वर्तमान समय तक प्रामाणिक माने जाते रहे हैं तथा यह धारणा रही है कि 'यद् वै मनुरवदत् तत् भैषजम्' अर्थात् जो कुछ भी मनु ने कहा है वह औषधिवत् स्वीकार्य है।

सामाजिक स्थिति में देश, काल आदि के अनुसार जो परिवर्तन होते रहे, उनके प्रमाणीकरण के लिए अन्यान्य स्मृति ग्रन्थों की रचना होती रही। उनकी निश्चित संख्या तो अभी तक ज्ञात नहीं है तथापि ये शताधिक रही हैं, जिनमें स 70 के लगभग तो वर्तमान में सरलता से उपलब्ध हैं। वस्तुत: इनका रचनाकाल ईसा की चतुर्थ शताब्दी से नवम-दशम शताब्दी तक माना जाता है। कुछ स्मृतिया बाद की रचनायें भी रही हैं।

धर्म-निबन्ध ग्रन्थों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका परिगणन सम्भव नहीं। भारत के प्रत्येक प्रान्त में ये ग्रन्थ लिखे गये तथा स्थान विशेष, वस्तु विशेष एवं काल विशेष के अनुसार इनका विस्तार से तथा संक्षेप में भी निर्माण हुआ। अधिकांश ग्रन्थ आज भी प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं। इनके भाष्य भी लिखे गयेए समयानुसार अनुवाद व व्याख्याएँ भी हुईं। आज भी इनके स्वरूप निर्धारण पर शोध कार्य हो रहा हैए जो उनके ऐतिहासिक स्वरूप को स्पष्ट करने की दिशा में महनीय प्रयास है।

चूँकि धर्मशास्त्र वाङ्मय का उद्देश्य वैदिककालीन संस्कृति की सुरक्षा के साथ उसे समाज में व्यवस्थित रूप से लागू करना भी था, अत: तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप ही मान्य रही। प्राय: समस्त सूत्र व स्मृति ग्रन्थ, यहाँ तक कि निबन्ध ग्रन्थ भी तदनुरूप व्यवस्था का ही यथावत् उल्लेख करते हैं अर्थात् आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक रहे हैं।

वर्णाश्रम व्यवस्था में शिक्षा का महत्त्व - धर्मशास्त्रकारों के अनुसार भारतीयों के सामाजिक जीवन का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था रही है। ऐसी मान्यता रही है कि ईश्वर ने ही अपनी सृष्टि को चार भागों में बाँटा था, जो वर्ण कहलाये और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नाम से लोक में विख्यात हुए। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, 'चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकम-विभागश:'। इनमें ब्राह्मण वर्ण सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ माना गया। उसे बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक भी माना गया था। समाज के शेष तीन वर्गों के लिए वह मार्गदर्शन का भी कार्य करता रहा है, साथ ही प्रशिक्षण एवं उनके लिए योगक्षेम का चिन्तक भी वही रहा है। उसे ही गुरु या आचार्य का महनीय पद भी प्राप्त रहा है। वस्तुत: वह समाज का पूर्णरूपेण चिन्तक व व्यवस्थापक रहा है।

जहाँ तक शिक्षा क्षेत्र का प्रश्न है, ब्राह्मण की भूमिका अविस्मरणीय एवं संस्मरणीय रही है। एक प्रकार से ब्राह्मण वर्ण एवं शिक्षा का अभेद्य सम्बन्ध रहा है। ब्रह्म विद्या व आत्मज्ञान में ब्राह्मणों ने विशिष्ट गति प्राप्त की थी। वैदिक वाङ्मय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अति प्राचीनकाल में विद्या स्वयं ब्राह्मण के पास आई तथा उससे रक्षा की प्रार्थना की, क्योंकि वह ब्राह्मणों की ही निधि थी। उसने यह भी प्रार्थना की थी कि ब्राह्मणों को चाहिए कि वह समाज के ईर्ष्यालु लोगों को विद्या न दे, यदि उन्हें देंगे तो वह कमजोर हो जायेगी। यथा-

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।
असूयकाय मां मा दा: तथास्यां वीरवत्तमा:।।

(निरुक्त 2/4)

मनुस्मृति में भी उक्त प्रसंग का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण के लिए यह कहा गया था कि उसे अर्थात प्रत्येक ब्राह्मण का यह प्रथम कर्त्तव्य था कि वह निष्कारण षडङ्गवेद का अध्ययन करे 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च'।

मनुस्मृति ने भी ब्राह्मण के लिए वेद का अध्ययन परम आवश्यक बताया है-

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतान्दित:।
तं ह्यस्याहु: परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते।। (मनु. 4/147)

याज्ञवलक्य ने भी मनु का समर्थन करते हुए प्रकारान्तर से कहा है कि विधाता ने ब्राह्मणों को वेदों की रक्षा के लिए ही रचा है-

तपस्तत्तवासृजद् ब्रह्मा ब्राह्मणान् वेदगुप्तये।
तृप्त्यर्थं पितृदेवानां धर्मसंरक्षणायच।। (याज्ञ. 1/198)

धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों की वृत्ति, उनकी आजीविका, दिनचर्या एवं दायित्व के साथ त्यागमय जीवन का विशेष उल्लेख मिलता है। एक युग था, जब शास्त्रोक्त आचरण करने वाले ब्राह्मणों का बाहुल्य था। उनके त्यागमय जीवन से समाज परिचित था तथा उनकी शक्ति से भयभीत भी था। धीरे-धीरे परिवर्तन आता गया और अब तो ब्राह्मणों के स्थान पर 'ब्राह्मणब्रुव' (नाममात्र के ब्राह्मण) ही मिलने लगे, जिनका जन्म मात्र ब्राह्मण माता-पिता से हुआ होता है। उस स्मृतिकाल में तो राजा भी ब्राह्मणों के निर्देशन में ही राज्य का संचालन करते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य चाणक्य इसके स्पष्ट उदाहरण हैं, जिन्होंने विरोध होने पर शक्तिशाली नौ संख्या वाले नन्दों को सत्ता से उखाड़ फेंका था तथा चन्द्रगुप्त मौर्य को संरक्षण प्रदान कर सफल शासक घोषित किया था।

धर्मशास्त्र काल में 'ऋषि ऋण' की कल्पना भारतीय संस्कृति के एक अपरिहार्य अंग के रूप में प्राप्त होती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए तीनों ऋणों से उन्मुक्त होने के बाद ही मोक्ष की कामना का अधिकारी बताया गया है-

ऋ णानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि उस समय जब वर्णाश्रम व्यवस्था अपरिहार्य रूप से स्वीकृत थी, शिक्षक की सम्मानपूर्ण स्थिति थी। आचार्य, गुरु एवं उपाध्याय के रूप में प्रसिद्ध शिक्षक का सामाजिक दायित्व मनु ने, कालान्तर में याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार परिभाषित किया है -

आचार्य (1) उपनीय तु यरू शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विज:।
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते।। मनु: 2/140
(2) उपनीय ददवेदमाचार्य: स उदाहत:।।

गुरू (1) निषेकादीनि कर्माणि य: करोति ययाविधि।
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते।। मनु. 2/142
(2) स: गुरुर्य: क्रिथा: कृत्वा वेरमस्मै प्रयच्छमति।

उपध्याय (1) एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुन:।
योऽध्यापयति वृत्यर्थं स उपाध्याय उच्यते।। मनु. 2/149
(2) एकदेशमुपाध्याय: ऋत्विग् यज्ञकृदुच्यते।। याज्ञ. 1/135

वर्णाश्रम धर्म का महत्त्व इस चिन्तन से भी पुष्ट होता है कि हिन्दू संस्कारों में शिक्षा से सम्बद्ध तीन संस्कार निश्चित किये गये थे-विद्यारम्भ, उपनयन एवं समावर्तन। यदि अधिक गम्भीरता से चिन्तन करें तो वेदारम्भ, महानाम्नी व महाव्रत व गोदान नामक चार संस्कारों का उल्लेख महर्षि गौतम ने अपने धर्मसूत्र में किया है 'चत्वारि वेदव्रतानि'। डॉ. पी.वी. काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में स्पष्ट किया है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में विद्यारम्भ नामक संस्कार सम्पादित किया जाने लगा था। आपस्तम्ब एवं स्मृतिकारों ने मार्कण्डेय पुराण के उद्धरण देते हुए इस संस्कार का वर्णन किया है। बच्चे के पाँचवें वर्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष के बारहवें दिन से आषाढ़ शुक्ल पक्ष के ग्यारहवें दिन तक किसी भी दिन विद्यारम्भ किया जा सकता था। इस दिन के विधान का भी ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख है।

इसी प्रकार 'उपनयन्' संस्कार व 'समावर्तन' संस्कार की भी प्राय: सभी आचार-प्रधान स्मृतियों में विस्तार से चर्चा की गई है। उपनयन संस्कार के बिना उन बालकों को द्विजत्व प्राप्त नहीं होता था और वे शूद्रवत् मान्य होते थे। उपनयन प्राप्त बालक की दिनचर्या इतनी कठिन होती थी कि उसे अन्य कार्यों के सम्पादन का समय ही नहीं मिलता था। इसीलिए समाज के एकवर्ग विशेष का, जो श्रमिक वर्ग था 'उपनयन' से मुक्त रखा गया था। यह मुक्त वर्ण ही 'शूद्र वर्ण' कहलाता था।

यह तो चर्चा रही वर्ण की, अब आश्रमों की व्यवस्था में 'ब्रह्मचर्याश्रम' जो प्रथम आश्रम था, शिक्षा की दृष्टि से निश्चित था। किसी भी वर्ण का बालक हो, शिक्षा ग्रहण इसी आश्रम में करता था। उसके अध्ययन का भी काल निश्चित था। सामान्यत: 100 वर्ष की आयु मानकर उसके चतुर्थ भाग अर्थात प्रथम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम की कल्पना की गई थी। यों तो अध्ययनाध्यापन को समर्पित जीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए अध्ययन सीमा 36 या 48 वर्ष मानी गई थी - **'षटत्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरो: त्रैवेदिकं व्रतम्'** 36 वर्ष तो तीन वेदों के लिए एवं चतुर्थ वेद मानें तो 12 वर्ष उसके लिए इस प्रकार 48 वर्ष तक वह गुरु गृह में रहकर वेदाध्ययन करता रहता था।

प्राचीन काल में स्त्रियों को भी वेदाध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। जो स्त्रियाँ वेदाध्ययन की इच्छा रखती थीं, उनका 'उपनयन संस्कार' भी होता था। उल्लेख मिलता है -

पुराकाले तु नारीणां मौजीबन्धनमिष्यते।

ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि स्त्रियाँ दो प्रकार की होती थीं **'ब्रह्मचारिण्य: सद्यो वध्वश्च'।** अर्थात् ब्रह्मचारिणियाँ तथा सद्योवधू। ब्रह्मचारिणियाँ जीवनपर्यन्त गुरुकुलों में रहकर प्रथम वेदाध्ययन व अन्य शास्त्रों का अध्ययन करती थीं तथा बाद में वे वहीं रहकर अध्यापन किया करती थीं। दूसरी प्रकार की स्त्रियों के लिए उपनयन की आवश्यकता नहीं होती थी। वे विवाह के बाद गृहस्थ धर्म का पालन करती थीं। महर्षि मनु ने उनके लिए स्पष्ट कहा है उनका विवाह संस्कार वैदिक संस्कार होता था और उनके लिए पतिसेवा गुरुकुलवास के समान मान्य था तथा अग्निपरिक्रिया उनका गृहस्थ धर्म होता था-

वैवाहिको विधि: स्त्रीणां संस्कारो वैदिक: स्मृत:।
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया।। मनु 2/67

इस प्रकार नारी शिक्षा भी अप्रतिबन्धित थी, अर्थात् सर्वथा मुक्त थी।

प्रसंगवश यह चर्चा भी की जा सकती है कि विकलांग व्यक्तियों का उपनयन अनिवार्य था या नहीं? उत्तर यही है कि उनका यह संस्कार परिस्थिति सापेक्ष्य था, जो वेदाध्ययन करने में अक्षम रहा होगा, उसके उपनयन व सावित्री दीक्षा का क्या औचित्य रहेगा? अत: यह निर्धारण उसके पिता (गुरुजन) किया करते थे।

क्षत्रिय व वैश्य वर्ण के लिए प्रारम्भ में तो उपनयन संस्कार अनिवार्य था, परन्तु ज्यों-ज्यों उनका वेदाध्ययन से रुझान दूर होता गया, इस संस्कार की अनिवार्यता भी समाप्त होती गई। परिणामत: उनका सम्बन्ध अध्ययन तक ही सीमित रहा, वह भी वेदाध्ययन को छोड़कर। परन्तु अब तो वर्णाश्रम'-व्यवस्था समाप्त प्राय: है, अत: किसी भी वर्ण का शिक्षक वेद शिक्षण कर सकता है, अध्ययन कर सकता है, चाहे उपनीत हो या अनुपनीत। इस व्यवस्था पर समाज का नियमन नहीं है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1. जैकोबी डॉ. हर्मन का अनुवाद, उत्तराध्ययन सूत्र, सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट जैन सूत्राज, जिल्द 65
2. पाण्डेय डॉ. उमेशचन्द्र द्वारा सम्पादित आपस्तम्ब धर्मसूत्रए चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1969
3. पतंजलि महाभाष्य का उद्धरण, डॉ. पी.वी.काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास,
4. जैकोबी डॉ. हर्मन का अनुवाद, आचारांग सूत्र, सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट जैन सूत्राज, जिल्द 65
5. वेदालंकार जयदेव, अथर्ववेद संहिताए आर्य संहिता मण्डल, अजमेर
6. शास्त्री जगदीश द्वारा सम्पादित उपनिषद् संग्रह, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1980
7. आप्टे वी.एस. द्वारा सम्पादित एतरेय ब्राह्मण, आनन्दाश्रम, संस्कृत सिरीज, कलकत्ता, 1931
8. गैरोला (वाचस्पति के व्याख्यान सहित) कौटिल्य अर्थशास्त्रम् चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1990
9. ऋग्वेद संहिताए सायण भाष्य सहित, वैदिक तत्तव शोध मण्डल, पूना, 1980
10. छान्दोग्य उपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर
11. पाण्डेय उमेश चन्द्र द्वारा सम्पादित गौतम धर्मसूत्राणि, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, तृतीय संस्करण, संवत् 2056

****

19 वीं सदी में महिलाओं की स्थिति का एक अध्ययन

डॉ. फिरोज मोहम्मद शेख*

प्रस्तावना – स्त्री समाज की आधार शिला है। स्त्री व पुरूष दोनों मिलकर ही समाज का निर्माण करते है। स्त्रियों की उन्नति व अवनति का इतिहास सम्पूर्ण समाज के उन्नति एवं अवनति का इतिहास कहलाता है। भारतीय इतिहास में विभिन्न कालों में स्त्री के विकास, उसकी उन्नति अवनति, उसके संघर्ष, उसको प्राप्त अधिकार, उस पर लगने वाले प्रतिबंधो की एक लम्बी कहानी है जो विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति को दर्शाती है। मनु स्मृति का कथन ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' प्राचीन काल तक ही व्यवहार में था। मध्य काल के आते आते समाज में अनेक कुप्रथाओं के घर कर जाने के कारण स्त्रियों की स्थिति में निरंतर गिरावट आती गई।[1]

मध्यकाल में महिलायों की स्थिति – 12 वीं से 18 वीं शताब्दी तक का समय मध्य काल माना जाता है। मध्य काल तक स्त्री का आदेश व मान शाब्दिक रूप में ही सीमिति रह गया था, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। स्त्री का माता के रूप में पूर्ण सम्मान किया जाता था। माता को गुरु से भी ऊँचा दर्जा दिया जाता था।[2] वीर पुरुष स्त्रियों के सम्मान के लिए युद्ध को तत्पर रहते थे। वे पराई स्त्री को अपमानित करना सिद्धान्त विरोधी मानते थे।[3] इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा। इससे बहु विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला।[4] नर्तकियों गणिकाओं व देवदासीयों की बडी संख्या समाज में मौजूद थी। विधवा पुनर्विवाह को अपमानजनक माना जाता था। विधवा होकर अनेक मानसिक व सांसारिक कष्टों के साथ जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा विधवाऐं सती होना बेहतर समझने लगी थी।[5] समाज में सती प्रथा को बहुत महिमा मण्डित किया गया। स्त्रियों का सती होना उनके तीन कुलों माता-पिता व भाई को तारने वाला माना जाने लगा।[6] इस काल में पर्दा प्रथा भी चरम पर थी। पर्दा प्रथा का आधार यह विश्वास था कि स्त्री को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का मुख न देखना चाहिये न ही अपना मुख उसे दिखाना चाहिये।[7] आक्रमणकारियों की नजरों से बचना भी इस प्रथा का उद्देश्य था। पहले यह प्रथा सिर्फ राज परिवारों तक सीमित थी, धीरे- धीरे पूरे समाज में इस प्रथा ने अपनी जगह बना ली।[8]

19 वीं सदी में महिलाओं की स्थिति – हिन्दू स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्ध मध्यकाल से लगने शुरू हो गए थे जो 19वीं शताब्दी के आरम्भ तक समाज के सभी क्षेत्रों में फैल गए जिससे महिलाओं की पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक क्षेत्रों में स्थिति गौण होती चली गई।

पारिवारिक क्षेत्र – परिवार का मुखिया पुरुष होता था सारे अधिकार व शक्तियाँ उसी के पास सुरक्षित थे। स्त्रियों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उसका कार्य घर-गृहस्थी देखना, सन्तानों उत्पति व लालन-पालन, सास-ससुर, गुरुजनों व मेहमानों की सेवा करना, घर के पशुओं की देखभाल करना मात्र था। बाल-विवाह हो जाता था, विवाह-विच्छेद का अधिकार नहीं था। पति चाहे दुर्गणी हो, पत्नी को उसी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विधवा विवाह निषेध हो गया था। विधवाओं की स्थिति करूणामय थी। बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन था।[9]

सामाजिक क्षेत्र – पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं को औपचारिक शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। बाल विवाह के कारण कन्याऐं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। पर्दा प्रथा के कारण समाज में महिलाओं के कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध था उन्हें मेलों, उत्सवों, गोष्ठियों में भाग लेने की छूट नहीं थी।[10]

आर्थिक क्षेत्र – 1937 से पहले स्त्री को आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। पण्णिकर के अनुसार हिन्दु समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया, पत्नी परिवार का अंग तथा विधवा को मृत समान माने जाने लगा। संयुक्त परिवार में विधवा को सम्पत्ति पर अधिकार नहीं था। आर्थिक रूप से पराश्रित होने के कारण पुरुष उनका शोषण करते थे।[11]

स्त्रियों की गिरती दशा के कारण

ब्राह्मणवाद – ब्राह्मणवाद ने स्त्रियों को एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीकों से शोषण की स्थिति में पहुँचा दिया। धर्म शास्त्र काल में पाराशर संहिता, विष्णु संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, मनुस्मृति लिखी गई। उनमें स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाये तथा बाल विवाह को धार्मिक संस्कार बताया गया। सती को आदर्श कृत्य तथा स्त्री को उपभोग की वस्तु बताया गया।[12] मोक्ष व स्वर्ग प्राप्त करने का सहज साधन पति सेवा बताया गया। अनपढ़ व अन्धविश्वासी स्त्रियों ने इसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर अपनी स्थिति शोचनीय बना ली।

संयुक्त परिवार व्यवस्था – यह प्रथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से स्त्रियों की स्थिति को गिराने में सहायक सिद्ध हुई। विभिन्न तरीकों तथा व्यवस्थाओं द्वारा स्त्रियों को संयुक्त परिवार में दबाकर रखा जाता था। स्त्रियां इस व्यवस्था का विरोध न कर सके, इसके लिए उसे शिक्षा सें वंचित रखा गया।[13] संयुक्त परिवार प्रथा स्त्री जाति के ह्रास व शोषण का मुख्य कारण बना।

बाल विवाह – बाल विवाह जैसी कुप्रथा ने कन्या का शारीरिक, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक दृष्टिकोण से विकास रोक दिया। उपनयन संस्कार समाप्त हो गया था, अत: शिक्षा का ह्रास हुआ जिससे स्त्री अपने अधिकारों व चरित्र का विकास करने में असमर्थ हो गई जिससे वह मात्र उपभोग की वस्तु बनकर रह गई।[14] बाल विवाह ने स्त्रियों को सभी प्रकार के नियंत्रण मानने के लिए मजबूर कर दिया।

कन्यादान – स्मृतिकाल तक सम्मानजनक कृत्य माना जाने वाला कन्यादान कालान्तर में स्त्रीयों के लिए अभिशाप बन गया। कम उम्र में विवाह के कारण

* लेक्चरर (इतिहास) हाडारानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर, जिला उदयपुर (राज.) भारत

कन्याऐें अपने होने वाले पति के गुण, दोष, आयु आदि का ज्ञान नहीं कर पाती थी। कम उम्र की कन्याओं का विवाह बड़े वय के पुरुष के साथ कर दिया जाने लगा। जिससे वह उससे अपने मन की बात नहीं कह सकती थी। व पति उसे बच्ची समझ कर उसकी बात को महत्व नहीं देते थे। कन्यादान को महान दान माना गया, अत: पिता शीघ्र अति शीघ्र इस दान को कर मुक्ति पाना चाहते थे।[15]

वैवाहिक कुरीतियाँ –बाल विवाह, कुलीन विवाह, सजातिय विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, दहेज प्रथा, बहु पत्नी प्रथा जैसी हिन्दु मान्यताओं के कारण नारी का कन्या, पत्नि तथा विधवा के रूप में कोई अस्तित्व नहीं रहा।[16] सजातिय तथा कुलीन विवाह ने माता–पिता के लिए योग्य वर प्राप्त करने का क्षेत्र सीमित कर दिया। बेमेल विवाह, बाल–विवाह, तथा विधवाओं की समस्याओं ने हिन्दु नारी की धार्मिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में स्थिति दयनीय बना दी।[17]

पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता –स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता ने उसे नि:स्सहाय व पुरुष की दया का पात्र बना दिया। उनका स्वयं का व्यक्तित्व व अस्तित्व नष्ट हो गया। उत्तर वैदिक काल के बाद स्त्री के सम्पत्ति अधिकार भी समाप्त हो गए।[18]

स्त्री शिक्षा की उपेक्षा – शिक्षा के अवसर न मिलने के कारण स्त्रियाँ अशिक्षित, अन्धविश्वासी व रूढ़ीवादी हो गई व अपने अधिकारों के प्रति तटस्थ तथा निष्क्रिय होकर सामाजिक कुरीतियों का अक्षरश: पालन करने लगी।[19]

धार्मिक अधिकारों का हनन –कन्याओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए उपनयन होना आवश्यक था, अत: इसके अभाव में स्त्रियों के धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। धार्मिक क्रियाकलापों में शुद्धता पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा, अत: स्त्रियों के मासिक धर्म व उच्चारण की अशुद्धता के कारण उन्हें यज्ञादि से वंचित कर दिया गया।[20]

मुसलमानों का आक्रमण –भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे। मुसलमान हिन्दु स्त्रियों से विवाह करने का प्रयास करते थे। उन्हें उठा ले जाते थे। अत: अपनी स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए उन पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये।[21]

19वीं सदी के आरम्भ तक स्त्रियों की दशा दयनीय थी। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अनेक समाज सुधारकों व ब्रिटिश सरकार ने कई कानुनों ओर संस्थाओं निमार्ण किया ।

स्त्रियों की दशा को सुधारने में निम्न संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया :–

1. ब्रह्म समाज –1824 में सर विलियम वैटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विरोधी कानून बनवाया। बाल विवाह तथा बहु–विवाह आदि की भर्त्सना की। स्त्री शिक्षा प्रसार पर इन्होंने बहुत जोर दिया।[22]
2. आर्य समाज –स्मृतियों के कटु आलोचक महर्षि दयानन्द सरस्वति ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जिसने स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों द्वारा वैदिक रीति से यज्ञ करने का समर्थन किया।[23]
3. थियोसोफिकल सोसायटी – मैडम ब्लोवात्स्की तथा कर्नल आल्कात के प्रयत्नों से 1886 में इसकी स्थापना हुई, जो स्त्रियों में नई जागृति पैदा करने को प्रयत्नरत रही।[24]
4. रामकृष्ण मिशन – इसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने की इसके द्वारा उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं उनकी स्वतंत्रता पर बल दिया।[25]
5. प्रार्थना समाज –इसेक द्वारा जस्टिस गोविन्द रानाडे ने विधवा पुन: विवाह का समर्थन किया।[26]
6. सर सैयद अहमद खान – 1875 में मोहम्मडन एंग्लो इण्डियन कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चल कर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी बना, इसके द्वारा मुख्यत: मुस्लिम समाज में प्रचलित बाल–विवाह, बहु–विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया।[27]

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने भी बिना किसी संस्था की स्थापना के स्त्रियों की दशा सुधारने के यथोचित प्रयास किये तथा बहुत संख्या में विद्यालय खोले।

19वीं शताब्दी में कुरीतियों को रोकने के लिए बनाए गए सरकारी कानून – सतीप्रथा पर रोक – सर विलियम वैटिंग ने 1829 में कानून बनाया परन्तु इसे 1833 में ही लागू किया जा सका।

विधवा पुनर्विवाह कानून – 1856 में बनाया गया।

स्पेशल मैरिज एक्ट– 1872

बाल–विवाह नियंत्रण अधिनियम

बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए 1872 में कानून 'मैरिज एक्ट' के अन्तर्गत बनाया गया तथा 1929 में 'बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम' पारित हुआ।

अन्तर्जातिय विवाह एक्ट – 1872 में केशवचन्द्र सेन के प्रयास के बना। अन्य जाति में विवाह को मान्यता प्रदान की गई।

सिविल मैरिज एक्ट – इसके द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। लड़के के लिए 18 वर्ष एवं लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई।[28]

विवाहित स्त्री सम्पत्ति संबंधि कानून 1874 में बनाया गया।

कन्या भ्रूण हत्या पर रोक – सर्वप्रथम 1845 में लार्ड डलहौजी ने इस पर रोक लगाई। परन्तु 1856 में सरकारी कानून बनाकर इसे कानूनन अपराध घोषित किया गया।

निष्कर्ष – प्राचीन काल में नारी को समाज में गोरवमय स्थान प्राप्त था । मध्यकाल आते आते समाज में स्त्रियों का स्थान व स्थिति गौण हो चुकी थी। 19वीं सदी के आरम्भ तक बाल विवाह, बहू विवाह , विधवाओं की दुर्दशा कन्यावर्ध भ्रूणहत्या अशिक्षा सतीप्रथा दहेजप्रथा आदि अनेक कुप्रथाओं से सम्पूर्ण नारी जाति पीडित थी। 19वीं सदी के लोगों में कुछ जागरूकता आने के कारण धार्मिक व सामाजिक सुधार आन्दोलनों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने भी इन कुप्रथाओं पर अकुंश लाने के लिए समाज सुधारकों के साथ मिलकर कुछ संस्थाओं का निर्माण किया व कुछ नियम बना कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार का प्रयास किया । जिस से धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में सुधार होता चला गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ओझा जी.एच.– 'ओझा निबंध संग्रह' भाग 1, पृ. 42, विद्यापीठ उदयपुर, 1959
2.. मिश्र उर्मिला प्रकाश– प्राचीन भारत में नारी पृ. 88, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2002
3. मजूमदार आर.सी.– 'हिन्दुवर्स्सन टू मुस्लिम इनवर्सन कामन्टेटर', पृ.341–51, पोद्दार, डी.पी. पब्लिशड्, जयपुर, 1973
4. शर्मा दशरथ – 'राजस्थान थ्रु द एजेज', पृत्र 451, जयपुर 1969
5. शर्मा रजंनीकान्त– अल्बेरूनी का भारत, भाग 3 पृ. 199 आदर्श हिन्दी

पुस्तकालय इलाहाबाद 1967

6. मिश्र जयशंकर – 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. 366, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना, 1986
7. पाणिनी आस्थाध्याय – 3.2.36, रामायण 2.33.8, मिश्र जयशंकर– 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', पृ. 369, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1986
8. ओझा जी.एच.– 'ओझा निबंध संग्रह', भाग–1, पृ. 41, विद्यापीठ उदयपुर, 1959
9. शर्मा जी.एन.– 'सोशल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान', पृ. 235, जयपुर, 1972
10. मिश्र उर्मिला प्रकाश– प्राचीन भारत में नारी पृ. 107, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2002
11. मिश्र जयशंकर – 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', पृ. 369, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना, 1986
12. अल्तेकर ए.एस.– 'पोजिशन ऑफ वुमैन इन हिन्दु सिविलाइजेशन', पृ.112, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय 1938, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी–II, 1978
13. शर्मा जी.एन.– 'सोशल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान', पृ. 142, जयपुर, 1972
14. मेवाड़ गजिटियर–पृ. 220ए 1901, राजस्थान अभिलेखागार उदयपुर।
15. शैपर्ड जी.सी.– 'शैपर्ड ऑफ उदयपुर', पृ. 205–225, लंदन 1926
16. अरोड़ा शशि – 'राजस्थान में नारी की स्थिति' पृत्र 63, बीकानेर 1981
17. शर्मा दशरथ– 'राजस्थान थ्रु द एजेज', 1969, जयपुर, पृ. 135–138
18. ओझा जी.एच.– 'ओझा निबंध संग्रह', भाग–1, पृ.35, विद्यापीठ उदयपुर, 1959

****

Response of Grape Dextrose Agar Media on growth and sporulation of Red globe variety of Grapes (*Botrytis cinerea* Pers.Ex. Fr.)

Mahendra Dahiwale*

Abstract: Red globe variety of grape (*Botrytis cinerea* Pers. Ex. Fr.) is one of the most commercially prominent variety of grape in India and in throughout World. It causes severe postharvest losses of perishable due to *B. cinerea* ranged upto 50 percentages. A remarkable interest has identified strategies that can be used to obtain high quality and yield in table grapes using various plant fungicides and growth enhancers. Grape Dextrose Agar Media is one of them to show the excellent results. In this view, the total twenty five isolates of *B.cinerea* isolated from infested grapes in various locality of Maharashtra. Infected grapes were rinsed with sterile distilled water up to 5 to 6 times then cut into smaller pieces and placed aseptically at equidistant onto sterile culture media augmented with streptomycin (20µg/ml) in petriplate. Potato dextrose agar, Czapek Dox Agar, corn meal agar and grape dextrose agar was undertaken to ascertain the requirement of different culture media on growth and sporulation of *B. cinerea*. Culture plate was incubated at 22 ± 2ºC for seven days. Growing mycelium was transferred to slants and pure culture of the pathogen was obtained. Grape dextrose agar and Potato dextrose agar medium (PDA) shows maximum growth and sporulation of *B. cinerea* where as corn meal agar and Czapek Dox Agar shows minimum growth and sporulation.
Keywords: Red globe variety of Grapes, *Botrytis cinerea*, culture medias.

Introduction - Red globe variety of grape (*Botrytis cinerea* Pers. Ex. Fr.) is one of the most commercially prominent variety of grape in India and in throughout World. It causes severe postharvest losses of perishable due to *B. cinerea* ranged upto 50 percentages. A remarkable interest has identified strategies that can be used to obtain high quality and yield in table grapes using various plant fungicides and growth enhancers. Grey mould of grape caused by *Botrytis cinerea* Pers. Ex. Fr. is a filamentous, hetrothallic septate mycelium, ascomycete comprising great variability in the mycelia growth and sporulation. Conidial germination of *B.cinerea* is induced by different physical and chemical signals including the presence of quality of nutrients (Blackeman, 1975; Lorbeer, 1980). Conida of *B. cinerea* are typically nutrient dependent, they do not readily germinate in sterile water and they usually require an exogenous input of nutrients for germination. In addition, it has been proposed that nutrient dependent of phytopathogenic fungi may use germination stimulating compounds from a host plant as an alternative chemical when nutrient concentrations are too low for conidial germination and diverse carbon sources are effective at low concentrations (10 µg/ml M) to induce sporulation in *B. cinerea.* (Filonow, 2002, Dahiwale *et al,* 2009 and 2012). Rich media such as malt extract induced rapid germination and early germ tube branching. The mechanism of nutrient sensing by *B.cinerea* is unknown (Forsberg and Ljungdahl, 2001). Considering the above positive effects an investigation was carried out to illustrate the effect of grape dextrose agar culture media on growth and sporulation of Red globe variety of grape.

Materials And Methods: The infected grape samples were brought from the field to the laboratory and used for the isolation study. The infected samples were surface sterilized with 0.1% HgCI solutions for one minute with gentle agitation. Samples were rinsed with sterile distilled water up to 5 to 6 times then cut into smaller pieces and placed aseptically at equidistant onto sterile PDA augmented with streptomycin (20 µg/ml) in petriplate. Plate was incubated at 22 ± 2ºC for seven days, examined daily for the growth of organism. Pure culture of the pathogen was obtained and pathogen was purified using PDA medium. Growing mycelium was transferred to slants. The identification was carried out by macroscopic and microscopic observation which confirmed the *B.cinerea* (Samson *et al*., 1984).*B. cinerea* was obtained and maintained at 4ºC in the PDA medium tilted in sterile tubes and used for further study wherever necessary. The response of different media **on** growth and sporulation of *Botrytis cinerea* was used detailed studies. Potato Dextrose Agar Medium (Hawksworth *et al*., 1983), Czapek's Dox Agar (Onions *et al.,* 1981), Corn Meal Agar (Baron and Finegold, 1990), Grape Dextrose Agar (Special Medium) (Dahiwale and Suryawanshi, 2012) were used for growing *B cinerea*. Potato dextrose agar medium

***Department of Botany, K M Agrawal College of Arts, Commerce and Science, Kalyan (Maharashtra) INDIA**

(PDA) showing maximum growth and sporulation of *B.cinerea* and this medium is used for further study.

Figure 1a: Healthy Red Globe variety of Grape

Figure1b:Infected Red Globe variety of Grapes

Results And Discussion: *Botrytis cinerea* were grown on four different media *viz.* PDA, CDA, CMA and GDA in order to find the best medium suitable for the growth of pathogens. Total four media were taken for isolation and purification of *B. cinerea*. Media were prepared using standard techniques. Pure culture of the *B. cinerea* was obtained onto sterile PDA, CDA, CMA and GDA medium. Grape dextrose agar (GDA) and Potato dextrose agar medium (PDA) shows maximum growth and sporulation seven days where as corn meal agar (CMA) and czapek dox agar (CDA) shows minimum growth and sporulation. (Fig 1a and b and Fig 2). The *B. cinerea* was purified using PDA medium. Plate was incubated at 22 ± 2ºC for seven days. Growing mycelium was transferred to slants. The identification was carried out by macroscopic and microscopic observation which confirmed the *B.cinerea* (Samson *et al*., 1984).Similar result reported by Reddy and Gupta, (1981) the growth and sporulation of *Alternaria helianthi* while Mohanthy *et al*., (1981) reported Richard s B medium shows maximum growth of *A. alternata*. Morphological characteristics of the cultures on potato carrot agar and V8 agar media after seven days exhibited typical characteristics of *Alternaria mali* (Simmons, 1999). PDA, Oatmeal agar, Czapek Dox, Richards, Walkman's agar medium, water agar and Martins Rose Bengal Agar media were also studied by Hubballi (2010), maximum growth was observed on PDA.

Figure 2. Pure culture of *Botrytis cinerea* Pers.ex Fr. on GDA

Conclusion: GDA and PDA have a potential to increase the growth and sporulation of Red globe variety of Grapes.

Acknowledgement: Authors are thankful toDr N S Suryawanshi, Associate Professor, Research Laboratory, Department of Botany, KVP College of Arts, Science and Commerce, Dombivali, Thane for valuable guidance, suggestions, and encouragement during research period.

References:-

1. Blackeman J P (1975).Germination of *Botrytis cinerea* conidia in vitro in relation to nutrient conditions on leaf surfaces. *Transaction British Mycological Society.* 65:239-247.
2. Baron, E. J. and S. M. Finegold (1990). Formulas and preparation of culture media and reagents. *Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 8thed. The C. V. Mosby Company, St.Louis, Mo. USA.*
3. Dhiwale M. A., Baviskar R. N. and Suryawanshi N. S. (2009) "Integreted management of carbendazim resistant *Altrenaria alternata* causing fruit rot of Pomeranate"*. Life Sci. journal Bioinfolet* 6 (1):44-45.
4. Dahiwale M. A., TusharRodge and N. S.Suryawanshi (2012). Biological control of postharvest diseases of fruits. *Bionanofrontier.*5 (1):161-163.
5. Dahiwale M. A. and N. S. Suryawanshi (2012). *Invitro* evaluation of essential oils in the management of grey mould of grapes caused by *B.cinerea. Bionano Frontier 3(2):290-292.*
6. Hawskworth D. L., Sutton B. C. and G. C. Ainsworth (1983). Ainsworth and Bisbys Dictionary of the fungi VII ed. *Commonw. mycol. Inst. Kew, Survey, England.*445.
7. Hubballi, M., Sevugapperumal, N., Thiruvengadam, R., Anand, T. & Samiyappan, R. (2010) Effect of Environmental Conditions on Growth of *Alternaria alternata* Causing Leaf Blight of Noni. World Journal of Agricultural Sciences 6 (2): 171-177.
8. Forsberg H and Ljungdahl P O (2001). Sensors of extracellular nutrients in *Sachharomyces cervisiae*. Current Genetics. 40: 91-109.
9. Filonow A B (2002). Mycoactive acetate esters from

apple fruit stimulate adhesion and germination of conidia of the grey mold fungus. *Journal of Agricultural Food Chemistry*.50:3137-3142.

10. Lorbeer J W (1980). Variation in *Botrytis and Botryotinia*. In: Coley-Smith JR, Verhoeff K, Jarvis WR (eds.). *The biology of Botrytis. Academic Press Inc. (London) Ltd*.19-40.
11. Mohanthy, A.K., Poai, P. & Mohanty, N.N. (1981) Physiological studies on Alternata carthami causing leaf blight of sunflower. *Indian Journal of Mycology and Plant Pathology* 11:96-97.
12. Onions A.H.S., Allsopp D., and H.O.W. Eggins (1981).Smith's Introduction *Industrial Mycol. 7thed Edward Arnold London*. 372.
13. Reddy, P.C. & Gupta, B.M. (1981) Physiological studies of *Alternaria helianthi* (Hansf) Tubaki and Nishihra, the incident of leaf blight of sunflower. *Journal of Turkish Phytopathology*, 10:21-35.
14. Samson R. A., Hoekstra E. S. and Van Ooschot Can (1984). Introduction to food borne fungi. 2nd edition. Central bureau voorschimmel cultures, BAARN. *Institute of the Royal Netherlands, Academy Arts Sci*.:248.
15. Simmons, E. G. (1999) *Alternaria themes* and variations (236-243): Host-specific toxin producers. *Mycotaxon* 70: 325-369.
16. Venancio WS, Rodrigues MAT, Begliomini E and De Souza NL (2003) Physiological effects of Strobilurin fungicides on plants. UEPG Ci. Exatas Terra, Ci. Agr. Eng., Ponta Grossa, 9(3): 59-68.

****